भारतीय जनसंघ घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72 4

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

1951-72

भाग 4

आंतरिक प्रश्नों पर प्रस्ताव

120/2069

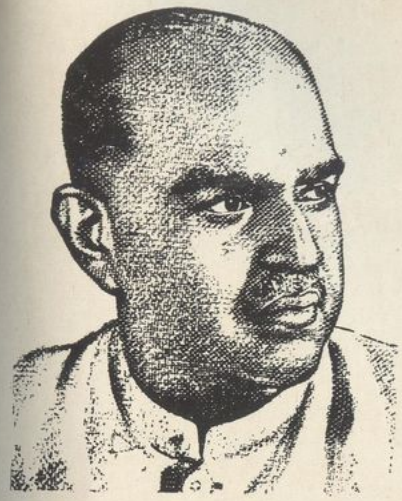

"भारतीय जनसंघ का जन्म केवल आने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखकर नहीं हुआ है। चुनावों का निस्संदेह अपना महत्व है और जहां भी समय होगा हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। किन्तु चुनाव हमारे लिए एक अवसर-मात्र होगा अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का और एक अखिल भारतीय दल के नाते जनसंघ की दृढ़ नींव डालने का। चुनावों के परिणाम कुछ भी हों, हमारा दल आशा और सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाता रहेगा और उन्हें प्रेरित करता रहेगा कि एक अधिक सुखी और सम्पन्न भारत के निर्माण में योगदान दें।"

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

संस्थापक अध्यक्ष

[संस्थापना दिवस अध्यक्षीय भाषण
21 अक्टूबर 1951; दिल्ली]

Presented
by
Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

भाग 4

आंतरिक प्रश्नों

पर

प्रस्ताव

भारतीय जनसंघ
केन्द्रीय कार्यालय
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली-110001, भारतवर्ष

भारतीय जनसंघ

घोषणाएं व प्रस्ताव

भाग 4 { आंतरिक प्रश्नों पर प्रस्ताव

मूल्य { साधारण जिल्द : 13·00 रु०
पक्की जिल्द : 16·00 रु०

प्रथम संस्करण : सितम्बर 1973

प्रकाशक :
भारतीय जनसंघ
केन्द्रीय कार्यालय
विट्ठलभाई पटेल भवन
नई दिल्ली-110001, भारतवर्ष

मुद्रक :
रूपक प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा
दिल्ली-110032, भारतवर्ष

आवरण सज्जा :
पाल बन्धु

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

प्रस्तावना

भारतीय जनसंघ गत 21 अक्तूबर 1972 को अपने जीवन के 21 वर्ष पूर्ण कर, तरुणाई में प्रविष्ट हो चुका है। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन में दो दशक अधिक महत्त्व नहीं रखते, किन्तु जनसंघ के लिए यह कालखंड अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह उसके जन्म और प्रारंभिक जीवन की कहानी प्रस्तुत करता है।

जब जनसंघ एक नये राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आया तब देश विभाजनोत्तर समस्याओं में उलझा हुआ था। कांग्रेस नेतृत्व का यह आशावाद कि पृथक पाकिस्तान की स्थापना से साम्प्रदायिक घृणा और संघर्ष का दीर्घकालीन अध्याय सदा के लिए समाप्त हो जायेगा, फलीभूत नहीं हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व समाप्त होने के बजाय, विस्तृत होकर, भारत-पाक संघर्ष में बदल गया था। जम्मू-काश्मीर पर पाक आक्रमण कायम था। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगलादेश) में हिन्दुओं का योजनाबद्ध विनाश चल रहा था। पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति के संबंध में, जो एक दृष्टि से विभाजन के पूर्व की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही विस्तार मात्र थी, व्यापक जन-असंतोष था। यहां तक कि स्वयं नेहरू मंत्रिमंडल में ही गहरे मतभेद थे, जो डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के त्यागपत्र के साथ प्रकाश में आ गये।

यह नितांत स्वाभाविक था कि इस विशेष परिस्थिति में गठित राजनीतिक दल पाकिस्तान के खतरे के प्रति देश को सावधान और सन्नद्ध करने पर सर्वाधिक बल देता। किसी देश के लिए और विशेषतः भारत जैसे नव-स्वतंत्र और विभक्त राष्ट्र के लिए अपनी स्वतंत्रता और अखण्डता की रक्षा से बढ़कर और क्या कार्य हो सकता था ? किन्तु जनसंघ नेतृत्व यह भली भांति जानता था कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैन्य बल के साथ-साथ आर्थिक तथा औद्योगिक शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि 21 अक्तूबर 1951 को स्वीकृत अपने प्रथम घोषणा-पत्र में जहां जनसंघ ने भारत को 'शक्तिशाली और सुसंगठित' बनाने का ध्येय सामने रखा, वहां उसकी 'सुसम्पन्नता' पर भी जोर दिया। घोषणा-पत्र में भारत को 'एक सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र' बनाने की बात कही गई 'जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता हो'। समान अवसर का सिद्धांत दलित तथा उपेक्षित वर्गों के लिए कठिनाई का कारण न बन

जाय, इस दृष्टि से उनकी 'आर्थिक और शैक्षणिक' प्रगति के लिए विशेष सहायता का प्रतिपादन किया गया।

आर्थिक प्रश्नों पर जनसंघ का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मतवादी न होकर व्यवहारवादी रहा है। पूर्ण राष्ट्रीयकरण और खुली छूट दोनों को अस्वीकृत करके जनसंघ ने एक मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया। उसने प्रतिरक्षा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, किन्तु "अन्य उद्योगों को उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य के नियंत्रण के अधीन व्यक्तिगत साहस का अवसर प्रदान करने" की नीति अपनाई। आर्थिक उन्नति के लिए जनसंघ ने सन् 1951 में "उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता तथा उपभोग में संयम" के जिस त्रिसूत्र का उच्चारण किया था वह आज भी कितना सुसंगत, उपादेय तथा व्यावहारिक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

जमींदारी का उन्मूलन तथा कृषक को भूमि का स्वामित्व देने, श्रमिक को उद्योग के लाभ में साझीदार बनाने, थोड़े उद्योगपतियों को अपने हाथों में देश की आर्थिक शक्ति को केन्द्रित करने से रोकने, अनुचित लाभ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने व विभिन्न वर्गों की आय में बहुत अंतर न रहे इस दृष्टि से कराधान करने के सुझाव देकर जनसंघ ने असंदिग्ध रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह यथा-स्थिति को बनाये रखने के लिए राजनीति के रंगमंच पर नहीं आया। वह परि-वर्तन में विश्वास रखता है, किन्तु परिवर्तन भारतीय जीवन मूल्यों के अनुकूल और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए।

सन् 1951 से लेकर 1972 तक की जनसंघ की यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों से परिपूर्ण रही है। उसने 5 चुनाव लड़े हैं और जय-पराजय के मीठे-कड़ुवे फलों का समान रूप से रसास्वादन करते हुए भारतीय राजनीति में अपने लिए एक स्थान बनाने में सफलता पाई है। इसी बीच में देश की राजनीति में भी गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। बालिग मताधिकार, शिक्षा के प्रसार, संचार साधनों के विस्तार तथा प्रैस और रेडियो ने जन-जागृति को बढ़ाने में योगदान दिया है। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुआ है। सदियों से दलित तथा उपेक्षित वर्ग अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए व्यग्र है। राष्ट्रीय समृद्धि में साझीदार बनने की जनसाधारण की इच्छा नितांत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे राजनीतिक दल के लिए जिसने जन-कल्याण का लक्ष्य सामने रखा है, जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को समझना और उनके साथ स्वयं को अधिकाधिक एकाकार करना आवश्यक है। भारतीय जनसंघ ने ऐसा ही किया है। जनसंघ की आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु वह 'दरिद्र' है जिसमें हमने 'नारायण' के दर्शन किये हैं और जिसे सुखी तथा सन्तुष्ट बनाने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं हो सकता।

एक मध्यमवर्गीय दल के नाते जनसंघ को अतिदक्षिण तथा अतिवाम दोनों ओर के हमलों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट के

हिमायतियों ने हमें कम्युनिस्टों से भी अधिक बुरा कहा है। दूसरी ओर कथित प्रगतिवादियों की दृष्टि में जनसंघ प्रतिक्रियावादी तथा निहित स्वार्थों का रक्षक है। ये दोनों प्रकार की आलोचनाएं सर्वथा निराधार और विद्वेषपूर्ण हैं।

जनसंघ के आलोचकों का एक तीसरा वर्ग भी है जो उस पर हवा के साथ बहने और पुराने पथ से विचलित होने का आरोप लगाता है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद में जनसंघ द्वारा शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने के संबंध में किये गये निर्णय को पेश किया जाता है। अधिकतम और अल्पतम आय के अनुपात को मर्यादित करने के प्रस्ताव को भी इसी श्रेणी में माना जाता है।

शहरी सम्पत्ति की सीमाबंदी का प्रश्न जनसंघ के जन्मकाल से उसके सामने रहा है। जब दल ने कृषि-भूमि की अधिकतम सीमा तय करने का फैसला किया था तभी यह बात बलपूर्वक कही गई थी कि शहरी सम्पत्ति की भी सीमा तय होनी चाहिए। उस समय दल का मत बना कि अभी उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। वैसे 'भारतीय संस्कृति और मर्यादा' के आधार पर प्राचीन भारत को आधुनिक रूप देने तथा समतायुक्त समाज की रचना करने के लिए कृत-संकल्प कोई दल सम्पत्ति, आमदनी तथा उपभोग के अधिकार को अमर्यादित नहीं मान सकता।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भूमि तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा के निर्धारण के पक्ष में जनसंघ के तर्क अन्य दलों से भिन्न हैं। हमें यह कभी भ्रम नहीं रहा कि जोत की हदबंदी के बाद भूमिहीनों में वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि मिलेगी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर हो जायेगी। गत 25 वर्षों के अनुभव ने जनसंघ को सही सिद्ध किया है। हदबंदी के समर्थन के हमारे अपने कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि अन्नोत्पादन की वृद्धि के लिए सघन खेती आवश्यक है और उसके लिए खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत रुचि ली जा सके और जिनकी अच्छी तरह देखभाल की जा सके। भारत की वर्तमान स्थिति में कृषि का विशाल पैमाने पर यंत्रीकरण अनुपयुक्त होगा, यह विचार भी जनसंघ के सामने था।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के मूल में भी शहरी भूमि का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग करने की भावना रही है। गाजियाबाद अधि-वेशन में जनसंघ ने शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधते समय भूमि तथा मकान की कीमत अलग-अलग आंकने का जो सुझाव दिया है, उसका व्यापक स्वागत हुआ है। नगरों में बड़े-बड़े बाग-बगीचों तथा तैरने के तालाबों से युक्त आलीशान मकानों का निर्माण, आज की स्थिति में वैभव का भोंडा प्रदर्शन है। जनसंघ का मत है कि निवास के लिए कोई भी मकान 1,000 वर्ग गज भूमि के अंतर्गत ही होना चाहिए।

गाजियाबाद में स्वीकृत आर्थिक प्रस्ताव में जब जनसंघ ने आर्थिक विषमता को कम करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम व्यय-योग्य आय का अनुपात

1 : 20 करने के सुझाव को समाविष्ट किया तो कुछ लोग हैरत में आ गये। उन्होंने यह फतवा दे दिया कि जनसघ वामपंथी हो रहा है। अनेक समाचारपत्रों ने इस आशय की टिप्पणियां लिखीं। उनमें से कुछ ने जनसंघ को 'नई दिशा' अपनाने के लिए सराहा भी। प्रशंसा और निन्दा के इस शोरगुल में दोनों प्रकार के लोग यह बात भूल गये कि 1 : 20 के अंतर की बात जनसंघ ने पहली बार गाजियाबाद में नहीं कही। यह सुझाव सबसे पहले 1952 में दिल्ली में हुई केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में दिया गया था जिसे बाद में 1954 में इन्दौर में पारित दल के घोषणा-पत्र में समाविष्ट किया गया। 'आय की मर्यादा' में कहा गया था :

"जनसंघ समाज के विभिन्न वर्गों की आय के अंतर में कमी करने के लिए धन का समवितरण तथा सभी नागरिकों को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस दृष्टि से अधिकतम आय 2,000 रु० प्रति मास तथा न्यूनतम आय 100 रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न किया जाय कि न्यूनतम आय निरन्तर बढ़ती रहे जिससे दृश्यमान भविष्य में न्यूनतम और अधिकतम आय के अंतर का अनुपात 1 : 10 हो जाय।"

दो वर्ष बाद 1956 में दिल्ली अधिवेशन में इस प्रश्न पर पुनः चर्चा हुई और यह स्पष्ट किया गया कि इस संदर्भ में 'आय' का अर्थ 'व्यय-योग्य आय' है। यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक परिश्रम अथवा कार्यकुशलता के बल पर अधिकतम से भी अधिक अर्जित करता है तो उस धन का व्यय करने के बजाय 'उसे दान, कर, अनिवार्य ऋण अथवा विनियोजन के रूप में विकास कार्य में लगाना' चाहिए। बाद में सभी आम चुनावों के अवसर पर जारी घोषणा-पत्रों में व्यय-योग्य आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात को दोहराया गया। आलोचकों ने या तो उन्हें पढ़ा नहीं और यदि सरसरी तौर पर पढ़ा भी तो उसके महत्व को हृदयंगम नहीं किया।

अपनी आधारभूत मान्यताओं पर दृढ़ और अपने मौलिक चिंतन के प्रति प्रामाणिक रहकर जनसंघ ने वक्त के तकाजों को सुना है और उनके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास किया है। जैसा कि दल के नाम से ही स्पष्ट है, जनसंघ जनता का संघ है और आज बहुसंख्यक जनता स्वाधीनता के 25 वर्ष के पश्चात् व चार योजनाओं के बाद भी अभाव, अज्ञान और बीमारी से पीड़ित है। इस स्थिति में सुधार करना, हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा चिकित्सा की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाना, तदनुसार माल तथा सेवाओं की वृद्धि का व्यापक कार्यक्रम अपनाना, उसके लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक विशेष प्रौद्योगिकी का विकास और अवलम्बन करना, जिससे उत्पादन के साथ उत्पादन में लगे हुए हाथ भी बढ़ सकें—ऐसे कार्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनसंघ की स्वदेशी योजना इन्हीं उद्देश्यों, वरीयताओं तथा व्यूहनीति पर आधारित हैं।

सम्भवतः जनसंघ ही एकमेव ऐसा प्रतिपक्ष है जिसने न केवल आर्थिक नियोजन में आमूल परिवर्तन की मांग की है, बल्कि एक वैकल्पिक योजना का खाका भी प्रस्तुत किया है। जनसंघ के आर्थिक चिन्तन से किसी का मतभेद तो हो सकता है, किन्तु कोई विचारशील व्यक्ति अब उसकी उपेक्षा करने की भूल नहीं कर सकता।

वस्तुतः यदि आज जनसंघ सत्ताधीशों तथा उनके कम्युनिस्ट और सम्प्रदायवादी साथियों के संयुक्त प्रहारों का केन्द्र बना हुआ है तो उसका कारण यही है कि ये तत्व इस तथ्य को अधिकाधिक समझने लगे हैं कि जनसंघ न तो किसी अन्य दल में से निकला हुआ असंतुष्ट लोगों का एक गुट है और न किसी वर्ग विशेष के स्वार्थों की रक्षा के लिए निमित्त एक 'लॉबी' है, बल्कि एक प्रभावी विकल्प है, जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय की त्रिवेणी में भारतीय जनता का अवगाहन करने के लिए प्रेरित व संगठित कर सकता है।

मुझे खुशी है कि जनसंघ के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी दस्तावेजों को, विषयानुसार संकलित करके, प्रकाशित किया जा रहा है। निस्संदेह यह दस्तावेज उन सबके लिए बहुत लाभदायक होंगे जिनकी भारत के सार्वजनिक जीवन में रुचि है।

—अटल बिहारी वाजपेयी

मकर संक्रांति
14 जनवरी 1973

प्राक्कथन

भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्तूबर 1951 को हुई। तब से जनसंघ ने प्रायः सभी आम और मध्यावधि चुनावों में भाग लिया है। विभिन्न विधायिकाओं में तथा उनके बाहर भी, उसके प्रतिनिधियों को अपने दल के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उनके प्रस्तावों, संकल्पों और घोषणा-पत्रों के प्रति स्वभावतः जनता का व्यापक रूप से ध्यान गया और उन पर बहुधा सार्वजनिक चर्चा भी हुई। अतः यह इच्छा बढ़ना भी स्वाभाविक है कि दल के विचारों की जानकारी प्राप्त हो और उसके मत को समझा जाय। यह आवश्यकता अनुभव की जाती रही है कि दल के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, शोधकर्ताओं और भारतीय सार्वजनिक मामलों के विद्यार्थियों को भी दल के दस्तावेज उपलब्ध हों। यह संकलन इस आवश्यकता की पूर्ति करने का ही एक प्रयास है।

'सिद्धान्त और नीति' के अतिरिक्त इसमें, दल के अखिल भारतीय घोषणा-पत्रों, केन्द्रीय कार्य समिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों को ही सम्मिलित किया गया है। शोक प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है।

जनवरी 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज 'सिद्धान्त और नीति', समस्त अखिल भारतीय घोषणा-पत्र और मई 1972 में भागलपुर में भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा संशोधित दल के संविधान को प्रथम भाग में सम्मिलित किया गया था। द्वितीय भाग में आर्थिक विषयों पर प्रस्तावों को 4 अध्यायों में संकलित किया गया था जबकि प्रतिरक्षा व वैदेशिक मामलों पर प्रस्ताव 2 अध्यायों के रूप में तृतीय भाग में थे। वर्तमान अर्थात् चतुर्थ भाग में आंतरिक प्रश्नों पर प्रस्तावों का संकलन है जिन्हें 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

विषयों का वर्गीकरण साधारणतः केन्द्रीय मंत्रालयों के अनुसार किया गया है। किंतु वर्तमान भाग में प्रस्तावों को इन 4 अध्यायों में बांटा गया है : राष्ट्रीय एकता व भौगोलिक अखंडता, एकता की समस्याएं, प्रशासन की शुचिता व दक्षता, और लोकतंत्र व दलीय प्रवृत्तियां। कई प्रस्तावों में, एक से अधिक विषयों पर चर्चा है। ऐसे प्रस्तावों को या तो विभक्त किया जा सकता था अथवा ज्यों का त्यों रूप में उन्हें दिया जा सकता था। प्रस्तावों को विभक्त करने के

बजाय, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर उपशीर्षक लगाकर उनका उल्लेख अनुक्रमणिका में किया गया है ताकि विषयानुसार उनका सहज-संदर्भ उपलब्ध हो सके। कुछ प्रस्तावों के विषय ऐसे हैं जिनको एक अथवा किसी अन्य अध्याय में उचित रूप से सम्मिलित किया जा सकता था। ऐसे प्रस्तावों को उन अध्यायों में रखा गया है जहां उनका अपेक्षाकृत महत्व अधिक परिलक्षित हुआ।

प्रस्तावों को तिथि-क्रमानुसार अंकित किया गया है। प्रथम दो अंक वर्ष को बताते हैं और बाद के दो अंक उस वर्ष की प्रस्ताव संख्या को सूचित करते हैं। उदाहरणस्वरूप 52.05 का अर्थ 1952 में पारित 5वां और 66.16 का अर्थ 1966 में पारित 16वां प्रस्ताव मानना चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव के अन्त में उसके पारित होने की तिथि, स्थान और प्रस्ताव के प्रसंग का उल्लेख है। के०का०स०, भा०प्र०स० और सा०अ० का अभिप्राय क्रमशः केन्द्रीय कार्य समिति, भारतीय प्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक अधिवेशन से है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसके प्रस्तावों का सार दिया गया है।

आशा है, यह संकलन उन सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो भारत के सार्वजनिक जीवन में रुचि रखते हैं।

—संकलनकर्ता

विषय-अनुक्रम

पृष्ठ

प्रस्तावना 3
प्राक्कथन 9

1. राष्ट्रीय एकता व भौगोलिक अखण्डता 15-92

प्रस्ताव संख्या ... ...

52.05 संयुक्त राष्ट्रसंघ से काश्मीर के प्रश्न की वापसी ... 19
52.06 जम्मू में नृशंस दमनचक्र 19
52.07 जम्मू-काश्मीर संविधान सभा 20
52.24 काश्मीर एकीकरण आंदोलन 22
52.25 सांस्कृतिक पुनरुत्थान 24
53.01 काश्मीर एकीकरण आंदोलन 25
53.02 मुखर्जी का महान बलिदान 29
53.06 अखण्ड भारत 31
53.07 अब्दुल्ला पर सार्वजनिक अभियोग ... 31
53.11 विदेशी मिशनरियों की कार्यवाहियां ... 33
54.05 मुखर्जी की रहस्यमय हत्या 33
54.13 काश्मीर का एकीकरण 33
54.14 विदेशी मिशनरियों का नियमन 34
54.23 गोवा की मुक्ति 35
55.06 काश्मीर का एकीकरण 36
55.14 गोवा मुक्ति आंदोलन 37
55.19 गोवा सत्याग्रहियों की भर्ती 39
55.27 गोवा सत्याग्रहियों का महान बलिदान ... 39
56.05 काश्मीर में अनिश्चितता 41
56.08 गोवा की मुक्ति 42
56.13 नागा समस्या 42
56.16 संयुक्त स्वतंत्र भारतीय ईसाई चर्च 43
56.27 भारतीयकरण द्वारा साम्प्रदायिकता का अंत ... 44
57.07 ब्रिटिश स्मारक 45

प्रस्ताव संख्या

58.01 जम्मू-काश्मीर की स्थिति 46
58.21 काश्मीर का एकीकरण 47
59.03 बेरूबाड़ी का हस्तांतरण 48
59.14 भारत में 'राज्यविहीन' भारतीय 49
60.05 काश्मीर का एकीकरण 50
60.11 सर्वोच्च न्यायालय में बेरूबाड़ी 51
60.15 अलग नागालैंड 52
60.21 बेरूबाड़ी के हस्तांतरण का विधेयक ... 53
61.01 बेरूबाड़ी का हस्तांतरण 53
61.07 बढ़ता विघटन 56
61.10 बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति 58
61.16 बेरूबाड़ी का हस्तांतरण 58
62.07 अनुच्छेद 370 की समाप्ति 59
62.08 पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ 61
62.12 काश्मीर का एकीकरण 61
62.13 पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ 62
63.10 काश्मीर में अनिश्चितता 63
63.14 पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ 64
63.15 चीन की क्रिया, भारत की केवल प्रतिक्रिया ... 65
63.19 बेरूबाड़ी का हस्तांतरण 66
63.29 बेरूबाड़ी का हस्तांतरण 67
64.02 अनुच्छेद 370 की समाप्ति 67
64.09 नागा समस्या 68
64.10 अब्दुल्ला की रिहाई 69
64.17 नागा समस्या 69
65.09 अलग संविधान नहीं 71
65.17 असम को बचाओ 71
65.20 काश्मीर में व्यापक पाकिस्तानी घुसपैठ ... 73
65.23 अखण्ड भारत 75
66.03 अनुच्छेद 370 की समाप्ति 77
66.12 मोहन रानाडे की रिहाई 77
66.16 नागा विद्रोहियों से वार्ता नहीं 78
66.18 मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद 79
66.19 काश्मीर में पीकिंग, पिंडी व मास्को की हवाएं ... 80
67.11 जम्मू-काश्मीर का विभाजन 81

प्रस्ताव संख्या
67.15 काश्मीर घाटी में आतंक 81
67.27 काश्मीर में अनिश्चितता 82
68.08 असम का पुनर्गठन 83
69.08 केन्द्र-राज्य संबंध 87

2. एकता की समस्याएं 93-134

52.11 उर्दू आंदोलन 97
52.12 हैदराबाद का विलय 97
52.18 राज्यों का पुनर्गठन 98
54.16 राज्य पुनर्गठन आयोग 98
55.21 पंजाबी सूबे की मांग 98
55.29 पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन 99
56.01 पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं ... 101
56.02 अकाली-सरकार वार्ता 102
56.06 पुनर्गठन आयोग विधेयक संबंधी कुछ सुझाव ... 103
56.17 पुनर्गठन विधेयक 104
56.22 शरारतपूर्ण पुस्तक-आंदोलन 104
56.23 पंजाब में अकाली-कांग्रेस आतंक 105
58.05 पंजाब की स्थिति 106
58.15 बम्बई राज्य का पुनर्गठन 107
58.30 मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद 108
59.16 बम्बई राज्य का पुनर्गठन 108
60.08 पंजाबी सूबे की मांग 109
60.12 पंजाबी सूबे की मांग 110
60.17 असम में उपद्रव 111
61.11 सांप्रदायिक खतरा 112
61.14 मास्टर तारासिंह का अनशन 115
61.20 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सांप्रदायिक रूप 115
65.16 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ... 116
66.02 पंजाबी सूबे की मांग 118
66.10 पंजाब का पुनर्गठन 118
68.11 सांप्रदायिक खतरा 120
69.01 तेलंगाना आंदोलन 125
69.02 प्रस्तावित मलापुरम जिला 126
69.13 तेलंगाना में असंतोष 128

प्रस्ताव संख्या
69.19 आंतरिक स्थिति 129
70.01 चण्डीगढ़ 132

3. प्रशासन की शुचिता व दक्षता 135-150

55.05 अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति ... 139
55.22 अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति ... 140
56.12 होशियारपुर की घटनाएं 140
56.20 जम्मू के साथ भेदभाव 141
60.09 उच्च पदों पर भ्रष्टाचार 141
60.18 केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल 142
61.06 केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल 143
61.15 जम्मू के साथ भेदभाव 144
61.19 केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल 145
63.04 आपत्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग ... 145
64.15 उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध जांच 146
68.17 केन्द्रीय कर्मचारियों में असंतोष 147
68.21 केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल 148
69.03 जम्मू व लद्दाख के साथ भेदभाव 149
72.18 भ्रष्टाचार के बारे में दोहरे मापदंड ... 150

4. लोकतंत्र व दलीय प्रवृत्तियां 151-221

57.01 विधानमंडलों में विरोधी दलों से सहयोग ... 155
57.04 द्वितीय आम चुनाव 155
58.06 स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान ... 156
58.14 राजनैतिक हत्याएं 157
58.16 कम्युनिस्ट चुनौती 158
58.23 पंजाब की एकता 160
58.28 काश्मीर में छलपूर्ण चुनाव 160
58.31 भारत में लोकतंत्र 161
59.05 केरल में जनता का संघर्ष 163
59.11 चीनी आक्रमण और कम्युनिस्ट पार्टी ... 164
60.01 राष्ट्रनिर्माण में सहभागी 165
61.12 बस्तर गोलीकांड 168
62.01 तृतीय आम चुनाव 169
62.19 चीन युद्ध के बाद 170

प्रस्ताव संख्या

63.08 विरोधी दलों की एकता 172
63.09 कांग्रेसी गुण्डागर्दी 173
63.25 कांग्रेसी गुण्डागर्दी 173
65.02 विघटनकारी शक्तियां 174
65.11 केरल में कार्यकर्ता पर पुलिस-गोली ... 176
65.12 केरल में कम्युनिस्ट चाल 177
66.07 आंतरिक स्थिति 177
66.11 बस्तर का कलंक 180
66.21 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकल्प 181
67.01 चतुर्थ आम चुनाव 182
67.04 राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या 183
67.06 संविद मंत्रिमंडल 184
67.07 केन्द्र-राज्य संबंध 185
67.10 नक्सलबाड़ी खतरा 186
67.12 पंजाब व हरियाणा की संविद सरकारें ... 188
67.17 संविद मंत्रिमंडल 189
67.22 गैरकांग्रेसी सरकारें 190
67.25 केरल में कम्युनिस्ट व सम्प्रदायवादी ... 192
68.07 संविद मंत्रिमण्डल 194
68.13 सन् 1967 के बाद की स्थिति 196
68.18 दिल्ली के साथ भेदभाव 200
68.19 केन्द्र-राज्य संबंध 201
69.04 बम्बई के उपद्रव 203
69.05 सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव 204
69.12 उपाध्याय हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग 206
69.14 विरोधी दलों की एकता 207
69.17 पांचवां राष्ट्रपति चुनाव 208
69.20 कांग्रेस की फूट 211
70.05 संयुक्त विरोध 214
70.07 आंतरिक स्थिति 216
70.10 पश्चिमी बंगाल की स्थिति 219

परिशिष्ट 222-228

अनुक्रमणिका 229-239

अध्याय 1

राष्ट्रीय एकता व भौगोलिक अखंडता

गृह नीति के क्षेत्र में जनसंघ ने देश की राजनीतिक प्रगति का आधार "राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक पद्धति और प्रशासन की शुचिता व दक्षता" को माना है (60.01)। राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, संरक्षण एवं संवर्धन जनसंघ की प्रथम चिंता है। प्रत्येक समस्या पर जनसंघ की प्रतिक्रिया के मूल में, तात्कालिक राजनीतिक लाभ की दृष्टि न रहकर यही चिंता विद्यमान है। उसने 'राष्ट्रीय एकता को एक अमूल्य निधि' माना है, "जिसे दलगत राजनीति की वेदी पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए (68.11)"। एक स्थान पर उसने अपने संकल्प पर इन शब्दों में आग्रह किया है : "जनसंघ अपने जन्मकाल से ही सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयवाद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है और इन अवांछनीय प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके लिए जनसंघ ने अपनी आधारभूत मान्यताओं में एक देश, एक जन और एक संस्कृति की परिकल्पना को स्थान दिया है और संप्रदाय, मजहब, भाषा अथवा प्रांत के आधार पर राजनीति में किसी प्रकार की पृथकता को प्रश्रय दिया जाना, दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किया है (61.11)"।

वस्तुतः 'एक देश, एक जन और एक संस्कृति' (61.11) की परिकल्पना को स्वाधीन भारत की राजनीति में जनसंघ की मौलिक देन कहा जा सकता है। उसका सुविचारित मत है कि संप्रदाय, भाषा, जाति तथा क्षेत्र पर आधारित संकीर्ण निष्ठाओं की केवल निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें उच्चतर निष्ठाओं द्वारा स्थानापन्न करने का योजनाबद्ध प्रयास होना चाहिए। उनका भारतीयकरण होना चाहिए। समस्या दिलों और दिमागों को संकुचितता के गड्ढे से निकालकर राष्ट्रीयता के विशाल दृष्टिकोण से संपन्न करने की है (61.11)।

इसीलिए जनसंघ ने भारतीय राष्ट्रीयता के स्वरूप एवं राष्ट्रीय एकता के मूलाधारों की स्पष्ट व्याख्या करने का कई प्रस्तावों में प्रयत्न किया है। उसने कहा है कि केवल भौगोलिक एवं संवैधानिक एकता ही एक राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त नहीं है; राष्ट्रीयता के लिए एक संस्कृति का अधिष्ठान होना आवश्यक है (52.25, 56.27)। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है (68.11)। संस्कृति के अखण्ड प्रवाह ने ही उसे अनेक युगों से विविधता में एकता प्रदान की है। जनसंघ बार-बार राष्ट्र को यह स्मरण दिलाता रहता है कि मुस्लिम संस्कृति को पृथक मानना द्विराष्ट्रवाद का आधार बना और द्विराष्ट्रवाद के आधार पर ही मातृभूमि के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई (52.25, 53.06, 53.23)। इसलिए उसका आग्रह है कि "भारतीय जीवन की विविधता एवं उपासना-स्वातन्त्र्य के रहते हुए भी, घटकों में एक संस्कृति का पोषण होना चाहिए (56.27)"।

सांस्कृतिक एकता की भावना को सशक्त करने के लिए जनसंघ ने एक सुस्पष्ट सात सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है (52.26, 56.27)। सांस्कृतिक शिक्षण अथवा पोषण की इस प्रक्रिया को ही जनसंघ ने राष्ट्रीयकरण अथवा भारतीयकरण का नाम दिया है। उसने स्पष्ट कहा है—

> "भारतीयकरण का अर्थ मजहब, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा मतवाद के प्रति छोटी निष्ठाओं को राष्ट्र के प्रति बड़ी निष्ठा के अधीन लाना है। विशेषतः उन सभी तत्त्वों की जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो राष्ट्रों अथवा बहुराष्ट्रों के सिद्धान्तों के अनुरूप भारत के बाहर निष्ठायें या भक्ति रखते हैं (69.19)"।

मातृभूमि के विभाजन की वेदना से आपूरित जनसंघ अपने जन्मकाल से ही खण्डित भारत की भौगोलिक अखंडता, सीमा-सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना जागरूक रहा है

कि इन पर साधारण खतरा आने पर भी, उसने देश को सावधान किया है और मातृभूमि के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आने वाले प्रत्येक संकट को दूर से ही भांप लेता है। 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में जनसंघ ने काफी पहले से सचेत करना प्रारम्भ कर दिया था (63.10, 65.20)। उसी प्रकार उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रामक इरादों के बारे में भी जनसंघ ने नौ वर्ष पूर्व 1953 में ही सरकार को आगाह किया था कि "वह चीन की इस हमलावर नीति का जोरदार शब्दों में विरोध करे (53.15, भाग 3)"।

काश्मीर समस्या से लेकर केरल में मलापुरम जिले के निर्माण तक, असम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश, भाषायी दंगे, नागा गतिविधियों एवं बेरूबाड़ी के हस्तांतरण से लेकर पंजाबी सूबे की मांग तक, सभी समस्याओं के प्रति जनसंघ की एक ही दृष्टि रही है कि राष्ट्र की सीमाएं दुर्बल न होने पायें और पाकिस्तान तथा चीन आदि शत्रुओं को स्वाधीन भारत में चंचु-प्रवेश का अवसर न मिलने पाये।

52.05. संयुक्त राष्ट्रसंघ से काश्मीर के प्रश्न की वापसी

केन्द्रीय कार्य समिति का मत है कि भारत सरकार ने जम्मू-काश्मीर राज्य के बारे में जो नीति अपनायी है उससे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। काश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ था और जनमत संग्रह कराने की बात कहना गलत था। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में मामला उठाना भी एक भूल थी, क्योंकि वहां राष्ट्रों का मतदान न्याय के आधार पर नहीं बल्कि गुटों की राजनीति और शीतयुद्ध के दाव-पेंचों के अनुसार होता है। परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश का एक-तिहाई भाग हमलावर पाकिस्तान के नियंत्रण में है और शेष भाग का भविष्य भी अधर में लटक रहा है। फिर जिस तरह काश्मीर सरकार का संचालन हो रहा है उससे भी पता चलता है कि उसके सामने यह लक्ष्य नहीं कि भारत के साथ विलय पूर्णतः हो। अतः यह समिति अनुभव करती है कि अब समय आ गया है कि सरकार यथार्थता के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाये और नरमी की एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ पर निर्भर रहने की नीति को त्याग दे। उसे अपने अधिकारों के अनुरूप और अपने पक्ष को न्यायसंगत मानते हुए एक निश्चित रवैया अपनाना चाहिए, इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ से वापस लेना चाहिए और जम्मू-काश्मीर राज्य का भी भारत के साथ उसी प्रकार का पूर्ण विलयन करना चाहिए जिस तरह भारत संघ में सम्मिलित अन्य राज्यों का किया गया है।

[10 फरवरी 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.06. जम्मू में नृशंस दमनचक्र

दलीय व राष्ट्रीय ध्वज—केन्द्रीय कार्य समिति को जम्मू के एक प्रतिनिधि-मण्डल से हाल की घटनाओं के बारे में विवरण प्राप्त हुआ। कार्य समिति यह अनुभव करती है कि शिक्षा विभाग द्वारा कालेज में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ पार्टी का झंडा लगाये जाने का विरोध करने के लिए, जो सर्वथा उचित था, छात्रों को दंडित किया जाना अनुचित और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। इसके परिणामस्वरूप जो स्थिति पैदा हुई, उसे अधिकारियों ने अपनी युक्तिहीनता से और भी बिगाड़ दिया। जिस ढंग से इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर (छात्रों के प्रदर्शन से कोई संबंध न होते हुए) एकमात्र विरोधी दल को सरकार ने दबाने की कोशिश की है, वह लोकतंत्र विरोधी और अत्यन्त निन्दनीय है।

कार्य समिति यह प्रस्ताव करती है कि दो पर्यवेक्षक जम्मू भेजे जायें, जो स्थिति का अध्ययन करें, और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दें।

जम्मू के प्रतिनिधि-मंडल ने घटनाओं का जो विवरण दिया वह संक्षेप में इस प्रकार है :

(1) स्थानीय गवर्नमेंट कालेज के छात्रों ने 15 जनवरी को, कालेज के शारीरिक प्रदर्शन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ शेख अब्दुल्ला की पार्टी का झंडा लगाये जाने का विरोध किया, क्योंकि वे महसूस करते थे कि यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

(2) छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर कालेज के अधिकारियों ने छात्र-नेताओं को कड़ा दंड दिया।

(3) छात्रों ने अधिकारियों से निवेदन किया कि जुर्माने क्षमा कर दिये जायें और बाकी सारी पाबंदियां भी हटा ली जायें। लेकिन, जब अधिकारियों ने उनकी मांगे अनसुनी कर दीं तो कई छात्रों ने कालेज के अहाते में ही 29 जनवरी को भूख-हड़ताल शुरू कर दी। अधिकारियों ने छात्रों की मांगों पर विचार करना तो दूर रहा, भूख-हड़ताल पर बैठे छात्रों को जेल भिजवा दिया।

चूंकि भूख-हड़ताल लम्बी हो गई थी, बीच-बचाव का प्रयास किया जाने लगा। जम्मू के उपायुक्त ने प्रजा परिषद के नेताओं सहित प्रमुख नागरिकों से संपर्क स्थापित किया। फलस्वरूप 6 फरवरी को अधिकारियों और छात्रों के बीच एक समझौता संपन्न हुआ लेकिन, उपप्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने उसे मानने से इनकार कर दिया।

(4) 7 फरवरी को भूख-हड़तालियों की ओर से बहुत सी महिलाओं ने कालेज में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अनेक छात्र भी शामिल हुए और सब नगर में जुलूस लेकर निकल पड़े।

इस जुलूस पर पुलिस ने भीषण लाठी-चार्ज किया, जिससे एक प्रौढ़ महिला बेहोश हो गई और कई बुरी तरह घायल हो गई। जुलूस तब सचिवालय की ओर बढ़ चला और आहत महिलाओं को खाटों पर लिटा लिया गया ताकि मंत्रियों के समक्ष वे वस्तुस्थिति रख सकें।

इस जुलूस पर फिर 5 बार लाठी-चार्ज किया गया और 3 बार गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20 पुरुष और महिलाएं आहत हुईं। आहत महिलाओं में कई 13 से 19 वर्ष की लड़कियां भी थीं।

इस घटना के बाद अधिकारियों की ओर से नगर में 72 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा की गई और स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रजा परिषद (जो राज्य में एकमात्र विरोधी दल है) के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

[10 फरवरी 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.07. जम्मू-काश्मीर संविधान सभा

जम्मू-काश्मीर का स्वायत्तशासी गणराज्य—केन्द्रीय कार्य समिति का यह दृढ़ मत है कि जम्मू-काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग है और यह राज्य के

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के हित में है कि उसका भारत में पूर्ण विलय हो। भारतीय संविधान में काश्मीर के संबंध में जो व्यवस्था की गई, वह उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए की गई थी और निश्चय ही अस्थायी है। आशा थी कि कुछ समय बाद जब काश्मीर का भारत में विलय हो जायेगा तब उसकी स्थिति भी लगभग वैसी ही हो जायेगी जैसी देश के 'ख' श्रेणी वाले राज्यों की है। लेकिन, हाल में ही राज्य की संविधान सभा ने जो यह फैसला किया कि उसका अपना निर्वाचित प्रधान और एक पृथक ध्वज होगा और साथ ही बुनियादी सिद्धांत समिति ने जो यह सिफारिश की कि भारत गणराज्य के भीतर काश्मीर एक स्वशासी गणराज्य होगा, यह सब स्पष्टतः भारत की प्रभुसत्ता और भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध है।

जम्मू व लद्दाख की मांग—फिर, यह पग राज्य की एकता के लिए भी खतरा पैदा करता है, क्योंकि जम्मू और लद्दाख ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि काश्मीर घाटी के लोगों की इच्छा चाहे जो हो किन्तु उनका भारत के साथ पूर्ण विलय के लिए दृढ़ संकल्प है। उनकी इस मांग को देखते हुए काश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने अपने सार्वजनिक भाषण में कहा है कि यह क्षेत्र यदि चाहें तो काश्मीर से अलग हो सकते हैं।

कैबीनेट मिशन योजना—समिति इस स्थिति पर गहरी चिन्ता प्रकट करती है और जनता तथा भारत सरकार को याद दिलाना चाहती है कि कैबिनेट मिशन ने 1945 में जब यह योजना रखी थी कि केन्द्र सरकार के पास केवल तीन विषय रहें और वह शक्तिशाली न हों, तब भारतीय जनता के बहुमत व कांग्रेस ने उसे भारत की एकता और देश के हितों के विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। लेकिन, मुस्लिम लीग अपने विघटनकारी इरादों में सफल हुई और देश का बंटवारा हो गया जिसके बड़े विनाशकारी परिणाम निकले। अब जम्मू-काश्मीर को उसी मार्ग पर भटक जाने की अनुमति देने का अर्थ यह होगा कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि भारत के भीतर मौजूद विघटनकारी तत्वों को देश की राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखण्डता को, जिसे इतने बड़े बलिदानों के बाद स्थापित किया जा सका है, फिर भंग करने का अवसर मिले।

वंशानुगत राजतंत्र—वंशानुगत राजतंत्र को मिटाने के लिए निर्णय संसद को करना चाहिए और इसे भारत संघ के सभी भागों में समान रूप से लागू करना होगा। समिति को इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि काश्मीर के महाराजा और हैदराबाद के निजाम में भेद किया जाय। निजाम ने यद्यपि भारत का विरोध किया, फिर भी हैदराबाद की जनता की प्रतिकूलता के बावजूद उन्हें अब भी बनाये रखा जा रहा है।

उपर्युक्त तमाम बातों को देखते हुए यह समिति भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह संयम एवं विवेक से काम लें, संसद से परामर्श किये बिना इस

संबंध में कोई निर्णय न करे और जम्मू तथा लद्दाख को ऐसा अवसर न दे कि वे राज्य की संविधान सभा से भिन्न भारत से मिलने का स्वतंत्र रूप से निर्णय करें।

काश्मीर दिवस—समिति निर्णय करती है कि 29 जून का दिन देशभर में काश्मीर दिवस के रूप में मनाया जाय और उपर्युक्त विचार के समर्थन में देश भर में सभाएं की जायें और प्रदर्शन किये जायें।

[14 जून 1952; दिल्ली, के०का०स०]

52.24. काश्मीर एकीकरण आंदोलन

भारतीय जनसंघ का यह सार्वदेशिक अधिवेशन भारत सरकार की उन नीतियों के प्रति, जो जम्मू-काश्मीर प्रदेश के प्रति बरती जा रही हैं, गंभीर चिन्ता प्रकट करता है, जिनके परिणामस्वरूप उस प्रदेश का $\frac{1}{3}$ भाग आक्रमणकारी पाकिस्तान ने हस्तगत कर लिया है और वह आज भी उसी के हाथ में है। अब शेष भाग में शेख अब्दुल्ला ने वास्तविक रूप में अपनी अलग सल्तनत बना ली है जिसमें पृथक संविधान, पृथक ध्वज एवं पृथक प्रधानमंत्री रहेंगे।

जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारत का अभिन्न भूभाग है। भारतीय जनसंघ भारत सरकार एवं काश्मीर राज्य से निरन्तर आग्रह करता रहा है कि वह अपनी उन नीतियों में परिवर्तन करे, जिनके कारण काश्मीर राज्य एवं अवशिष्ट भारत के बीच एक गहरी खाई खुद गई है। विशेषतः जम्मू एवं लद्दाख की जनता की ओर से जो वैधानिक प्रयत्न काश्मीर राज्य को भारत में पूर्णतया विलय करने के संबंध में चल रहे हैं वे नैसर्गिक एवं प्रशंसनीय हैं। यह बात निश्चय ही मान्य है कि वहां की जनता की हार्दिक आकांक्षाओं की निन्दनीय रीति से निरंतर उपेक्षा किये जाने के कारण विवश होकर ही उन्हें आन्दोलन चालू करना पड़ा है।

इस अधिवेशन के मत में उनका यह आन्दोलन न केवल काश्मीर राज्य के भविष्य के लिए ही महत्वपूर्ण है, अपितु भारत की अक्षुण्णता एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

अब्दुल्ला सरकार के नृशंस अत्याचार—यह अधिवेशन उनके महान कष्ट सहने के प्रति, जिसे वे इस सिद्धांत के निमित्त कि एक ही राष्ट्र में दो विधान, दो निशान एवं दो प्रधान नहीं हो सकते, उठा रहे हैं, अपनी पूर्ण सहानुभूति और एकात्मता प्रकट करता है। इस वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलन को कुचलने के लिए जो दमनचक्र इस समय वहां चल रहा है वह निश्चय ही हृदयविदारक है। निहत्थी एवं शांत जनता पर निरन्तर गोली और लाठी चलाई जा रही है और अश्रु गैसों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कितने ही देश-भक्त मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में आहत व घायल हो गये हैं। इस समय तक 1300 सत्याग्रही (जिनमें बहुत सी देवियाँ भी हैं) पकड़े जा चुके हैं। जेलों में उनको बेंतों से मारा जाता है, और नाना प्रकार से अमानुषिक अत्याचार उन पर किये जा रहे हैं। उनमें से दर्जनों को काश्मीर घाटी की जेलों में स्थानान्तरित

कर दिया गया है जहां का तापमान इन दिनों शून्य से भी नीचे है और तिस पर भी उनको पर्याप्त वस्त्र तक नहीं दिये गये हैं। सत्याग्रहियों एवं उनके सहायकों की संपत्तियों का अपहरण और पेंशनों की जब्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। यह अधिवेशन पंजाब एवं दूसरे प्रांतों से काश्मीर में पुलिस के भेजे जाने और वहां की सरकार को शांत जनता को कुचलने में सहायता देने की कड़ी भर्त्सना करता है।

काश्मीर सरकार द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के विरुद्ध व देशभक्त नेताओं के व्यक्तित्व एवं उनकी नीयत के विरुद्ध जो सर्वथा घृणित एवं कुत्सित प्रचार अभियान (इस आंदोलन के आधारभूत उद्देश्य से भारतीय जनता की दृष्टि हटाने की नीयत से) चालू किया गया है वह सर्वथा निंदनीय है।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार और कई अंग्रेजी समाचार पत्र अब्दुल्ला सरकार के प्रचार से भ्रमित हुए हैं और अब्दुल्ला के स्वर से स्वर मिलाने लगे हैं तथा आंदोलन के औचित्य की जानकारी प्राप्त किये बिना ही उसके विरुद्ध बोलने लगे हैं। राज्य भर में कोई भी व्यक्ति सामन्तशाही को पुनः स्थापित करना नहीं चाहता और न ही यह आन्दोलन, जिसमें सैंकड़ों मुसलमान भी खुला भाग ले रहे हैं, साम्प्रदायिक कहा जा सकता है।

यह अधिवेशन जम्मू की जनता के गौरवपूर्ण संयम की हार्दिक सराहना करता है, जिसका परिचय उसने महान कष्ट सह कर दिया है और इस आंदोलन के उन वीर हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता है जिन्होंने राष्ट्र-ध्वज को ऊंचा रखते हुए अपना बलिदान किया है। भारतीय जनसंघ शेख अब्दुल्ला को चेतावनी देता है कि इस प्रकार के दमनचक्र से लोकप्रिय जन-आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता।

राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा वास्तविकता की यह मांग है कि मिथ्या प्रतिष्ठा के भ्रमजाल में न फंसकर जम्मू की परिस्थिति को संभालने एवं सम्मानपूर्ण हल निकालने की दिशा में तुरन्त पग उठाये जायें।

एकीकरण, स्थानीय समस्या नहीं—भारत सरकार का यह कथन कि यह समस्या तो स्थानीय है और आन्दोलन को कुचलने के लिए वहां पुलिस और सेना को भेजने के अतिरिक्त उसे कुछ भी कहना या करना नहीं है, सर्वथा अनुचित और निन्दनीय है। एकीकरण के इस आन्दोलन की मूलभूत धारणा सारे भारत राष्ट्र से पूर्णतया संबंधित है और भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इसमें अग्रसर बने और इस समस्या का हल निकाले।

अधिवेशन यह सुझाव रखता है कि प्रजा परिषद् के नेताओं एवं अब्दुल्ला सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारत के मान्य नेताओं के बीच तुरन्त एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय।

यदि भारत सरकार ने इस दिशा में तुरन्त पग न उठाया तो विवश होकर

भारत की जनता इस आन्दोलन की सहायता के लिए अपना सक्रिय पग आगे बढ़ायेगी।

यह अधिवेशन केन्द्रीय कार्य समिति को यह अधिकार देता है कि यदि भारत सरकार इस समस्या को तुरन्त हल करने के लिए कोई पग न उठाये तो वह सभी उचित कार्यवाही करे, जो जम्मू-काश्मीर राज्य को भारत में पूर्णतया विलय कराने के लिए एक अखिल भारतीय आन्दोलन के लिए आवश्यक हो।

यह अधिवेशन अध्यक्ष को यह अधिकार देता है कि वे एक समिति इस कार्य को सम्पादित करने के लिए नियुक्त करें।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

52.25. सांस्कृतिक पुनरुत्थान

भारतीय जनसंघ का विश्वास है कि भारत तथा अन्य देशों के इतिहास पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि केवल भौगोलिक एकता ही राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त नहीं। किसी देश के निवासी-जन एक राष्ट्र तभी बनते हैं जब वे एक समान संस्कृति के द्वारा एकरूप हो गये हों। जब तक भारतीय समाज एक समान संस्कृति का अनुगामी रहा तब तक अनेक राजनीतिक विभाजन रहते हुए भी यहां के जनों की मूलभूत एक राष्ट्रीयता बनी रही। परन्तु जब से विदेशी शासकों ने अपने लाभ के लिए एकात्मता को भंग कर विदेशपरक संस्कृतियों को इस देश पर लादा तब से भारत की एक राष्ट्रीयता संकटापन्न हो गई। अनेक शताब्दियों से एक राष्ट्र का घोष करते हुए भी, भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता के द्विराष्ट्रवाद की विजय हुई और देश विभक्त हुआ। पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के लिए रहना असम्भव कर दिया गया। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम संस्कृति को अलग मानकर फिर से उसके संरक्षण और संवर्धन द्वारा उसी द्विराष्ट्रवादी प्रवृत्ति का दोबारा पोषण हो रहा है जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक रहा है।

एकता व राष्ट्रीयता के लिए भारतीयकरण—जनसंघ की आस्था है कि एक राष्ट्रीयता के विकास और दृष्टिकोण के हेतु यह नितांत आवश्यक है कि भारत में एक समान संस्कृति का पोषण हो और समाज के सभी घटकों में चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों अथवा किसी भी प्रदेश के निवासी हों उसका प्रचार किया जाय और उसे मान्यता मिले।

इस कार्य के सम्पादन के लिए निम्नलिखित दिशा में समाज और शासन को अग्रसर होना चाहिए :

(1) शिक्षा को राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित किया जाना चाहिए। उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत आदि से व अर्वाचीन भारतीय भाषाओं के द्वारा भारतीय संस्कृति को पोषक साहित्य-सृजकों से सबका परिचय कराया जाय। वह समय शीघ्र आये जब सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में इस सांस्कृतिक धारा के ज्ञान को अनिवार्य माना जाय।

(2) भारत के राष्ट्रपुरुषों के जन्म-दिवस आदि राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाये जायें, जिनमें प्रेरणा, प्रबंध और साधन से शासन सहायक हो। उनमें राष्ट्र के सभी नागरिक भाग लें।

(3) भारत के प्रधान त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाया जाय; इनमें होली, विजयादशमी, रक्षाबन्धन तथा दीपावली का समावेश हो।

(4) भारत के सामाजिक जीवन के सभी अंगों में क्षेत्रीय भाषा व राजभाषा के प्रचलन के लिए शासन और समाज की ओर से समर्थ तथा सतत उद्योग आरम्भ हो जिससे भारतीय समाज अपना विकास एक समान राष्ट्रीय आधार पर कर सके।

(5) संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित किया जाय। उसका ज्ञान विद्वत्ता के लिए अनिवार्य हो तथा देश की समस्त भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को ही एक लिपि के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए उद्योग किया जाय।

(6) भारतीत इतिहास शुद्ध रूप में लिखा जाय जिससे वह भारतीय जन का इतिहास हो, भारत पर आक्रांताओं का नहीं। इसमें विदेशी शासन के नाम पर काल विभाजन न होकर भारतीय समाज के विकास, उसमें होने वाले आन्दोलनों और क्रान्तियों के आधार पर काल विभाजन हो, तथा भारतीय जन और भारतीय संस्कृति के प्राचीन विश्वव्यापी प्रसार की गौरव गाथा भी सम्मिलित हो।

(7) सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा एकीकरण की दृष्टि से जनसंघ देश के हिन्दू समाज को सचेत करता है कि अपनी इतिहास-सिद्ध आंतरिक सामाजिक दुर्बलताओं का शीघ्रता से निराकरण करे, विशेषकर जाति-भेद के कारण उत्पन्न ऊंच-नीच आदि के भेदभावों को तत्काल दूर किया जाय और पिछड़े हुए वर्गों तथा अन्य हिन्दुओं के बीच पूर्ण साम्य की स्थापना की जाय। साथ ही समाज के धार्मिक पर्वों और उत्सवों को सामूहिक, संगठित तथा अनुशासित रूप में मनाया जाय तथा इसमें समाज के सभी जनों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

(8) इस प्रकार अपने अंतरंग के सुधार के साथ-साथ हिन्दू समाज का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि भारतीय जन-जीवन के तथा अपने उन अंगों के भारतीयकरण का महान कार्य हाथ में ले जो विदेशियों द्वारा स्वदेश परांगमुख और प्रेरणा के लिए विदेशाभिमुख बना दिये गये हैं। हिन्दू समाज को चाहिए कि उन्हें स्नेहपूर्वक आत्मसात कर ले। केवल इसी प्रकार साम्प्रदायिकता का अंत हो सकता है और राष्ट्र का एकीकरण तथा दृढ़ता निष्पन्न हो सकती है।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

53.01. काश्मीर एकीकरण आन्दोलन

आन्दोलन का दायित्व अब्दुल्ला पर—केन्द्रीय कार्य समिति जम्मू की हाल की घटनाओं पर विचार करने के बाद इस बात पर खेद प्रकट करती है कि सरकार उन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से आवश्यक पग उठाने में

विफल रही है जिनके कारण आंदोलन छिड़ा। सामान्यतः लोकतंत्रीय संविधान में सत्याग्रह का औचित्य विशिष्ट परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जा सकता है। प्रजा परिषद ने संवैधानिक उपायों से समस्या का सम्मानप्रद हल निकालने का बार-बार प्रयत्न किया, किन्तु वह विफल रही और उसके प्रयत्नों पर भारत सरकार या जम्मू-काश्मीर सरकार की कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई। यदि काश्मीर में यथास्थिति रहती तो शायद आंदोलन न छेड़ा जाता। जब यह प्रतीत हुआ कि भारत सरकार के समर्थन से जम्मू-काश्मीर सरकार वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में भी कुछ ऐसे बुनियादी परिवर्तन करने पर तुली है जिससे यह प्रदेश भारत से और दूर चला जाय तब जनता सत्याग्रह करने को बाध्य हो गई। दूसरी ओर इसका अभी तक कहीं से कोई संकेत नहीं मिला कि भारतीय संविधान की कुछ उन संशोधित व्यवस्थाओं को वहां लागू किया जा रहा है जिससे जम्मू-काश्मीर राज्य भारत के राजनीतिक एवं संवैधानिक ढांचे के और समीप आ जाय।

समिति को विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं जिनसे आंदोलन की उग्रता का और जम्मू में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों का व्यापक समर्थन मिलने का पता चलता है। समिति को इस पर संतोष है कि अधिकारियों की भड़काने वाली कार्यवाहियों के कारण शांति भंग होने की कुछ अनिवार्य घटनाओं को छोड़कर आंदोलन का अहिंसात्मक स्वरूप बना रहा। निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के विरोधी प्रयत्नों के बावजूद आंदोलन साम्प्रदायिकता के दुष्प्रभाव से मुक्त रहा। दमनचक्र और अत्याचारों का ब्यौरा दिल दहला देने वाला है और राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को भी मात करता है। यह निंदनीय है कि भारत सरकार ने इस काम के लिए अन्य राज्यों से पुलिस की टुकड़ियों का उपयोग करने की अनुमति दी। समिति को यह जानकर तो और भी आश्चर्य हुआ कि जिस आंदोलन को जनता का इतना व्यापक समर्थन प्राप्त है और जो कुछ बुनियादी राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रश्नों को लेकर उठा, भारत सरकार और जम्मू-काश्मीर सरकार ने उसको कुचल डालने की कल्पना की।

परिषद आंदोलन का उद्देश्य—इस आंदोलन के विरुद्ध पर्याप्त प्रचार हुआ है और सरकार के प्रवक्ताओं ने इसके उद्देश्यों को खूब तोड़-मरोड़ कर रखा है। यह आंदोलन किसी सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, प्रतिक्रियावादी या भारत-विरोधी भावना से प्रेरित नहीं है। प्रजा परिषद तो केवल यह चाहती है कि जम्मू-काश्मीर राज्य के भारत में विलय के बारे में जो अनिश्चितता विद्यमान है उसे शीघ्रता से समाप्त किया जाय। किसी भी क्षेत्र में अब ऐसी कोई आशा शेष नहीं रही कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से कभी कोई संतोषजनक समझौता हो सकेगा। जहां तक भारत का संबंध है उसने विलय के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ को कभी नहीं सौंपा बल्कि उसकी शिकायत यह थी कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया है जो भारत संघ का अंग है। जम्मू-काश्मीर के शासक ने जिस विलय-पत्र पर

हस्ताक्षर किये थे। उसमें जनमत संग्रह की कोई चर्चा नहीं हैं। फिर भी सरकार ने बार बार कहा कि काश्मीर के भविष्य का निर्णय जनता की इच्छा से किया जायेगा। प्रश्न अब यह है कि जनता की इच्छा का पता कैसे लगाया जाय? कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि यह कार्य जम्मू-काश्मीर राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने से हो सकता है, क्योंकि दावा किया गया है कि उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ है। शेख अब्दुल्ला ने इस सुझाव का यह कहकर उपहास किया कि जम्मू-काश्मीर विधानसभा के प्रतिनिधिक रूप को स्वयं प्रजा परिषद अस्वीकार करती है। समिति इससे अवगत है कि चुनाव के समय गम्भीर अनियमितताएं बरती जाने के आरोप लगाये गये थे, परन्तु जब श्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला इस बात पर जोर देते रहे कि चुनाव सही ढंग से हुए और जम्मू-काश्मीर की लगभग शत प्रतिशत जनता की भावनाओं के वे प्रतीक एवं प्रतिबिंब हैं तब उन्हें ऐसी विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास कराकर कम से कम अपनी ओर से विलय के प्रश्न को अंतिम रूप से हल करने में संकोच क्यों है? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के एक बार निपट जाने के बाद जम्मू अथवा अन्य स्थानों की जनता के मन में, राज्य एवं भारत के भावी संबंधों के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कार्य समिति अनुभव करती है कि विलय का प्रश्न ऐसा है जिस पर केवल भारत और जम्मू-काश्मीर को विचार करना है और संयुक्त राष्ट्रसंघ या पाकिस्तान का उससे कोई वास्ता नहीं।

प्रजा परिषद यह मांग भी करती है कि जम्मू-काश्मीर के जिस एक-तिहाई क्षेत्र पर पाकिस्तान ने बलात् अधिकार जमा रखा है उसे मुक्त कराया जाय। ऐसा संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से या पाकिस्तान के साथ समझौता करके संभव नहीं।

प्रजा परिषद की दूसरी मांग यह है कि समूचे जम्मू-काश्मीर राज्य का शासन प्रबंध स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार चलाया जाय। इस प्रसंग में शेख अब्दुल्ला भारतीय संविधान के 370वें अनुच्छेद की शरण लेते हैं, जिसमें व्यवस्था है कि विदेशी मामले, रक्षा और संचार इन तीन विषयों को छोड़कर भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं जम्मू-काश्मीर सरकार की सहमति से ही राज्य में लागू की जा सकती हैं। यह संक्रांतिकालीन व्यवस्था थी और इसके इतिहास से सभी परिचित हैं। इस तरह के आश्वासन उन सब 500 देशी रियासतों को भी तब दिये गये थे जब उन्होंने भारत में मिलने का निर्णय किया था। किन्तु इन रियासतों के अधिकारियों ने अपने और भारत के हित में बाद में मान लिया कि भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं उन पर भी सामान्य रूप से लागू होंगी। अतः शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी, अब थोथे कानूनी आधार पर उस संविधान को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते जिसके अधीन स्वतंत्र भारत का शासन चलता है और जहां चार करोड़ मुसलमान समान अधिकार प्राप्त करके समान नागरिकों की तरह रह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, वित्तीय एकीकरण, राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय आयोजन जैसे

महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में समूचे भारत का एक ही संविधान हो सकता है। जम्मू-काश्मीर राज्य में शेख अब्दुल्ला को खुश रखने के लिए पृथकतावाद की जिन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे न केवल देश के अन्य भागों में उलझन पैदा कर सकती हैं बल्कि देश में विघटन व विध्वंस पैदा कर उसे बखेर भी सकती हैं। प्रजा परिषद ने समूचे जम्मू-काश्मीर राज्य पर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करने की जो मांग की है वह उचित एवं वैध है और देशभक्ति एवं राष्ट्रीय हितों के महान आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रेरित है। फिर भी यदि शेख अब्दुल्ला समझते हैं कि कुछ ऐसे विशेष कारण हैं जिनको देखते हुए कुछ विशेष मामलों में भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं में ऐसे संशोधन किये जाने चाहिए जिनमें जम्मू-काश्मीर का हित हो तो यह दायित्व उन पर है कि वे देश को विश्वास में लें और अपने सुझावों का पूरा चित्र जनता के सामने रखें।

अब्दुल्ला सरकार के विरुद्ध आरोप-पत्र—प्रजा परिषद ने अब्दुल्ला सरकार के विरुद्ध एक आरोप-पत्र भी दिया है। इसमें आर्थिक व पुनर्वास के मामलों में भेदभावपूर्ण कार्यों और नीतियों व जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों के कृत्रिम व सांप्रदायिक विभाजन के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्नों की भी चर्चा है। यह आवश्यक है कि इन आरोपों की बारीकी से जांच कराने के लिए एक निष्पक्ष जांच आयोग नियुक्त किया जाय, जिसके सदस्य राज्य से बाहर के लोग हों। हाल में ही नियुक्त आयोग से उद्देश्य पूर्ति की कोई आशा नहीं। कार्य समिति यह समझने में असमर्थ है कि स्वयं को लोकतंत्रीय कहने वाली कोई सरकार उपर्युक्त सुझावों पर गौर करने से इनकार क्यों करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नेहरू या शेख अब्दुल्ला दोनों में से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं। प्रजा परिषद पर पाखंडी और प्रतिक्रियावादी होने के आरोप लगाये जा रहे हैं। समिति की राय में किसी प्रकट राजनीतिक विवाद को विकृत एवं वक्र दृष्टि से देखना बहुत खतरनाक है। स्वयं शेख अब्दुला ने अपना जीवन एक सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में आरंभ किया। यदि उनकी वर्तमान नीतियों को उनके पिछले इतिहास के संदर्भ में देखा जाय तो वे इसका विरोध करेंगे।

प्रजा परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू के बारे में बातचीत करने में जितना अधिक विलम्ब होगा, उतनी ही भविष्य में स्थिति बिगड़ेगी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ऐसा ही अनुचित रवैया अपनाया, और थोथी शान से चिपकी रही। किन्तु इतिहास साक्षी है कि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े और जनता विजयी हुई। विवाद से संबद्ध किसी पार्टी को राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता और कोई कारण नहीं कि स्थिति को और बिगड़ने दिया जाय। इस सत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि आंदोलन चलते रहने और उसका निर्ममता से दमन किये जाने से गड़बड़ी फैलेगी और भारत के दुश्मनों के हाथ मजबूत होंगे। अतः कार्य समिति भारत के प्रधानमंत्री से और शेख अब्दुल्ला से अनुरोध करती है कि वे बंदियों को रिहा करने और जम्मू के नेताओं

तथा अन्य व्यक्तियों का सम्मेलन बुलाने में पहल करें जिससे सर्वमान्य हल खोज निकालने में, दृढ़ संकल्प के साथ समस्या पर विचार किया जा सके। इस तरह के प्रयत्न शुरू हो जाने पर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और शांतिपूर्ण समझौते के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। आपसी तू-तू, मैं-मैं और एक दूसरे पर संदेह करने तथा आरोप लगाने से देश का कोई हित होने वाला नहीं। भारत की वर्तमान स्थिति और ताजा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हुए यह नितांत आवश्यक है कि देश में शांति और सब दलों के बीच सद्भाव एवं सहयोग रहे। इस संबंध में सरकार पर विशेष दायित्व है। यदि वह अपने से भिन्न विचार रखने वालों के दृष्टिकोण की उपेक्षा करके सनकपूर्ण व दुराग्रहपूर्ण ढंग से काम करती रही तो यह देश के लिए घातक होगा।

जनसंघ की कार्य समिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि उसकी सहानुभूति प्रजा परिषद के आंदोलन के साथ है और उसने सहायता का वचन भी दिया है, तथापि वह संकट को और घनीभूत करना नहीं चाहती। गत 6 सप्ताह से जनसंघ अध्यक्ष आपसी बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने को सब संभव प्रयत्न कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री तथा जम्मू-काश्मीर के प्रधानमंत्री से सम्पर्क कर चुके हैं, किन्तु अब तक उनके प्रयत्नों का कोई वांछित परिणाम नहीं निकला। दूसरी ओर, हाल में ही पंजाब में जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनसे पता चलता है कि सरकार का असली मनोगत क्या है और वह कौनसी नीति अपनाना चाहती है। सरकार यदि अपने हठ पर अड़ी रहती है और दमन शक्ति का ही सहारा लेना चाहती है, तो यह दायित्व जनसंघ का होगा कि वह सरकार की इस नीति का शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से डटकर विरोध करने के लिए जनता का आवाहन करे। समिति तब इसे अपना नैतिक कर्तव्य समझेगी कि जम्मू के उन वीर नर-नारियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, जो अपनी देशभक्ति, साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है और जो अपने जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए कष्ट सह रहे हैं और खून बहा रहे हैं।

[10 फरवरी 1953; दिल्ली, के०का०स०]

53.02· मुखर्जी का महान बलिदान

मुखर्जी को श्रद्धांजलि—भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्रीनगर जेल में 23 जून 1953 को हुए आकस्मिक और दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। जनसंघ के निर्माण में डा०मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान था। अपनी प्रखर देशभक्ति, दृढ़संकल्प, दूरदृष्टि और अद्भुत संगठन शक्ति के कारण वे $1\frac{1}{2}$ वर्षों के अल्प समय में ही जनसंघ को भारतीय जनता का एक प्रतिनिधि संगठन बना सके। उनके अचानक देहावसान से जनसंघ की ऐसी क्षति हुई है जिसकी कभी पूर्ति न हो सकेगी।

डा० मुखर्जी भारत के उन महान सपूतों में से थे, जिनकी सारी शक्ति और

जीवन का एक-एक क्षण मातृभूमि की सेवा में समर्पित था। वह हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ गये हैं। यद्यपि जनमत तैयार करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी, और समय-समय पर अनुचित और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन खड़ा करने में उन्होंने सफलता भी पाई, तथापि हर समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक होता था। उनके निधन से देश ने एक ऐसे अमूल्य रत्न को खो दिया है जो अखंड भारत का अनन्य भक्त था, शरणार्थियों का सहारा था, नागरिक स्वतंत्रता का जागरूक प्रहरी था, भारतीय संस्कृति का महान पुजारी था और जनतंत्र का प्रकाश-स्तंभ था।

मुखर्जी की रहस्यमय हत्या—जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने प्रियजनों से दूर श्रीनगर जेल में उनकी मृत्यु हुई, उससे सारा देश अवाक रह गया है। नजरबंदी में उनकी मृत्यु स्वतंत्र भारत की सरकार के माथे पर एक बड़ा कलंक है। यह स्पष्ट है कि जम्मू में प्रवेश पर उनकी गिरफ्तारी और जेल में उनकी मृत्यु के पीछे नेहरू सरकार और अब्दुल्ला सरकार के बीच एक गहरा षड्यंत्र है। यदि उनकी गिरफ्तारी का कारण जम्मू में बिना अनुज्ञा प्रवेश था, तो गिरफ्तारी के बाद उन्हें भारत वापिस भेज दिया जाना चाहिए था। यह नेहरू सरकार का दायित्व था कि अब्दुल्ला की सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक की गैरकानूनी गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए वह आवश्यक पग उठाती। परंतु नेहरू सरकार ने जो नीति अपनायी, उससे यह संदेह और मजबूत होता है कि वह कुछ अज्ञात कारणों से, उन्हें काश्मीर में ही नजरबंद रखना चाहती थी और सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण से भी वंचित रखना चाहती थी।

चिकित्सा संबंधी अपराधपूर्ण लापरवाही—डा० मुखर्जी को जेल में चाहे जो भी सुविधाएं दी गई हों, लेकिन इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि उनके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें ऐसे स्थान पर नजरबंद रखा गया, जहां चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और न उनकी सेवा-सुश्रुषा का ही कोई प्रबन्ध था। पत्राचार की सुविधा भी बहुत ही असंतोषजनक थी। उनकी मृत्यु के पूर्व उनकी मां और पुत्री के पत्र जो जाते थे, बहुत दिनों तक उन्हें नहीं दिये जाते रहे। बीमारी के पूर्व उन्हें प्रातः-संध्या देर तक टहलने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनके सहयोगियों को उनके साथ नहीं जाने दिया गया। यद्यपि डा० मुखर्जी ने स्पष्ट बताया था कि उनके पारिवारिक चिकित्सक के अनुसार उन्हें स्ट्रैप्टोमाइसीन की सुई नहीं लेनी चाहिए फिर भी इसी की सुइयाँ उन्हें लगाई गईं। जबकि वे अस्पताल में थे, उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। जब वे बहुत बीमार थे उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का प्रबन्ध नहीं किया गया और उन्हें कार में ही बैठाकर लाया गया। अस्पताल, उनके जेल से 12 मील पर था जहां कोई टेलीफोन भी नहीं था, जिससे डाक्टर से सम्पर्क स्थापित किया जा सके और उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जा सके। उनकी बीमारी और मृत्यु के संबंध में काश्मीर

सरकार के जो वक्तव्य आये हैं, उनमें तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया गया है। यहां तक कि उनकी मृत्यु का जो समय सरकार की ओर से दिया गया है, कहा जाता है कि वह भी सही नहीं है।

मुखर्जी की हत्या की निष्पक्ष जांच—जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उनकी निष्पक्ष जांच कराने की देश के कोने-कोने से मांग हो रही है किन्तु इसके प्रति नेहरू सरकार ने जो नीति अपनायी है, उससे लोगों का संदेह दूर होने के बजाय और दृढ़ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तथ्यों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।

हमारी यह निश्चित धारणा है कि डा० मुखर्जी की गिरफ्तारी, उनकी नजरबंदी और जेल में उनकी मृत्यु, सभी के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार यदि अपने को निर्दोष बताना चाहती है तो उसे सारे तथ्यों और प्रमाणों को जनता के समक्ष रखना चाहिए।

[4 जुलाई 1953; दिल्ली, के०का०स०]

53.06. अखण्ड भारत

आज 15 अगस्त के दिन जहां 6 वर्ष पहिले भारत स्वतंत्र हुआ, वहां यह दुःख का विषय है कि उसका विभाजन भी हुआ और वह भी एक ऐसे आधार पर जो भारत की एक राष्ट्रीयता की भावना के प्रतिकूल है। यह विभाजन देश की सम्मति के बिना किया गया और देश के राष्ट्रीय तत्वों के बहुमत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।

यह विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध तो था ही साथ ही इसने देश की किसी समस्या को हल करने के स्थान पर अन्य भीषण समस्याएं खड़ी कर दी हैं। एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति में जनसंघ विश्वास रखता है और मानता है कि इन आधारभूत तत्वों के सहारे ही हम उन्नति कर सकते हैं। अतः हम आज अपनी इस मान्यता का संकल्प करते हैं कि भारत की अखंडता के आदर्श को सम्मुख रखकर जनसंघ सतत प्रयत्नशील रहेगा।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

53.07. अब्दुल्ला पर सार्वजनिक अभियोग

जम्मू-काश्मीर राज्य में हुई पिछले कुछ सप्ताहों की कुछ घटनाओं से भारतीय जनसंघ के कथन की पुष्टि हुई है। शेख अब्दुल्ला की बर्खास्तगी, उसकी गिरफ्तारी तथा उसकी राष्ट्र-विरोधी एवं घोर सांप्रदायिक गतिविधियों का रहस्योद्घाटन होने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि वास्तव में काश्मीर और भारत में पृथकतावादी, संप्रदायवादी और अधिनायकवादी शक्तियों के विरुद्ध जनसंघ संघर्ष कर रहा है।

युवराज कर्णसिंह और बख्शी गुलाम मुहम्मद ने राष्ट्र-विरोधी शक्तियों का,

जिन्हें प्रजा परिषद और जनसंघ ने अपने लम्बे संघर्ष से बेनकाब कर दिया था, जिस यथार्थवादिता और दृढ़ता से सामना किया, उसके लिए वे देश की समस्त राष्ट्रवादी और देशभक्त शक्तियों के साधुवाद के अधिकारी हैं।

विदेशी शक्तियों के दांवघात – यह भी स्पष्ट हो गया कि कुछ विदेशी शक्तियां काश्मीर में शर्मनाक भारत-विरोधी खेल खेल रहीं थीं। भारतीय जनसंघ दीर्घकाल से मांग करता आ रहा है कि काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ से उठा लिया जाय जिससे उस मामले में, जो अनिवार्यतः हमारा घरेलू प्रश्न है, विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का अंत हो सके। अब तो यह और भी आवश्यक हो गया है कि विदेशी शक्तियों से स्पष्ट शब्दों में और अंतिम रूप से कह दिया जाय कि वे काश्मीर के मामले में जो भारत का आंतरिक प्रश्न है, हस्तक्षेप करना एकदम बंद कर दें।

ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में जिसमें विदेशी एजेंट काश्मीर घाटी में निश्शंक होकर भारत-विरोधी गतिविधियां जारी रख सकें, शेख अब्दुल्ला ने जो भूमिका निभायी और भारत के दुश्मनों के हित में वहां सांप्रदायिकता की आग उसने जिस तरह भड़कायी उसकी तीव्र निंदा की जानी चाहिए। उसने भारत के साथ विश्वासघात किया है।

प्रजा परिषद की न्यायोचित और देशभक्ति की भावना से प्रेरित मांगों का जिस हठधर्मी से उसने विरोध किया, जिस निर्ममता से परिषद के सत्याग्रहियों का दमन किया और जेल में जिस प्रकार डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई उससे काश्मीर घाटी की वर्तमान अशांति और डा० मुखर्जी की आहुति की दर्दनाक घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अपराध की पुष्टि हो गई है।

इन तमाम बातों और उसकी बर्खास्तगी के समय सदरे रियासत द्वारा उस पर लगाये गये आरोपों तथा न्याय एवं राष्ट्रहित का यह तकाजा है कि शेख अब्दुल्ला पर एक विशेष अदालत में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और विश्वासघात के आरोप में मुकदमा चलाया जाय। यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री नेहरू ने संसद में जो वक्तव्य दिया उसमें शेख अब्दुल्ला को बचाने तथा उसके कुकृत्यों का दायित्व उसके कुछ साथियों तथा उन देशभक्तों के माथे मढ़ने का प्रयास किया गया, जिनमें इतनी दूरदृष्टि थी और इतना साहस था कि पिछले कुछ समय से शेख अब्दुल्ला जिन नीतियों को अपना रहा था उनके खतरों की ओर जिन्होंने संकेत किया। हम अनुभव करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शेख अब्दुल्ला के साथ अपनी निजी दोस्ती और दूसरों के प्रति ईर्ष्या-द्वेष से प्रभावित होकर अपना मत निर्धारित किया है। यह और भी निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि वे अवसर के अनुरूप साहस का परिचय दें और अपने पुराने मित्र के प्रति, जो देशद्रोही सिद्ध हुआ, व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित हुए बिना तत्काल सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने की व्यवस्था करें, जिससे ऐसी पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

53.11. विदेशी मिशनरियों की कार्यवाहियां

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अमरीकी-ब्रिटिश व अन्य विदेशी मिशनरियों द्वारा हाल ही में अपने असीम साधनों का उपयोग कर इस देश की निर्धन, पिछड़ी हुई व अशिक्षित जातियों को उनकी कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाते हुए उनमें ईसाइयत का प्रचार कर उन्हें राष्ट्र-विस्मृत बनाने के प्रयत्नों पर जनसंघ घोर चिंता प्रगट करता है। स्वतंत्र नागा प्रदेश व झारखंड की मांग, ऐसे विदेशी तत्त्वों द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्र-विरोधी विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रमाण है। इस दृष्टि से जनसंघ सरकार से अनुरोध करता है कि वह इन विदेशी मिशनरियों की कार्यवाहियों पर कड़ी निगरानी रखकर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के उनके प्रयत्नों की रोकथाम करे। उनके आपत्तिजनक होने की अवस्था में अविलम्ब उन्हें देश से निष्कासित करे।

[15 अगस्त 1953; इलाहाबाद, भा०प्र०स०]

54.05. मुखर्जी की रहस्यमय हत्या

भारतीय जनसंघ का यह अधिवेशन इस निश्चित मत का है कि डा०मुखर्जी की रहस्यमय तथा हृदयविदारक मृत्यु की निष्पक्ष जांच की राष्ट्रव्यापी मांग को नेहरू सरकार ने जिस ढंग से ठुकरा दिया है, वह अविचार और अन्यायपूर्ण होने के साथ-साथ किसी भी सभ्य सरकार के लिए अत्यन्त लज्जाजनक है। भारत सरकार जो स्वतः को उच्च, नैतिक, तथा लोकतंत्रीय मूल्यों के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, उसके लिए तो यह बात विशेष रूप से खेदजनक है। न्याय की इस मांग को जिस अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से ठुकराया जा रहा है उसके कारण सम्पूर्ण देश का मस्तक लज्जा से झुक गया है। भारतमाता के महान सपूत डा० मुखर्जी की मृत्यु के संबंध में जनता के मन में जो संदेह थे सरकार के इस रुख से पुष्ट होकर, वे विश्वास के रूप में बदल गये हैं। जनसंघ को यह सोचकर भय होता है कि यदि सरकार इस प्रकार अंधी होकर शासन करेगी और यदि सरकार से न्याय की आशा जनता ने छोड़ दी तो देश का भविष्य क्या होगा ?

[25 जनवरी 1954; बंबई, दूसरा सा०अ०]

54.13. काश्मीर का एकीकरण

मुखर्जी ने दूसरा विभाजन रोका—प्रायः $1\frac{1}{2}$ वर्ष पूर्व भारतीय जनसंघ ने शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी नीति तथा उसमें नेहरू सरकार के अंधविश्वास में निहित खतरों की चेतावनी देते हुए देश में अपनी अकेली आवाज उठाई थी। इतिहास ने कभी भी इतने कम समय में और इतनी स्पष्टता से किसी नीति का समर्थन नहीं किया है। जनसंघ ने भारत सरकार की अंधी और बहरी कूटनीति की आंखें और कान खोलने के लिए देशव्यापी आंदोलन जारी किया और उसे यह बताया कि उसकी ठीक नाक के नीचे क्या हो रहा है। इस महान आंदोलन में डा०

मुखर्जी जैसे देशरत्न को खोकर जनसंघ को यही संतोष है कि उनके महान बलिदान ने देश को पुनः विभाजित होने से बचा लिया तथा दोषी व्यक्तियों को उनके योग्य ठिकानों तक पहुंचा दिया ।

जनसंघ को बख्शी सरकार की इस घोषणा पर संतोष है कि जम्मू-काश्मीर की जनता को मौलिक अधिकार दिये जायेंगे तथा राज्य को आर्थिक और न्यायिक रूप से भारत के साथ सम्बद्ध किया जायेगा । यह पग उचित दिशा में होते हुए भी जनसंघ यह अनुभव करता है कि वे आवश्यकता से कम हैं तथा उसके मत में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत काश्मीर की वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति को बनाये रखना अनुचित है ।

जनमत संग्रह की चर्चा रोकें—जनसंघ का यह निश्चित विश्वास है कि कानूनी तौर पर भारत में पूर्ण विलय होने के पश्चात् जनमत संग्रह की समस्त चर्चा अर्थहीन और देश के संविधान की आत्मा के विपरीत है । जम्मू-काश्मीर राज्य के एक-तिहाई से अधिक भाग की (जो पाकिस्तान के अनधिकृत गैर-कानूनी अधिकार में है) मुक्ति तथा उसे पुनः वापस लेने में भारत सरकार की असफलता का जनसंघ स्मरण दिलाता है तथा इस दिशा में उचित कार्यवाही करके अपना कर्तव्य पूरा करने की सरकार से अपील करता है । पाकिस्तान एक आक्रमणकारी है तथा उसके साथ इसी भांति व्यवहार किया जाना चाहिए । उसके साथ चलाई जाने वाली समस्त वार्ता बंद कर दी जानी चाहिए क्योंकि काश्मीर से उसको कोई वास्ता नहीं है ।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.14. विदेशी मिशनरियों का नियमन

जनसंघ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी मिशनरियों द्वारा अपने असीम साधनों के उपयोग से इस देश की निर्धन, पिछड़ी हुई तथा अशिक्षित जातियों को उनकी कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाते हुए उनका धर्म-परिवर्तन कर उन्हें राष्ट्र-विस्मृत बनाने के प्रयत्नों पर चिंता प्रकट करता है । स्वतंत्र नागा प्रदेश व झारखंड की मांग ऐसे विदेशी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्र-विरोधी तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों के प्रमाण हैं । अतः जनसंघ सरकार से अनुरोध करता है कि—(*i*) इन विदेशी मिशनरियों की उक्त राष्ट्र-विरोधी कुवृत्तियों पर सतर्क दृष्टि रखे तथा उनके कार्य आपत्तिजनक होने पर उन्हें देश से निष्कासन का आदेश दे, (*ii*) साथ ही सरकार यह देखे कि विदेशी मिशनरियों को विदेशों से कोई आर्थिक व अन्य मदद न मिलने पाये ।

यह अधिवेशन निश्चय करता है कि जनसंघ के कार्य को सारे देश में और विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां विदेशी मिशनरियों द्वारा जनता को गुमराह करके ईसाई बनाने का कार्य चल रहा है, द्रुतगति से बढ़ाया जाय जिससे राष्ट्र जीवन को अक्षुण्ण रखा जा सके । जनसंघ देश के सभी सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठनों से

आग्रह करता है कि वे अपने प्रचार कार्य को प्रबल तथा प्रभावी बनाकर राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित इस संकट का सफलतापूर्वक सामना करें ।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

54.23. गोवा की मुक्ति

अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी भारत में विदेशी अधिकार क्षेत्रों का होना स्वतंत्र भारत की सार्वभौमिकता और सुरक्षा के लिए एक खतरा भी है और चुनौती भी । वास्तव में इन विदेशी अधिकार-क्षेत्रों का ब्रिटिश शासन के साथ ही सफाया हो जाना चाहिए था । लेकिन, पश्चिमी साम्राज्यवाद के इन उपनिवेशों के प्रति भारत सरकार ने जो रुख अपना रखा है, उससे फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्रों का मामला उलझ गया है और अनिर्णीत वार्ता का विषय बन गया है । इससे पुर्तगाल को भी भारत के प्रति चुनौतीपूर्ण रुख अपनाने का तथा इन क्षेत्रों का मातृभूमि भारत के साथ विलयन के लिए आंदोलन करने वालों के विरुद्ध दमन-चक्र चलाने का प्रोत्साहन मिला है ।

भारत के प्रति पाकिस्तान और कुछ अन्य पश्चिमी शक्तियों की बढ़ती हुई शत्रुता के कारण इस बात का खतरा बढ़ गया है कि अपने देश में स्थित पुर्तगाली बस्तियों को भारत के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाहियों के लिए आधार बनाया जा सकता है । पुर्तगाल का धृष्टतापूर्ण व्यवहार इस बात का संकेत है ।

भारत सरकार से, जो दुनिया के अन्य भागों में विद्यमान उपनिवेशवाद की भर्त्सना करती रही है अपने ही देश में वर्तमान उपनिवेशवाद के अवशिष्टों के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए जनसंघ एक लम्बे अरसे से कहता आ रहा है । परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा कि भारत सरकार के कानों पर अभी तक जूं भी नहीं रेंगी । भारत सरकार न केवल अपने कर्तव्य से विमुख रही है, बल्कि इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए आंदोलन करने वालों पर वहां घुसने पर भी रोक लगाकर उसने राष्ट्रीय हितों और जनमत को तिरस्कृत करने का घोर अपराध किया है । भारतीय जनसंघ सरकार को चेतावनी देता है कि उसकी यह दुर्बल नीति नई उलझनें पैदा करेगी और भविष्य में इन उपनिवेशों की मुक्ति में कठिनाइयां उत्पन्न करेगी । पुर्तगाली बस्तियों के भारत में विलयन के प्रश्न को शांतिपूर्ण वार्ता से सुलझाने के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर पुर्तगाल ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है (और मानो युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं), उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कोई तर्क सुनने वाला नहीं है और न उस पर किसी नैतिक दबाव का असर होने वाला है ।

गोवा के प्रति ब्रिटिश रवैया—इन उपनिवेशों के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा पुर्तगाल का समर्थन किया जाना अनुचित और आपत्तिजनक है । भारतीय जनसंघ इसकी तीव्र भर्त्सना करता है, क्योंकि ब्रिटेन से इस समस्या के समाधान में सहायता की अपेक्षा थी । परंतु, उसने जो रुख अपनाया है, उससे उसके परंपरा-

गत साम्राज्यवादी स्वभाव का ही प्रकटीकरण हुआ है। अतः भारतीय जनसंघ मांग करता है कि भारत सरकार व्यर्थ की वार्ता में समय नष्ट न करे, क्योंकि पुर्तगाल समय काटना चाहता है, ताकि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न बना सके। साथ ही सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए सैनिक कार्यवाही जैसा ठोस, त्वरित और निर्णायक कदम उठाये।

भारत सरकार इस मामले में भले ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाय, भारत की जनता ऐसा नहीं कर सकती। जनसंघ देशवासियों का व खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का आवाहन करता है कि इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए प्रबल जनमत की तैयारी और स्वयंसेवकों की भरती के लिए आवश्यक कार्यवाही आरंभ करें। भारतीय प्रतिनिधि सभा जनसंघ की समस्त शाखाओं से इस हेतु 9 से 16 सितंबर तक देश भर में 'गोवा मुक्ति सप्ताह' मनाने का आवाहन करती है।

[19 अगस्त 1954; इन्दौर, भा०प्र०स०]

55.06. काश्मीर का एकीकरण

गत 7 वर्षों से काश्मीर समस्या भारतीय जनता तथा सरकार के समक्ष उपस्थित है। इस लम्बे काल-खंड में इस समस्या के एकमेव व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल को जनसंघ ने अनेक बार देश के सम्मुख रखा है और उसकी प्राप्ति के लिए अनेक बलिदान भी किये हैं। स्पष्ट है कि ये बलिदान और उनकी पूर्णाहुति के रूप में जनसंघ के संस्थापक डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का आत्मोत्सर्ग रंग लाये हैं। भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के जम्मू-काश्मीर प्रदेश पर लागू होने के कारण गत 2 वर्षों में वह भारत के अविच्छिन्न अंग के रूप में अधिक निकट आया है।

किंतु भारत सरकार इस संबंध में प्रजा परिषद तथा जनसंघ के सम्मिलित सत्याग्रह तथा डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान के फलस्वरूप निर्मित हुई अनुकूल स्थिति का पूर्ण लाभ उठाने में असफल रही। उसकी अशुद्ध नीतियों के कारण स्थिति पुनः बिगड़ना प्रारंभ हो गई है और संपूर्ण देश तथा जम्मू-काश्मीर प्रदेश के हित की दृष्टि से इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

गुलाम काश्मीर की मुक्ति—आज की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि भारत सरकार स्पष्ट तथा निर्णायक ढंग से यह घोषणा करे कि जम्मू-काश्मीर प्रदेश की एक इंच भूमि भी पाकिस्तानी आधिपत्य में नहीं जायेगी और उस एक-तिहाई भाग को, जिस पर पाकिस्तान एक आक्रमणकारी के नाते अधिकार जमाये बैठा है, शीघ्र मुक्त कराने और भारत में मिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। पाकिस्तानी एजेंटों और भारत-विरोधी तत्वों के द्वारा भारतीय जनता के मन में निर्मित की जा रही कुशंकाओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा करना आज आवश्यक है। काश्मीर का भविष्य केवल काश्मीरियों का ही प्रश्न नहीं है, वरन्

संपूर्ण भारत का प्रश्न है। भारतीय जनसंघ का मत है कि जनमत-संग्रह की किसी भी प्रकार की बातचीत करना या यह कहना कि काश्मीर को भारत में मिलाने का प्रश्न काश्मीर की जनता हल करेगी, असंवैधानिक और असंगत है। किसी भी परिस्थिति में भारत का कोई भी भाग भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। यह समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच या किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वार्ता का विषय नहीं बन सकती। ऐसा समाचार है कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी पूर्व घोषणा के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस संबंध में सीधी वार्ता के लिए तैयार हो गये हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनसंघ उन्हें चेतावनी देता है कि भारत का राष्ट्रीय जनमत काश्मीर समस्या पर पाकिस्तान के तुष्टीकरण के लिए किसी भी पग को सहन नहीं करेगा।

बदनाम काश्मीर सरकार—जम्मू-काश्मीर के शासन में भयंकर भ्रष्टाचार, गुटबंदी और शिथिलता व्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप जनता में बेचैनी फैल रही है। भारत सरकार को चाहिए कि वह राज्य के विभिन्न विभागों में अनुभवी और विश्वासपात्र अधिकारियों की नियुक्ति करे जो दलगत प्रभावों से मुक्त होकर राज्य के शासन को योग्य रीति से चलावें जिससे जनता में व्याप्त कष्ट व बेचैनी दूर हो सके।

भारतीय संविधान की शेष बची समस्त धाराओं को जम्मू-काश्मीर में शीघ्र लागू करना चाहिए। उसके पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अंकेक्षक (आडीटर जनरल) और चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जम्मू-काश्मीर को लाने के लिए अविलंब पग उठाने चाहिए। साथ ही, काश्मीर के शैक्षणिक तथा शासकीय क्षेत्र में भारत की राजभाषा हिंदी को उचित स्थान देना चाहिए, जिससे काश्मीर भारत के अन्य राज्यों की पंक्ति में आ सके और उसे शेष भारत से कुछ भिन्न देखने की धारणा में उचित परिवर्तन हो सके।

जम्मू-काश्मीर की राज्य विधानसभा ने भारत में सम्मिलित होने के निर्णय की पुष्टि कर दी है। चूंकि यह इसी कार्य के लिए निर्मित की गई थी और यह कार्य अब पूर्ण हो गया है इसलिए राज्य विधानसभा को भंग कर नये चुनाव अति शीघ्र कराये जाने चाहिए जिससे राज्य की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व वहां हो सके। यह कार्य आज इसलिए और भी अधिक आवश्यक हो गया है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग (जिन्हें जनता का प्रायः नगण्य-सा ही सहयोग प्राप्त है किन्तु फिर भी जो वर्तमान विधानसभा में शक्ति संतुलन रखने और उसके द्वारा शासकीय क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में है) राज्य को कम्युनिस्ट कार्यवाही का अड्डा बनाने तथा लोकतांत्रिक पद्धति की जड़ पर कुठाराघात करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसी प्रकार लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के द्वारा मनोनीत नहीं अपितु जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाने चाहिए।

भारतीय जनसंघ की मांग है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते समय

जम्मू-काश्मीर की समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों की समस्याएं न माना जाय। इस राज्य को शेष भारत में पूर्णतः सम्मिलित करके इसे सर्वप्रकारेण 'ख' श्रेणी के राज्यों के स्तर पर लाया जाय। भारत के शेष नागरिकों को प्राप्त सभी मूलभूत अधिकार काश्मीरवासियों को भी प्रदान किये जाने चाहिए और भारतीय राष्ट्र-ध्वज की प्रतिष्ठा सर्वोच्च ध्वज के नाते ही की जानी चाहिए, न कि काश्मीर के राज्य ध्वज के समानान्तर।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

55.14. गोवा मुक्ति आंदोलन

पुर्तगाली दमनचक्र—हमारे भूभाग गोवा, दमण और दीव पर बराबर पुर्तगाली शासन रहने से उत्पन्न समस्या उत्तरोत्तर उलझनपूर्ण और दुस्साध्य बनती जा रही है। जो लोग अपनी मातृभूमि के साथ एकाकार होना चाहते हैं, उन पर पुर्तगाली अधिकारियों ने घोर दमनचक्र चला रखा है और सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इन चौकियों को सैनिक अड्डों में बदल देने के जो प्रयास हो रहे हैं उनसे पुर्तगाली शासकों के विचारों का पता चलता है।

जनसंघ का यह निश्चित मत है कि भारत स्वयं अपने अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करके ही इस स्थिति को जारी रहने दे सकता है। सुरक्षा और एकता के साथ साथ भारत के आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी इन विदेशी बस्तियों को तत्काल मुक्त कराया जाना चाहिए और वहां रहने वाले लोगों को पुर्तगाली शासकों के अमानवीय दमन से बचाया जाना चाहिए।

गोवा की जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए पिछले कई वर्ष से प्रयत्नशील है। देश के सभी भागों के बहुत से देशभक्त भी गोवा की जनता के इन प्रयत्नों में हाथ बंटाते और इसी उद्देश्य से उसके साथ कष्ट सहते आ रहे हैं। वे सब स्वतंत्रता और भारत की एकता से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साधुवाद के अधिकारी हैं। लेकिन यह सोचना गलत है कि इस समस्या को हल करने का काम उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह मूलतः राष्ट्र की राजनीतिक समस्या है और राष्ट्रीय सरकार को ही इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से एवं सरकारी स्तर पर हल करने का प्रयत्न करने को आगे आना चाहिए। सरकार इस संबंध में जो भी पग उठाने का निर्णय करेगी, समूचा राष्ट्र उसका समर्थन करेगा।

भारत सरकार इस मामले में अपने कर्तव्य को निभाने में अब तक पूरी तरह असफल रही है। एक ओर तो वह समस्या को उलट-पुलटकर देखने में उलझी रही और दूसरी ओर वहां दमनचक्र तेज होता गया तथा पुर्तगाल अपनी युद्ध जैसी तैयारियों को भी तेज करता जा रहा है। अतः यह दुःखद दायित्व अब भारत की जनता पर आ पड़ा है कि वह अपनी सरकार पर दबाव डाले कि स्थिति काबू से बाहर जाने से पहले ही सरकार इस संबंध में परिणामकारी कार्यवाही करे।

गोवा मुक्ति समिति—केन्द्रीय कार्य समिति भारत सरकार की निष्क्रियता

की निंदा करते हुए गोवा की मुक्ति के आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीचे लिखे पग उठाने का संकल्प करती है :

(1) गोवा मुक्ति समिति बनाई जानी चाहिए जो कि गोवा-सीमा क्षेत्रों का दौरा करके आंकड़े एकत्रित करेगी और जनता को स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आवश्यक पग उठाने की योजना बनायेगी।

(2) देश भर में जनसंघ की शाखाओं को निर्देश दिया जाय कि वे इस प्रश्न पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सार्वजनिक सभाएं और प्रदर्शन आयोजित करें।

[15 अप्रैल 1955; गोकाक, के०का०स०]

55.19. गोवा सत्याग्रहियों की भर्ती

गोवा तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियों की बिगड़ती हुई परिस्थिति पर केन्द्रीय कार्य समिति गहरी चिन्ता प्रकट करती है। पुर्तगाली बस्तियों की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले सभी व्यक्तियों का व उनके ज्वलन्त देश प्रेम तथा वीरतापूर्ण कार्यों का समिति अभिनन्दन करती है और उन्हें अपने पूर्ण एवं सक्रिय समर्थन का विश्वास दिलाती है। वह सभी प्रादेशिक शाखाओं को निर्देश देती है कि जन-सभाओं तथा प्रदर्शनों का वे आयोजन करें और गोवा-मुक्ति-संग्राम के लिए सत्याग्रहियों की भर्ती करें तथा जनमत जाग्रत कर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए सरकार पर दबाव डालें।

कार्य समिति भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति तथा प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा प्रकट किये गये विचारों के प्रति गहरी निराशा व्यक्त करती है। उसकी सम्मति में उनका दृष्टिकोण नकारात्मक तथा अयथार्थवादी है।

समिति गोवा में पुलिस कार्यवाही की मांग को दोहराती है। समस्या को अन्तिम रूप से हल करने का यही एक मार्ग है। इसमें देर लगाने से स्थिति और भी जटिल तथा गम्भीर बनेगी जो भारत के व्यापक हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।

समिति निश्चय करती है कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस, 23 जून को, गोवा के लिए एक सौ एक सत्याग्रहियों का प्रथम जत्था भेजा जाय। जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री जगन्नाथ राव जोशी इस जत्थे का नेतृत्व करेंगे।

[13 जून 1955; दिल्ली, के०का०स०]

55.27. गोवा सत्याग्रहियों का महान बलिदान

भारतीय प्रतिनिधि सभा भारत माता के उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने पुर्तगाली बस्तियों की स्वतंत्रता तथा शेष भारत के साथ उनकी एकता के लिए अपना महान बलिदान दिया। भारत की

पुण्यभूमि से उपनिवेशवाद के भग्नावशेषों को समाप्त करने के लिए सभी आयु तथा वर्गों के जिन सत्याग्रहियों ने, जिनमें भारत की सुपुत्रियों का भी गौरवपूर्ण स्थान है, पुर्तगाली शासन के बर्बर अत्याचारों के सम्मुख हँसते-हँसते अपने जीवन को संकट में डाला, प्रतिनिधि सभा उनकी सराहना करती है।

15 अगस्त को शांत तथा निःशस्त्र सत्याग्रहियों के हत्याकाण्ड के विरुद्ध सम्पूर्ण देश की जनता के क्षोभ तथा रोष का जैसा प्रचण्ड प्रदर्शन हुआ उससे यह स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर सारा देश एकमत है और वह सत्याग्रहियों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। 15 अगस्त के हत्याकाण्ड के पश्चात भी हजारों व्यक्तियों का सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता दुगने उत्साह से गोवा-मुक्ति संग्राम को, उसकी उद्देश्य-पूर्ति तक, चलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

कांग्रेस की अकर्मण्यता—यह खेद का विषय है कि कांग्रेस, जो अहिंसात्मक सत्याग्रह की श्रेष्ठता तथा उपादेयता का प्रचार करते नहीं थकती, इस संघर्ष में अपना उचित योग देने में अब तक असफल रही है। दूसरों को शांतिपूर्ण उपायों की आवश्यकता पर उपदेश देने के बजाय उसे पुर्तगाली बस्तियों की मुक्ति के आंदोलन में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए और इस राष्ट्रीय प्रश्न पर अन्य दलों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए।

भारतीय जनसंघ आरम्भ से इस बात पर बल देता रहा है कि केवल सत्याग्रह से गोवा-समस्या का समाधान न होगा। 15 अगस्त की घटनाओं से यह और भी स्पष्ट हो गया है कि पुर्तगाली शासन, केवल नैतिक दबाव के सम्मुख झुकने वाला नहीं है। जनसंघ की इस मांग की आवश्यकता तथा पूर्ण औचित्य अब प्रमाणित हो गये हैं कि इस समस्या को सरकारी स्तर पर अन्य उपायों द्वारा (जिनमें पुलिस कार्यवाही भी सम्मिलित है) सुलझाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण का अब अन्य दलों द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है।

समय आ गया है जबकि भारत सरकार गोवा के प्रश्न पर प्रभावी कार्यवाही करने की राष्ट्रीय मांग को समझकर कालावधि निश्चित करे जिसके भीतर शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अथवा उनके विफल होने पर अन्य मार्गों से, पुर्तगाली बस्तियों को अवश्यमेव मुक्त किया जाय।

इस अवधि में भारतीय जनसंघ जनमत को जाग्रत करने तथा भारत सरकार पर दबाव डालने का अपना प्रयत्न जारी रखेगा। वह भारत सरकार को शांतिपूर्ण उपायों का राग अलापने की छूट नहीं दे सकता जिसके दुष्परिणामस्वरूप पुर्तगाली शासन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सभ्य आचरण के सभी सिद्धांतों को ताक में रखकर सत्याग्रहियों के प्रति अधिकाधिक बर्बर होने का दुस्साहस दिखा रहा है।

गोवा और पश्चिमी राष्ट्र—पुर्तगाली साम्राज्यवाद के संबंध में पश्चिमी राष्ट्रों ने जो नीति अपनाई है, उसके प्रति यह प्रतिनिधि सभा गंभीर चिन्ता प्रकट करती है। समय की मांग को परखकर भारत से स्वेच्छा से विदा हो जाने के लिए

पुर्तगाल पर दबाव डालने के बजाय पश्चिमी राष्ट्रों का रवैया उसके साम्राज्यवाद को कायम रखने में प्रोत्साहन दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति भारतीय जनता में विद्यमान सद्भावना को ठेस लग रही है और लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की उनकी उद्घोषणाओं पर से उसका विश्वास डिग रहा है।

[28 अगस्त 1955; कलकत्ता, भा०प्र०स०]

56.05. काश्मीर में अनिश्चितता

जम्मू-काश्मीर का विभाजन—जनसंघ ने सदैव यही माना है कि जम्मू-काश्मीर राज्य का भारत में विलय अंतिम और अपरिवर्तनीय है तथा काश्मीर में जनमत संग्रह की सब बातें अप्रासंगिक और अवांछनीय हैं। अतः उसे यह जानकर हर्ष हुआ है कि श्री नेहरू ने अन्ततः यह बात स्वीकार कर ली है और लोकसभा में अपने ताजा वक्तव्य में जनसंघ के दृष्टिकोण की पुष्टि की। लेकिन उसे इस बात से पीड़ा हुई है कि प्रधानमंत्री ने देर से स्वीकार की गई इस सही बात के भी असर को इस रहस्य का उद्घाटन करके समाप्त कर दिया कि उन्होंने भारतीय संविधान की अवहेलना करके गुप्त रूप से पाकिस्तान को सुझाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर समस्या को हल करने के लिए वर्तमान युद्ध-विराम रेखा को विभाजन रेखा मान लिया जाय। जनसंघ का मत है कि यह काश्मीर में भारत के हितों के साथ विश्वासघात और काश्मीर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के सामने आत्म-समर्पण करने के समान है।

जनसंघ अपने इस दृष्टिकोण को फिर जोरदार शब्दों में दोहराना चाहता है कि समूचा जम्मू-काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग है और पाकिस्तान द्वारा उसके किसी भाग पर आधिपत्य समूचे भारत पर आक्रमण है। अतः वह मांग करता है कि श्री नेहरू अपने इस सुझाव को वापस लें और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए यथाशीघ्र सब संभव पग उठाये जायें।

भारतीय संविधान को निरपवाद रूप से जम्मू-काश्मीर में लागू करके उसे देश के अन्य प्रदेशों के समान स्तर पर लाया जाय। उसे पूरी तरह भारत के साथ मिलाने के लिए पग उठाये जायें और भारत के चुनाव आयोग की देखरेख में वहां शेष भारत के साथ ही आम चुनाव कराये जायें।

राज्य में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर लगी सब पाबंदियां हटाई जायें। जनसंघ को पूरा विश्वास है कि भारत की एक इकाई के रूप में राज्य में सामान्य स्थिति और जनता के मस्तिष्क से अनिश्चितता दूर करने के लिए, जिसका अब तक काश्मीर में भारत के हितों के प्रतिकूल पाकिस्तान और उसके एजेंटों ने उपयोग किया है, यह सब पग उठाना आवश्यक है।

[21 अप्रैल 1956; जयपुर, चौथा सा०अ०]

56.08. गोवा की मुक्ति

भारत सरकार ने जब भारतीय सत्याग्रहियों के गोवा प्रवेश पर रोक लगा दी तब भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र कराने का दायित्व उसने स्वयं संभाल लिया लेकिन, यह खेद का विषय है कि उस दायित्व को निभाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। इस बीच पुर्तगाल अपनी स्थिति को बराबर सुदृढ़ बनाता जा रहा है और भारत के विरोधी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने का भी सफलता से प्रयास कर रहा है। अतः जनसंघ का यह निश्चित मत है कि समय बीतने के साथ-साथ गोवा को मुक्त कराने का काम और कठिन होता जायेगा। जनसंघ की मांग है कि सरकार या तो स्वयं गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रभावशाली पग उठाये या फिर भारतीय सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी उठा ले, जिससे भारत की जनता इस संबंध में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके।

पुर्तगाली जेलों में भारतीय—जनसंघ इस अवसर पर अपने सचिव श्री जगन्नाथ राव जोशी तथा अन्य दलों के उन नेताओं को बधाई देना चाहता है जो भारत भूमि से दासता के अभिशाप को दूर करने के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय पुर्तगाली जेलों में व्यतीत कर रहे हैं। जनसंघ को विश्वास है कि वे जो कष्ट झेल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जायेगा और निकट भविष्य में ही वह दिन आयेगा जब उनके प्रयास सफल होंगे और भारत सरकार की दुर्बल नीति के बावजूद गोवा स्वतंत्र होगा।

[21 अप्रैल 1956; जयपुर, चौथा सा०अ०]

56.13. नागा समस्या

असम के नागा पहाड़ी जिले में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, केन्द्रीय कार्य समिति उन पर गहरी चिन्ता प्रकट करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार समस्या के मौलिक अथवा उसके वर्तमान सैनिक पक्ष को अब तक पूरी तरह समझ नहीं सकी।

नागा समस्या की सूक्ष्म जांच—कार्य समिति ऐसा अनुभव करती है कि इस मौलिक प्रश्न की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि नागा जनजाति के लोग (असम प्रशासन के अधीन) इतने असंतुष्ट क्यों हैं कि विद्रोह तक पर आमादा हो गये और भारत संघ से अलग होने की मांग कर रहे हैं, जबकि असम प्रशासन के बाहर रहने वाले नागाओं में न तो ऐसा असंतोष है और न ऐसी गड़बड़ी। इस मामले की पूरी तरह जांच करना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि नागाओं के प्रति असम प्रशासन की नीति की जांच की जाय और जहां आवश्यक हो, उचित उपचार किया जाय।

दूसरे, कई वर्षों से ऐसे समाचार लगातार आते रहे हैं कि कुछ विदेशी ईसाई मिशन अवांछित गतिविधियों में लगे हैं। वे पहाड़ी जातियों और मैदानों में रहने वालों के बीच फूट के बीज बो रहे हैं और इन जनजातियों में पृथकतावादी एवं

भारत-विरोधी भावनाएं भर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों की ऐसी सभी गतिविधियों को तत्काल रोका जाना चाहिए।

तीसरे, जहां तक समस्या के सैनिक पहलू का संबंध है, नागाओं को किन सूत्रों से शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं और इन नागा जनजाति के लोगों को इन हथियारों के चलाने का प्रशिक्षण कहां से प्राप्त होता है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बर्मा और पाकिस्तानी सीमाओं के पार से भारी मात्रा में चोरी छिपे हथियार आ रहे हैं—इस तरह के समाचार भी आ रहे हैं। सरकार को इन समाचारों की सच्चाई का शीघ्र ही पता लगाना चाहिए। जनता इतने मात्र से संतुष्ट नहीं कि पिछले युद्ध के अंतिम चरण में जापानी और अमरीकी सैनिक वहां हथियारों के जो भंडार छोड़कर चले गये थे, नागा विद्रोहियों के लिए हथियार प्राप्ति का वही एकमात्र साधन है।

और अन्त में, कार्य समिति ऐसा अनुभव करती है कि समस्या के जिन बुनियादी पहलुओं की चर्चा ऊपर की गई, उनकी जांच कराते समय नागाओं को यह विश्वास दिलाते हुए कि उनके रीति-रिवाजों और उनकी जीवन-पद्धति का आदर होगा और स्वायत्तता प्राप्त उनकी जनजातीय जिला परिषद द्वारा उन्हें इस बात का पूरा अवसर दिया जायेगा कि अपनी बुद्धि एवं कल्पना के अनुसार वे अपने जीवन का विकास करें। नागा विद्रोह के कारण उत्पन्न वर्तमान सैनिक समस्याओं को पूरी कुशलता एवं शीघ्रता के साथ (और असम सरकार के असैनिक प्रशासन की ओर से बिना किसी हस्तक्षेप के) भारत सरकार को सेना द्वारा सैनिक स्तर पर हल करना होगा। नागा पहाड़ी जिले की हालत काफी खराब है। उसे इतने लम्बे अर्से से बिगड़ने दिया गया। लेकिन, उसे अब और नहीं बिगड़ने दिया जाना चाहिए। विद्रोह को कुचला जाना चाहिए और उत्तर-पूर्व भारत के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में तत्काल शांति स्थापित की जानी चाहिए। भारत राष्ट्र की काया में नागा विद्रोह एक अर्से से फोड़े की तरह फूट रहा है और जनता अब इस संबंध में और विलंब सहन करने को तैयार नहीं है।

[21 जुलाई 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.16. संयुक्त स्वतंत्र भारतीय ईसाई चर्च

केन्द्रीय कार्य समिति ने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विदेशी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के बारे में, मध्य प्रदेश ईसाई मिशनरी गतिविधि जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसकी उन सिफारिशों का आमतौर पर समर्थन किया जिनका उद्देश्य भारत में विदेशी ईसाई मिशनरियों की अवांछित गतिविधियों को रोकना है। जनसंघ को भारत में विदेशी ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के प्रभाव के बारे में जो यह आशंका थी कि उनसे लोगों के मन में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं पनप सकती हैं, जांच समिति ने उसकी पुष्टि कर दी है। कार्य समिति अनुभव करती है कि भारत का ईसाई समाज, जैसा कि समिति ने सिफारिश

की है विदेशी सहायता पर आश्रित रहे बिना एक संयुक्त स्वतंत्र भारतीय ईसाई चर्च के अधीन हो और वह भारत के नागरिकों का निष्ठावान, मूल्यवान तथा देश-भक्त अंग बने।

[21 जुलाई 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.27. भारतीयकरण द्वारा साम्प्रदायिकता का अंत

संस्कृति जन्य एकता सूत्र—भारतीय जनसंघ की मान्यता है कि केवल भौगोलिक एकता राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकती। एक देश के निवासी जब तक एक संस्कृतियुक्त हो एकात्म नहीं हो जाते तब तक एक देश अथवा एक राज्य के नागरिक होते हुए भी उनमें एक राष्ट्र के घटक होने की अनुभूति नहीं होती। भारतीय राष्ट्र की परम्परा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। यह राष्ट्र जीवन समाज के प्रत्येक अंग को व्याप्त करने वाली समान संस्कृति से पुष्ट होता रहा है। जब तक वह एक संस्कृति का अनुगामी रहा, अनेक राज्य होते हुए भी यहां के जनों में मूलभूत एक राष्ट्रीयता की भावना बनी रही।

द्विराष्ट्रवाद—जबसे विदेशी शासकों ने अपने लाभ के लिए इस एकात्मता को भंग कर विदेशपरक संस्कृतियों को इस देश पर लादा और इसमें से जीवन के विदेशी मूल्यों के प्रति आस्था बढ़ती गई, मूल राष्ट्रीयता संकटापन्न हो गई। भारत में द्विराष्ट्रवाद की विजय और उसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन इसी का फल है। तदनन्तर भी मजहबी निष्पक्षता के आवरण में मुसलमानों की एक अलग संस्कृति मानकर उसका संरक्षण व संवर्धन हो रहा है जिससे उनमें द्विराष्ट्र-वादी प्रवृत्ति और भारतबाह्य निष्ठा पनपती है। किताब-काण्ड को लेकर होने वाली घटनाएं तथा पाक पंचमांगियों की बढ़ती हुई कार्यवाहियां, इसी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। राज्य पुनर्गठन के प्रश्न को लेकर होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जिनके मूल में बहुराष्ट्रवाद की पश्चिमी विकृत कल्पनाएं हैं, इस बात की द्योतक हैं कि हमारी संस्कृति की पकड़ ढीली हो गई है।

एकता व राष्ट्रीयता के लिए भारतीयकरण—भारतीय जनसंघ की आस्था है कि भारत की एक राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जीवन की विविधताएं व उपासना स्वातंत्र्य के रहते हुए भी, घटकों में एक संस्कृति का पोषण हो। इस कार्य के संपादन के लिए निम्नलिखित दिशाओं में समाज एवं शासन को अग्रसर होना चाहिए :

(1) शिक्षा को राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित किया जाना चाहिए। भारतीय साहित्य के रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत, जैसे ग्रंथों में तथा अर्वाचीन भारतीय भाषाओं के राष्ट्र-निर्माण को पोषक साहित्य में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मूल्यवान व जीवनशक्तिदायी आध्यात्मिक ज्ञान तथा प्रेरणा, देश के सभी बालक-बालिकाओं को मिलनी चाहिए। वह समय शीघ्र आये जब सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में इस सांस्कृतिक धारा के ज्ञान को अनिवार्य समझा जाय।

(2) भारत के राष्ट्रपुरुषों के जन्म-दिवस आदि राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाये जायें जिनमें प्रेरणा, प्रबन्ध और धन से शासन सहायक हो और राष्ट्र के सभी नागरिक भाग लें।

(3) भारत के प्रधान त्योहारों को राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाया जाय।

(4) भारत के सामाजिक जीवन के सभी अंगों में क्षेत्रीय भाषा अथवा राज-भाषा का प्रचलन करने के लिए शासन और समाज की ओर से समर्थ तथा सतत उद्योग आरंभ हों जिससे भारतीय समाज अपना विकास एक राष्ट्रीय आधार पर कर सके।

(5) संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित किया जाय। उसका ज्ञान विद्वत्ता के लिए अनिवार्य हो तथा देश की समस्त भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को एक लिपि के रूप में स्वीकार करने का उद्योग किया जाय।

(6) भारतीय इतिहास शुद्ध रूप में लिखा जाय जिससे वह भारतीय जन का इतिहास हो, भारत पर आक्रांताओं का नहीं। इसमें विदेशी शासन के नाम पर काल-विभाजन न होकर, भारतीय समाज की प्रगति व विकास तथा उसमें होने वाले आंदोलनों और क्रांतियों के आधार पर काल-विभाजन हो, तथा भारतीय जन और भारतीय संस्कृति के प्राचीन विश्वव्यापी प्रसार की गौरव गाथा सम्मिलित हो।

(7) सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा एकीकरण की दृष्टि से भारतीय जनसंघ देश के हिन्दू समाज को सचेत करता है कि अपनी इतिहास-सिद्ध आंतरिक सामाजिक दुर्बलताओं का शीघ्रता से निराकरण करे, विशेषकर जाति भेद के कारण उत्पन्न ऊंच-नीच आदि के भेदभावों को तत्काल दूर करे। और पिछड़े हुए वर्गों तथा शेष हिन्दुओं के बीच पूर्ण साम्य की स्थापना की जाय। साथ ही समाज के धार्मिक पर्वों और उत्सवों को सामूहिक, संगठित तथा अनुशासित रूप में मनाया जाय और समाज के सब लोगों का उनमें सहयोग प्राप्त किया जाय।

(8) इस प्रकार अपने अंतरंग के सुधार के साथ हिन्दू समाज का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि भारतीय जन-जीवन के तथा अपने उन अंगों के भारतीयकरण का महान कार्य हाथ में ले जो विदेशियों द्वारा स्वदेश परांगमुख और प्रेरणा के लिए विदेशाभिमुख बना दिये गये हैं। हिन्दू समाज को चाहिए कि उन्हें स्नेहपूर्वक आत्मसात कर ले। केवल इसी प्रकार साम्प्रदायिकता का अन्त हो सकता है और राष्ट्र की एकनिष्ठता तथा दृढ़ता निष्पन्न हो सकती है।

[30 दिसम्बर 1956; दिल्ली, पांचवां सा०अ०]

57.07. ब्रिटिश स्मारक

केन्द्रीय कार्य समिति इस पर गहरा दुःख प्रकट करती है कि ब्रिटिश साम्राज्य-

वादी जुये से भारत को मुक्ति मिलने के 10 वर्ष बाद भी ब्रिटिश शासकों की यादगारें उनकी मूर्तियों के रूप में सार्वजनिक स्थलों को विकृत कर रही हैं। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है बल्कि स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों का भी अपमान है।

अतः कार्य समिति भारत सरकार से मांग करती है कि वह सार्वजनिक स्थलों से इन मूर्तियों के हटाने के संबंध में आगा-पीछा करने की नीति छोड़ दे और 10 मई तक इन सबको हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में पहुंचा देने का आदेश दे। समिति ऐसा अनुभव करती है कि यदि सरकार ने इस संबंध में जनभावनाओं का आदर करने में ढिलाई की तो जनसंघ को बाध्य होकर इस लोकप्रिय मांग को मनवाने के लिए जन आंदोलन छेड़ना होगा।

[20 अप्रैल 1957; जौनपुर, के०का०स०]

58.01. जम्मू-काश्मीर की स्थिति

अब्दुल्ला की भारत-विरोधी कार्यवाहियां—भारतीय जनसंघ ने काश्मीर समस्या के संबंध में आमतौर पर और शेख अब्दुल्ला के प्रति विशेषकर जो नीति अपनाई थी वह सही सिद्ध हुई है। काश्मीर में हुई घटनाओं तथा रिहाई के बाद शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई कार्यवाहियों से जनसंघ के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। आज प्रायः सभी दलों के प्रमुख नेता तथा उच्च सरकारी प्रवक्ता काश्मीर के संबंध में उसी भाषा का प्रयोग और उन्हीं तर्कों का उपयोग कर रहे हैं जिनको जनसंघ अपने प्रारंभ से बोलता आ रहा है। इससे यह निस्सन्देह स्पष्ट है कि जनसंघ के संस्थापक प्रधान डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का महान बलिदान अपना रंग लाया है।

किन्तु अभी असावधानी के लिए कोई स्थान नहीं है। शेख अब्दुल्ला अपने भारत-विरोधी विषाक्त प्रचार द्वारा पाकिस्तान का खेल खेल रहा है। उसके हाल के भाषण तथा कार्य राष्ट्र तथा उसके संविधान के विरुद्ध खुले विद्रोह की कोटि में आते हैं। स्पष्ट है कि यदि शेख अब्दुल्ला के प्रति रियायत दिखाई गई तो उससे राष्ट्र के व्यापक हितों को अपार क्षति पहुंचने की आशंका है। अतः यह आवश्यक है कि शेख अब्दुल्ला तथा उसके साथियों को वश में रखने के लिए अविलम्ब प्रभावी उपाय अपनाये जायें। यह संतोष का विषय है कि काश्मीर की जनता शेख अब्दुल्ला के साम्प्रदायिक प्रचार से अप्रभावित है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है।

नेहरू अब्दुल्ला (1953) पत्रव्यवहार—किन्तु इस संबंध में भारत की राजधानी में कतिपय तत्त्वों द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं वे चिंताजनक हैं। बख्शी गुलाम मुहम्मद का यह आरोप कि शेख अब्दुल्ला के मित्र तथा पाकिस्तानी पंचमांगी नई दिल्ली को भारत-विरोधी प्रचार का केन्द्र बना रहे हैं, केन्द्रीय सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इस संबंध में

प्रधानमंत्री श्री नेहरू का विशेष दायित्व है। शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों के संबंध में उनकी चुप्पी तथा काश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के प्रति उनका व्यक्तिगत आदर भाव लोगों को भ्रमित करने का एक साधन बनाया जा रहा है। अच्छा हो यदि प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की बरखास्तगी तथा गिरफ्तारी से पूर्व उसके साथ हुए अपने पत्रव्यवहार को प्रकाशित कर दें, जिससे जनता उस समय की परिस्थिति व घटना चक्र के संबंध में स्पष्ट तथा सही जानकारी प्राप्त कर सके।

साथ ही संविधान के 370वें अनुच्छेद को हटाने तथा जम्मू-काश्मीर को सभी दृष्टियों से शेष भारत के समकक्ष लाने के लिए पग उठाये जाने चाहिए। सेवाओं का एकीकरण करने तथा ऑडीटर और कंट्रोलर जनरल के अधिकार क्षेत्र को काश्मीर तक विस्तृत करने का निर्णय स्वागत-योग्य है। किन्तु परिस्थिति की मांग यह है कि काश्मीर तथा शेष भारत के बीच जो असमानताएं हैं उन्हें पूर्णतः एक-बारगी हटा दिया जाय। समान नागरिकता के नियमों का परिपालन, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तृतिकरण एकात्मता का भाव जगाने और जम्मू-काश्मीर की जनता का शेष भारत की जनता के साथ भावात्मक एकीकरण करने के लिए नितान्त आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार यह भी देखे कि जम्मू-काश्मीर के आर्थिक विकास के लिए जो विपुल धनराशि दी जा रही है उसका ठीक तरह से विनियोग होता है। साथ ही जम्मू-काश्मीर के प्रशासन को शुद्ध करने के लिए भी उपाय अपनाये जायें। शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों के विषैले प्रचार को निरस्त करने के लिए वहां प्रशासन में शुद्धता, शुचिता तथा प्रामाणिकता का लाना आवश्यक है। इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को अपने कुछ अनुभवी प्रशासकों की सेवाएं जम्मू-काश्मीर की सरकार को प्रदान करनी चाहिए।

किन्तु काश्मीर के संबंध में जो आधारभूत समस्या है, वह इसके बाद भी ज्यों की त्यों रह जाती है। उसे हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को जम्मू-काश्मीर के पाक-अधिकृत भारतीय भाग को मुक्त कराने के लिए अविलम्ब तथा प्रभावी पग उठाने चाहिए।

[5 अप्रैल 1958; अम्बाला, छठा सा०अ०]

58.21. काश्मीर का एकीकरण

जम्मू-काश्मीर प्रजा परिषद के प्रधान पं० प्रेमनाथ डोगरा द्वारा जम्मू-काश्मीर राज्य के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय कार्य समिति ने वहां की परिस्थिति पर विचार किया। समिति ने राज्य की विषम स्थिति और उसके परिणामस्वरूप जन स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर चिंता व्यक्त की। समिति का सुनिश्चित मत है कि नई दिल्ली और श्रीनगर के सत्ताधीशों को अपनी बार बार दोहराई गई घोषणाओं को कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, व्यावहारिक स्वरूप देना चाहिए। इस हेतु जम्मू-काश्मीर के संबंध में भारतीय

संविधान के संक्रमणकालीन उपबंधों को समाप्त करना चाहिए जिससे काश्मीर-वासियों को वे सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकें जो उनके अन्य देश-बांधवों को प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, संसद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, परमिट प्रणाली की परिसमाप्ति, पूर्ण वित्तीय एकीकरण तथा राज्य और शेष भारत के नागरिकों के बीच भेद-भाव का अंत—यह ऐसे पग हैं जिन्हें इस दृष्टि से तुरंत उठाना चाहिए।

आज की स्थिति में इन भिन्नताओं के कारण राज्य की जनता यह अनुभव करती है कि भारत सरकार उनके साथ भेदभाव बरतती है। काश्मीर के शासक इन भेदों को बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि इससे वे अपनी सत्ता को स्थायी करने का प्रयास करते हैं। सबसे बुरा तो यह है कि आंतरिक स्वायत्तता के नाम पर इस स्थिति का समर्थन करने वाली काश्मीर की सरकार (जिसके अपने निहित स्वार्थ अनुच्छेद 370 में पैदा हो गये हैं) के विरुद्ध जनता का असंतोष भारत विरोध का रूप धारण कर लेता है। फलतः भारत और काश्मीर की जनता के बीच भावात्मक एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है जिसका लाभ अराष्ट्रीय और पृथकतावादी तत्वों को ही मिलता है।

कार्य समिति चाहती है कि भारत सरकार स्थिति को पहिचाने और जम्मू-काश्मीर व शेष भारत के बीच चलने वाले भेद-भावों के परिणामों का यथार्थ आंकलन करे। राज्य की अधिकांश जनता इन भेदों और उनसे उत्पन्न होने वाली बाधाओं की, जिसकी वह शिकार है, समाप्ति चाहती है। अतः कार्य समिति मांग करती है कि जम्मू-काश्मीर राज्य एवं भारत की जनता के व्यापक हितों का विचार कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाय तथा जम्मू-काश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जाय।

[12 अक्तूबर 1959; दिल्ली, के०का०स०]

59.03. बेरूबाड़ी का हस्तांतरण

सितम्बर 1958 से ही जबकि नेहरू-नून समझौता किया गया, जनसंघ सक्रिय रूप से उसके हानिकर एवं राष्ट्रघातक स्वरूप को जनता के समक्ष रखता आ रहा है। यह संतोष का विषय है कि उसके प्रयासों को सफलता मिल रही है क्योंकि बिना किसी दलगत भेद के संपूर्ण जनता इस समझौते के (विशेषकर जलपाईगुड़ी जिले की बेरूबाड़ी यूनियन के पाकिस्तान को देने के) विरुद्ध होती जा रही है। पर यह खेद का विषय है कि जनता के इतना विरोध तथा पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल द्वारा सर्वसम्मति से बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के प्रस्ताव को ठुकरा देने के उपरांत भी भारत सरकार अपने इस निर्णय के वैधीकरण के लिए संसद के समक्ष विधेयक उपस्थित करने के हठ पर डटी हुई है।

भारतीय जनसंघ सरकार से मांग करता है कि वह प्रस्तावित विधेयक को वापिस ले ले। यदि शासन अपने दूषित मंतव्य का त्याग नहीं करता तो जनसंघ संसद के

सदस्यों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता है कि वे राष्ट्र के हितों में इस विधेयक को ठुकरा दें।

केन्द्रीय कार्य समिति अपनी सभी प्रादेशिक समितियों को आदेश देती है कि वे नेहरू-नून समझौते के विरोध में जिसमें बेरूबाड़ी का हस्तांतरण सम्मिलित है, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभाएं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके जनमत को संगठित करें तथा उससे संसद सदस्यों को अवगत करायें और पश्चिमी बंगाल जनसंघ को भी यह निर्देश देती है कि वह बेरूबाड़ी यूनियन के निवासियों को शासन के इस गलत पग का शांतिपूर्ण उपायों से विरोध करने के लिए संगठित करें।

[15 मार्च 1959; दिल्ली, के०का०स०]

59.14. भारत में 'राज्यविहीन' भारतीय

केन्द्रीय कार्य समिति संतोष प्रकट करती है कि अतीत में जम्मू-काश्मीर राज्य तथा शेष भारत की जनता ने भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में जो लोकप्रिय एवं देश-भक्तिपूर्ण मांग उठाई थी उसे पूरा करने के उद्देश्य से जम्मू-काश्मीर सरकार ने परमिट प्रणाली को समाप्त करने एवं चुनाव आयोग तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र उस राज्य तक विस्तृत करने का निर्णय किया है। किन्तु अब भी राज्य एवं शेष भारत के बीच ऐसे कई अंतर हैं जो काश्मीर की जनता को शेष भारत के अपने बांधवों के साथ भावात्मक दृष्टि से एकाकार होने से रोकते हैं और पृथकतावादी तत्वों को राज्य के भीतर अपने अनुकूल वातावरण बनाने का अवसर देते हैं। इन अंतरों में सबसे स्पष्ट अंतर वह है (और जिसका किसी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता) जिसके द्वारा स्थायी आवास के आधार पर पृथक नागरिकता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अधीन भारत के सब नागरिकों को उन बुनियादी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जिनकी भारत के संविधान के अधीन जम्मू-काश्मीर की जनता सहित भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शेष भारत में गारंटी है। इस शर्मनाक एवं स्पष्ट भेदभाव के कारण, पश्चिमी पंजाब के 1,00,000 से भी अधिक विस्थापित जो कि जम्मू-काश्मीर राज्य में आकर गत 12 वर्ष से बसे हैं तथा वे हजारों भारतीय नागरिक जो इस प्रदेश में आकर काम करते हैं—वे सब मतदान के अधिकार से वंचित हो गये हैं और इस प्रकार अपने ही देश में उनकी स्थिति 'राज्यहीन' व्यक्तियों जैसी हो गई है।

सदरे-रियासत का चुनाव—सदरे-रियासत की नियुक्ति की विधि भी (उसे राज्य की विधानसभा चुनती है) अन्य प्रदेशों में इसके समकक्ष पद पर नियुक्ति की संवैधानिक विधि से भिन्न है।

इन तमाम भेदों का समर्थन, जिनमें राज्य का अलग झंडा भी सम्मिलित है, जम्मू-काश्मीर की विशेष श्रेणी के नाम पर संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 का हवाला देकर किया जाता है। इस अनुच्छेद के प्रति राज्य के शासक दल के

निहित स्वार्थ विकसित हो चुके हैं।

कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि ये अंतर और भेदभावपूर्ण यह स्थिति देश की एकता और जम्मू-काश्मीर राज्य की सामान्य जनता के व्यापक हितों की दृष्टि से खतरनाक है। लद्दाख पर चीन के हमले से जो स्थिति पैदा हो गई है उससे तो इन दूरियों को बनाये रखना और भी खतरनाक एवं असह्य हो गया है।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति – अतः कार्य समिति मांग करती है कि संविधान के 370वें अनुच्छेद को रद्द किया जाय और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक ऊपर कहे गये स्पष्ट अंतरों को तत्काल समाप्त करने के लिए पग उठाये जायें। इस मामले में और विलंब करने से वे बुराइयां ही स्थायित्व प्राप्त करेंगी जिनके कारण से जम्मू-काश्मीर राज्य अब तक शेष भारत से भिन्न रहा है।

[6 दिसम्बर 1959; सूरत, के०का०स०]

60.05. काश्मीर का एकीकरण

जम्मू-काश्मीर में प्रवेश के लिए अनुमति-पत्र की समाप्ति तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन-आयोग के अधिकार-क्षेत्रों का आंशिक रूप में ही क्यों न हो, लागू किया जाना सही दिशा में एक पग है। किन्तु जनसंघ का यह निश्चित मत है कि जब तक भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त नहीं किया जाता तब तक वहां न तो सामान्य परिस्थिति उत्पन्न होगी और न राष्ट्र का एकीकरण ही पूर्ण होगा। भारतीय संविधान, जिसकी रचना में काश्मीर के प्रतिनिधियों का भी हाथ था, की परिधि के बाहर जम्मू-काश्मीर को रखने का कोई समुचित आधार अथवा तर्कसंगत कारण नहीं था। राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने से लेकर अब तक भीतर अथवा बाहर जो घटनाएं हुई हैं उनमें संविधान को कुण्ठित करने के प्रतिगामी पग की गलती स्पष्ट हो गई है।

इस स्थिति का लाभ उठाकर सत्तारूढ़ गुट, जिसका उसमें निहित स्वार्थ है, स्थायी निवास के नाम पर एक पृथक नागरिकता को बनाये हुए है जिसके अन्तर्गत भारतीय नागरिक वहां संविधान द्वारा स्वीकृत सम्पत्ति के मूलभूत व राजनीतिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश से आये हुए बहुत से विस्थापित जो काश्मीर में बस गये हैं, और हजारों भारतीय नागरिक जो सामान्य काम-काज के लिए वहां गये हुए हैं, अपने ही देश में 'नागरिकता-विहीन' बन गये हैं।

लोकसभा के लिए जम्मू-काश्मीर के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन न होने से संसद की कार्यवाही में वहां की स्थिति तथा जनमत का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। राज्य के प्रमुख सदरे-रियासत का विधानसभा द्वारा निर्वाचन, संविधान द्वारा राज्यों के राज्यपालों के लिए निर्धारित दायित्व का उन्हें पालन नहीं करने देता।

इसके फलस्वरूप जम्मू-काश्मीर की जनता यह अनुभव करती है कि उसे अकारण ही संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा सुविधाओं (जिनका लाभ अन्य नागरिक उठा रहे हैं) के उपभोग से वंचित किया जा रहा है। भारत-विरोधी तत्व तथा दल इस स्थिति का लाभ उठाकर काश्मीर की जनसंख्या के एक भाग में विभाजनकारी प्रवृत्ति को पनपाते हैं जो भारत के व्यापक हितों के लिए घातक है।

लद्दाख पर चीन के आक्रमण से, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए सुरक्षा का प्रश्न बन गया है, स्थिति और भी बिगड़ गई है। केन्द्र को जम्मू-काश्मीर राज्य तथा विशेषतः लद्दाख की परिस्थिति के प्रति पूर्ण सजग रहना चाहिए।

लद्दाख को सीधी सड़कें – भारतीय जनसंघ मांग करता है कि संविधान के अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा संविधान को जम्मू-काश्मीर पर पूर्णतः लागू करने के लिए अविलम्ब पग उठाया जाय। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में यातायात तथा संचार के साधनों को विकसित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाय। यह महत्त्वपूर्ण है कि लद्दाख को एक ओर लाहौल से तथा दूसरी ओर किश्तवार और पडार से सीधी सड़कों द्वारा जोड़ने का काम हाथ में लिया जाय।

[25 जनवरी 1960; नागपुर, आठवां सा०अ०]

60.11. सर्वोच्च न्यायालय में बेरूबाड़ी

नेहरू-नून समझौते के अन्तर्गत बेरूबाड़ी और कूचबिहार के क्षेत्रों के पाकिस्तान को हस्तांतरण के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गये उल्लेख-पत्र पर दिये गये निर्णय में भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण का पूरी तरह समर्थन हुआ है। इस समझौते का भारतीय जनसंघ प्रारंभ से इसी आधार पर विरोध कर रहा था कि उसमें भारत के भूभाग को एक विदेशी सत्ता को सौंपने का प्रावधान किया गया था। यदि जनसंघ जनमत का दबाव न लाया होता तो श्री नेहरू सर्वोच्च न्यायालय की राय लिये बिना ही उसे एक प्रशासनिक मामला मानकर इस भूमि को पाकिस्तान को दे डालते। जनता का अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इस क्षेत्र को बचा लिया।

भारत के किसी भी भूभाग को दूसरे को सौंपने का अधिकार न तो शासन को है और न संसद को—यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। अतः समझौते के वे अंश जिनमें भारत के भूभाग के हस्तांतरण की बात कही गई है, प्रभावहीन हो जाते हैं। कोई भी संधि जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भी अवैध है। अतः इस विषय में अपनी असमर्थता अनुभव करते हुए अब शासन को शांत बैठ जाना चाहिए। अवैध संधि को वैध बनाने का प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

दुःख का विषय है कि शासन इस संबंध में संविधान के संशोधन का विचार कर रहा है। भारतीय जनसंघ की दृष्टि में यह राष्ट्रहित विघातक पग होगा। संविधान और शासन की निर्मिति राष्ट्र की रक्षा और भूमि की अखण्डता बनाये

रखने के लिए होती है। उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती जिसमें देश के किसी भी भूभाग को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के समान हस्तांतरित किया जा सके। ऐसी व्यवस्था संवैधानिक शासन की भावना के प्रतिकूल होगी। अतः केन्द्रीय कार्य समिति संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि यदि शासन ऐसा कोई भी संशोधनकारक विधेयक प्रस्तुत करने का दुस्साहस करे तो वे उसे ठुकरा दें। जनसंघ की अपेक्षा है कि वे इस प्रकार देश के अवसान के आत्मघाती प्रयत्न के दुष्कृत्य से अवश्य ही बचेंगे। जनता को जागरूक एवं सावधान रहना चाहिए जिससे इस आड़े मौके पर उनके प्रतिनिधि धोखा न दे जायें। कार्य समिति सभी शाखाओं को आदेश देती है कि वे प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सम्मेलन कर अपने प्रतिनिधियों को इस संबंध के संशोधन का विरोध करने का निर्देश दिलवायें।

[20 मार्च 1960; दिल्ली, के०का०स०]

60.15. अलग नागालैंड

जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा देश के पूर्वी सीमांत पर एक पृथक नागा राज्य बनाने के सरकार के निर्णय की निंदा करती है। जनसंघ इस फैसले को भयंकर भूल मानता है। यह ऐसा कार्य है, जिसमें विस्फोटक संभावनाएं छिपी हैं।

प्रस्तावित राज्य की आबादी लगभग $3\frac{1}{2}$ लाख और वार्षिक राजस्व 5 लाख रु० से भी कम होगा। इस इकाई को राज्य का दर्जा देकर अब तक मान्य राज्य पुनर्गठन के इस मूलभूत सिद्धांत की स्पष्टतः उपेक्षा सरकार करेगी कि प्रस्तावित प्रदेश आर्थिक दृष्टि से आत्मभरित होना चाहिए। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह निर्णय नागाक्षेत्र में नागाओं के एक छोटे वर्ग द्वारा फैलाये गये आतंक और अराजकता की सतत कार्यवाहियों के पुरस्कार के रूप में सामने आया और इस प्रकार यह हिंसा और विद्रोह को पुरस्कृत करना है। नागा पृथकतावाद की जड़ जानबूझ कर और सतत प्रयत्न करके भारत के उन पुराने ब्रिटिश शासकों ने जमायी थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन पहाड़ी क्षेत्रों और शेष भारत के बीच विभिन्न प्रकार की बाधाएं खड़ी की। विदेशी मिशनरियों ने पृथकतावाद की इस भावना को बड़े सशक्त रूप से जीवित रखा। दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि पिछले 13 वर्ष में सरकार इन बाधाओं को मिटाने और नागाओं को शेष भारत के निवासियों के साथ एकाकार करने में विफल रही। भारतीय प्रतिनिधि सभा अनुभव करती है कि यह निर्णय, एकीकरण के चिर प्रतीक्षित लक्ष्य के मार्ग में एक और बड़ी बाधा सिद्ध होगा। फिर यह भी नितान्त संदिग्ध प्रतीत होता है कि इतना बड़ा मूल्य चुका देने के बाद भी नागाओं के साथ शांति अर्जित की जा सकेगी।

नागालैंड बनने के बाद असम की अन्य पहाड़ी जनजातियों तथा देश में ओर से छोर तक फैली गिरिजन आबादी पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसकी भी उपेक्षा

नहीं की जा सकती। ऐसे तत्वों की कमी नहीं जो अन्य क्षेत्रों में ऐसी ही मांगे उपस्थित करके इस क्षेत्र को दी गई छूट के आधार पर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इस नये राज्य के बन जाने के बाद, गिरजन पट्टी से बाहर, अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रवाद एवं संकुचित विचारचारा को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा।

प्रतिनिधि सभा ऐसा महसूस करती है कि नागा प्रतिनिधि-मंडल की इस मांग को मानकर कि नये राज्य का नाम 'नागालैंड' होगा और उसका प्रशासन विदेश मंत्रालय की देखरेख में चलाया जायेगा, सरकार ने गलती की है। नागाओं ने इन बातों पर जोर देकर स्वयं के विचारों और लक्ष्यों का महत्वपूर्ण संकेत दिया, किन्तु सरकार ने ज़िस तरह इन्हें स्वीकार कर लिया उसमें तो विद्रोही नागाओं के इस दावे को ही बल मिलेगा कि नागाक्षेत्र स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की श्रेणी पाने का अधिकारी है।

जनसंघ सरकार से मांग करता है कि वह अपने फैसले के परिणामों पर विचार करे और समय रहते उसमें संशोधन करे।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

60.21. बेरूबाड़ी के हस्तांतरण का विधेयक

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद कि भूमि हस्तांतरण भारतीय संविधान के विरुद्ध है, सरकार बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप देने के विचार पर जिस तरह डटी है, केन्द्रीय कार्य समिति उसकी निंदा करती है और मांग करती है कि इस हस्तांतरण के विचार को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का जो विधेयक पेश किया गया है, उसे वापस लिया जाय। भारत सरकार यदि विधेयक वापस नहीं लेती है और उसको पारित कराने के लिए ही आगे बढ़ती है, तो कार्य समिति संसद सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे ही इस विधेयक को रद्द कर दें।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

61.01. बेरूबाड़ी का हस्तांतरण

प० बंगाल का सर्वसम्मत विरोध—संविधान संशोधन (नौवां) विधेयक, जो बेरूबाड़ी विधेयक के नाम से अधिक जाना जाता है और जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल के बेरूबाड़ी यूनियन तथा अन्य क्षेत्रों और असम, त्रिपुरा तथा पंजाब के कुछ भागों को पाकिस्तान को हस्तांतरण करने के संबंध में 10 सितंबर 1958 को किये गये श्री नेहरू-नून समझौते को वैधानिक रूप देने का प्रयत्न किया गया था हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाकर कांग्रेस पार्टी के सचेतक के बल पर संसद में आवश्यक बहुमत से पास करा दिया गया है। पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए भारत के क्षेत्र का यह हस्तांतरण (विशेषतः इस बात को

ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान अपने जन्म से ही भारत के प्रति हठधर्मी तथा शत्रुता की नीति अपनाता रहा है) निश्चय ही भारतीय जनमत के प्रतिकूल है। पश्चिमी बंगाल विधान-मंडल ने इस संबंध में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपना मत भी प्रगट किया किन्तु फिर भी प्रधानमंत्री अपनी बात पर डटे रहे और यह विधेयक पारित करवा लिया गया।

नेहरू-नून समझौते की पृष्ठभूमि—नेहरू-नून समझौते की पृष्ठभूमि तथा जिन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ उसका संक्षेप में विचार करना उपयोगी होगा। 1958 में पाकिस्तान कई महीने तक लगातार असम के कूचबिहार जिले तथा त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में अंधाधुंध गोली वर्षा करता रहा और उसने असम के तुकेरग्राम तथा त्रिपुरा में लखीमपुर नामक गांवों पर कब्जा कर लिया। इन पाकिस्तानी कार्यवाहियों से भारतीय नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति को काफी क्षति हुई किन्तु भारत सरकार ने इन्हें रोकने के लिए तथा पाकिस्तान को होश में लाने के लिए कोई प्रभावी पग नहीं उठाये। समय-समय पर गोली वर्षा बंद करने के समझौते हुए किंतु पाकिस्तान ने उनका उल्लंघन ही किया। इस संबंध में सचिवों के स्तर पर कराची में एक सम्मेलन हुआ जो असफल रहा। बाद में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता हुई, जिसके फलस्वरूप 10 सितम्बर 1958 को नेहरू-नून समझौते का जन्म हुआ। जनता को आशा थी कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की आक्रमणात्मक कार्यवाहियों के लिए उसके प्रधानमंत्री से खेद प्रकाशन की मांग करेंगे और क्षति के लिए मुआवजा देने पर बल देंगे। किंतु ऐसा नहीं किया गया। न क्षमा याचना और न क्षतिपूर्ति की मांग की गई। यहां तक कि तुकेरग्राम तथा लखीमपुर का उल्लेख तक भी नहीं किया गया और इन्हें पाकिस्तान के अवैध अधिकार में रहने दिया गया। यह काफी बुरी बात थी किंतु प्रधानमंत्री ने इससे भी बुरा और काम किया। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे प्रश्न नये सिरे से खड़े करने की अनुमति दे दी जिनके संबंध में विभाजन के बाद से अब तक कभी विवाद नहीं रहा। इसके अनुसार पश्चिमी बंगाल के 24-परगना जिले में इच्छामती नदी का तटवर्ती क्षेत्र,जलपाईगुड़ी जिले का बेरूबाड़ी यूनियन तथा कूचबिहार के टापुओं का विनिमय निश्चित किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत को क्षेत्रफल का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तान को उसकी रेलगाड़ी चलाने के लिए भारतीय भूमि का एक भाग तथा असम में पथरिया संरक्षित वन के हिस्से को भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। दूसरी ओर, असम में सिलहट जिले के 12 थानों तथा चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों, जिनमें 90 प्रतिशत गैर-मुस्लिम रहते हैं (और जिन्हें रेडक्लिफ निर्णय के अंतर्गत पाकिस्तान को जाने दिया गया) उनके संबंध में भारत ने कोई चर्चा नहीं उठाई। नेहरू-नून समझौते के इन सभी ब्यौरे की बातों को सरकार द्वारा भारतीय जनता से छिपाकर रखा गया और उनका पता तभी लगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सर फीरोज खां नून ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा

में इनकी घोषणा की। भारतीय जनता उसे सुनकर अवाक रह गई। बंगाल में जनमत क्षुब्ध हो उठा। किये गये समझौते के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया गया था जिन पर न तो कभी कोई विवाद ही उठा था और न जिन्हें सर रैडक्लिफ अथवा श्री बागे को पंच फैसले के लिए सौंपा गया था।

जनमत की मांग पर बाद में राष्ट्रपति ने बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति जानने के लिए प्रेषित किया। सारे मामले पर विचार कर सर्वोच्च न्यायालय ने यह सर्वसम्मत निर्णय दिया कि संविधान की आज की स्थिति में भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को सौंपना असंवैधानिक है। इस निर्णय के बाद देश को यह आशा थी कि प्रधानमंत्री इस अवैध समझौते को जबकि वह राष्ट्र के हित के विपरीत है, छोड़ देंगे। किंतु प्रधानमंत्री ने उस पर हठ किया और समझौते को संसद द्वारा वैधानिकता का जामा पहनवा लिया है और अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उपस्थित है। यदि इस विधेयक को कानून का रूप दे दिया गया तो न केवल उससे भारत की भूमि पाकिस्तान को सौंपनी होगी बल्कि बेरूबाड़ी के 10 हजार भारतीयों को उजाड़ना होगा अथवा उन्हें उनकी नागरिकता के अधिकार से वंचित कर पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही की मनमानी पर छोड़ देना होगा।

बुरा समझौता—जहां तक इस विधेयक के गुणावगुणों का प्रश्न है, उन पर काफी चर्चा हो चुकी है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नेहरू-नून समझौते में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह बुरा समझौता है। राजनीतिक दृष्टि से यह भारतीय हितों के विरुद्ध तथा आत्मघाती है, क्योंकि इससे भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपने की व्यवस्था है। नैतिक दृष्टि से यह अनुचित है क्योंकि इस संबंध में न तो बेरूबाड़ी की जनता की ही राय ली गई और न पश्चिमी बंगाल के विधान-मंडल के सर्वसम्मत निर्णय का सम्मान किया गया। वैधानिक दृष्टि से यह अवैधानिक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। और कानून की दृष्टि से यह अस्पष्ट व प्रभावहीन है क्योंकि समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को जो क्षेत्र सौंपा गया है उसका कोई निश्चित उल्लेख नहीं है और सारी बातें भविष्य के लिए छोड़ दी गई हैं।

भारतीय जनसंघ संविधान संशोधन (नौवें) विधेयक के राष्ट्र-विरोधी स्वरूप को देखते हुए राष्ट्रपति से अत्यन्त आदरपूर्वक आग्रह करता है कि वे इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करें और फिर जो भी आवश्यक पग हों उन्हें वे उठायें।

भारतीय जनसंघ यह अनुभव करता है कि भारतीय भूमि का यह हस्तांतरण (यद्यपि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा पंजाब राज्यों पर ही होता है) संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित है और उसे एक अखिल भारतीय प्रश्न के रूप में देखा जाना चाहिए। नेहरू-नून समझौते के बाद से ही जनसंघ ने उसका

विरोध अखिल भारतीय स्तर पर किया है। तुष्टिकरण की तथा भारतीय भूभाग को विदेशी सत्ता को सौंपकर शांति का सौदा करने की नेहरू सरकार की वर्तमान प्रवृत्ति के विरुद्ध राष्ट्रवादी भारत को संघर्ष करना होगा। अन्यथा लद्दाख तथा नेफा के प्रदेशों को कम्युनिस्ट चीन को तथा एक-तिहाई काश्मीर को पाकिस्तान के सम्मुख इसी प्रकार समर्पित कर दिया जायेगा। यदि भारत की भौगोलिक अखण्डता की रक्षा करनी है तो किसी भी मूल्य पर इस प्रकार के समर्पण को रोकना होगा। भारतीय जनसंघ निश्चय करता है कि जीवन और मृत्यु के इस प्रश्न पर सम्पूर्ण देश में जनमत का वह जागरण करेगा जिससे मातृभूमि की अखंडता रक्षित हो सके। जनसंघ सभी देशभक्त नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने का आग्रह करता है।

[1 जनवरी 1961; लखनऊ, नौवां सा०अ०]

61.07. बढ़ता विघटन

विघटनकारी शक्तियों तथा विच्छेदकारी मनोवृत्तियों के उभार से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें पिछले 1 वर्ष में अधिक बिगाड़ हुआ है। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल इस उभार को रोकने के लिए कोई भावात्मक उपाय अपनाने के बजाय परिस्थिति को और अधिक गम्भीर बनाने में सहायक हुआ है। फलतः देश के सम्मुख राजनीतिक विघटन का संकट उपस्थित हो गया है।

पूर्वी सीमांत पर नागाओं का सशस्त्र विद्रोह और उनकी हिंसात्मक कार्यवाहियों के दबाव में आकर सरकार द्वारा पृथक नागा राज्य की स्थापना का निर्णय, असम में एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग, पंजाब में भाषा के आवरण में प्रदेश का पुनः विभाजन करने के लिए अकाली दल का आंदोलन तथा उसके लिए दबाव डालने के निमित्त अपनाये गये हथकण्डे, ईसाई मिशनरियों की बढ़ती हुई कार्यवाहियां तथा प्रभाव (जिनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में ईसाईबहुल राज्यों की स्थापना करना है) तथा मुस्लिम सम्प्रदायवाद का फिर से सर उठाना, (मुस्लिम लीग का पुनर्जीवन, जमाय-ते-इस्लामी की गतिविधियां तथा विभाजन से पूर्व की मुस्लिम संकीर्णता का पुनर्जागरण आदि)—रोग के यह सब बाह्य लक्षण हैं जो एक राष्ट्र के नाते भारत के अस्तित्व को ही संकट में डाल रहे हैं।

सरकार उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन मूल्यों को, जिनके कारण भारत की एकता अनेक आक्रमणों तथा आपत्तियों के बीच हजारों वर्षों तक सुरक्षित रही, योजनापूर्वक नष्ट कर उन शक्तियों को शनैः-शनैः दुर्बल बना रही है, जो कि विघटनकारी तत्वों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती हैं।

देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति (जो कि मूल्य-वृद्धि, बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा इनसे उत्पन्न असंतोष और कुशासन, भ्रष्टाचार तथा नैतिक स्तर में

गिरावट से स्पष्ट है) परिस्थिति को और भी गंभीर बनाने के लिए कारणीभूत हुई है।

कुछ राजनीतिक दलों की नीति तथा आचरण विघटन की इस प्रक्रिया को और भी गति दे रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल जिसे राजनीतिक स्थायित्व की एक शक्ति के रूप में देखा जाता था, जानबूझ कर या अनजाने में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। केरल में हिंदू बहुसंख्या के मूल्य पर ईसाई अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने का परिणाम कम्युनिस्टों की प्रभाव-वृद्धि में हुआ, जिसकी परिणति अंत में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना में हुई। कांग्रेस दल ने केरल में कम्युनिस्ट शासन को अपदस्थ करने के लिए मुस्लिम लीग से जो गठबंधन किया उसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग पुनर्जीवित हो उठी है और संपूर्ण देश में मुस्लिम संप्रदायवाद पुनः सक्रिय हो उठा है। हिंसात्मक विद्रोह से दबकर $3\frac{1}{2}$ लाख नागा जनसंख्या के लिए पृथक राज्य की स्थापना ने सर्वत्र हिंसा को प्रोत्साहन तथा विघटनकारी तत्वों को बल प्रदान किया है। पंजाब में अकाली आंदोलन के सम्प्रदायवाद के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति विघटन के प्रोत्साहन का एक और प्रमाण है। दक्षिण में पृथक द्रविड़स्थान के आंदोलन को मद्रास के कांग्रेस शासन से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है।

कांग्रेस की आंतरिक गुटबंदी ने, जिसका आधार जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद तथा सत्ता प्राप्ति की होड़ है, उसे विभक्त कर दिया है जिसका दुष्परिणाम देश की राजनीति तथा समाज पर भी हो रहा है। इस विघटन के फलस्वरूप कांग्रेस, प्रधानमंत्री पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है और व्यक्ति-पूजा पनप रही है, जिससे कांग्रेस दल ऐसी नीतियां अपना रहा है जो लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत और राष्ट्र के व्यापक हितों के प्रतिकूल हैं। चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति का लाभ उठाकर, सुप्त राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के स्थान पर कांग्रेस शासन की नीतियों के फलस्वरूप जनता का मनोबल टूटा है और राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के विरुद्ध अन्तर-बाह्य संकट का सफलतापूर्वक सामना करने की इच्छाशक्ति दुर्बल हुई है।

इस परिस्थिति का सबसे अधिक लाभ कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ है। एक ओर वह सीमा के उस पार से प्राप्त चीनी शस्त्रों की सहायता से देश में हिंसात्मक विद्रोह की तैयारी कर रही है और दूसरी ओर कांग्रेस में घुसपैठ करके, प्रधानमंत्री और उनके कम्युनिस्ट समर्थक-सहयोगियों तथा शेष कांग्रेसजनों के बीच भेदभाव उकसा कर प्रधानमंत्री की सहायता पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस दूसरे ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी के देश में सत्तारूढ़ होने के खतरे को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता।

इस परिस्थिति में केवल भारतीय जनसंघ ही एक ऐसी संगठित राजनीतिक शक्ति है जो विघटन की इस लहर को रोकने के लिए मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा तथा भारतीय संस्कृति के प्रति (जो निरंतर गतिमान तथा सामर्थ्य संपन्न

है) जनमानस में श्रद्धा जागरण करने का प्रयत्न कर रहा है। कार्य सरल नहीं है। किंतु इसमें समय का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1962 के आम चुनाव के परिणाम भावी घटनाचक्र का दिशा निर्देश करने में निर्णायक प्रभाव डालेंगे।

भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों पर गंभीर दायित्व है। आने वाले दिनों में उनके प्रयत्न तथा परिश्रम इस बात का निर्णय करेंगे कि भारतीय जनसंघ आन्तरिक विघटन तथा देश पर अधिनायकवाद लादने के कम्युनिस्ट इरादों को विफल करने में कहां तक सफल होता है। यह अधिवेशन जनसंघ कार्यकर्ताओं का आवाहन करता है कि जनसंघ के संदेश को ग्राम-ग्राम तथा घर-घर तक पहुंचाने के हेतु सब प्रकार का त्याग तथा बलिदान करने के लिए आगे बढ़ें। हृदयों में भारत के उज्ज्वल भविष्य तथा राष्ट्रीय एकात्मकता के पवित्र भाव संजोकर तथा हाथों में प्रकाश देने वाले दीपक का धारण कर जनसंघ के कार्यकर्ताओं को डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने कार्यक्षेत्र में जुट जाना है। भारतीय जनसंघ देश की राष्ट्रवादी शक्तियों से अपील करता है कि वे परिस्थिति के प्रति जागृत हों और इतिहास की इस निर्णायक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए जनसंघ को अपना सहयोग प्रदान करें।

[1 जनवरी 1961; लखनऊ, नौवां सा०अ०]

61.10. बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति

केन्द्रीय कार्य समिति ने 'बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति' के स्मृति-पत्र तथा पूर्वांचल प्रदेश जनसंघ के मंत्री श्री नाना देशमुख द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया। कार्य समिति बेरूबाड़ी के निवासियों द्वारा बेरूबाड़ी यूनियन के आधे भूभाग को पाकिस्तान को हस्तान्तरित करने के भारत सरकार के संकल्प का स्वागत करती है और उन्हें भारतीय जनसंघ के सभी संभव सहयोग का आश्वासन देती है।

कार्य समिति जनसंघ की समस्त शाखाओं को निर्देश देती है कि बेरूबाड़ी को भारत में ही बनाये रखने के लिए बेरूबाड़ी प्रतिरक्षा समिति के आन्दोलन में सहायता करने के लिए सिद्ध रहें।

[5 फरवरी 1961; दिल्ली, के०का०स०]

61.16. बेरूबाड़ी का हस्तांतरण

संविधान (नवें) संशोधन कानून (1960) में उन सीमा रेखाओं के संबंध में कुछ निर्देश दिये गये हैं जिनके आधार पर प्रस्तावित हस्तांतरण किया जायेगा। इस मामले को हल करने के लिए गत अप्रैल मास में दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें सहमति न हो सकी क्योंकि सीमा रेखा के बारे में गहरे मतभेद थे और इसलिए बैठक विफल रही।

ढाका समझौता—गत जुलाई मास में ढाका में फिर बैठक हुई जहां प्रारंभिक

मतभेदों के बाद भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के विचार स्वीकार कर लेने का समाचार आया। यह खबर भी है कि यह नया समझौता कानून में प्रतिपादित (सीमा रेखा के बारे में) निर्देशों की गंभीर रूप से अवहेलना करके और उनसे हटकर किया गया है। यद्यपि क्षेत्र का हस्तांतरण आगामी नवम्बर मास में करने का विचार है तथापि ढाका समझौते की व्यवस्थाओं को अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है।

केन्द्रीय कार्य समिति ऐसा अनुभव करती है कि यह स्थिति नितांत अवांछनीय है और सरकार को (सीमा रेखा के बारे में) इस ताजा समझौते को अविलंब प्रकाशित कर देना चाहिए जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

जहां तक स्वयं बेरूबाड़ी के हस्तांतरण की बात है, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेश को सौंपना और देश में व्यापक विरोध के बावजूद संसद में निर्मम बहुमत के जोर से संविधान में संशोधन करके इस हस्तांतरण का चाहे जिस तरह से किया जाना—यह जबर्दस्त घोटाला है। भारतीय जनसंघ ने इस आत्मघाती नीति की सदैव निन्दा की है।

जनसंघ भारत सरकार से मांग करता है कि वह अब भी, विशेषतः भारत के प्रति पाकिस्तान के स्पष्ट शत्रुतापूर्ण रवैये को देखते हुए, बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने का अपमानजनक और आत्मघाती विचार छोड़ दे। फिर भी, यदि भारत सरकार इस गलती को करने पर ही आमादा है तो जनसंघ बेरूबाड़ी की जनता को विश्वास दिलाता है कि वे हस्तांतरण को रोकने के लिए जो भी वैध एवं शांतिपूर्ण कदम उठायेंगे, जनसंघ उनका पूर्ण समर्थन करेगा।

[25 अगस्त 1961; जम्मू, के०का०स०]

62.07. अनुच्छेद 370 की समाप्ति

संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर का प्रश्न—पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में पुनरुज्जीवित करने के तथा उस अंतर्राष्ट्रीय मंच को भारत के प्रति कुत्सित एवं भ्रामक प्रचार के लिए उपयोग करने के प्रयास पर केन्द्रीय कार्य समिति चिंता व्यक्त करती है। जिस प्रकार सुरक्षा परिषद के कतिपय स्थायी सदस्यों ने पाकिस्तान के इस प्रयत्न के प्रति मूक समर्थन का भाव प्रदर्शित किया है उससे भारतीय जनता की यह धारणा पुष्ट हो गई है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ से इस प्रश्न पर न्याय की आशा नहीं की जा सकती। काश्मीर के विवाद में पाकिस्तान की स्थिति नृशंस हमला करने के लिए दोषी आक्रमणकारी के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं है। फिर भी यह शक्तियां, शीतयुद्ध के निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर, भारत और पाकिस्तान को एक ही धरातल पर रखने का प्रयत्न करती रही हैं। काश्मीर सदैव से भारत का अभिन्न अंग रहा है तथा संवैधानिक और कानून एवं राजनीतिक सभी दृष्टियों से भारतीय संघ के साथ उसका सम्मिलन अंतिम एवं अटूट है। भारत ने तो सद्भावनापूर्वक संयुक्त राष्ट्रसंघ से पाकिस्तान के आक्रमण

को शान्ति से समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी, किन्तु उसके स्थान पर यह विश्व-संस्थान भारत के साथ काश्मीर के सम्मिलन पर ही पंच बन बैठने की कोशिश कर रहा है। यह भारत की सार्वभौम-प्रभुता के प्रतिकूल है। केन्द्रीय कार्य समिति अनुभव करती है कि अब समय आ गया है कि भारत सुरक्षा परिषद को बता दे कि उसका काश्मीर में एक ही काम है कि वह पाकिस्तान के आक्रमण को शांतिपूर्वक समाप्त करने में तथा उसके द्वारा बलात अधिकृत भूभाग को मुक्त कराने में सहायता दे और यदि काश्मीर का प्रश्न केवल पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अपप्रचार करके दबाव डालने का अवसर प्रदान करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्रसंघ में जीवित रखा जाता है तो भारत उसमें सहभागी नहीं होगा तथा इसके आगे संयुक्त राष्ट्रसंघ में काश्मीर संबंधी विवाद में कोई भाग नहीं लेगा।

इस बार संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के प्रतिनिधि द्वारा काश्मीर के सम्मिलन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के विषय में असंदिग्ध शब्दों में की गई घोषणा, भारतीय जनसंघ के इस संबंध में प्रारंभ से ही व्यक्त मतों की यथार्थता को प्रकट करती हैं।

पाक-चीन सांठ-गांठ—वर्तमान काश्मीर समस्या का एक और भी गंभीर पहलू है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध तेजी से जिहाद के नारे लगाना आरंभ कर दिया है। वह पाक-अधिकृत काश्मीर में युद्धोन्माद पैदा कर रहा है। युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के पंचमांगियों द्वारा काश्मीर में अधिकाधिक तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां हुई हैं तथा पाकिस्तान और चीन दोनों काश्मीर को लेकर समझौता वार्ता का प्रयत्न कर रहे हैं। केन्द्रीय कार्य समिति सरकार को आगाह करती है कि वह उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहसपूर्ण आक्रमण की संकटपूर्ण संभावनाओं के प्रति सतर्क रहे। पाकिस्तान द्वारा चीन से इस विषय में सांठ-गांठ के प्रयत्नों से उन शक्तियों की भी आंखें खुल जानी चाहिए जो कम्युनिस्ट चीन का विस्तार रोकने की इच्छा से पाकिस्तान की शरारत में उसकी सहायता करते रहे हैं।

हमारी काश्मीर संबंधी आन्तरिक नीति के भी पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। हमें संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर काश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर देना चाहिए। जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में अपनी आन्तरिक नीति में यदि हमने परिवर्तन नहीं किया तो वह हमारी सुरक्षा परिषद में की गई घोषणा के प्रतिकूल होगा तथा राज्य में पाकिस्तान के लिए अनुकुल स्थिति पैदा करने तथा सामान्य अवस्था के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हमें पाक अधिकृत भूभाग को मुक्त करने के लिए भी सक्रिय पग उठाने चाहिए।

[24 मई 1962; कोटा, भा०प्र०स०]

62.08. पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ

असम, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में जिस भारी संख्या में पाकिस्तान से मुसलमानों का अवैध प्रवेश हो रहा है वह देश की सुरक्षा तथा इन प्रदेशों की शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का रूप धारण करता जा रहा है। यह अंतः-प्रवेश भारत और पाकिस्तान के बीच आजकल अथवा अविभक्त भारत में पहिले चलने वाले सामान्य आवागमन से सर्वथा भिन्न है। इसका आर्थिक कारणों से जो प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने इस विषय में दिये हैं, कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः ये लोग पाकिस्तान की योजना के अंतर्गत असम प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा के सीमाक्षेत्रों को मुस्लिम बहुल बनाने के उद्देश्य से आरहे हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि एक ओर तो पाकिस्तान ने अपने सीमांतक्षेत्र को हिदुओं से बिलकुल खाली करा लिया है तथा दूसरी ओर जो मुसलमान आते हैं वे विशेषतः सीमांत प्रदेश में अथवा असम के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही बसते हैं। यह खेद का विषय है कि इन क्षेत्रों के भारतीय मुसलमान अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानियों को पुलिस के हवाले करने के बजाय उन्हें वहां बसाने में सहायक होते हैं। सरकार ने अभी तक न तो इस समस्या की गंभीरता को ही समझा है और न इसके निदान के लिए कोई प्रभावी पग ही उठाये हैं। केन्द्र ने सीमाओं की रक्षा का भार प्रांतों पर छोड़ रखा है जो कि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय, तीनों ही दृष्टि से उसका वहन करने में अक्षम हैं। भारतीय जनसंघ मांग करता है कि :

(*i*) सीमाओं की रक्षा का भार केन्द्र ग्रहण करे।

(*ii*) सीमाक्षेत्र को सभी संदेहास्पद तत्वों से निरापद किया जाय।

(*iii*) भारत के सभी भागों में अवैध रूप के आये हुए अथवा पार-पत्र की अवधि के उपरांत भी टिके हुए सभी पाकिस्तानियों का निष्कासन किया जाय।

[24 मई 1962; कोटा, भा०प्र०स०]

62.12. काश्मीर का एकीकरण

केन्द्रीय कार्य समिति प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करती है कि काश्मीर में जनमत संग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं और राज्य के भविष्य के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। इस वक्तव्य से जनसंघ के मत की पुष्टि होती है। फिर भी, समिति का विश्वास है कि राज्य को शेष भारत के साथ मिलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि बख्शी गुलाम मुहम्मद और उनके सहयोगी इस प्रक्रिया में सहायता देने की बजाय, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के पृथकतावादी और भेद-भाव भरे उस स्वरूप को बनाये रखने के इच्छुक हैं जो एक राष्ट्र के सिद्धांत और भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की भावना से मेल नहीं खाता। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं और राज्य के शासक उनको

छोड़ने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। बख्शी गुलाम मुहम्मद के हाल के कुछ वक्तव्यों से राष्ट्रवादी भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। चीनी और पाकिस्तानी हमलों के संदर्भ में विचार करने पर भी राज्य का तत्काल पूर्ण विलय आवश्यक है।

समिति को आशा है कि जम्मू-काश्मीर की सरकार तथा विधानसभा समय की पुकार को सुनेंगी और अनुच्छेद 370 को, जो आज पूरी तरह कालविरुद्ध है, समाप्त करने की मांग करके अपनी देशभक्ति व राष्ट्र के आदर्शों के साथ अपने पूर्ण तादात्म्य का परिचय देंगी। ऐसा पग राष्ट्र के साथ एकाकार होने की राज्य की चिरप्रतीक्षित अभिलाषा को ही पूरा करेगा।

[29 सितंबर 1962; राजमुंदरी, के०का०स०]

62.13. पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ

दोहरा षड्यंत्र—पूर्वी-पाकिस्तान से हिंदुओं का निष्कासन और असम, पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा में पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ एक ही षडयंत्र के दो रूप हैं। भारत अपने लिए खतरा मोल लेकर ही इस षडयंत्र के प्रति उदासीन रह सकता है।

विभाजन से पूर्व पूर्वी-बंगाल के हिंदुओं के साथ जैसी हिंसा और लूटपाट की गई उसका क्रम आज भी जारी है। हाल में ही वहां व्यापक दंगे और मारकाट हुई जिसमें हिंदुओं की जन-धन की भारी हानि होने की खबरें आईं। सदैव की भांति पाकिस्तान ने इस नये दमन-चक्र के लिए भी बहाना खोज निकाला। इस बार पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की धमकियां इसलिए देना आरंभ की गई कि त्रिपुरा तथा भारत के अन्य प्रदेशों से अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों का निष्कासन रुकवाया जा सके।

पाकिस्तानी घुसपैठियों का निष्कासन—यह गहरे खेद और चिंता का विषय है कि पाकिस्तान की इन डराने-धमकाने वाली कार्यवाहियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने के बजाय भारत सरकार पाकिस्तानी धमकियों के समक्ष झुक गई है और पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने में पहले से ही काफी विलंब हो जाने के बावजूद, अब फिर उनको भारत से निकालने का काम ढीला पड़ गया है। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के सम्मान की रक्षा और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना तथा पाकिस्तानी घुसपैठियों का मामला—दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं और उनको उसी प्रकार अलग-अलग हल करना होगा। पूर्वी बंगाल के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्हें पूरा अधिकार है कि वे पाकिस्तान सरकार से अपने लिए सुरक्षा और भेदभाव रहित बर्ताव की मांग करें। झूठे और जाली पारपत्रों के सहारे जो पाकिस्तानी भारत में घुस आने में सफल हुए या आज भी ऐसे ही गैरकानूनी तरीकों से यहां मौजूद हैं, वे भारत में विदेशी हैं और उनको वापस पाकिस्तान भेजना अंतर्राष्ट्रीय कानून के सर्वथा अनुरूप होगा।

भारतीय जनसंघ सरकार से मांग करता है कि असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल से पाकिस्तानी मुसलमानों को वापस भेजने का काम वह तेजी से करे तथा उनकी और अधिक घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावशाली पग उठाये। इसके अतिरिक्त सरकार पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को शरण देने को प्रस्तुत रहे और उनके बसाने के लिए पाकिस्तान से मुआवजे के तौर पर भूमि की मांग करे। इस बात की पक्की व्यवस्था की जाय कि पूर्वी बंगाल के जो हिंदू भारत आना चाहते हैं उनको निष्क्रमण-पत्र आदि सुगमता से उपलब्ध हों और भारतीय सीमा तक आने की उनकी सुरक्षित यात्रा की गारंटी की जाय।

[29 सितम्बर 1962; राजमुंदरी, के०का०स०]

63.10. काश्मीर में अनिश्चितता

संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। केन्द्रीय कार्य समिति पाकिस्तान द्वारा बलात दबा लिये गये काश्मीर राज्य के $\frac{1}{3}$ भाग को वापिस लेने के अपने संकल्प को पुनः दोहराती है। काश्मीर संबंधी भारत-पाक वार्ता के फलस्वरूप काश्मीर राज्य में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके कारण काश्मीर जनता के मन में व्याप्त अपने भविष्य संबंधी अनिश्चितता का भाव और गहरा होता जा रहा है। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी एजेंटों ने वहां पर अपनी गतिविधियां अधिक तेज कर दी हैं। उनमें से बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होकर चीन के पक्ष में भी प्रचार कर रहे हैं। काश्मीर शासन (जिसने अभी तक किसी भी कम्युनिस्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है) की नीति ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है। इस अनिश्चितता के वातावरण ने काश्मीर शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुशासन को और अधिक भयानक रूप दे दिया है। काश्मीर सरकार के दोषों का सारा दायित्व पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा भारत सरकार पर डालकर काश्मीर के लोगों में भारत को बदनाम किया जा रहा है। इस सारी परिस्थिति का लाभ पाकिस्तानी और कम्युनिस्ट उठा रहे हैं। यदि इस स्थिति को बदलने के लिए शीघ्र प्रभावी पग न उठाये गये तो काश्मीर में भारत के हितों की बड़ी हानि होने की संभावना है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार अपनी काश्मीर नीति और उससे उत्पन्न परिस्थिति पर गंभीरता से पुनर्विचार करे और उसे ठीक करने के लिए प्रभावी पग उठाये। इस दृष्टि से अविलंब निम्नलिखित पग उठाने की आवश्यकता है :

(1) किसी दूसरे की मध्यस्थता से अथवा अन्य किसी भी रूप में काश्मीर वार्ता प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए।

(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को तुरंत रद्द करके जम्मू-काश्मीर रियासत को हर दृष्टि से अन्य राज्यों के स्तर पर लाया जाय। भारत-पाक वार्ता के फलस्वरूप पैदा हुई अनिश्चितता को दूर करने का यही एक प्रभावी मार्ग है।

(3) काश्मीर में प्रशासन को सुधारने और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर

करने के लिए उचित पग उठाये जायें। आपातकालीन स्थिति तथा काश्मीर के एक युद्धक्षेत्र होने के कारण राष्ट्रपति पर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। कार्य समिति उनसे अपेक्षा करती है कि वे भारत के व्यापक हितों की रक्षा की दृष्टि से अपने उत्तरदायित्व को तत्परता से निभायेंगे।

[13 जून 1963; इलाहाबाद, के०का०स०]

63.14. पूर्व दिशा में पाकिस्तानी घुसपैठ

पाक घुसपैठ व राष्ट्रीय सुरक्षा—असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में पाकिस्तानी मुसलमानों के अवैध प्रवेश की समस्या की ओर भारत सरकार का जो बहुत दिनों से दुर्लक्ष्य रहा है उसके कारण अब यह प्रश्न बहुत गंभीर स्वरूप धारण कर गया है। सुविज्ञ सूत्रों के अनुसार 10,00,000 से अधिक पाकिस्तानी अकेले असम में आ चुके हैं। त्रिपुरा में उनकी संख्या $2\frac{1}{2}$ लाख से कम नहीं है। पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तो वे इतनी भारी संख्या में आये हैं कि संपूर्ण क्षेत्र मुस्लिम-बहुल बन गया है। ये पाकिस्तानी इन क्षेत्रों में किसी आर्थिक कारणों से न आकर पाकिस्तानी योजना के अनुसार ही आ रहे हैं। पाकिस्तान सामरिक एवं राजनीतिक कारणों से उन्हें भारत के निकटवर्ती भागों में भेज रहा है जिससे वह इन क्षेत्रों को हस्तगत करने की अपनी योजना को पूरा कर सके। दुःख का विषय है कि भारत सरकार ने इस प्रश्न की गंभीरता को कभी अनुभव नहीं किया बल्कि सांप्रदायिक तत्वों के तुष्टीकरण की अपनी नीति के अनुसार उसे दृष्टि-ओझल करके अथवा उसके महत्व को कम करके बताने की कोशिश करती रही। स्थानीय अधिकारियों ने यदि कोई व्यावहारिक पग उठाये भी तो केन्द्र के आदेश पर उन्हें स्थगित कर दिया गया। यह प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध रखता है और इसीलिये उसी स्तर पर उसे सुलझाना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन के साथ पाकिस्तान का जो गठबंधन हुआ है उससे यह संकट आज और भी गंभीर बन गया है।

पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति के अनुसार इस प्रश्न पर भारत को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रहा है तथा पाकिस्तानी मुसलमानों को भारतीय बताकर इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने की धमकी दे रहा है। दूसरी ओर हिन्दुओं पर अत्याचार करके उन्हें भारत आने के लिए विवश किया जा रहा है। आवश्यकता है कि पाकिस्तान की करतूतों से विश्व को अवगत करने के लिए हमारा विदेश विभाग सक्रिय हो।

भारतीय जनसंघ की मांग है कि :

(1) पाकिस्तान से अवैध रूप में आये हुए मुसलमानों को अविलंब वापिस भेजा जाय।

(2) पाकिस्तानियों को शरण देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

(3) संदेहास्पद व्यक्तियों के सीमा क्षेत्र में रहने पर प्रतिबंध लगाया जाय।

(4) भारत-पाक सीमा की सुरक्षा का भार केन्द्र के हाथ में हो।

(5) पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये हिन्दुओं के लिए पाकिस्तान से भूमि एवं उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति की मांग की जाय, और उनको बसाने की समुचित व्यवस्था की जाय।

(6) असम में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय।

[12 अगस्त 1963; दिल्ली, भा०प्र०स०]

63.15. चीन की क्रिया, भारत की केवल प्रतिक्रिया

चीनियों का भारी जमाव—भारतीय प्रतिनिधि सभा उत्तरी सीमाओं पर चीनी सेनाओं के भारी जमाव पर गहरी चिंता प्रकट करती है। वस्तुस्थिति यह है कि अपने तथाकथित युद्ध-विराम के बाद भी चीनियों ने अपनी सैनिक तैयारियों में ढिलाई नहीं की। पिछले कुछ महीनों में निरंतर तिब्बत को एक शक्तिशाली सैनिक अड्डा बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। इधर कुछ दिनों से उनकी सैनिक गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हुई है और चीनी सेनाएं हिमालय की सीमाओं पर खतरनाक रूप में प्रहार की स्थिति में खड़ी हैं। परिस्थिति की मांग है कि शासन तथा जनता पूर्णतया सतर्क रहे।

नये घटनाक्रम ने इस दारुण तथ्य को पुनः स्पष्ट कर दिया है कि भारत-चीन संघर्ष में, सैनिक पहल चीन के हाथ में ही बनी हुई है। चीन की क्रिया पर, भारत केवल प्रतिक्रिया करता है। कूटनीतिक स्तर पर भी यही स्थिति है। चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्तावों के स्वीकृत किये जाने की आशा महीनों से नई दिल्ली लगाये बैठी है, जो व्यर्थ सिद्ध हुई है। अपने प्रस्ताव को वापस लेने और स्थिति के निराकरण के लिए अन्य उपाय-योजना करने के बजाय भारत अनिश्चय की अवस्था में है, जबकि आक्रमण के तथ्यों के बारे में भी चीन अफ्रीकी और एशियाई देशों में भ्रम पैदा करने के प्रयत्नों में लगा है। भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि वर्तमान परिस्थितियों में चीन से समझौता वार्ता द्वारा समस्या का समाधान सर्वथा असंभव है। इस तथ्य की कठोर अनुभूति पर ही चीन के संबंध में एक सही नीति का निर्धारण हो सकता है। चीन के भारी आक्रमण को, जिसके फलस्वरूप उसने भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार जमा लिया, 9 महीने हो गये। संसद की यह गंभीर प्रतिज्ञा अब तक अपूर्ण है कि जब तक एक-एक इंच भूमि को चीन के चंगुल से मुक्त नहीं किया जायेगा तब तक चैन नहीं लेंगे। भारतीय प्रतिनिधि सभा शासन से मांग करती है कि चीन के हाथों में से सैनिक पहल को छीनने के लिए वह दृढ़ पग उठाये और इस गंभीर संकल्प को पूरा करे। चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति शासन की दृढ़ नीति का प्रथम संकेत होना चाहिए।

स्पष्ट है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत को मित्र देशों से प्रचुर सैनिक सहायता की आवश्यकता है। प्रतिनिधि सभा इस संबंध में शासन द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को ध्यान में रखती है और उसकी इस नीति का समर्थन करती है कि

सैनिक सहायता जहां से भी प्राप्त हो ली जानी चाहिए। अमरीका तथा ब्रिटेन के साथ हवाई अभ्यास करने के सरकार के निर्णय का प्रतिनिधि सभा स्वागत करती है। किंतु खेद का विषय है कि भारत सरकार देश के वास्तविक हितों की चिंता न करते हुए अपने प्रिय और प्रचलित नारों के मोह में फंसकर बार-बार व्यावहारिकता को भूल जाती है। उसकी इस प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण आकाशवाणी और 'वॉयस आफ अमरीका' के बीच हुए समझौते के संबंध में व्यक्त प्रतिक्रिया है। यद्यपि जनसंघ इस समझौते की सभी शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो भी उसकी दृष्टि में कुल मिलाकर इस समझौते से भारत के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होगी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सामर्थ्य को सुदृढ़ बनाने में किसी दुविधा के लिए स्थान नहीं हो सकता।

नैफा पराजय की जांच—देश अभी तक उर्वसीयम में हुई सैनिक पराजय के अपमान से विक्षुब्ध है। पराजय के सभी कारणों का प्रकटीकरण आवश्यक है। जनसंघ इस संबंध में शासन द्वारा अपनाई जा रही नीति की भर्त्सना करता है और सैनिक पराजय के कारणों की जांच का प्रतिवेदन प्रकाशित करने की मांग करता है।

[12 अगस्त 1963; दिल्ली, भा०प्र०स०]

63.19. बेरूबाड़ी का हस्तांतरण

जनसंघ सिद्धांत रूप से सदैव इस बात का विरोधी रहा है कि भारत भूमि का कोई भी भाग किसी विदेशी सत्ता को सौंपा जाय और यही कारण था कि जनसंघ ने 10 सितम्बर 1958 को हुए तथाकथित नेहरू-नून समझौते के अधीन बेरूबाड़ी (जिला जलपाई गुड़ी) क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने का विरोध किया। बाद में (दिसम्बर 1958 में) पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने इस प्रस्तावित हस्तांतरण का सर्वसम्मति से विरोध किया। इस मामले को उच्चतम न्यायालय के सामने उठाया गया जिसने निर्णय किया कि संविधान के अनुसार इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। इसके बाद हस्तांतरण करने के लिए संविधान को भी बदला गया। तब बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के विरुद्ध जनविरोध भड़का। इसके बाद चीन का हमला हुआ और आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई। स्वभावतः, राष्ट्र ने आशा की कि इन घटनाओं को देखते हुए बेरूबाड़ी के हस्तांतरण का विचार छोड़ दिया जायेगा। लेकिन, आश्चर्य है कि हस्तांतरण प्रक्रिया को फिर आरंभ कर दिया गया और इसके विरुद्ध भड़के जनविरोध को लाठी प्रहार एवं बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करके दबाया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य पड़ोसी क्षेत्र चिलाहाटी को भी पाकिस्तान को सौंप देने का विचार है।

जनसंघ को इस बात से गहरा आघात पहुंचा है कि भारतीय क्षेत्र को एक शत्रु-विदेशी सत्ता को सौंपने की नई कोशिशें आरंभ हो गई हैं। वह मांग करता

है कि हस्तांतरण के इस इरादे को त्याग दिया जाय और इस संबंध में जारी गतिविधियों को तत्काल रोक दिया जाय।

[3 दिसम्बर 1963; दिल्ली, के०का०स०]

63.29. बेरूबाड़ी का हस्तांतरण

भारतीय जनसंघ सिद्धांत रूप में सदा इस बात का विरोध करता रहा है कि अपना कोई भूभाग किसी दूसरे देश को हस्तांतरित किया जाये। इसी कारण 10 सितम्बर 1958 के तथाकथित नेहरू-नून समझौते के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बेरूबाड़ी स्थान के पाकिस्तान को दिये जाने के प्रस्ताव का इसने विरोध किया था। तदुपरान्त दिसम्बर 1958 में पश्चिमी बंगाल की विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले पर सलाह मांगी गई और उसने भी यह निर्णय दिया कि संविधान के अधीन यह नहीं किया जा सकता। परन्तु नवम्बर 1960 में संविधान का ही संशोधन कर दिया गया। तब जनता की ओर से भी बेरूबाड़ी के हस्तांतरण को रोकने का प्रयास किया गया। कुछ समय पश्चात चीन ने आक्रमण किया और देश में आपात्कालीन स्थिति की घोषणा की गई तथा भारत को अपमानित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने चीन से गठजोड़ कर लिया। इस नई परिस्थिति में सब लोग आशा करने लगे थे कि अब बेरूबाड़ी को देने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया जायेगा। परन्तु आश्चर्य है कि हस्तांतरण की कार्यवाही फिर से प्रारंभ कर दी गई है तथा वहाँ के जनविरोध को लाठीचार्ज और भारी गिरफ्तारियों के सहारे से दबाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिलाहाटी का सटा हुआ क्षेत्र भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है।

अपनी भूमि को इस प्रकार एक शत्रु देश को दिये जाने के प्रयास को देखकर भारतीय जनसंघ अति क्षुब्ध है तथा मांग करता है कि इसका परित्याग किया जाय और इस विषय की कार्यवाही तुरंत बंद कर दी जाय।

[30 दिसम्बर 1963; अहमदाबाद, ग्यारहवां सा०अ०]

64.02. अनुच्छेद 370 की समाप्ति

काश्मीर में हाल की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि वहां की स्थिति की आधारभूत एवं तात्कालिक आवश्यकता यह है कि राज्य को भारत में पूरी सरह मिलाया जाय और प्रशासन को दक्ष व कुशल बनाया जाय। इन दो आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए यदि तत्काल प्रभावशाली पग न उठाये गये तो केवल सरकार बदलने से कोई लाभ न होगा। श्री गुलाम मुहम्मद सादिक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वे 370वें अनुच्छेद को समाप्त करने के पक्ष में बोलते थे। लेकिन, उनके हाल के इन वक्तव्यों के बाद से कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बजाय उसमें केवल कुछ फेर-बदल करने की आवश्यकता है, इस तरह के संदेहों को

बल मिला है कि वे भी रंग बदलने लगे हैं। केन्द्रीय कार्य समिति अपने इस सुविचारित मत को फिर दोहराती है कि काश्मीर की स्थिति को हल करने का पहला आवश्यक पग यह है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करके जम्मू-काश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू किया जाय। यह पग अविलंब उठाया जाना चाहिए। काश्मीर सरकार के प्रति जनसंघ का दृष्टिकोण अब इस बात पर निर्भर होगा कि इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है।

कुछ विदेशी राजनयिक केवल काश्मीर घाटी या फिर उसके साथ पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के एक भाग को मिलाकर स्वायत्तता देने की जो अटकलें लगा रहे हैं उनको समाप्त करने की दृष्टि से भी इस अनुच्छेद का समाप्त किया जाना जरूरी है। समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि घाटी को शेष राज्य और भारत से किसी भी रूप में अलग करने के किसी प्रयत्न को देश कदापि स्वीकार नहीं करेगा।

[1 मार्च 1964; दिल्ली, के०का०स०]

64.09. नागा समस्या

लगभग 12 वर्ष पूर्व कुछ हजार नागा वनवासियों ने जापानियों द्वारा छोड़े गये हथियारों से सज्जित होकर विद्रोह किया। भारत सरकार ने दमन और तुष्टीकरण की जो ढुलमुल नीति अपनाई, उसके कारण विद्रोह की आग इन वर्षों में सुलगती रही। परिणामस्वरूप नागा विद्रोहियों के हौसले बढ़ते गये। उन्होंने पाकिस्तान से हथियार प्राप्त किये। वे अब कम्युनिस्ट चीन की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उससे संपर्क कर रहे हैं। स्थिति यह है कि यह मामूली वनवासी विद्रोह अब लगभग अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करता जा रहा है। नागा विद्रोहियों के मनसूबे इतने बढ़ गये हैं कि अब वे स्वयं को नागालैण्ड की संघ सरकार बता रहे हैं और स्वयं को भारत सरकार के समकक्ष समझने लगे हैं। उनके इन मनसूबों के बावजूद भारत सरकार ने एक अर्ध-सरकारी 'शांति मिशन' वहां भेजा है जिसके सदस्य रैवरैंड माइकेल स्काट, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री विमल प्रसाद चालिहा हैं। यह 'शांति मिशन' (भारत सरकार के आशीर्वाद से) नागा विद्रोहियों के सामने घुटने टेककर उनसे अनुरोध कर रहा है कि वे 'शांति मिशन' से बातचीत करने के लिए राजी हो जायें। नागा विद्रोहियों ने इसका उत्तर गोलीबारी और हत्याओं का नया दौर आरंभ करके दिया। इस समय यह एक अजीब स्थिति है जो बहुत ही घिनौनी और अपमानजनक है।

जनसंघ मांग करता है कि विद्रोहियों से बातचीत करने का यह असम्मानजनक तरीका तत्काल समाप्त किया जाय, 'शांति मिशन' वापस बुलाया जाय और नागा विद्रोह को कुचलने के लिए तत्काल प्रभावशाली सैनिक पग उठाये जायें।

[10 अगस्त 1964; ग्वालियर, भा०प्र०स०]

64.10. अब्दुल्ला की रिहाई

अक्तूबर 1947 के पाकिस्तानी आक्रमण के बाद के इन 17 वर्षों में श्री नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार की काश्मीर नीति अनिश्चिततापूर्ण और ढुलमुल रही है, जिससे जनता के मस्तिष्क में स्वभावतः भ्रांतियां पैदा हुई। शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध देशद्रोह के गंभीर आरोप का जो अभियोग चलाया जा रहा था उसके वापस लिये जाने से संशय की स्थिति और घनीभूत हुई। यह इसलिए भी हुई क्योंकि रिहाई के बाद से शेखे अब्दुल्ला को बेहद छूट दी गई।

जनमतसंग्रह मोर्चे में पुनर्जीवन—एक ओर तो भारत सरकार (प्रधानमंत्री से लेकर निचले अधिकारी तक) अंतिम रूप से घोषित कर चुकी है कि 1947 में काश्मीर के शासक ने राज्य को भारत में अंतिम रूप से विलय कर दिया। यह विलय अपरिवर्तनीय और अकाट्य है। अब इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद मतसंग्रह का प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान व्यवस्था को उथल-पुथल नहीं किया जा सकता, इसलिए जनमत संग्रह का कोई सुझाव भी अब मान्य नहीं हो सकता। काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है तथा इसी रूप में रहेगा। लेकिन भारत सरकार के कार्य उसकी इस स्पष्ट घोषणा से मेल नहीं खाते। उदाहरणस्वरूप, शेख अब्दुल्ला को 'जनमत संग्रह मोर्चे' को पुनरुज्जीवित करने, जनमत संग्रह और स्वभाग्य निर्णय के पक्ष में प्रचार करते हुए काश्मीर में उठा-पठक करने तथा राज्य के भारत में विलय को 'अस्थायी' बताने की पूरी छूट दे दी गई है। एक सज्जन मौलाना फारूक तो खुलेआम पाकिस्तान में मिलने की वकालत कर रहे हैं। फिर भी भारत सरकार के स्पष्ट निर्णय के विरुद्ध हो रहे इस प्रकार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। यहां तक कि संविधान में काश्मीर संबंधी 370वें अनुच्छेद की अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में भी भारत सरकार अपना पक्का निर्णय करने में असमर्थ रही है। यद्यपि भारत की प्रायः सभी पार्टियों ने एक स्वर से इसके लिए मांग की है तथापि भारत सरकार स्थिति को अधर में लटकने दे रही है।

काश्मीर में अनिश्चितता—जनसंघ मांग करता है कि इस अनिश्चितता को अब और अधिक समय तक चलने नहीं दिया जाना चाहिए। वह अपनी इस मांग को फिर दोहराता है कि अनुच्छेद 370 को तत्काल समाप्त किया जाय और भारत सरकार की इस स्पष्ट घोषणा के बाद कि काश्मीर का भारत में विलय अंतिम और पूर्ण है, काश्मीर के भारत में पूर्ण विलय को चुनौती देने वाली सभी गतिविधियों को तत्काल कुचला जाय और ऐसी चुनौती देने वाले अपराधियों पर अभियोग चलाया जाय।

[10 अगस्त 1964; ग्वालियर, भा०प्र०स०]

64.17. नागा समस्या

विघटन को निमंत्रण—केन्द्रीय कार्य समिति हाल में ही नागालैंड में और

उसके संबंध में हुई घटनाओं के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। देश के पूर्वी भाग में विदेशी मिशनरियों से प्रभावित असम के ईसाई नागाओं को खुश करने के उद्देश्य से और क्षेत्र के बहुसंख्यक हिन्दू नागाओं की इच्छाओं की उपेक्षा करके, 3.5 लाख की आबादी वाला एक छोटा सांप्रदायिक प्रदेश बनाना, अपने आप में एक भयंकर भूल है। इससे असम में पृथकतावादी और विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिला है और देश के पूर्वी क्षेत्र के छोटे-छोटे राज्यों में बिखर जाने का खतरा पैदा हो गया है।

खासी और गारो कबीले वालों द्वारा एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग और रानी गुइडेलो की हाल की प्रतिक्रिया नागालैंड की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। अब जबकि गलती हो ही गई, तब वास्तविकता का तकाजा यह है कि वहां की निर्वाचित सरकार को उन विद्रोही तत्वों को कुचलने में पूरी सहायता और समर्थन प्रदान किया जाय, जो अब भूमिगत हो गये हैं। लेकिन, ऐसा करने के बजाय भारत सरकार अब इन तत्वों से बातचीत कर रही है और इस प्रकार उसने उन्हें लगभग एक स्वतंत्र सरकार की श्रेणी दे दी है। जब सरकार ने ही विद्रोहियों का रुतबा बढ़ा दिया है तब यदि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें या तथाकथित कार्यवाही-बंदी से लाभ उठाकर रसद जमा करने, नये विद्रोहियों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने, पाकिस्तान व चीन आदि से हथियार प्राप्त करने के प्रयत्न करें तो कोई आश्चर्य नहीं।

अशुभ शांति मिशन—श्री जयप्रकाश नारायण और बापटिस्ट मिशन के तथाकथित शांति मिशन को सरकारी मान्यता देने और उसकी ओर से पादरी माईकेल स्काट के बातचीत में भाग लेने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा पहले से ही काफी बिगाड़ी गई स्थिति अब और अधिक बिगड़ गई है। श्री जयप्रकाश नारायण खुलेआम कहते रहे हैं कि विद्रोही नागाओं की मांगे मान ली जानी चाहिए। आमतौर पर यह धारणा बनी है कि वे प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तमाम बातों से वहां की स्थिति एवं घटनाएं नितांत खतरनाक और अशुभसूचक बन गई हैं।

भारतीय जनसंघ मांग करता है कि नागालैंड में पृथकतावादी विद्रोही तत्वों के सामने हथियार डालने की यह नीति तत्काल त्याग दी जाय और ऐसे पग उठाये जायें जिससे अब तक जो क्षति हुई उसकी पूर्ति हो सके तथा विद्रोहियों को उनकी सही स्थिति का अनुभव कराया जा सके। इस उदेश्य से कार्य समिति निम्नलिखित मांग करती है :

(1) विद्रोहियों के साथ चल रही सब बातचीत रोक दी जाय, तथाकथित 'कार्यवाही-बंदी' आदेश वापस लिया जाय, और सुरक्षा सेनाओं को बिना किसी राजनीतिक भय एवं हस्तक्षेप के स्थिति से निपटने दिया जाय।

(2) नागालैंड-बर्मा सीमा पर नागालैंड के क्षेत्र में दस मील चौड़ी पट्टी से सब आबादी हटा दी जाय और प्रशिक्षण तथा हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से

पाकिस्तान जाने वाले विद्रोहियों को रोकने के लिए प्रभावशाली पग उठाये जायें।

(3) प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि नागालैंड के बारे में श्री जयप्रकाश नारायण जो कुछ कहते हैं या करते हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं। श्री जयप्रकाश नारायण की जो भी गतिविधियां अहितकर हैं उन सब पर रोक लगाई जाय। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, मातृभूमि के किसी भाग के पृथक होने की पैरवी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।

(4) पादरी माइकेल स्कॉट को फौरन देश से चले जाने को कहा जाय और संरक्षण समाप्त किया जाय। हिंदू मिशन और साधुओं को इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां चलाने की समान सुविधाएं प्रदान की जायें।

(5) हिंदू नागाओं की, जिनकी संख्या ईसाई नागाओं से अधिक है, उपेक्षा करने की वर्तमान नीति समाप्त की जाय। नागाओं और बापटिस्ट मिशन को एक ही समझना न केवल गलत और अनुचित है बल्कि राष्ट्रवाद के बजाय सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को बढ़ावा देना है।

[4 दिसम्बर 1964; पटना, के०का०स०]

65.09. अलग संविधान नहीं

जम्मू-काश्मीर शाखा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को तथा काश्मीर राज्य के पृथक संविधान को समाप्त किये जाने के पक्ष में आंदोलन छेड़ने के निश्चय का केन्द्रीय कार्य समिति स्वागत करती है। साथ ही प्रदेश शाखा को यह आदेश देती है कि राज्य के संविधान की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम न अपनाये तथा काश्मीर राज्य की अलग श्रेणी के प्रति अपना विरोध अन्य रूप से व्यक्त करें।

[24 जनवरी 1965; विजयवाड़ा, बारहवां सा०अ०]

65.17. असम को बचाओ

भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से असम भारत का सदा से अति महत्वपूर्ण अंग है। इस सामरिक महत्व के प्रदेश को 1947 में पाकिस्तान में सम्मिलित करने का मुस्लिम लीग ने पूरा प्रयास किया था। कैबिनेट मिशन ने उसे इस मामले में प्रोत्साहन भी दिया था। श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवं सरदार पटेल की सहायता से देश विभाजन के अवसर पर असम को भारत के लिए बचा लिया था। परंतु नेहरू सरकार की गलत नीतियों के कारण असम के अस्तित्व के लिए पुनः खतरा उपस्थित हो गया है।

सामरिक महत्व के असम क्षेत्र में पाक घुसपैठ—गत 17 वर्षों से पाकिस्तान के शासक योजनाबद्ध रीति से असम को हजम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन्होंने लाखों की संख्या में पाकिस्तानी मुसलमानों को

अवैध रीति से असम में घुसाया है। दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान के इन इरादों को सम्पन्न करने के कार्य में असम मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी योग देते आरहे हैं। इन मंत्रियों के सहयोग से इस षडयंत्र की सफलता में योग देने वाले तत्वों ने असम के प्रशासन में भी अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार जमा लिया है। शिलांग स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त का कार्यालय इन सभी कार्यवाहियों का अड्डा बना हुआ था।

अवैध रीति से घुसे हुए इन पाकिस्तानी मुसलमानों के द्वारा असम को न केवल मुस्लिम-बहुल क्षेत्र बनाने का ही प्रयास हो रहा है अपितु ये तत्व असम के नाजुक स्थानों पर अपनी बस्तियां बसाकर असम के अस्तित्व को चाहे जब खतरे में डालने की योजनाबद्ध सिद्धता कर रहे हैं। इन्होंने असम के पूर्वी कोने से पश्चिम तक फैली असम तेल पाइप लाइन के दोनों ओर अपने को आबाद कर लिया है। सभी रेलवे जंकशनों पर इनके अड्डे स्थापित हुए हैं। साथ ही इन्होंने लगभग सभी सैनिक अड्डों पर चाय, सिगरेट, बीड़ी की दुकानें और होटल खोल रखे हैं। सुंदर नवयुवतियों के द्वारा यह अड्डे जासूसी के कार्य में संलग्न हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये अवैध पाकिस्तानी घुसपैठिये सरकारी जमीनों पर आबाद हुए हैं। इस प्रकार असम को हजम करने के लिए पाकिस्तान का दुहरा षडयंत्र चल रहा है।

आश्चर्य और दुःख का विषय है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर आवश्यक ध्यान देकर असम की रक्षा हेतु किसी प्रकार की कड़ाई नहीं बरत रही है।

इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार की हर योजना को निष्फल करने में असम के कुछ मंत्री संलग्न हैं। असम की सीमा की सुरक्षा के कार्य को केन्द्रीय सरकार के हाथ में सौंपने का विरोध वे असम सरकार के द्वारा करा रहे हैं। अवैध पाकिस्तानियों को निकालने के लिए जो न्यायाधिकरण बनाये गये हैं, उनके विरुद्ध भी इनके द्वारा आवाज उठाई गई है। असम के 13 मुस्लिम कांग्रेसी विधायकों की त्याग-पत्र की धमकी इसका एक प्रमाण है। एक मील चौड़ी सीमापट्टी खाली कराने की केन्द्रीय योजना को अव्यावहारिक कह कर उसे कार्यान्वित करने में असम सरकार मुकर रही है।

इन सब दुष्कृत्यों को छिपाने के लिए यह तत्त्व राष्ट्रवादी असमियों के मन में बंगला व हिन्दी भाषा-भाषियों के विरुद्ध भावनाएं भड़काने में फिर से लगे हुए हैं।

खेद का विषय है कि भारत सरकार इन सब बातों को जानते हुए भी इन खतरनाक गतिविधियों की ओर दुर्लक्ष कर रही है। गृहमंत्री श्री नंदा के असम-भ्रमण से जनता के मन में जो अपेक्षाएं निर्माण हुई थीं वे पूरी न हो सकीं। लगता है कि इन मंत्रियों एवं मुस्लिम विधायकों की धमकियों में आकर वे अपने कर्तव्य-पालन में ढीले पड़ गये हैं।

समन्वित प्रशासनिक ढांचा—यह स्थिति खतरनाक है। नागालैंड तथा अन्य

पहाड़ी ज़िलों में चलने वाले पृथकतावादी आन्दोलन इस स्थिति को और भी पेचीदा और भयावह बना रहे हैं। पाकिस्तान तथा कम्युनिस्ट चीन की आक्रामक गतिविधियां एवं उनके हस्तकों का इस प्रदेश में व्यापक जाल, संपूर्ण देश की एकता और प्रभुसत्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। अतः राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर, इस प्रश्न के लिए एक राष्ट्रीय नीति तय होनी चाहिए। भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि असम संबंधी इस राष्ट्रीय नीति के निम्नलिखित आधार होने चाहिए :

(1) सीमा पर 10 मील की चौड़ी पट्टी पूर्णतः खाली कराई जानी चाहिए। इस क्षेत्र में अवकाश प्राप्त सैनिक तथा विस्थापित हिन्दू बसाये जाने चाहिए तथा उन्हें शस्त्र देकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वह सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पंक्ति का कार्य कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर इस कार्य को अविलम्ब पूरा करे।

(2) असम में घुसे अवैध पाकिस्तानी मुसलमानों को प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा अविलंब निकाल बाहर करना चाहिए।

(3) पाकिस्तानी तथा चीनी जासूसी कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

(4) असम के मंत्रीमंडल का पुनर्गठन किया जाय और ऐसे तत्त्वों को, जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं तथा जिनकी राष्ट्रघातक गतिविधियां सर्वविदित हैं, मंत्री-मंडल से हटाया जाय। असम प्रशासन में घुसे संदिग्ध तत्त्वों को भी वहां से अविलंब हटाया जाय।

(5) नागालैंड में श्री शिलुआओ की जन-प्रतिनिधि सरकार को पूर्ण मान्यता देकर विद्रोही नागाओं की समस्या को प्रशासनिक आधार पर हल करने का प्रयास किया जाय।

(6) तथाकथित शांति मिशन को अविलंब समाप्त किया जाय। श्री माइकल स्काट को भारत से बाहर निकाला जाय तथा यहां वापिस लौटने पर प्रतिबंध लगाया जाय।

(7) नेफा सहित सारे असम में एक समन्वित प्रशासनिक ढांचे का विकास किया जाय।

[10 जुलाई 1965; जबलपुर, के०का०स०]

65.20. काश्मीर में व्यापक पाकिस्तानी घुसपैठ

पाकिस्तान ने 18 वर्ष पूर्व काश्मीर में जिस प्रकार का आक्रमण किया था, अब फिर उसी प्रकार उसने अपनी सेना के सहस्त्रों सशस्त्र घुसपैठियों के द्वारा बहुत व्यापक पैमाने पर आक्रमण कर दिया है। ये तथ्य पाकिस्तान की भारत के प्रति निरंतर शत्रुता के तथा भारत सरकार की काश्मीर संबंधी नीति की असफलता के स्पष्ट प्रमाण हैं। जम्मू-काश्मीर राज्य का अलग संविधान बनाकर

उसकी विशेष स्थिति को कायम रखने तथा पाकपरस्त लोगों के प्रति उदारता की नीति बरतने के दुष्परिणाम सामने आ गये हैं। जनसंघ के बराबर चेतावनी देने के उपरांत भी भारत सरकार इस विषय में अत्यंत ही अयथार्थवादी नीति अपनाती रही है। फलतः अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी भारतीय सेना द्वारा इस क्षेत्र की सुरक्षा के अब तक के प्रयत्न तथा भारत द्वारा करोड़ों रुपये पानी के समान बहाया जाना—सब व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। राष्ट्र-विरोधी एवं पाकपरस्त तत्व बराबर योजनापूर्वक इस सामरिक महत्व के क्षेत्र में बलशाली होते गये हैं।

राज्य से हाल ही में प्राप्त समाचारों के अनुसार पाकिस्तानी घुसपैठिये चिनाब के पश्चिम में सक्रिय हैं। यहां के हिंदुओं तथा दूसरे भारतनिष्ठ लोगों को योजनानुसार हटाया जा रहा है।

प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति—राज्य का नागरिक प्रशासन पाकपरस्त लोगों से भरा हुआ है। उन्होंने पाक गुरिल्लाओं की घुसपैठ में तो सहायता दी ही है, अब वे उनको समाप्त करने की प्रत्येक प्रभावी कार्यवाही के मार्ग में तरह-तरह की बाधाएं डाल रहे हैं। इस परिस्थिति में यह आवश्यक है कि भारत सरकार अपनी काश्मीर एवं पाकिस्तान के प्रति नीति का पुनरेक्षण कर उसका पुनर्निर्धारण करे। जनसंघ की मांग है कि निम्नलिखित पगों को अविलम्ब उठाया जाय :

(1) पाकिस्तान को स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में बता दिया जाय कि भारत इस प्रकार की गुण्डागर्दी तथा दबाव के कारण काश्मीर के प्रश्न पर बातचीत और समझौते के लिए तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान ने काश्मीर में अकारण आक्रमण कर वस्तुतः कच्छ-समझौते को भंग कर दिया है। अतः 20 अगस्त की भारत-पाक मंत्रियों की वार्ता रद्द कर देनी चाहिए। युद्ध और शांति साथ-साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने जानबूझकर युद्ध का रास्ता चुना है। अब भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार कर उसे उसी भाषा में उत्तर देने के अतिरिक्त कोई पर्याय नहीं बचा है।

(2) जम्मू-काश्मीर (विशेषकर उसके सीमांत क्षेत्र) को सभी संदिग्ध व्यक्तियों से खाली कराया जाय। सेक्यूलरवाद की कोई भी मिथ्या कल्पना राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए।

(3) राज्य का पृथक संविधान जो पृथकतावाद की मनोवृत्ति को बढ़ावा देता है और जिसका लाभ पाकपरस्त लोग उठाते हैं, समाप्त किया जाय तथा भारत का संविधान उस राज्य पर पूर्णतः लागू किया जाय।

(4) पुराने सैनिकों तथा पाकिस्तान से आये विस्थापितों को सीमांत क्षेत्र में बसाया जाय। काश्मीर, असम, त्रिपुरा तथा राजस्थान में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को प्रभावी रूप से केवल इसी प्रकार रोका जा सकता है। इन बसाये गये लोगों को शस्त्रास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह प्रथम रक्षा पंक्ति का काम कर सकें।

(5) जम्मू-काश्मीर राज्य के पाक-अधिकृत क्षेत्र का भारत के ऊपर नये

आक्रमण के लिए व्यवहार करके पाकिस्तान ने जम्मू-काश्मीर युद्ध-विराम समझौते को भंग कर दिया है। अतः अब भारत सरकार को अपनी ओर से इस समझौते से (जो भारतीय सेनाओं के प्रतिरक्षा के दायित्व का निर्वाह करने में बड़ा बाधक रहा है) बंधा रहना ठीक नहीं है। आवश्यकता है कि भारत इस समझौते को मृत समझकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक राज्य के क्षेत्र को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के अपने दायित्व का निर्वाह करे।

(6) पंजाब के बहुत से पीकिंगवादी कम्युनिस्ट पाकिस्तानी तत्वों के साथ मिलकर राज्य में षडयंत्र कर रहे हैं। इन पंचमांगी तत्वों को निर्मूल करने के लिए पग उठाने चाहिए। इसके बिना सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक नहीं लड़ सकेगी। पाकपरस्त ऐक्शन कमेटी के नेताओं को अपनी विघातक गतिविधियों को निर्बाध रूप से चलाने की राज्य सरकार ने छूट दे रखी है। भारत की सुरक्षा केन्द्र की जिम्मेदारी है। यह केन्द्र का कर्तव्य है कि वह स्थानीय प्रशासन को ठीक करे तथा आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाये। स्थिति का मुकाबला करने के लिए सेना को पूरी छूट दी जानी चाहिए। प्रशासन इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। गुप्तचर विभाग को काफी सुधारा जाना चाहिए।

[17 अगस्त 1965; दिल्ली, भा०प्र०स०]

65.23. अखंड भारत

सांस्कृतिक एकात्मता—अत्यंत प्राचीनकाल से भारत 'एक तथा अखंड' रहा है। इस भूमि पर निवास करने वाले जन ने इसके प्रति मातृभाव रखकर परस्पर एकात्मता का अनुभव करते हुए एक संस्कृति एवं एक राष्ट्रीय जीवन का विकास किया। समय-समय पर इस राष्ट्र जीवन का, राजनीतिक क्षेत्र में भी सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्यों के रूप में आविष्कार हुआ। इस प्रकार के सार्वभौमिक राज्य के अभाव में हमें परकीय आक्रमणों से हानि अवश्य हुई, किंतु हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण रही। फलतः हम स्वराज्य के लिए संघर्ष करते हुए उसकी स्थापना में समर्थ हो सके।

विदेशी शासकों ने 'बांटो और राज्य करो' की नीति के अनुसार यहां की सब प्रकार की विविधताओं को भेद-मूलक बताकर विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया। इस नीति के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान की सृष्टि हुई।

जौहर की ज्वालाएं—देश की स्वतंत्रता के संग्राम में हमें जितना बलिदान करना पड़ा उससे अधिक जन-धन की आहुति विभाजन के समय दी गई। उस समय जहां एक ओर हत्या, लूट-मार, आगजनी और बलात् धर्म-परिवर्तन के नृशंस कांडों में मानव का अत्यंत ही निष्कृष्ठ एवं दानवी रूप देखने को मिला वहां दूसरी ओर अपने धर्म और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अतुल पराक्रम तथा सर्वस्व के बलिदान के ऐसे उज्ज्वल उदाहरण भी सामने आये कि इतिहास के

जौहर और हौतात्म्य की घटनाएं ताजी हो गई। आज 15 अगस्त को हम इन शहीदों की स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु जिस सांस्कृतिक पहलू को महत्वपूर्ण समझकर उन्होंने बलिदान दिये उसकी रक्षा करने में हम सब कुछ निछावर कर देंगे।

मुस्लिम समस्या—पाकिस्तान का अस्तित्व भारत की भूमि पर केवल एक पृथक राज्य के ही नाते नहीं अपितु दो राष्ट्रों और दो संस्कृतियों की विकृत कल्पना को बनाये रखने और बढ़ाने का एक राजनीतिक आधार भी है। पृथकता की इस भावना को उभारने तथा कृत्रिम विभाजन के कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एकता को बनाये रखने के लिए वहां के नेता सदैव भारत-विरोधी और हिन्दू-विरोधी नीति अपनाकर चलते हैं। इस्लामी हुकूमत के नारे तथा ऐतिहासिक कारणों से पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग को भारतीय राष्ट्र जीवन के साथ एकात्म नहीं होने देता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने मुस्लिम लीग को खुश करने का हर संभव प्रयास किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी भारत सरकार ने पाकिस्तान की मित्रता प्राप्त करने के लिए सदैव अपने हितों का बलिदान किया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। किन्तु वह अधिकाधिक आक्रामक होता जा रहा है। भारत का अहित करने के लिए ही उसने अमरीका के साथ सैन्य संधि की और अब विस्तारवादी एवं आक्रामक कम्युनिस्ट चीन के साथ गठबंधन कर रहा है। एक ओर तो वह भारत के विरुद्ध जिहादी आक्रमण की तैयारी कर रहा है तथा दूसरी ओर अपने पंचमांगियों तथा एजेण्टों के द्वारा भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभार कर बड़े पैमाने पर दंगे और विध्वंस की योजना बना रहा है। यदि इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो पाकिस्तानी नेता संपूर्ण भारत खंड की शांति को नष्ट कर उसे युद्ध की भट्टी में झोंक सकते हैं।

दृष्टिकोण का भारतीयकरण—जब तक विभाजन कायम है भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक शांति नहीं हो सकती। पाकिस्तान की गुंडागर्दी के सामने झुककर उसका तुष्टीकरण करने से उसका हौसला बढ़ता है और भूख बढ़ती है। भारत के कितने ही मुसलमानों की पाकिस्तान से भावात्मक एकता है। वे एक दूसरे से शक्ति ग्रहण करते हैं। इस परिस्थिति के निराकरण के लिए दुहरे कार्यक्रम अपनाने होंगे :

(1) पाकिस्तान के साथ दृढ़ता की नीति बरती जाय। जिस दिन पाकिस्तान को यह अनुभव हो जायेगा कि संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व का सपना पूरा नहीं हो सकता तथा भारत उसका संतुष्टीकरण करने के स्थान पर 'शठे शाठ्यं' की नीति लेकर चल रहा है, वह आत्मालोचन करने पर विवश होगा तथा विभाजन की भूल उसके नेताओं और जनता की समझ में आयेगी।

(2) भारत स्थित मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीतिक

सौदेबाजी न की जाय। असांप्रदायिक राज्य के सिद्धांत के अनुसार उन्हें संविधान प्रदत्त संपूर्ण मूलभूत अधिकार प्राप्त हों। किन्तु पृथकता सूचक एवं पाकिस्तानी वृत्ति को प्रकट करने वाली सभी बातों को समाप्त कर इस प्रकार के दृष्टिकोण व वातावरण का भारतीयकरण किया जाय।

आधुनिक इस्लाम—पाकिस्तानपरस्त तथा सांप्रदायिक मुस्लिम जमातों की राजनीतिक पृथकतावादी आकांक्षाओं की विफलता के बाद ही उनकी वृत्ति राष्ट्र एवं एकताभिमुख होगी। भारत की परंपरा और राष्ट्रीयता किसी भी उपासना-पद्धति के प्रतिकूल नहीं है। आधुनिक इस्लाम भी भारतीय राष्ट्र की एकात्मता में बाधक नहीं होना चाहिए। वास्तविक बाधा पृथकतावादी राजनीति रही है। उसका निर्मूलन करने पर ही भारत का मुसलमान राष्ट्र जीवन के साथ समरस हो सकेगा तथा भारत और पाकिस्तान की एकता होकर अखंड भारत की स्थापना सम्पन्न होगी। इस एकात्मता के अभाव में महासंघ आदि की कल्पनाएं ऊपरी गठजोड़ तथा अव्यावहारिक सिद्ध होंगी।

[17 अगस्त 1965; दिल्ली, भा०प्र०स०]

66.03. अनुच्छेद 370 की समाप्ति

जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान इसके एक-तिहाई भाग पर 1947 से बलात कब्जा किये बैठा है। भारत सरकार का कर्तव्य है कि इस आक्रमण को खाली कराके पाक-अधिकृत भूभाग को मुक्त कराये। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक जम्मू-काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का यही एकमेव विषय शेष है और रहेगा।

जम्मू-काश्मीर राज्य का जो भाग हमारे पास है उसके एकीकरण की संवैधानिक पूर्ति का प्रश्न भारत का आंतरिक मामला है। संविधान के जिस अस्थायी अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू-काश्मीर का अपना पृथक संविधान बना हुआ है, वह इस एकीकरण के रास्ते में बाधा बना हुआ है। इसने जम्मू-काश्मीर और शेष भारत के लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक रुकावट पैदा कर रखी है। राष्ट्र-विरोधी तत्व और पाकिस्तानी एजेंट सदैव इसका लाभ उठाकर भारत के हितों को हानि पहुंचाते रहे हैं। जम्मू-काश्मीर प्रदेश में फिर से सामान्य स्थिति वापिस लाने के लिए इस अनुच्छेद का समाप्त किया जाना पहले अत्यंत आवश्यक है। अतः केन्द्रीय कार्य समिति भारत सरकार से पुनः साग्रह मांग करती है कि इस अनुच्छेद को शीघ्र समाप्त किया जाय और भारत का पूर्ण संविधान जम्मू-काश्मीर प्रदेश पर लागू करने के लिए पग उठाये जायें।

[15 जनवरी 1966; कानपुर, के०का०स०]

66.12. मोहन रानाडे की रिहाई

गोवा मुक्ति संग्राम में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले श्री मोहन रानाडे को

पुर्तगाली शासन ने 28 वर्ष की सख्त कैद की सजा देकर लिस्बन कारागार में स्थानांतर कर दिया था। गोवा मुक्ति के पश्चात् यह आवश्यक था कि श्री रानाडे की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाता। यह अत्यंत खेद की बात है कि पुर्तगाली कैदियों की अदला-बदली के समय श्री रानाडे की मुक्ति का तथा उसके पश्चात भी आज तक के सुदीर्घ काल में भारत शासन द्वारा इस संबंध में कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया।

स्वातंत्र्य-संग्राम में अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर सम्मिलित होने वाले श्री रानाडे सदृश्य वीर देशभक्तों को इस प्रकार भुलाया जा रहा है। भारतीय जनसंघ इस संबंध में भारत शासन से आग्रहपूर्वक मांग करता है कि भारत शासन यथाशीघ्र श्री मोहन रानाडे की अविलंब मुक्ति के लिए उचित एवं आवश्यक पग उठाकर पुर्तगाल शासन को इसके लिए बाध्य करे।

[1 मई 1966; जालंधर, तेरहवां सा०अ०]

66.16. नागा विद्रोहियों से वार्ता नहीं

भारतीय जनसंघ विद्रोही नागाओं के साथ हुए युद्ध-विराम की अवधि को आगामी 3 मास के लिए बढ़ाने के निर्णय को अनुचित समझता है। अब तक के अनुभव से यह स्पष्ट है कि युद्ध-विराम का लाभ उठाकर विद्रोही नागाओं ने अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाया है और वे अन्तिम संघर्ष के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। विद्रोही नागाओं के साथ समझौता वार्तालाप करने का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि मिजो तथा अन्य पहाड़ी जातियों को अपनी पृथकतावादी मांगों को रखने का प्रोत्साहन मिला है। सच्चाई यह है कि यदि भारत से पृथक होने की मांग करने और उसको मनवाने के लिए शस्त्र उठाने वाले नागाओं के साथ सरकार समझौता-वार्ता जारी रखती है तो उस पृथकीकरण-विरोधी अध्यादेश का कोई अर्थ नहीं रहता जो हाल में ही जारी किया गया है।

भारतीय जनसंघ की मांग है कि विद्रोही नागाओं से वार्ता का अगला दौर तब तक आरंभ न किया जाय जब तक वे भारत से पृथक होने की मांग का असंदिग्ध शब्दों में परित्याग नहीं करते। पृथक नागा-राज्य की स्थापना से नागाओं की स्वशासन की उचित आकांक्षाओं का समाधान होना चाहिए। इसके बाद भी यदि मुट्ठी भर नागा सशस्त्र उपद्रव जारी रखते हैं तो उसका कठोरतापूर्वक दमन करना होगा। यदि पूर्वकाल में सेना को विद्रोहियों से निपटने की पूरी छूट दी जाती तो संभवतः वर्तमान परिस्थिति पैदा ही न होती।

पूर्वांचल में पृथकतावादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति, सीमा पर पाकिस्तान और चीन की उपस्थिति के कारण और भी गंभीर हो गई है। ताशकंद घोषणा के बावजूद पाकिस्तान विद्रोहियों को हथियार और सैनिक प्रशिक्षण दे रहा है। कम्युनिस्ट चीन भी भारत की इस आंतरिक गड़बड़ का लाभ उठाने के लिए सचेष्ट है।

अतः भारत सरकार को दृढ़ता और नीतिमत्ता से परिस्थिति का सामना करना होगा।

पुर्वांचल का पुनर्गठन—जनसंघ की मांग है कि एक उच्चाधिकार-संपन्न आयोग नियुक्त किया जाय जो पूर्वांचल के पुनर्गठन के प्रश्न को राष्ट्रीय एकात्मता, प्रतिरक्षा, विकास, क्षेत्रीय स्वायत्तता, प्रशासनिक सक्षमता आदि सभी दृष्टियों से अध्ययन कर उचित सिफारिशें करे। इस बीच में विद्रोहियों से निर्ममतापूर्वक निपटने का काम चलते रहना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्र में किसी प्रकार की दुर्बलता का परिचय न केवल पृथकीकरण को बढ़ावा देगा अपितु शत्रुता पर आमादा पड़ोसियों को भारत की अखंडता के विरुद्ध अपना दुष्चक्र चलाने का भी अवसर प्रदान करेगा।

[12 जुलाई 1966; लखनऊ, के०का०स०]

66.18. मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भारत के प्रदेशों की तथा उसके मानचित्र की रचना का काम पूरा हो गया था। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इस स्थिति को निश्चित और स्थायी मानने के स्थान पर शासन ने विभिन्न दबावों में आकर तथा दलीय राजनीतिक हितों का विचार कर समय-समय पर उसमें परिवर्तन किये। पंजाब की पुनर्रचना का निर्णय इसका ताजा उदाहरण है। भारतीय जनसंघ ने शासन को चेतावनी दी थी कि इससे कई विवाद खड़े हो जायेंगे। महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के अंतर्गत बेलगांव के प्रश्न को इससे नई उत्तेजना मिली है। यह आश्चर्य का विषय है कि एक ओर तो प्रधानमंत्री ने इस विषय पर सीमा-आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव मानकर उस प्रश्न को खोल दिया तथा दूसरी ओर उसको कार्यान्वित न करके लोगों को आंदोलन का अवसर दिया। फलतः आज मैसूर और महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों में व्यापक और गहरा जनक्षोभ है। जो आंदोलन हुए हैं या जिनकी तैयारी की जा रही है उनसे निम्न स्तर की प्रादेशिकता की ध्वनि मिलती है। यह स्थिति अवांछनीय है।

अनिवार्य पंचाट के लिए सीमा आयोग—देश के विभिन्न प्रांतों के बीच समय-समय पर कुछ प्रश्नों पर मतभेद और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हें राजनीतिक आंदोलन का विषय बनाना अथवा उन्हें राजनीतिक आधार पर तय करना भारतीय राष्ट्रवाद तथा एकात्मता के लिए हितावह नहीं है। उनका निर्णय न्यायिक आधार पर ही होना चाहिए। इस हेतु एक पंचतंत्र का निर्माण उपयोगी होगा। प्रस्तुत प्रश्न का निर्णय भी एक सीमा आयोग के द्वारा हो। आयोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यों का हो। वह सीमा विवाद का निर्णय उन्हीं सिद्धांतों पर करे जिनको राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रांत रचना का आधार माना था। आयोग का निर्णय यथाशीघ्र किंतु आम चुनाव के पहले आना चाहिए तथा वह निर्णय पंचाट के रूप में लागू होना चाहिए। केन्द्रीय

कार्य समिति दोनों प्रदेशों की जनता से अनुरोध करती है कि इस प्रश्न पर वे कोई जन आंदोलन कर प्रतिक्रियात्मक वातावरण उत्पन्न न करें।

[12 जुलाई 1966; लखनऊ, के०का०स०]

66.19. काश्मीर में पीकिंग, पिंडी व मास्को की हवाएं

केन्द्रीय कार्य समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि सरकारी खंडन के बावजूद जम्मू-काश्मीर राज्य में पाकिस्तानी घुसपैठियों का—जिनमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हैं—प्रवाह जारी है। पिछले पांच मास में पूंछ जिले में हजारों की संख्या में घुसपैठियों के आजाने के अतिरिक्त काश्मीर घाटी बारामूला-श्योपुर क्षेत्र में भी पाकिस्तानी एजेंटों और घुसपैठियों का घुसना जारी है। श्योपुर के बिमाई गांव में हाल में ही इन लोगों ने हमला किया, जिसमें बहुत से लोग मारे गये और काफी संपत्ति नष्ट हुई। इस घटना से खतरे की गंभीरता का पता चलता है। सबसे अधिक खतरनाक बात तो यह है कि अधिकांश पाकिस्तानी एजेंटों और घुसपैठियों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जा रहा है जिससे सुरक्षा सेनाओं द्वारा उनकी खोज करके उन्हें गिरफ्तार करना और कठिन हो गया है। सादिक सरकार और प्रदेश कांग्रेस, जो कम्युनिस्टों और संप्रदायवादियों के अड्डे बन गये हैं, पाकिस्तानी और चीनी एजेंटों को शरण दे रहे हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में आ जाने से राज्य की पहले से ही खतरनाक स्थिति एक नया एवं अत्यधिक भयावह रूप धारण कर गई है।

युद्ध-विराम रेखा के साथ नहाल बस्तियां—कार्य समिति अपनी इस मांग को दोहराती है कि पाकिस्तान की ओर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए युद्ध-विराम रेखा को प्रभावशाली ढंग से और पूरी तरह बंद कर दिया जाय और इस रेखा के पास की 5-10 मील चौड़ी पट्टी से सामान्य नागरिकों को हटाकर वहां इसराइल की 'नहाल' बस्तियों की तरह अवकाश प्राप्त सैनिकों की बस्तियां बसायी जायें। साथ ही काश्मीर प्रशासन से भी सभी संदिग्ध व्यक्तियों को हटाया जाय। श्री सादिक और उनकी सरकार को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रशंसा पत्र प्रदान करती हैं उससे उन लोगों के अलावा, जो काश्मीर कांग्रेस के चोले में चीनी और पाकिस्तानी हितों को बढ़ावा दे रहे हैं और किसी का हित होने वाला नहीं। राज्य की जनता के मन में सुरक्षा और निश्चितता की भावना जगाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार बार-बार दोहराये जाने वाले अपने इस मत पर दृढ़ रहे कि काश्मीर पर अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। समाचार-पत्रों में प्रकाशित श्रीमती गांधी के इस वक्तव्य से कि भारत सरकार काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, जनता के मन में अनिश्चितता ही बढ़ेगी और पाकिस्तानी एजेंटों को वहां पाकिस्तान के नये समर्थक तैयार करने में सहायता मिलेगी।

काश्मीर के बारे में राज्य के भीतर और बाहर भी दक्षिण और वामपंथी

दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां जो भूमिका अदा कर रही हैं उस पर भी बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है। रूसी और चीनी एजेंटों के रूप में भूमिका निभाते हुए उन्होंने मास्को और पीकिंग से आने वाली हवाओं के रूप को देखकर अपने पाल तान दिये हैं। इस बात से कि भारत में सक्रिय अमरीकी लाबी भी काश्मीर के संबंध में रूसी लाबी की तरह ही अपना खेल खेल रही है, राष्ट्रवादी भारत को गहरी चिंता है। कार्य समिति भारत की जनता को आगाह करती है कि उनकी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और सरकार से भी अनुरोध करती है कि उनके दबाव का हर तरह से वह विरोध करे।

[1 अक्तूबर 1966; कलकत्ता, के०का०स०]

67.11. जम्मू-काश्मीर का विभाजन

केन्द्रीय कार्य समिति कृत्रिम भाषायी आधार पर जम्मू-काश्मीर राज्य का विभाजन करने तथा जम्मू-काश्मीर क्षेत्र और काश्मीर घाटी को तथाकथित क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के विचार का कड़ा विरोध करती है।

जम्मू क्षेत्र के कुछ तत्वों ने इस विचार को इस उद्देश्य से बढ़ावा दिया क्योंकि वे समझते हैं कि शायद इस तरह से जम्मू की जनता के साथ राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। लेकिन, महत्व की बात यह है कि स्वायत्तता के इस स्वर को आज बल देने वाले प्रमुखतः वे लोग हैं जिन्होंने अपने पृथकतावादी मनसूबों को कभी नहीं छिपाया और जो इस व्यवस्था को काश्मीर घाटी में अपने स्वप्नों को साकार करने की दिशा में पहली छलांग समझते हैं।

सेवाओं, शिक्षा, विकास आदि के क्षेत्र में जम्मू के साथ जो भेदभाव राज्य सरकार बरतती है जनसंघ उसके विरुद्ध सतत संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन वह राज्य के भीतर और बाहर के सब राष्ट्रवादी तत्वों को आगाह करना चाहता है कि स्वायत्तता की इस मांग को किसी तरह का बढ़ावा देने से काश्मीर में राष्ट्रीय हितों को गहरा आघात पहुंचेगा। इससे अब्दुल्ला और पाकिस्तान के समर्थकों के हाथ मजबूत होंगे। काश्मीर राज्य के विभाजन के प्रयास का विरोध करने को जनसंघ कृत संकल्प है।

[30 जून 1967; शिमला, के०का०स०]

67.15. काश्मीर घाटी में आतंक

केन्दीय कार्य समिति ने जम्मू-काश्मीर के मंत्री द्वारा काश्मीर की स्थिति के संबंध में दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया।

कार्य समिति ने काश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा बढ़ती हुई मुस्लिम सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार 7 जून को श्रीनगर में 2 गिरजे जलाये गये और पर्यटकों को मारा-पीटा गया तथा काश्मीर प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये ने उसे और भयंकर रूप लेने दिया उससे यह स्पष्ट

है कि सादिक सरकार या तो अप्रभावी है और या जानबूझ कर मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें बढ़ावा दे रही है। संपूर्ण भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काश्मीर के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वहां की प्रशासनिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी पग उठाये जायें।

कुमारी हांडू कांड—जहां तक कुमारी परमेश्वरी हांडू कांड का संबंध है, कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि यदि काश्मीर सरकार ने कुमारी हांडू को न्यायालय में उपस्थित करके निर्णय होने तक उसे तीसरी पार्टी के हवाले कर दिया होता और (गुंडों द्वारा कानून को हाथों में लेने देकर) अदालती निर्णय के स्थगित किये जाने की उनकी मांग मानकर उसे स्थगित न कराया होता, तो स्थिति न बिगड़ती।

श्री चव्हाण द्वारा काश्मीरी हिंदुओं के साथ किये गये समझौते के विषय में भी काश्मीर सरकार उसी प्रकार की नीति अपना रही है। श्री चव्हाण के आश्वासनों के बावजूद अभी तक न तो कुमारी हांडू को तीसरी पार्टी के हवाले किया गया है और न पुलिस के अत्याचारों की जांच का आदेश दिया गया है। उलटे काश्मीरी हिंदुओं को आतंकित किया जा रहा है। स्वाभाविक रूप में इससे भारत-विरोधी तत्वों के हौसले और बढ़े हैं। उन्होंने भारत-विरोधी तथा काश्मीरी-हिंदू-विरोधी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। श्योपुर में जनसंघ के जिला प्रधान श्री फतह मोहम्मद जकी पर कातलाना हमला और कांग्रेसी नेताओं (जिनमें मंत्री भी शामिल हैं), की गतिविधियां स्थिति को और भी खराब कर रही हैं। अतः कार्य समिति भारत सरकार से मांग करती है कि वह काश्मीर घाटी में इस आतंक को समाप्त करने और श्री चव्हाण के आश्वासनों को कार्य रूप देने के लिए तुरन्त सक्रिय पग उठाये।

कार्य समिति सर्वश्री यज्ञदत्त शर्मा संसद सदस्य, उमाशंकर त्रिवेदी तथा डॉ० महावीर की एक तीन-सदस्यीय उपसमिति नियुक्त करती है जो कि जम्मू-काश्मीर में जाकर वहां की राजनैतिक तथा कानूनी व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करके कार्य समिति की आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट देगी।

[19 सितम्बर 1967; बड़ौदा, के०का०स०]

67.27. काश्मीर में अनिश्चितता

शेख अब्दुल्ला की हलचलों और गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध उत्तरोत्तर हटाये जा रहे हैं। इसके साथ ही इस आशय की आशंकाएं व्यापक रूप से व्यक्त की जा रही हैं कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई भारत सरकार द्वारा उठाये जाने वाले अनेक पगों में से केवल पहला है, जिनकी परिणति काश्मीर को एक स्वायत्त अथवा अर्ध-स्वतंत्र श्रेणी देने में होगी। शेख अब्दुल्ला के निकटवर्ती साथियों द्वारा हाल में ही दिये गये वक्तव्य इन आशंकाओं की पुष्टि करते हैं।

इस आशय के सुझाव खुले आम दिये जा रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला को खुश

करने के लिए काश्मीर को सिक्किम जैसी श्रेणी दे दी जाय अथवा 1953 की स्थिति को वापस लाया जाय, जबकि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान ने एक ऐसे घटना-चक्र को जन्म दिया जिससे जम्मू-काश्मीर को शेष भारत से अलग करने वाली दीवारें एक-एक कर ढहने लगीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का कायम रहना और उसके आधार पर जम्मू-काश्मीर का एक पृथक संविधान तथा वहां के निवासियों की दोहरी नागरिकता की व्यवस्था का होना—ऐसी दीवारें हैं जो अभी तक बनी हुई हैं और भारतीय जनता उस दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है जब ये दीवारें भी ढह जायेंगी।

शेख अब्दुल्ला की रिहाई के संबंध में होने वाली अटकलबाजियों से जम्मू-काश्मीर में एक आशंका और अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है। इस प्रकार बीच-बीच में पैदा होने वाली अनिश्चितता तथा अस्थिरता काश्मीर की राजनीति के लिए एक अभिशाप रहा है। इससे वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और केवल पाकिस्तानी एजेण्टों तथा राज्य के विघटन में रुचि रखने वालों का ही लाभ होता है। जम्मू-काश्मीर राज्य इस समय एक ऐसे ही दौर में से गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस बात को अनुभव करे कि काश्मीर के मामले में उसके द्वारा निरंतर नये-नये प्रयोग करना राज्य की जनता के लिए कितना महंगा पड़ता है। परिस्थिति का तकाजा है कि भारत सरकार अविलंब और असंदिग्ध शब्दों में इस बात की घोषणा करे कि जम्मू-काश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया को उलटने का उसका कोई इरादा नहीं है।

जहां तक जनसंघ का संबंध है, हम भारत सरकार को चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि भारतीय जनता इस प्रकार के किसी प्रतिगामी पग को सहन नहीं करेगी। भारतीय जनसंघ ऐसे पग का प्रबल विरोध करेगा। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के महान बलिदान पर पानी नहीं फिरने दिया जायेगा।

[26 दिसम्बर 1967; कालीकट, चौदहवां सा०अ०]

68.08. असम का पुनर्गठन

असम में पीकिंग-पिंडी रुचि—पाकिस्तान के जन्म के पूर्व से ही उसके संस्थापकों की दृष्टि असम पर थी। 1901 में बंगाल के पहले विभाजन के समय उसे पूर्वी बंगाल में मिलाया गया था, जिससे उसके विचारों का कुछ संकेत मिलता है। 1946 की **कैबिनेट मिशन** योजना में भी असम को बंगाल से अलग करने की बात उसी चिंतन की एक कड़ी थी। 1947 से ही असम में पाकिस्तानी मुसलमानों का योजनाबद्ध विधि से आना जारी है, जिसके कारण 1947 से लेकर 1961 के बीच तक असम में मुसलमानों की आबादी 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई। असम के मिजो और नागा दोनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तान ने विद्रोह को जिस तरह प्रेरित किया और उसका समर्थन किया तथा असम के मैदानों से सब गैर-असमी हिंदुओं को भगाने के लिए जो योजनाबद्ध प्रयत्न हुए वे सब इसी ओर

संकेत करते हैं कि पाकिस्तान की दिलचस्पी किसी न किसी प्रकार असम को हड़पने में है।

1962 के चीनी आक्रमण और असम के भीतर तथा बाहर कम्युनिस्ट चीन एवं उसके एजेण्टों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से असम की समस्या और विकराल रूप धारण कर गई है। यह मानने का भी आधार है कि कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान में ऐसा कोई अलिखित गुप्त संकेत हो गया है जिसके अधीन दोनों असम को आपस में बांट लेना चाहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को विभाजन रेखा स्वीकार कर लिया जायेगा।

असम के पहाड़ी क्षेत्र में ईसाई-बहुल राज्य बनाने की धुन में विदेशी ईसाई मिशनरी परोक्ष रूप से चीनी और पाकिस्तानी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। सच तो यह है कि ब्रिटेन के समर्थन एवं उदारतापूर्वक प्राप्त विदेशी सहायता के बल से इन विदेशी मिशनरियों ने ही नागा क्षेत्र में फूट के बीज बोये। वनवासी जातियों तथा मैदान में रहने वाली जनता के बीच समान हिंदुत्व की छत्रछाया में सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया को इन विदेशी मिशनरियों ने रोका व बदला और वनवासी जातियों का क्रमबद्ध तरीके से धर्मपरिवर्तन करके उनका विजातीयकरण किया।

इस परिस्थिति का तकाजा है कि भारत सरकार विशेष रूप से सजग हो तथा राज्य में राष्ट्रवादी शक्तियों को शक्तिशाली बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करे। असम और केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पहाड़ी और मैदानी जनता के बीच अधिक भावात्मक एवं आर्थिक एकीकरण हो और दोनों का समान एवं संगठित आर्थिक विकास हो।

परंतु, केन्द्र व प्रदेश दोनों स्तरों पर सर्वथा प्रतिकूल नीतियां अपनाई गई हैं। एकता की भावना को सुदृढ़ करने और एकता लाने में समर्थ शक्तियों को सशक्त करने के बजाय, विभाजनों पर बल देने का और विभिन्न भाषायी एवं जातीय समूहों में पृथकता को प्रोत्साहित करने का निर्णय भारत सरकार ने किया। पृथकतावाद को प्रोत्साहित करने की इस नीति का ज्वलंत उदाहरण तब सामने आया जबकि नागाओं के एक वर्ग की हिंसा के समक्ष समर्पण करके केवल $3\frac{1}{2}$ लाख की जनसंख्या के 'नागालैंड' राज्य का अलग निर्माण स्वीकार कर लिया गया। असम तथा अन्य भागों में इसके परिणामस्वरूप विघटन की लहर सी आ गई। नागालैंड के बराबर या अधिक जनसंख्या वाली पहाड़ी जन जातियां व भाषायी एवं जातीय समूह अब अपने-अपने लिए अलग राज्यों की आकांक्षा करने लगे हैं।

नागालैंड राज्य के निर्माण और वहां एक विधिवत् सरकार बनाने के बावजूद, नागा विद्रोहियों के साथ सम्यक् व्यवहार करने में भारत सरकार की असफलता के कारण उन विद्रोही व पृथकतावादी तत्वों को और अधिक प्रोत्साहन मिला है जिनको पहिले से ही पाकिस्तान व ईसाई मिशनरियों से सहायता व

समर्थन मिलता था और बाद में कम्युनिस्ट चीन से भी मिलने लगा।

1962 में असम—1962 में चीनी आक्रमण के समय नेहरू सरकार ने जिस पराजयवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया और असम को जिस प्रकार से हाथों से गया मान लिया उससे असम की समस्त देशभक्त शक्तियों को गहरा आघात लगा। असम की समस्याएं हल करने की केन्द्र सरकार की सामर्थ्य और इच्छा के प्रति उसकी आस्था बुरी तरह डिग गई। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि किस प्रकार मिजो क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के बाद, पृथक मिजो राज्य की मांग उठी। ईसाई-बहुल सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन ने एक पृथक पहाड़ी राज्य की जो मांग की वह नागा और मिजो क्षेत्र की घटनाओं की अनिवार्य एवं स्वाभाविक कड़ी थी। पहाड़ी जनता को असमिया भाषा के बारे में जो वैध शिकायतें थीं और पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की जो मांग की जा रही थी, असम सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे पृथकतावादी भावनाओं और मांगों को और बल मिला।

स्थिति का तकाजा है कि भारत सरकार इस पर शांति से सावधानी के साथ और वस्तुवादी दृष्टि से विचार करे और एक ऐसा विवेकपूर्ण हल निकाले जिससे स्थानीय आकांक्षाओं और समग्र असम के विकास की आवश्यकताओं के साथ-साथ असम की समग्र एकता और समूचे राष्ट्र की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसा करने के बजाय भारत सरकार ने ऐसी नीति अपनाना शुरू कर दिया है जो पहाड़ी नेताओं और असम कांग्रेस के दबाव एवं प्रतिदबाव से कभी डूबती और कभी उतरती चली जा रही है। परिणामस्वरूप एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है, जिससे न केवल असम की बल्कि समूचे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री ने असम के पुनर्गठन के संबंध में जो योजना रखी और उस पर केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में जो मतभेद हैं उससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गया है कि इस कठिन राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने न तो कभी सामूहिक रूप से विचार किया और न कभी इसे संकल्प के साथ हल करने का प्रयास किया।

केन्द्रीय कार्य समिति असम सहित समूचे पूर्वी क्षेत्र की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस क्षेत्र में तेजी से बदलती और बढ़ती परिस्थितियों से देश की एकता एवं प्रतिरक्षा के लिए जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उसके आलोक में समूची समस्या पर नये सिरे से विचार किया जाय। विद्रोहियों के साथ हाल की लड़ाइयों में उनके पास से बरामद दस्तावेजों और हथियारों से यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो गई है कि कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान की नागा तथा मिजो विद्रोहियों से सांठ-गांठ है। 1961 में नौगांवा की घटनाओं तथा जनवरी 1968 में गोहाटी तथा अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं से पाकिस्तान की इस योजना की भी निश्चित रूप से पुष्टि हो गई है कि वह 'असम असमियों का' बहाना बनाकर राज्य में अराजकता फैलाना, वहां

से हिंदुओं को निकालना और इस प्रकार असम को मुस्लिम-बहुल प्रदेश बनाना चाहता है। इन परिस्थितियों में अन्य सब बातों के मुकाबले, चाहे वे कितनी ही आवश्यक एवं सामयिक क्यों न हों, देश की एकता और प्रतिरक्षा की आवश्यकता को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।

कार्य समिति का मत है कि एक अथवा दूसरे गुट के दबाव में आकर समस्या को टुकड़ों में हल करना भी गलत होगा। असम, नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर सहित समूचे पूर्वी क्षेत्र के बारे में ऐसा समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिससे देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा की जरूरतों तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के बीच तालमेल बैठाया जा सके। साथ ही पाकिस्तानी इरादों को विफल करने और सशस्त्र विद्रोहियों तथा तोड़-फोड़ करने वाली अन्य शक्तियों की चुनौती का सामना करने के लिए (जो लाचित सेना जैसे विभिन्न नामों के अंतर्गत काम रही है) सुसंगठित और दृढ़ निश्चयी पग उठाये जाने चाहिए।

असम के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आयोग—इसके लिए आवश्यक है कि समूचे क्षेत्र और उसकी समस्याओं का तटस्थ भाव से और प्रतिरक्षात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाय। अतः भारतीय जनसंघ का सुनिश्चित विश्वास है कि :

(1) केवल असम के पुनर्गठन की किसी भी योजना को तब तक उठा रखा जाय जब तक कि पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के समूचे प्रश्न पर एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ भी हों, विचार पूरा न कर लें; ऐसा आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाना चाहिए और उसको अपनी रिपोर्ट देने का एक समय निश्चित कर दिया जाना चाहिए। जब तक आयोग की सिफारिशें सामने नहीं आ जातीं तब तक यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए।

(2) नागालैंड तथा अन्य क्षेत्रों के सशस्त्र विद्रोहियों को दृढ़ता से कुचला जाना चाहिए। विद्रोही नागाओं और कम्युनिस्ट चीन के बीच साठ-गांठ का निर्णायक ढंग से पता चल जाने के बाद विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही स्थगित रखने के समझौते को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं।

(3) पाकिस्तान जब भारत को खंडित करने के लिए नागा और मिजो विद्रोहियों को खुल्लमखुल्ला सहायता दे रहा हो, तब उसके साथ समझौता वार्ता करना और विभिन्न क्षेत्रों में उसे रियायतें देते जाना राजनयिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी मान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल है। उसके प्रति 'जैसे को तैसा' व्यवहार की नीति अपनाई जानी चाहिए।

(4) असम में पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए असम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर एक चौड़ी पट्टी से असैनिक आबादी को हटाने की योजना को अविलंब क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

(5) असम की पहाड़ियों, नैफा और नागालैंड से सब विदेशी ईसाई मिशनरियों को अविलंब निकाला जाय और गिरिजनों के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक

उत्थान के लिए काम करने वाले हिंदुओं तथा ईसाइयों के राष्ट्रीय मिशनों को वहां काम करने की समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जायें।

(6) असम के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और असम की जनता के सभी वर्गों में व्याप्त इस धारणा को मिटाया जाय कि उनकी उपेक्षा हो रही है। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण उसकी आर्थिक तथा दूसरी समस्याओं पर व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। असम में रेलवे की बड़ी लाइन बिछाने में सरकार की विफलता और वहां निकाले जाने वाले समूचे खनिज तेल को असम में ही साफ करने के लिए वहां दूसरा सरकारी तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकारी उदासीनता—यह ऐसी बातें हैं जिनकी पैरवी नहीं की जा सकती। इस संबंध में असम की जनता की शिकायतें दूर करने के लिए तत्काल पग उठाये जाने चाहिए।

चाय बागानों का भारतीयकरण—विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों के स्वामित्व एवं प्रबंध का भारतीयकरण किया जाना आवश्यक है जिससे वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के अड्डे न बनने पायें। साथ ही मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली जनता से, चाहे उसके राजनीतिक एवं धार्मिक विचार कुछ भी हों, कार्य समिति अनुरोध करती है कि वह विदेशी शक्तियों और विदेशी ईसाई मिशनरियों समेत उनके सभी एजेंटों के षडयंत्रों और प्रचार से सावधान रहे क्योंकि उन सबकी दिलचस्पी असम को खंडित करने में है।

उन्हें समझना चाहिए कि वे शेष भारत से अलग-थलग होकर नहीं रह सकते। पिछले इतिहास से हम सबको पाठ सीखना चाहिए जबकि शत्रु ने फूट डालकर हमें एक-एक करके गुलाम बनाया था। जब पाकिस्तान और चीन शत्रु बनकर सीमा पर सामने हों तब सीमावर्ती प्रत्येक क्षेत्र की सुरक्षा इसमें है कि वे उन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को कमजोर करने के बजाय और सशक्त बनायें जो उन्हें आपस में एक-दूसरे से और समूचे भारत से जोड़ते हैं।

कार्य समिति असम की जनता को यह विश्वास भी दिलाना चाहती है कि समूचा देश उसके साथ है। असम की एकता, सुरक्षा और समृद्धि भारत की एकता, सुरक्षा और समृद्धि का अविभाज्य अंग है। इस संबंध में कोई भ्रांति नहीं बचनी चाहिए।

[14 जून 1968; गोहाटी, के०का०स०]

69.08. केन्द्र-राज्य संबंध

कुछ समय से देश के विचारवान व्यक्ति इस बात से परेशान हैं कि भारत की राजनीति में एक चिंताजनक रवैया पैदा होता जा रहा है—क्षेत्रीयता में वृद्धि तथा क्षेत्रवादी शक्तियों का सार्वजनिक जीवन में प्रभावी होते जाना। हाल के मध्यावधि चुनाव के दौरान यह बात विशेष रूप से सामने आई है। इन चुनावों में

राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल प्रायः अधिक विजयी हुए हैं।

क्षेत्रवाद का उन्माद—यदि क्षेत्रीयता का रूप क्षेत्र विशेष के हित और सुधार की वास्तविक चिंता का हो तो इस पर किसी को कदाचित ही कोई आपत्ति होगी। वास्तव में इस प्रकार की भावना तो राष्ट्रीय विकास के लिए स्वास्थ्य-कारक ही सिद्ध होगी। परंतु दुर्भाग्य से क्षेत्रीय दलों तथा गुटों की अपील संकुचित क्षेत्रवाद के उन्माद पर आधारित होती है, जिससे इन दलों की गतिविधियों से अनिवार्यतः क्षेत्र-क्षेत्र के बीच तनाव पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ती है। अतः पृथक तेलंगाना के लिए चल रहे आंदोलन का औचित्य मानते हुए भी जनसंघ उसे चिंता की दृष्टि से देखता है। इस आंदोलन से तेलंगाना के और आंध्र के अन्य जनों के बीच पैदा होने वाली कटुता और अविश्वास की भावना की ओर कोई देशभक्त दुर्लक्ष्य नहीं कर सकता।

देश की राजनीति में प्रकट इस नई प्रवृत्ति का उचित विवेचन किया जाना चाहिए तथा इसे उचित मोड़ दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं।

सर्वप्रथम, गत 20 वर्षों में राष्ट्रीयता की भावना शनैः-शनैं मंद हुई है। भारत-चीन संघर्ष और भारत-पाक युद्ध के दिनों के छोटे से काल खंड को छोड़कर राष्ट्र-वाद प्रायः पिछड़ता रहा है और क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक मांगें प्रबल होती जा गई हैं।

दूसरा कारण यह है कि क्षेत्रवादी मांगों का हल कर सकने की भारत सरकार की क्षमता में अब जन विश्वास प्रायः टूट गया है। मांगें कैसी भी विकृत क्यों न हों यदि पर्याप्त राजनीतिक दबाव लाया जा सके तो उन्हें मनवाया जा सकता है। जब 1961 में भारत सरकार ने $3\frac{1}{2}$ लाख की आबादी के लिए पृथक नागा राज्य बनाने का निश्चय किया था, तब जनसंघ ने इस भारी भूल के संबंध में सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था कि इससे पूर्वांचल छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जायेगा तथा सारे देश में विघटन के द्वार खुल जायेंगे। परंतु नई दिल्ली ने इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अब और अधिक नये राज्य नहीं बनाये जायेंगे और नागालैंड अंतिम राज्य होगा। इसी भांति 1966 में हरियाणा और पंजाब का बंटवारा करते समय भारत सरकार ने पुनः यह घोषणा की थी कि राज्य के पुनर्गठन की यह अंतिम घटना होगी। और अब पुनः इस मास के प्रारंभ में असम को काटकर एक स्वायत्त पहाड़ी राज्य की स्थापना के लिए संसद में सिफारिश करते हुए गृहमंत्री ने लगभग उन्हीं शब्दों को दोहराया और कहा कि आगे नये राज्यों का निर्माण नहीं होगा। इस पृष्ठभूमि में क्या आश्चर्य की बात है कि आंध्र में भी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो तेलंगाना के युवकों को यह समझा रहे हैं कि पृथक तेलंगाना की रचना केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि वे आंदोलन को कितना उग्र रूप दे सकते हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन—इस संबंध में तीसरा (तथा तेलंगाना के संदर्भ में) क्षेत्र-

वादी मांगों के समर्थन में भारी जनमत खड़ा होने का एक कारण यह भी है कि गत 20 वर्षों में आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। यदि आंध्र के साथ मिलाये जाते समय तेलंगाना को दिये गये संरक्षण प्रामाणिकता से पूर्ण किये जाते तो इस पिछड़े क्षेत्र और शेष आंध्र के बीच असंतुलन कम हो गया होता तथा वर्तमान स्थिति उत्पन्न न होती।

अपवहन व समर्पण की नीति - केवल तेलंगाना ही ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन के कारण उग्र जन-असंतोष पैदा हुआ है। देश में और भी ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां के लोगों को अनेक वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतें हैं। इस कारण तेलंगाना के संबंध में लागू किये जाने वाले किसी भी उपचार का प्रभाव संपूर्ण देश पर अवश्य पड़ेगा। हिमांचल प्रदेश और अन्य कई संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण राज्य की श्रेणी प्राप्त करने की जो मांग की जा रही है उस संदर्भ में संघ राज्यों के भविष्य के पूरे प्रश्न पर भी पूर्वाग्रहों से रहित होकर विचार करने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के बीच जो सीमा,-विवाद हैं वे भी क्षेत्रीय कटुता और तनाव के कारण बने हुए हैं। जनसंघ का मत है कि प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा प्रश्नों को लटकाये रखने की लुढ़कने की नीति और बाद में जन आंदोलन अथवा हिंसा के सामने झुकने की नीति से देश की एकता को अपार क्षति हो रही है।

विवेक और दूरदर्शिता का तकाजा है कि इन विविध किन्तु परस्पर जुड़ी हुई समस्याओं को टुकड़ों में राजनीतिक दृष्टि से देखने की बजाय एक ऊच्च स्तरीय विशेषज्ञ आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो कि एक ओर इन सभी समस्याओं पर समग्र रूप से विचार करे और दूसरी ओर भारतीय संविधान को न केवल मूल में अपितु रूप में भी एकात्मक बनाने के बारे में निर्णय करे। इस आयोग पर यह विशेष दायित्व डाला जाय कि वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की देश की सुरक्षा व एकता के साथ मेल बैठाने की दृष्टि से सुझाव दे। राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्मुख भाषायी समानता का प्रश्न सर्वप्रमुख था। तेलंगाना की घटनाओं से यह बात सामने आई है कि आर्थिक विकास की मांगे भाषामयी समानता की तुलना में अधिक प्रबल हो सकती हैं। हमारा यह भी सुझाव है कि आयोग की सिफारिशें पंच-निर्णय के रूप में स्वीकार की जायें तथा सरकार को भी उनमें हेर-फेर करने का अधिकार न हो।

इस अवसर पर यह स्मरण करा देना भी उचित होगा कि 1956 से राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् हुए उपद्रवों का बहुत बड़ा कारण यह था कि रिपोर्ट प्रकाशित होते समय ही, सरकार द्वारा आनाकानी व उसे पूर्णतया स्वीकार न करने के बारे में अपने संकोच तथा संदेह को प्रकट किया गया। हाल में ही जम्मू-काश्मीर की जनता में बढ़ते असंतोष का मुख्य कारण गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशों को लागू करने में राज्य सरकार की अनिच्छा ही है। जब स्वयं सरकार ही ऐसे उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग की सिफारिशों के प्रति

असम्मान का व्यवहार करती है तो जनता से यह आशा करना कि वह उनके प्रति आदर का भाव रखेगी सर्वथा व्यर्थ है।

द्वि- और वि-राष्ट्रवाद—राष्ट्रीय एकता के लिए, क्षेत्रवादी शक्तियों की तुलना में, अधिक खतरा उन तत्वों से है जो भारत को एक राष्ट्र मानने से भी इनकार करते हैं। क्षेत्रवादी आंदोलनों के अग्रदूत राष्ट्रीय एकता को अनजान में ही संकटग्रस्त करते हैं, किन्तु ये विघटनकारी शक्तियां तो जानबूझकर तथा योजनाबद्ध रीति से भारतीय राष्ट्र की एकात्मता में सुरंग लगाने का यत्न कर रही हैं।

श्री जिन्ना के दो-राष्ट्रों के सिद्धांत का परिणाम विभाजन में हुआ था। वर्तमान मुस्लिम लीग विभाजन के पूर्वकाल की मुस्लिम लीग की भांति द्विराष्ट्रवाद की खुली चर्चा तो नहीं करती, किन्तु उसके मूल चिंतन में यत्किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ है। केरल में एक मुस्लिम-बहुल मलापुरम जिले के निर्माण के पीछे यही भावना काम कर रही है। काश्मीर घाटी में शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथी हमारे संविधान के इस मूलाधार को चुनौती दे रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र है और वे तीन राष्ट्रों का, जिसमें काश्मीर एक तीसरा राष्ट्र होगा, प्रतिपादन कर रहे है। पूर्वी क्षेत्र में पृथक नागालैंड की मांग करने वालों ने अपनी इस मान्यता पर कभी पर्दा डालने का प्रयत्न नहीं किया है कि नागा जन एक पृथक ईसाई राष्ट्र है।

विघटनवादियों का अपवित्र गठजोड़—इन विघटनकारी शक्तियों में सर्वाधिक खतरनाक कम्युनिस्ट हैं जो निस्संकोच होकर यह प्रचार करते रहते हैं कि भारत बहु राष्ट्रीय राज्य है। कम्युनिस्ट दलों ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ तथा पश्चिमी बंगाल में लीग परस्त तत्वों के साथ जो गठबंधन किया है और इन राज्यों की सरकारों पर अपना प्रभुत्व जमाने में जो सफलता पाई है उससे इन शक्तियों का खतरा और भी बढ़ गया है। देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के गठबंधन होते दिखाई देते हैं। पश्चिमी बंगाल के संयुक्त मोर्चे द्वारा दार्जिलिंग को एक स्वायत्त जिला बनाये जाने की मांग का समर्थन भी कम्युनिस्टों द्वारा विघटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिये जाने का एक उदाहरण है।

कम्युनिस्ट चाल—यह स्थिति राष्ट्र की अखंडता और एकता में निष्ठा रखने वाले सभी देशप्रेमी दलों की शक्ति, एकता तथा बुद्धिमत्ता के लिए एक चुनौती है। हम उनसे अपील करते हैं कि वे एक दूसरे के निकट आएं और विघटनकारी तत्वों के अपवित्र गठबंधन को अलग-थलग करने और परास्त करने के लिए एक संगठित व्यूहरचना करें। केरल तथा पश्चिमी बंगाल से प्राप्त समाचारों से ज्ञात होता है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट इन राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अथवा प्रशासन को जन-सेवा का माध्यम बनाने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उनका ढंग सदैव यह रहा है कि जन-असंतोष को भड़कायें, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करें और सत्तारूढ़ होने का लाभ उठाकर केन्द्र के विरुद्ध टकराव की परिस्थिति पैदा करें जिसका उद्देश्य एक ओर तो अपनी स्थिति के प्रति

जनता के असंतोष को केन्द्र के विरुद्ध क्रोध में बदलना और दूसरी ओर केन्द्र की शक्ति तथा प्रभुता को घटाना है।

यह खेद का विषय है कि इन हथकंड़ों के प्रति केन्द्र ने जो रवैया अपनाया है वह सर्वथा अनुचित तथा अदूरदर्शी है। यदि एक प्रचलित मुहावरे का प्रयोग किया जाय तो केन्द्र सरकार एक मच्छर का तो विरोध करती रही है किन्तु एक ऊंट को निगलने के लिए तैयार रही है। नई दिल्ली उस समय टुकुर-टुकुर देखती रही जब पुराने संयुक्त मोर्चे की सरकार ने नक्सलबाड़ी में उत्पन्न अराजकता को न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि उसके साथ अपनी सहमति भी प्रकट की, किन्तु संयुक्त सरकार को केवल इसलिए भंग कर दिया कि उसने विधानसभा के सत्र को निर्धारित तिथि के 18 दिन पूर्व बुलाने से इनकार कर दिया। हाल में ही केन्द्र सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल सरकार से लड़ाई मोल ले ली किन्तु उसने तब असहाय होकर चुप्पी धारण कर ली, जब कम्युनिस्ट सरकार ने उसकी सत्ता को चुनौती देकर एक 'सरकारी बंद' का आयोजन किया, सभी सरकारी तथा आर्थिक गतिविधि को ठप्प कर दिया और संचार तथा यातायात के सभी साधन बंद कर दिये।

केन्द्र सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न वास्तविक तनावों को दूर करने के लिए तुरन्त पग उठाने में जो कोताही दिखाई है उससे भी कम्युनिस्टों की व्यूहरचना को बल मिला है। भारतीय जनसंघ का मत है कि इस संबंध में दो पग शीघ्र ही उठाने चाहिए :

(*i*) संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाय जो केन्द्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों के बारे में सलाह दे, और

(*ii*) केन्द्र तथा राज्यों के बीच समूचे वित्त संबंधों पर पुनर्विचार किया जाय और आय के साधनों का इस तरह से पुनर्वितरण हो कि राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं संविधान के अंतर्गत दी जाने वाली राशियों से पूरी हो सकें, न कि केन्द्र के ऐच्छिक अनुदानों द्वारा।

भारतीय संविधान, ढांचे में संघात्मक किन्तु मूल में एकात्मक है। उपद्रव करने वाले राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की केन्द्र के पास काफी शक्ति है। भारतीय जनसंघ केन्द्र की सत्ता को दुर्बल करने का तीव्र विरोधी है। हमारी मान्यता है कि वर्तमान समस्या अधिकारों की कमी की नहीं बल्कि उन अधिकारों को उपयुक्त समय पर और उचित प्रकार से प्रयुक्त करने की इच्छाशक्ति की कमी की है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी बंगाल में ही हाल में 'बंद' के संबंध में भारतीय जनसंघ का मत है कि संविधान के संरक्षक के नाते केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य था कि वह राज्य सरकार को संचार तथा यातायात के साधनों को ठप्प करने के विरुद्ध निर्देश जारी करती और यदि राज्य सरकार उस निर्देश का उल्लंघन करती तो संविधान के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए थी। इसी प्रकार

केन्द्र सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भारत के किसी भाग में रख ने और केन्द्रीय संस्थानों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसका उपयोग करने के अपने अधिकार पर दृढ़ रहना चाहिए और किसी भी राज्य सरकार को इस अधिकार में काट-छांट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

सभी दलों को निर्बाध रूप से काम करने की स्वतंत्रता हमारा लोकतंत्रात्मक संविधान देता है किन्तु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को ही समाप्त करने अथवा एकता को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय जनमत को इस संबंध में जागरूक रहना होगा।

[26 अप्रैल 1969; बम्बई, पन्द्रहवां सा०अ०]

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

अध्याय 2

एकता की समस्याएं

Smt. Dr. G. V. Saxena "Kiran"
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

मातृभूमि के विभाजन की वेदना जनसंघ के अन्तःकरण में बहुत गहरी है। वह उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 'बांटों और राज करो' नीति का विषफल एवं द्विराष्ट्रवाद की विजय मानता है (53.06, 65.23)। जिस प्रकार विदेशी नीति के क्षेत्र में उसने साम्राज्यवाद द्वारा खंडित किये गये कोरिया, जर्मनी एवं वियतनाम आदि देशों के पुनरेकीकरण का समर्थन किया है, उसी प्रकार वह अपने यहां भी अखंड भारत की पुनर्स्थापना का हामी है। जनसंघ का मत है कि द्विराष्ट्रवाद के आधार पर किया गया देश का विभाजन गलत था और उसके पीछे देश की सम्मति नहीं थी (53.06) तथा न ही इस विभाजन से मुस्लिम पृथकतावाद की समस्या सुलझ सकी है। वास्तव में तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही द्विराष्ट्रवाद और दो संस्कृतियों की विकृत कल्पना को बनाये रखने का राजनीतिक आधार है (65.23)। वह अपने को भारतीय मुसलमानों का स्वयंभू रक्षक दर्शाता है जिसके कारण भारतीय मुसलमानों की राष्ट्र-जीवन के साथ भावात्मक एकता में बाधा पड़ रही है (65.23)।

मुस्लिम सांप्रदायिकता के बारे में जनसंघ का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। वह उपासनात्मक स्वतंत्रता व भिन्नता को पूरी तरह स्वीकार करता है (52.25, 53.06, 56.27, 65.23)। उसका विरोध केवल पृथकतावादी राजनीति से है। इसका निर्मूलन होने पर ही भारत का मुसलमान राष्ट्र-जीवन के साथ समरस हो सकेगा (65.23)। पृथकतावाद की जड़ एक पृथक मुस्लिम संस्कृति की भावना ही है। यह द्विराष्ट्रवाद का और फलतः एक नये विभाजन का आधार बन सकती है। इसलिए जनसंघ देश के समस्त राजनीतिक दलों को सचेत करता है कि वे मजहबी निष्पक्षता की दौड़ में मुसलमानों की अलग संस्कृति मानकर उसका संरक्षण न करें, क्योंकि यह द्विराष्ट्रवाद का पोषण होगा (56.27)।

जनसंघ का विरोध केवल मुस्लिम सांप्रदायिकता तक ही सीमित नहीं है। उसे सांप्रदायिकता का कोई भी रूप सहन नहीं है। उसने अकाली दल, नागा परिषद् एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सांप्रदायिक एवं विघटनकारी गतिविधियों की भी उतनी ही तीव्रता से भर्त्सना की है। उनमें से कुछ के द्वारा राष्ट्रीय मानचिह्नों एवं एकता के अन्य प्रतीकों के प्रति अपमान दिखाने की जोरदार निंदा भी की है (55.21)। सिखों की राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति में पूर्ण विश्वास प्रगट करते हुए एवं उन्हें हिन्दू समाज से पृथक न मानते हुए (66.10) भी जनसंघ ने पंजाबी सूबे की मांग का विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि उसे इस मांग का संबंध पंजाबी भाषा से कम और संकीर्ण सांप्रदायिक भावना से अधिक दिखाई दिया (60.12)। जनसंघ ने खंडित भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करने वाली पंजाब की वीर जनता से अनुरोध किया कि वह पृथकतावादी प्रवृत्तियों एवं नेतृत्व से दूर रहे और इस सीमावर्ती प्रांत को किसी प्रकार दुर्बल न होने दे (66.10)।

किसी क्षेत्र अथवा भाषा की ओर शासन की लगातार उपेक्षा से जनभावनाएं उद्दीप्त होती हैं और राजनैतिक रंग लिए हुए ऐसे आन्दोलन आरंभ हो जाते हैं जिनसे देश की एकता पर भारी दबाव व तनाव आते हैं। क्षेत्रीय विकास के असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जनसंघ संवेदनशील रहा है, किन्तु उनके लिए मूलतः सरकार को जिम्मेदार मानता है। "प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा प्रश्नों को लटकाये रखने की व लुढ़कने की नीति और बाद में जन-आंदोलन अथवा हिंसा के सामने झुकने की नीति से देश की एकता को अपार क्षति (69.08)" हुई है। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय हितों में समन्वय के लिए 'एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ आयोग के गठन' की मांग करते हुए जनसंघ का सुझाव था कि वह आयोग "क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने

एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं का देश की सुरक्षा व एकता के साथ मेल बिठाने की दृष्टि से सुझाव दें" और "आयोग की सिफारिशें पंचनिर्णय के रूप में स्वीकार की जायें (69.08)"।

केन्द्र व राज्यों के संबंधों में जनसंघ के अनुसार "गत 15 वर्षों में वित्तीय एवं अन्य प्रकार से केन्द्र पर राज्यों की निर्भरता बराबर बढ़ती गई है। प्रजातंत्रीय और उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए यह स्थिति वांछनीय नहीं है (67.07)"। राज्यों के बीच अथवा केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव की स्थिति देश की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए जनसंघ के अनुसार "दो पग शीघ्र उठाने चाहिए :

(1) संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद् बनाई जाय जो केन्द्र व राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों के बारे में सलाह दे, और

(2) केन्द्र व राज्यों के बीच समूचे वित्त संबंधों पर पुनर्विचार किया जाय और आय के साधनों का इस तरह से पुनर्वितरण हो कि राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं संविधान के अंतर्गत दी जाने वाली राशियों से पूरी हो सकें, न कि केन्द्र के ऐच्छिक अनुदानों द्वारा (69.08)"।

एकात्मक शासन के प्रति अपने समर्थन का और विकेन्द्रित स्वशासन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए जनसंघ ने स्पष्ट किया है कि "भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी उसकी भावना एकात्मक है। सभी को इस एकात्मकता को बनाये रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए (67.07)"।

किन्तु जनसंघ यह चाहता है कि भारतीय संविधान न केवल भावना में अपितु स्वरूप में भी एकात्मक हो।

52.11. उर्दू आंदोलन

कुछ समय से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में पुनः मान्यता दिलाने के लिए जो आन्दोलन किया जा रहा है जनसंघ की दृष्टि से वह अराष्ट्रीय, एवं पृथकतावादी प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित है। यही प्रवृत्ति द्विराष्ट्रवाद के आधार पर भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी रही है। समाज और शासन दोनों का कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता के लिए घातक इस प्रवृत्ति का उन्मूलन करें।

राष्ट्र की एकता को दुर्बल बनाने के लिए विदेशी शासकों द्वारा जो अनेक उद्योग किये गये उनमें हिन्दी को विदेशी शब्दावली और भावावलि से विकृत कर उर्दू के नाम से एक नई भाषा चलाने का प्रयत्न भी था। राष्ट्रीयता की भावना ने ऐसे प्रयत्नों का सदा ही विरोध किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस उदीयमान राष्ट्र का कर्तव्य है कि हिन्दी भाषा के इस अशुद्ध एवं विकृत रूप, अर्थात् उर्दू का (जिसकी आड़ में राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियां लाभ उठा रही हैं) समर्थन न करे।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

52.12. हैदराबाद का विलय

हैदराबाद राज्य सदियों से राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रों का केन्द्र रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी मुस्लिम पृथकतावाद तथा राष्ट्रद्रोह का परम विषाक्त रूप हैदराबाद ने प्रस्तुत किया। 1948 के पुलिस अभियान के कारण यद्यपि निजाम और उसके साथियों को असफलता देखनी पड़ी और हैदराबाद राज्य भारतीय गणराज्य का अंग बन गया, परन्तु उसका पृथक अस्तित्व और उसके राज्यप्रमुख के रूप में उसी निजाम का रखा जाना, हैदराबाद और भारत की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तथा नीति संगत भी नहीं है। भारत की सुरक्षा, प्रशासन की सुविधा तथा दक्षिण के सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युत्थान के मार्ग में हैदराबाद का पृथक अस्तित्व बाधक है।

अतः जनसंघ मांग करता है कि उस राज्य की जनता की इच्छानुसार हैदराबाद को समीपवर्ती राज्यों में विलय कर दिया जाय तथा वर्तमान निजाम को राज्यप्रमुख पद से हटाकर निजामत को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाय।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

52.18. राज्यों का पुनर्गठन

भारत के प्रदेशों का वर्तमान रूप ऐतिहासिक, राजनैतिक और सुशासन के हेतु से तात्कालिक समस्याओं के प्रभाव में बनता आया है। वह किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।

देश के अनेक भागों में भाषा अथवा अन्य आधारों को लेकर प्रदेशों के पुनर्गठन की मांग निरन्तर बढ़ रही है और इसके कारण प्रदेशों और जनपदों के निवासियों में कहीं-कहीं अनावश्यक और अवांछित कटुता बढ़ती जा रही है। अतः यह अधिवेशन आवश्यक समझता है कि देश के सर्वतोमुखी विकास, सुशासन, प्रतिरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, भाषा की एकता आदि की दृष्टि से प्रदेशों का पुनर्गठन सार्वदेशिक लाभ को ध्यान में रखते हुए योजनानुसार किया जाय। उद्दीप्त प्रान्तीय भावनाओं या दबाव से किसी प्रान्त का पुनर्गठन करने से उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। इसके विपरीत स्थायी कटुता उत्पन्न हो सकती है।

अतः यह अधिवेशन भारत सरकार को सुझाव देता है कि इस प्रश्न के लिए 3 व्यक्तियों का एक आयोग अविलम्ब नियुक्त करे, जिसके दो सदस्य सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय के सदस्य हों।

[31 दिसम्बर 1952; कानपुर, पहला सा०अ०]

54.16. राज्य पुनर्गठन आयोग

यह अधिवेशन भारत सरकार द्वारा 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की नियुक्ति का, जिसकी जनसंघ ने अपने प्रथम अधिवेशन में मांग की थी, स्वागत करता है। साथ ही भारतीय जनसंघ सभी संबंधित व्यक्तियों, वर्गों तथा दलों से अपील करता है कि वे अपनी-अपनी विशिष्ट मांगों के लिए आन्दोलनात्मक मार्ग का परित्याग कर अपने सुनिश्चित विचारों को आयोग के सम्मुख रखें तथा उसे एक शान्त वातावरण में कार्य करने का अवसर दें।

यह अधिवेशन कार्य समिति को निर्देश करता है कि वह एक उपसमिति नियुक्ति करे जो देश के प्रशासकीय पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत मसवदा तैयार करे।

[25 जनवरी 1954; बम्बई, दूसरा सा०अ०]

55.21. पंजाबी सूबे की मांग

भारत की राष्ट्रीय एकता तथा भौगोलिक अखण्डता के लिए पंजाब में अकाली दल, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र में नागा-परिषद् तथा दक्षिण में द्रविड़ कड़गम की साम्प्रदायिक तथा विघटनकारी गतिविधियों से जो संकट बढ़ रहा है, उसके प्रति भारतीय जनसंघ तीव्र चिन्ता व्यक्त करता है।

कुछ तत्त्व विभिन्न आवरणों में न केवल साम्प्रदायिक तथा मजहबी आधार

पर अपने लिए पृथक राज्यों की स्थापना का आन्दोलन कर रहे हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय मान-चिह्न तथा एकता के अन्य प्रतीकों का भी खुला अपमान कर रहे हैं।

जनसंघ देश का ध्यान अकाली दल की गतिविधियों की ओर विशेष तौर पर आकृष्ट करना चाहता है जिसने एक पृथक साम्प्रदायिक तथा मजहबी राज्य स्थापित करने के अपने मन्तव्यों को बड़ी चतुरता से, पंजाबी भाषी राज्य के आवरण में उपस्थित किया है।

अन्य स्थानों पर भाषावार राज्यों के निर्माण की मांग के विपरीत अकाली दल की यह मांग सभी पंजाबी भाषा-भाषियों द्वारा समर्थित न होकर अकाली दल के नेतृत्व में चलने वाले सिखों के एक वर्ग द्वारा ही उठाई गई है।

यह खेद का विषय है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस हाईकमान के निर्देशन में, इन राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों का दृढ़ता से सामना करने के बजाय, साम्प्रदायिकता के प्रति तुष्टीकरण की पुरानी नीति का अवलंबन कर, उनके सम्मुख घुटने टेक रही है।

अमृतसर में भाषायी नारों पर लगे प्रतिबन्ध को जिस अशोभनीय रीति से हटा लिया गया और केन्द्रीय सरकार तथा कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब की संकटापन्न परिस्थिति की ओर जिस उपेक्षा वृत्ति का प्रदर्शन किया, उससे पंजाब की जनता में से यह विश्वास उठ गया है कि सरकार इन विध्वंसक तत्त्वों की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगी।

जनसंघ देश की सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से अपील करता है कि वे इस गंभीर संकट का, जो 1947 की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका उत्पन्न करता है, संयुक्त रूप से तथा दृढ़ निश्चय के साथ सामना करें।

भारतीय जनता इस बात को भलीभांति समझ ले कि यदि अकाली दल की सांप्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी मांग के सम्मुख सर झुका लिया गया तो राष्ट्र की एकता के अन्त का आरंभ हो जायेगा और भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित हो सकता है।

[28 अगस्त 1955; कलकत्ता, भा०प्र०स०]

55.29. पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन

एकात्मक शासन—केन्द्रीय कार्य समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया। समिति को सन्तोष है कि आयोग ने भारत की एकता तथा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। आयोग ने पृथक राज्य की अनेक मांगों के मूल में काम करने वाली विघटनात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध देश को जो चेतावनी दी है वह नितान्त उपयुक्त एवं आवश्यक है। आयोग ने भारत में एकात्मक शासन की स्थापना के पक्ष में महत्त्वपूर्ण जन वर्गों द्वारा व्यक्त प्रबल भावनाओं को मान्य कर राष्ट्र की महान सेवा की है। देश की राजव्यवस्था का प्रश्न यद्यपि आयोग के

विचाराधीन विषयों के अन्तर्गत नहीं था, किन्तु फिर भी एकात्मक शासन के पक्ष में जन भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति में, देश में सक्षम तथा प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता का वास्तविक हल स्पष्ट है।

कार्य समिति अपने इस मूलभूत दृष्टिकोण पर दृढ़ है कि एकात्मक शासन, जिसमें राजनीतिक सत्ता को नीचे तक विकेन्द्रित किया जायेगा, न केवल राज्यों के क्षेत्रों के संबंध में किये जा रहे विरोधी दावों से उत्पन्न समस्या का ही स्थायी हल होगा, बल्कि एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति की हमारी आधारभूत मान्यताओं के पूर्णतया अनुकूल होगा।

पुनर्गठन आयोग का युक्तिपूर्ण आधार—कार्य समिति को संतोष है कि आयोग ने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को ठुकरा दिया है और उसके स्थान पर

(*i*) प्रशासनिक सुविधा,
(*ii*) आर्थिक सक्षमता,
(*iii*) राष्ट्रीय विकास योजना की आवश्यकता,
(*iv*) भौगोलिक संबद्धता, तथा सबसे बढ़कर
(*v*) राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा के युक्तिपूर्ण आधार को स्वीकार किया है।

उपर्युक्त सिद्धांतों से पूर्णतया सहमत होने के कारण (जैसा कि जनसंघ द्वारा आयोग को दिये गये स्मृति-पत्र से स्पष्ट है) कार्य समिति आयोग के सुझावों को सामान्यतया स्वीकार करती है। किंतु उसके निम्नलिखित सुझावों से, जो समिति की राय में उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, कार्य समिति का मतभेद है :

(1) यद्यपि आयोग ने वर्तमान हैदराबाद राज्य के विघटन की सर्वसम्मत मांग को स्वीकार कर लिया है, किंतु उसने राज्य के तेलगू-भाषी क्षेत्रों का एक पृथक राज्य बनाने का सुझाव रखा है, जिसकी राजधानी हैदराबाद में होगी और जो 5 वर्ष बाद आंध्र में सम्मिलित हो सकेगा। इस प्रकार के पृथक राज्य के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षेत्र के भविष्य के बारे में अनिश्चितता उसके योग्य विकास में सर्वथा घातक होती है। अतएव प्रस्तावित हैदराबाद राज्य को इसी समय ही आंध्र के साथ मिला दिया जाय।

(2) विदर्भ का बहुत छोटा राज्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मराठी तथा गुजराती भाषा-भाषी क्षेत्रों के दो राज्य आयोग ने बनाने थे, तो महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के पृथक निर्माण का सुझाव उसने रखना चाहिए था। अथवा पश्चिमी प्रदेश के द्विभाषी राज्य की रचना का (जिसमें सभी मराठी तथा गुजराती क्षेत्र हों) प्रस्ताव करना चाहिए था।

(3) आयोग द्वारा प्रस्तावित मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भीमकाय होगा। उसकी जगह या तो दो राज्य बनाये जायें—(1) भोपाल सहित मध्य भारत (2) महाकौशल और विंध्यप्रदेश, अथवा मध्य भारत के कुछ उत्तरी जिलों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय।

कार्य समिति जनता तथा सरकार से उपर्युक्त संशोधनों के साथ आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश करती है और सुझाव देती है कि विभिन्न राज्यों के बीच सीमाओं का तदनुसार उचित निर्धारण किया जाय।

आयोग के सुझावों के प्रति कुछ तत्वों के धमकी भरे रवैये की समिति निंदा करती है। यह खेद की बात है कि प्रतिवेदन के प्रकाशित होने से पूर्व, आयोग के सुझावों पर शांत चित्त से विचार करने तथा उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लेने का जो वातावरण बना था, उसे निहित स्वार्थों तथा कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं ने दूषित कर दिया है। उन्होंने प्रायः सभी राज्यों के प्रश्नों को नये सिरे से उठा दिया है और प्रायः वही स्थिति उत्पन्न कर दी है जो आयोग की स्थापना के पूर्व थी।

कार्य समिति भारत सरकार तथा जनता का ध्यान आयोग द्वारा प्रतिवेदन के चतुर्थ भाग के अंतिम अध्याय में दिये गये सुझावों की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करती है। यदि इन सुझावों को कार्यान्वित किया गया तो राष्ट्र की एकता को कायम रखने तथा सुदृढ़ बनाने में पर्याप्त योग मिलेगा।

कार्य समिति आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने पर जोर देती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय में देर करने से स्थिति और बिगड़ेगी तथा नई उलझनें पैदा होंगी।

[23 अक्तूबर 1955; दिल्ली, के०का०स०]

56.01. पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं

सरकार का संभ्रम—राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा के पश्चात बम्बई, कटक तथा अन्यत्र जो घटनाएं हुई हैं, केन्द्रीय कार्य समिति उन पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।

कार्य समिति स्थान-स्थान पर हुए हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक कांडों की स्पष्ट शब्दों में तीव्र निंदा करती है। समिति का निश्चित मत है कि जनक्षोभ की इन घटनाओं के मूल में यद्यपि भाषावाद तथा क्षेत्रीयता है, तथापि उक्त घटनाओं का तात्कालिक दायित्व सरकार पर है।

आवश्यक था कि राज्य पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार एक राष्ट्रीय नीति का विकास करता और आयोग के प्रस्तावों के संबंध में विचार तथा उनमें परिवर्तन प्रमुख राजनैतिक दलों के साथ परामर्श से किये जाते। किंतु खेद का विषय है कि सरकार ने न केवल कांग्रेस इतर दलों की उपेक्षा ही की है, अपितु इस प्रश्न पर दलगत दृष्टिकोण से विचार एवं निर्णय किया है। पांच क्षेत्रों की कल्पना, बंगाल और बिहार के एकीकरण का प्रस्ताव, द्विभाषी अथवा बहुभाषी राज्यों की चर्चा तथा एक राज्यांतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के सुझाव इस बात के द्योतक हैं कि शासकों के सम्मुख भारत की भावात्मक कल्पना तथा तदनुकूल उसका राजनीतिक ढांचा, सुविचारित सिद्धांत तथा सुनिश्चित नीति नहीं है। यही दिखाई देता है कि वे अंधेरे में टटोल रहे हैं और उनके निर्णय विभिन्न दबावों एवं स्थान-स्थान

की तात्कालिक परिस्थितियों से समझौता करने के अप्रतिष्ठाकारक प्रयत्न मात्र हैं।

एकात्मक शासन—कार्य समिति पुनः एक बार अपने इस मूलभूत विचार की घोषणा करती है कि न केवल वर्तमान विघटनात्मक प्रवृत्तियों का, जो विभिन्न रूपों में राष्ट्र की एकात्मता को खंडित करने का प्रयत्न कर रही हैं, सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, अपितु भारत के स्वाभाविक एवं भावात्मक विकास के लिए भी एकात्मक शासन पद्धति ही सर्वाधिक उपयुक्त है। विगत कुछ मास की घटनाओं के ही कारण क्यों न हो, देश के अनेक राजनीति-शास्त्री इसकी आवश्यकता तथा उपादेयता का अधिकाधिक अनुभव करने लगे हैं। किंतु खेद का विषय है कि सत्तारूढ़ नेता जो देश की एकता की दुहाई देते नहीं थकते, उस एकता की अभिव्यक्ति एवं संरक्षण करने वाले संविधान की स्थापना का क्रांतिकारी पग उठाने का साहस नहीं कर पाते।

संविधान के लिए एकात्वक रूप—यदि शासन का आज का ही ढांचा बनाये रखना है तो भी जनसंघ अनुभव करता कि है संविधान में निम्नलिखित आधार पर संशोधन आवश्यक है :—

(*i*) 'संघ' सरकार के स्थान पर 'केन्द्रीय' सरकार तथा 'राज्य' के स्थान पर 'प्रदेश' शब्दों का उपयोग हो।

(*ii*) समवर्ती सूची को केन्द्रीय सूची में मिला दिया जाय।

(*iii*) स्थानीय निकायों को संविधान के अंतर्गत शक्ति दी जाय।

(*iv*) आयोग के प्रतिवेदन के चतुर्थ भाग के चतुर्थ अध्याय में सन्निहित अभिप्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाय।

प्रादेशिक पुनर्गठन के संबंध में कार्य समिति का मत है कि :

(*i*) नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षेत्र का शासन सीधे केन्द्र के अधीन न हो।

(*ii*) विवादग्रस्त क्षेत्रों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया जाय।

जनता तथा सभी दलों से कार्य समिति अपील करती है कि प्रादेशिक पुनर्गठन के प्रश्न पर वे ऐसे कोई आंदोलन का मार्ग न अपनायें जो (क) भारत की एकता तथा सुरक्षा को खतरा पहुंचायें, (ख) अशांति निर्माण करें, या (ग) पारस्परिक प्रेम तथा सदभावना को धक्का पहुंचायें।

[19 फरवरी 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.02. अकाली सरकार वार्ता

पंजाब की समस्या के संबंध में भारत सरकार तथा अकाली दल के बीच आयोग की सिफारिशों को ताक पर रखने के लिए एकांगी समझौते की जो वार्ता चली है, उसे केन्द्रीय कार्य समिति गंभीर दृष्टि से देखती है और सरकार को यह चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझती है कि अकाली दल की सांप्रदायिकता के साथ

किया गया कोई भी समझौता भारत-विभाजन के दुःखदायी इतिहास की पुनरावृत्ति का कारण बनेगा।

[19 फरवरी 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.06. पुनर्गठन आयोग विधेयक संबंधी कुछ सुझाव

भारतीय जनसंघ ने कुछ संशोधन के सुझावों सहित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आमतौर से अपनी सहमति प्रकट की थी। लेकिन, भारत सरकार ने कोई स्थायी सिद्धांतों को अपनाये बिना और कई मामलों में निहित स्वार्थों एवं सांप्रदायिक गुटों को खुश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से हटकर स्थिति को बिगाड़ दिया है। परिणामस्वरूप गंभीर आंदोलन छिड़े, प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हुई और व्यापक पैमाने पर दंगे-फसाद हुए जो बेहद निंदनीय हैं।

फिलहाल स्थिति में कुछ सुधार हुआ है व बड़े पैमाने पर फैली गड़बड़ी रुक गई है। राज्य पुनर्गठन के बारे में एक विधेयक संसद में पेश है। कुछ क्षेत्रों, खास कर पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र और पंजाब में शांतिपूर्ण आंदोलन, मुख्यतः सत्याग्रह के रूप में अब भी जारी है।

बंगाल-बिहार विलय—पूर्वी क्षेत्र में, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से सर्वथा भिन्न, पश्चिमी बंगाल-बिहार के विलय के रूप में अचानक एक नया सुझाव सामने आया। बंगाल में इस सुझाव का प्रायः सबने विरोध किया और बिहार में भी इसका स्वागत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इस सुझाव में संशोधन किया गया और दो राजधानियों, दो उच्च न्यायालयों, दो क्षेत्रीय परिषदों, दो बजट, दो विधान-मंडल तथा किसी भी घटक को अलग हो जाने की छूट आदि की नई बातें जोड़ दी गई जिससे 'विलय' प्रस्ताव अच्छा खासा मजाक बन गया। इस निष्कर्ष को भी बल मिला कि स्वयं मूल प्रस्ताव भी ईमानदारी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ गुटों की स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से रखा गया था। अतः जनसंघ अनुभव करता है कि इस तथाकथित 'विलय' प्रस्ताव को अब पूरी तरह त्याग दिया जाना चाहिए।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, चूंकि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की द्विभाषी राज्य की सिफारिश को त्याग दिया है और पृथक महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेश बनाना मंजूर किया है, अतः कोई कारण नहीं कि बम्बई शहर को—जो निर्विवाद रूप से मराठी क्षेत्र है—महाराष्ट्र में सम्मिलित न कर, केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में रखा जाय। नई दिल्ली को छोड़कर जनसंघ किसी भी क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश रखने के पक्ष में नहीं और अपने इस मत के अनुसार ही जनसंघ की राय में बम्बई को महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

चौखंडी व्यवस्था—प्रांतों के किसी समूह के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाने के बारे में, जिसे केवल परामर्श देने का अधिकार होगा, जनसंघ अनुभव करता है कि यह एक प्रतिगामी पग होगा क्योंकि ऐसी परिषदों से देश की एकता मजबूत होने

के बजाय अंतर्प्रान्तीय कटुता ही बढ़ेगी। भारत संघ के भीतर ऐसी क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना से राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा बढ़ने के बजाय क्षेत्रीय निष्ठाएं जागेंगी। फिर प्रांत के भीतर क्षेत्रीय समितियां और प्रांतों के ऊपर क्षेत्रीय परिषदें होंगी तथा इन दोनों के बीच में प्रांत और सबसे ऊपर केन्द्र होने से संवैधानिक ढांचा और अधिक उलझनपूर्ण बन जायेगा। देश की स्थिति एवं राष्ट्रीय एकता का तकाजा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक में सुझाई गई चौखंडी व्यवस्था के बजाय देश में एकात्मक शासन होना चाहिए। इस चौखंडी व्यवस्था से तो भारत संघ के अतिरिक्त उपसंघ और महासंघ की भी स्थापनाएं होंगी जिनमें परस्पर टकराव हो सकता है और समूचे देश के व्यापक राष्ट्रीय हितों की हानि हो सकती है।

[21 अप्रैल 1956; जयपुर, चौथा सा०अ०]

56.17. पुनर्गठन विधेयक

केन्द्रीय कार्य समिति ने राज्य पुनर्गठन विधेयक, बंगाल और बिहार (क्षेत्रों की अदला-बदली) विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार किया और संसद में अपने प्रतिनिधियों को यह निर्देश देने का निर्णय किया कि वे उनमें संशोधन पेश करे और इस संबंध में जनसंघ की नीति एवं लक्ष्यों के अनुरूप अन्य आवश्यक पग उठायें।

[21 जुलाई 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.22. शरारतपूर्ण पुस्तक आंदोलन

'रिलीजस लीडर्स' (धार्मिक नेता) शीर्षक पुस्तक के कुछ आपत्तिजनक गद्यांशों को लेकर, जिसे किसी अमरीकी लेखक ने लिखा और जो पिछले 15 वर्षों से संसार भर में बिक रही है—जो शरारतपूर्ण आंदोलन चला है, केन्द्रीय कार्य समिति उसे बहुत गंभीर समझती है। आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पुतला जलाने, पाकिस्तानी झंडे लगाने, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और 'पाकिस्तान जिन्दाबाद,' 'हिन्दुस्तान मुर्दाबाद' के राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने की वह तीव्र निंदा करती है। पुस्तक का प्रचार रोक दिये जाने और भारत में उसका प्रकाशन करने वालों द्वारा खेद प्रकट करने के बाद भी आंदोलन का जारी रहना यही सूचित करता है कि इसका उद्देश्य पुस्तक के किसी आपत्तिजनक गद्यांश का विरोध करने से भिन्न कुछ और भी है। इस प्रसंग में समिति बताना चाहती है कि यह आंदोलन अपने ढंग का पहला नहीं। भारत के कुछ मुसलमानों में अलगाव और सांप्रदायिकता की भावना को स्थायी बनाये रखने के लिए पिछले 5 वर्ष से जो प्रयत्न हो रहे हैं, यह उस शृंखला की कड़ी है।

सरकार ने इस आंदोलन के प्रति जो दुर्बल नीति अपनाई, समिति उस पर अपना गहरा असंतोष व्यक्त करती है। सरकार ने यदि आरंभ से ही आंदोलनकारियों के प्रति दृढ़ नीति अपनाई होती और कांग्रेस के चोटी के नेताओं, विशेषतः श्री नेहरू और मौलाना आजाद ने आंदोलन के प्रति रहस्यपूर्ण मौन धारण करने के बजाय स्पष्ट शब्दों में उसकी निंदा की होती तो वैसा गंभीर और हिंसात्मक रूप वह न धारण करता जैसा कि कर गया। मुसलमान आंदोलनकारियों के साथ जनसंघ के भी कार्यकर्ताओं को तंग करना और उन्हें गिरफ्तार करना यह सिद्ध करता है कि सरकार न केवल 'फूट डालो, राज करो' की और 'हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक धरातल पर रखने' की पुरानी ब्रिटिश नीति अपनाये हुए है, बल्कि देश में अपने मित्र और शत्रु में भी अंतर करने में वह असमर्थ है।

आगामी आम चुनावों में मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के घिनौने उद्देश्य से कुछ राजनीतिक दलों ने राष्ट्र-विरोधी आंदोलनकारियों का जिस प्रकार से समर्थन किया, समिति उसकी भी कठोर शब्दों में निंदा करती है। राजनीतिक लाभ कमाने के उद्देश्य से राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की यह मनोवृत्ति देश के लिए आत्मघाती और घृणास्पद है।

जबर्दस्त भड़कावे के बावजूद जनता ने जिस धैर्य का परिचय दिया और उग्र धार्मिक उन्माद के बावजूद, उसने सहिष्णुता की जिस भावना का परिचय दिया है उसके लिए कार्य समिति जनता को साधुवाद देती है। समिति भारतीय जनता का आवाहन करती है कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने और एकता को नष्ट करने के उद्देश्य से रचे जाने वाले इन षडयंत्रों को विफल करने के लिए वह संगठित हो। वह भारत सरकार को भी आगाह करती है कि वह इस आंदोलन के पीछे छिपी विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रभावशाली पग उठाये।

[6 अक्तूबर 1956; पूना, के०का०स०]

56.23. पंजाब में अकाली-कांग्रेस आतंक

हाल की घटनाओं से पंजाब में जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति ने उस पर विचार किया।

अकाली-कांग्रेस गठजोड़—कांग्रेस ने अकाली दल के साथ अपने समझौते को अभी-अभी अंतिम रूप प्रदान किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि अपनी अवसरवादी नीति का अनुसरण करते हुए तथा भलेबुरे सभी उपायों से बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से, कांग्रेस किस अविवेकपूर्ण ढंग से राष्ट्रवाद के सभी आदर्शों और जनकल्याण की भावना को बाजू कर सकती है। 1951-52 के आम चुनाव के दौरान अकाली दल का विरोध करना पंजाब में कांग्रेसी कार्यक्रम का प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस ने अकाली दल को सांप्रदायिक और पृथकतावादी बताया था लेकिन अब स्वयं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सुझाये गये महापंजाब के सुझाव को ठोकर मारकर तथा 'क्षेत्रीय फार्मूले' को स्वीकार करके (जिसके द्वारा पंजाब का सांप्रदायिक आधार पर लगभग विभाजन हो गया है) कांग्रेस और अकाली दल के बीच

समझौता हुआ है और इस प्रकार अकाली दल की सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी इच्छाओं को स्वीकार करके कांग्रेस ने स्वयं घुटने टेक दिये हैं। कार्य समिति इस अकाली-कांग्रेस समझौते को राष्ट्रहित के विरुद्ध और सांप्रदायिकतावादी शक्तियों के सामने पूर्ण समर्पण की कार्यवाही समझती है और उसकी निंदा करती है।

पंजाब में नागरिक आज़ादी—कांग्रेस सरकार ने पंजाब में प्रतिपक्षी दलों और उनके कार्यकर्ताओं का दमन करने की हाल में ही जो नीति अपनाई है कार्य समिति उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। समूचे प्रदेश में पंजाब सरकार ने जनसंघ और महापंजाब समिति के हजारों कार्यकर्ताओं को बड़े बेहूदा आरोप (यथा हत्या करने का प्रयास, डकैती करने, आदि) लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया है। प्रतिपक्षी दलों के विरुद्ध गुंडागर्दी छेड़ दी गई है, प्रैस का गला घोंट दिया गया है तथा प्रमुख विरोधी नेताओं की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। समूचे पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के हौसले पस्त कर दिये गये हैं, पंजाब की गैर-अकाली जनता के बहुतांश के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई है और प्रान्त में नागरिक आज़ादी की रोशनी को लगभग गुल कर दिया गया है।

कार्य समिति पंजाब सरकार की इस दमनकारी नीति की घोर निंदा करती है और मांग करती है कि पंजाब सरकार गिरफ्तार व्यक्तियों को अविलंब रिहा करके उनके विरुद्ध मुकदमें वापस ले। इस प्रकार इस दमनकारी नीति को अविलंब समाप्त करें तथा आने वाले आम चुनावों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रचार करने की छूट दें।

पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाली महापंजाब समिति के और उसके साथ काम करने वालों के वीरतापूर्ण संघर्ष को (जो वे कांग्रेसी दमन और अकाली सांप्रदायिकता के विरुद्ध चला रहे हैं) समिति साधुवाद देती है और आवाहन करती है कि वे समूचे पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूले का विरोध, नागरिक आज़ादी का पुनर्स्थापन और महापंजाब को अपना चुनाव मुद्दा बनाकर आम चुनाव लड़ें ताकि वर्तमान दमन का अंत किया जा सके।

[6 अक्तूबर 1956; पूना, के०का०स०]

58.05. पंजाब की स्थिति

पंजाब में पुलिस की ज्यादतियाँ—भारतीय जनसंघ पंजाब की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। राज्य पुनर्गठन, भाषा, अर्थव्यवस्था, कराधान आदि प्रश्नों पर शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों पर जनमत में व्यापक व प्रबल असंतोष तो है ही, किन्तु नागरिक स्वाधीनता की रक्षा तथा आश्वस्ति करने और शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करने में शासन की क्षमता में जनता का विश्वास दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। सिरसा में पुलिस की ज्यादतियां, होशियारपुर का निर्मम लाठीचार्ज, बहूअकबरपुर तथा नयाबांस के अमानवीय

अत्याचार, फिरोजपुर में जेल में प्राणघातक दण्ड प्रहार तथा जालन्धर का गोली-काण्ड ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पंजाब प्रशासन के निरंकुश स्वरूप का नग्न प्रकटीकरण कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा न्यायालयों में प्रतिष्ठित नागरिकों की मारपीट, उनके ऊपर कुत्सित उपायों का प्रयोग आदि के जो आरोप हैं वे यह सिद्ध करते हैं कि पंजाब की पुलिस तथा उसके नियंता न तो कानून का समादर करना सीखें हैं और न मानव की प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्र जनतंत्र के मूल्यों से अवगत हैं। विभिन्न जांच समितियों ने शासन के अतिरेक एवं मर्यादा के उल्लंघन को स्वीकार किया है किन्तु सरकार ने दोषी अपराधियों को कोई दण्ड नहीं दिया। अपितु यह कहने का कारण है कि कई अधिकारियों को जिन्होंने हिंसा का अवलंबन कर जनाधिकारों का हनन किया व जनता के जीवन से खिलवाड़ किया उनको उलटे पुरस्कृत किया गया है।

सांप्रदायिकता के साथ समय-समय पर किये गये समझौतों से जनित सरकार अपने आपको सत्तारूढ़ रखने के लिए अधिकाधिक सांप्रदायिकता का सहारा लेती जा रही है। विभिन्न संप्रदायों के बीच मनमुटाव और द्वेष पैदा कर, 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाने के साथ-साथ एक संप्रदाय को बढ़ावा देने और दूसरे का एक प्रकार से मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति का परिणाम जन सेवाओं (Public services) पर भी हुआ है जो आज निर्भरता तथा निष्पक्षता से अपने दायित्व का पालन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। सुरक्षा का भाव समाप्त होकर उनके मन में अपने भविष्य के संबंध में गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो हो गई हैं।

पंजाब जैसे सीमा प्रांत में अधिक दिनों तक इन परिस्थितियों का बना रहना देश की सुरक्षा के लिए भी संकट का कारण हो सकता है। केन्द्र शासन की इस विषय में विशेष जिम्मेदारी है। जनसंघ मांग करता है कि वह प्रभावी पग उठाकर अपने इस दायित्व का पालन करे। इस विषम परिस्थिति और भीषण अत्याचारों के बावजूद पंजाब की जनता ने जिस दृढ़ता, एकता, साहस और सहनशीलता का परिचय दिया है और राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए जो सफल संघर्ष किया है उसके लिए जनसंघ उसे बधाई देता है और विश्वास दिलाता है उसके इस महान प्रयास में देश की समस्त राष्ट्रीय शक्तियां उसके साथ हैं।

शहीद सुमेरसिंह—भारतीय जनसंघ इस संघर्ष में शहीद सुमेरसिंह एवं बलिदानी वीरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

[5 अप्रैल 1958; अम्बाला, छठा सा०अ०]

58.15. बंबई राज्य का पुनर्गठन

राज्यों के पुनर्गठन के समय भारतीय जनसंघ ने निश्चय किया था कि आयोग ने जिन सिद्धांतों को स्वीकार किया है उसके आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र के दो पृथक प्रांत बनाये जाने चाहिए। इन क्षेत्रों की जनता ने भी विभिन्न

आंदोलनों और चुनावों के माध्यम से ऐसा ही विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। यह खेद का विषय है कि सरकार ने न केवल आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध काम किया बल्कि जन भावनाओं की भी उपेक्षा की और वर्तमान बंबई राज्य का निर्माण किया। किंतु गत एक वर्ष के अनुभव से स्पष्ट हो गया कि बंबई राज्य का प्रयोग विफल रहा और इसके विरुद्ध सर्वत्र व्यापक असंतोष है जिससे लोकतंत्र विरोधी और तोड़फोड़ करने वाली शक्तियां लाभ उठा रही हैं।

स्थिति का तकाजा है कि सरकार झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ दे और समूची स्थिति पर यथार्थवादी दृष्टि से विचार करे। राष्ट्रीय एकता, शांतिपूर्ण प्रगति और स्वस्थ लोकतंत्रीय परंपरा कायम करने के लिए, बिना विलंब किये बंबई राज्य को पृथक-पृथक महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के रूप में पुनर्गठित करे।

[19 जुलाई 1958; बंबई, के०का०स०]

58.30. मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

बंबई और मैसूर की सीमा पर बेलगांव तथा अन्य क्षेत्रों में जो स्थिति पैदा होने दी गई, जनसंघ का यह अधिवेशन उसकी निंदा करता है। केन्द्र सरकार ने अपना कर्तव्य निभाने में कोताही बरती, जिसके कारण भारत के दो प्रांतों में सीमा संबंधी मामूली विवाद इतना गंभीर रूप धारण कर गया। उचित तो यह था कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार इस समस्या के हल करने के लिए केन्द्र सरकार एक आयोग नियुक्त कर देती किंतु उसने किया यह कि इस प्रश्न को दो पड़ोसी प्रांतों पर ही छोड़कर बस किया जिससे वे आपस में ही इसे तय करें।

जनसंघ मांग करता है कि केन्द्र सरकार इस समस्या को हल करने के लिए अविलंब पग उठाये। वह जनता से भी अनुरोध करता है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे कि संबंधित क्षेत्र के दो भाषायी समुदायों में कटुता पैदा हो।

[28 दिसम्बर 1958; बंगलौर, सातवां सा०अ०]

59.16. बंबई राज्य का पुनर्गठन

बंबई प्रदेश के वर्तमान राज्य के निर्माण का वहां की जनता के सभी वर्गों ने विरोध किया था और भारतीय जनसंघ भी अरसे से यह मांग कर रहा है कि वर्तमान बंबई राज्य का पुनर्गठन किया जाय। अतः इस दिशा में उठाये गये पग का, जनसंघ स्वागत करता है। किंतु कांग्रेस के अतिरिक्त राज्य की शेष जनता, और वहां के विधान-मंडलों एवं संसद तक की पूर्ण अवहेलना करके, इस प्रश्न को कांग्रेस दल का घरेलू मामला मानकर जिस तरह इसे बरता जा रहा है, जनसंघ उसकी निंदा करता है। राज्य की जनता के विभिन्न पक्षों के एवं हितों के प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने और सबके पूर्ण सहयोग से किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय कांग्रेस हाईकमान, आदेश पर आदेश जारी कर

रही है और चाहती है कि संसद तथा राज्य-विधान-मंडल उन्हें स्वीकार कर लें और जनता उन्हें शिरोधार्य करे। स्पष्टतः इस तरीके में विभिन्न क्षेत्रों की जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। कांग्रेस उपसमिति की रिपोर्ट के विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष ही बढ़ा है।

कार्य समिति केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह ऐसी वैधानिक सूरत निकाले, जिससे जनता के प्रतिनिधि मिलकर एक ऐसा हल खोजें ताकि जो भी नयी व्यवस्था हो उसमें विभिन्न क्षेत्रों की जनता के बीच कटुता और टकराव बढ़ने का खतरा न रहे और सबकी इच्छाओं को भी यथासंभव पूरा किया जा सके।

[6 दिसम्बर 1959; सूरत, के०का०स०]

60.08. पंजाबी सूबे की मांग

भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत रहा है कि भारत-विभाजन के बाद बचे हुए पंजाब का किसी आधार पर दूसरा विभाजन न हो। इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास के लिए आवश्यकताएं, तुलनात्मक दृष्टि से छोटा क्षेत्र एवं जनसंख्या, तथा पश्चिमी पंजाब से आये विस्थापितों के पूर्वी पंजाब के अंबाला विभाग में पुनर्वास के कारण प्रत्येक जिले, नगर और गांव में हिंदी और पंजाबी बोलने वालों की मिलावट ने इसका विभाजन संपूर्ण देश एवं पंजाब के लिए हानिकर होने के साथ, व्यावहारिक दृष्टि से भी असंभव बना दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग भी पंजाबी सूबे के नाम पर सिख बहुमत का राज्य बनाने के हामियों के विचार सुनने और भलीभांति सोचने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के इस स्पष्ट निर्णय के बाद भी कि पंजाब का भाषा के आधार पर शासन ने कोई विभाजन संभव नहीं है भारतीय जनसंघ के विरोध के बावजूद, शासन ने पंजाब को मनमाने तरीके से टुकड़ों में बांटने तथा उन्हें क्षेत्रीय समितियां देकर अकाली दल के तुष्टीकरण का प्रयत्न किया। सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी दुराग्रहियों के इस तुष्टीकरण का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि अकालियों की अलगाव की भूख और बढ़ गई।

अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुद्वारा चुनावों के बाद मास्टर तारासिंह ने फिर से पंजाब के बंटवारे और अपनी कल्पना के सिख राज्य की मांग को दुहराया है। किंतु यह साफ तौर से समझना चाहिए कि गुरुद्वारा के चुनाव केवल सिखों के (जो पंजाब की जनसंख्या का केवल एक-तिहाई है) पंथ के प्रश्न को लेकर लड़े गये थे। इन चुनावों का एक ही अर्थ लगाया जा सकता है कि उस संप्रदाय में से उन लोगों का बहुमत जिन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों में भाग लिया, गुरुद्वारों का प्रबंध मास्टर जी और उनके साथियों के हाथों में सौंपना चाहता है। इसका अर्थ पंजाब के विभाजन के लिए किसी भी प्रकार का समर्थन लगाना गलत होगा। यह प्रश्न राजनीतिक है और उसका संबंध पंजाब

की संपूर्ण जनता से है। पंजाब की जनता का भारी बहुमत जिनमें बहुत बड़ी संख्या में सिख भी सम्मिलित हैं, इस सांप्रदायिक एवं पृथकतावादी मांग के विरुद्ध हैं। वर्तमान बंबई राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात के दो स्वयंपूर्ण भाषिक क्षेत्रों में विभाजन से इस मांग की कोई तुलना नहीं की जा सकती। फिर जनसंघ अथवा सरकार ने भी कभी भाषा को राज्य रचना का एकमात्र आधार नहीं माना है। इसके अतिरिक्त पंजाबी सूबे की मांग का पंजाबी भाषा से कोई संबंध नहीं है।

अतः कार्य समिति मास्टर तारासिंह से अपेक्षा करती है कि वे गुरुओं की परंपरा के अनुसार पंजाब की एकता को बनाये रखने का ही काम करेंगे न कि उसे बांटने का। समिति केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस विषय में दृढ़ता से काम ले तथा किसी भी प्रकार के विछिन्नकारी एवं राष्ट्र-विरोधी मनसूबों को पूरा करने के लिए अपनाई गई दबाव की चालों के सामने न झुकें। पंजाब के सभी राष्ट्रवादी तत्वों से तथा विशेषकर जनसंघ की पंजाब शाखा से आग्रह है कि वे इस शरारत भरी मांग के विरुद्ध जन-जागरण के लिए सभी पग उठायें।

[25 जनवरी 1960; नागपुर, आठवां सा०अ०]

60.12. पंजाबी सूबे की मांग

भारतीय जनसंघ सदैव से ही पंजाब को और अधिक विभाजित करने का विरोधी रहा है। पंजाबी सूबे के नाम पर अकाली दल द्वारा जो मांग रखी जा रही है वह प्रशासकीय सौकार्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्र की सुरक्षा और एकता तथा भाषायी संबद्धता के राज्यों के पुनर्गठन के हेतु मान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल है। भाषा की दृष्टि से वर्तमान पंजाब एक द्विभाषी क्षेत्र है जिसका भाषानुसार पृथक्करण प्रादेशिक आधार पर संभव नहीं है। इस तथ्य को राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी स्वीकार किया था।

तथ्य तो यह है कि अकाली दल जिस तथाकथित पंजाबी सूबे की मांग कर रहा है उसका संबंध पंजाबी भाषा से न होकर एक नितांत संकीर्ण तथा सांप्रदायिक राज्य स्थापित करने की मनोवृत्ति से है। यह दुःख का विषय है कि पाकिस्तान की निर्मिति के घातक परिणामों के उपरांत भी न तो मास्टर तारासिंह ने अपनी अंग्रेजी राज्यकाल से चली आई पृथकतावादी मनोवृत्ति को त्यागा और न कांग्रेस शासन तथा पार्टी ने ही राष्ट्र-विरोधी तत्वों के प्रति तुष्टिकरण की नीति में ही परिवर्तन किया। कांग्रेस पार्टी ने इस नीति के अनुसार और अपने दलगत स्वार्थों की पूर्ति के हेतु अकाली दल के साथ समय-समय पर समझौते करके सच्चर और पैप्सू फार्मूले, क्षेत्रीय समितियों की योजना आदि बनाकर पृथकतावादी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन ही दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज अकाली दल अपने मंसूबों को पूरा करने हेतु शासन से टक्कर लेने के लिए भी खड़ा हो गया है। अकाली नेताओं के हाल के पाकिस्तान के दौरे तथा उनके भाषणों की पृष्ठभूमि में

और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब एक सीमावर्ती प्रदेश है, अकाली आंदोलन से खतरा और भी बढ़ गया है।

आवश्यक है कि अकाली सांप्रदायिकता का डटकर मुकाबला किया जाय। इस हेतु पंजाब ही नहीं तो संपूर्ण भारत की जनता को अकाली दल की मांग का सच्चा स्वरूप बताकर, राष्ट्रीय एकता के लिए उत्पन्न इस नये संकट के प्रति उसे सचेत करना होगा। जनसंघ शासन से अपेक्षा करता है कि वह इस विषय में अपने कर्तव्य का समुचित रूप से निर्वाह करेगा और किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं दिखायेगा। शासन की पिछली नीतियों के कारण उसकी दृढ़ता के संबंध में हम आशंकित हैं। अतः आवश्यक है कि राष्ट्रवादी शक्तियां सदैव जागरूक और राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहें। भारतीय जनसंघ कृत संकल्प है कि वह किसी भी परिस्थिति में पंजाब के बंटवारा द्वारा देश का पुनर्विभाजन नहीं होने देगा।

भारतीय जनसंघ देश के सभी राष्ट्रवादी तत्वों और दलों से अपील करता है कि वे अकाली मांग की वास्तविकता को भलीभांति समझें तथा भ्रमवश अथवा क्षुद्र दलीय स्वार्थों की पूर्ति के हेतु उनको बढ़ावा देने की भूल न करें।

[1 जून 1960; दिल्ली के०का०स०]

60.17. असम में उपद्रव

सप्ताहों तक सरकार गायब—पिछले कुछ महीनों में असम में जो अप्रिय घटनाएं हुई भारतीय जनसंघ उन पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। ऐसा जान पड़ता है कि भाषा आंदोलन की ओट में वहां असमियां भाषा-भाषियों के एक वर्ग ने असम घाटी से बंगाली-भाषी हिंदू आबादी को निकाल बाहर करने का शर्मनाक षडयंत्र रचा है, जिसके कारण वहां बड़े पैमाने पर हत्याएं, लूट-पाट, आगजनी, शील-भंग आदि की घटनाएं हुई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिछले जुलाई मास में कई सप्ताह तक ऐसा प्रतीत हुआ कि असम घाटी में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रही—कानून और व्यवस्था पूरी तरह भंग हो गई। असम सरकार पंगु थी और कदाचित वह स्वयं बंगाली-भाषी हिंदुओं को निकाल बाहर करने के लिए आरंभ किये गये इस हिंसात्मक आंदोलन को रोकना नहीं चाहती थी। जब राज्य सरकार का प्रशासन तंत्र कई सप्ताह तक टूटा पड़ा था तब केन्द्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया और इस प्रकार वह भी अपने दायित्व की उपेक्षा करने के गंभीर आरोप से मुक्त नहीं है।

भारतीय जनसंघ इस समस्या को केवल 'असमियां बनाम बंगाली' विवाद नहीं मानता। जड़ें इससे भी अधिक गहराई तक पैठीं हैं। प्रश्न यह है कि भारत के प्रत्येक भाग में भारत के प्रत्येक नागरिक को रहने और पूर्ण सुरक्षा एवं सम्मान के साथ अपना व्यवसाय करने का अधिकार है या नहीं। बहाना चाहे जो हो, यदि

संपत्ति और जीवन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है तो वह समूचे राष्ट्र की एकता पर प्रहार है। भारतीय जनसंघ ऐसे आचरण को राष्ट्र के प्रति अपराध समझता है और इसकी निंदा करता है।

फिर, सब प्रकार के आंदोलन चाहे वे भाषायी हों या कुछ अन्य, शांतिपूर्ण एवं सभ्य तरीके से चलाये जाने चाहिए और उन्हें हत्या, लूट, आगजनी, शीलभंग व आतंक के आंदोलन नहीं बनने देना चाहिए जैसा कि असम में हुआ है।

इन उपद्रवों के कारण स्वभावतः बंगाली-भाषी हिंदू भारी संख्या में असम से अपने घरों को छोड़कर भागे और पश्चिमी बंगाल, कछार (असम) और त्रिपुरा में प्रविष्ट हुए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्हें असम में अपने घरों में वापस ले जाने और सुरक्षा एवं सम्मान की भावना के साथ उनके पुनर्वास के लिए तत्काल पग उठाये जाने चाहिए। लेकिन, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विस्थापितों के मन में यह विश्वास दृढ़ता के साथ नहीं जमा दिया जाता कि सरकार शांति और व्यवस्था की ईमानदारी से रक्षा करना चाहती है और वह इसमें समर्थ है। सच तो यह है कि हाल के उपद्रवों से जनता का यह विश्वास पूरी तरह डिग गया है।

विश्वास जमाने और शरारती तत्वों को दंडित करने के लिए, जनसंघ की राय में निम्नलिखित पग अविलंब उठाये जाने चाहिए :

(*i*) असम सरकार को अपदस्थ करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय।

(*ii*) गुंडों को गिरफ्तार किया जाय और उन्हें कठोर दंड दिया जाय जिससे ऐसा करने का फिर कभी किसी को साहस न हो।

(*iii*) (उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में) न्यायिक जांच कराई जाये जो उपद्रवों के स्वरूप और उनके कारणों की तह तक जाये। इन उपद्रवों के पीछे जिन (विशेषतः पाकिस्तान-परक तत्वों और राजनीतिक पार्टियों) का हाथ है उनका पता लगाये, सही तथ्यों को उजागर करे और समूची पृष्ठभूमि की जांच करे। इस न्यायिक जांच आयोग की सिफारिशों पर अविलंब अमल किया जाय।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

61.11. सांप्रदायिक खतरा

जबलपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में संप्रदायवादी तथा मजहबी नामाविधान वाले दलों के चुनाव में भाग लेने पर कानूनी प्रतिबंध को लगाने के प्रश्न को जिस ढंग से उठाया गया है और सत्तारूढ़ पार्टी इस संबंध में सरकार को नये तथा व्यापक अधिकारों से सज्जित करने के लिए जिस जल्दबाजी से काम ले रही है, वह सभी लोकतंत्र प्रेमियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

अपवित्र गठजोड़—एक लोकतंत्रवादी देश में जहां प्रत्येक वयस्क को, बिना मजहबी या सांप्रदायिक भेद-भाव के आधार पर, मताधिकार का उन्मुक्त उपयोग

करने की गारंटी दी गई है, सांप्रदायिकता, जातिवाद तथा क्षेत्रीयता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के 13 वर्ष पश्चात भी यदि यह अवांछनीय प्रवृत्तियां सक्रिय और सशक्त हो रही हैं तो इसका दायित्व प्रमुखतया सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर है जो इस कालावधि में राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण का तथा आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति का कोई शुद्ध और सुदृढ़ आधार रखने में सफल नहीं हो सकी है। सत्य तो यह है कि उस घातक द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को, जिसकी चरम परिणति भारत-विभाजन के रूप में हुई, समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसका दुष्परिणाम मुस्लिम सांप्रदायिकता के पुनर्जागरण के रूप में हुआ है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ किये गये घृणित गठबंधन ने सांप्रदायिकता को न केवल सम्मानास्पद स्वरूप दे दिया है, बल्कि देश के अन्य भागों में रहने वाले मुसलमानों को भी संप्रदाय के आधार पर संगठित होकर राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अन्य दलों से मोल-तोल की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय मुसलमानों के स्वयंभू संरक्षक बनने के प्रयासों से तथा भारत स्थित पाक पंचमांगियों की ध्वंसात्मक गतिविधियों के कारण, जिनका उद्देश्य भारत के मुसलमानों को भारत-निष्ठ बनने से रोकना और भारत को सब प्रकार से क्षतिग्रस्त करना है, स्थिति और भी बिगड़ गई है।

कम्युनिस्ट चाल—यह खेद का विषय है कि जबलपुर तथा अन्य स्थानों में हुए सांप्रदायिक उत्पातों की कारण-मीमांसा करने के बजाय कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दल उसे तोड़-मरोड़ कर प्रचारित कर रहे हैं और आगामी आम चुनाव पर दृष्टि रखकर मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तो जबलपुर कांड एक बहु-प्रतिक्षित अवसर के रूप में आया है जिसका लाभ उठाकर चीनी आक्रमण के विरुद्ध समस्त राष्ट्रवादी तथा लोकतांत्रिक दलों के एक संयुक्त मोर्चे में दरार डालने और राजनीतिक क्षेत्र में अपने अकेलेपन को समाप्त करने की रणनीति का उसने अवलंबन किया है। भारतीय जनसंघ के विरुद्ध उसका प्रचार-अभियान, जिसमें सत्य की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया गया है—उसकी इसी नीति का एक अंग है। आश्चर्य की बात है कि कम्युनिस्ट हथकंडों से परिचित होने का दावा करने वाले दल तथा व्यक्ति भी जान-बूझकर अथवा अनजाने में उनके हाथों में खेल रहे हैं और राष्ट्रीय रंगमंच पर पुनः ससम्मान कम्युनिस्ट पार्टी के अवतीर्ण होने के प्रयत्न में सहायक हो रहे हैं।

आधारभूत मान्यताएं—भारतीय जनसंघ अपने जन्मकाल से सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद तथा क्षेत्रीयता के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है और इन अवांछनीय प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके लिए जनसंघ ने अपनी आधारभूत मान्यताओं में एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति

की परिकल्पना को स्थान दिया है और संप्रदाय, मजहब, भाषा तथा प्रांत के आधार पर राजनीति में किसी प्रकार की पृथकता को प्रश्रय दिया जाना दृढ़ता-पूर्वक अस्वीकार कर दिया है।

केन्द्रीय कार्य समिति का यह सुविचारित मत है कि सांप्रदायिकता के प्रति केवल नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलना अभीष्ट परिणाम नहीं देगा। पुलिस तथा कानून के प्रयोग से कुछ काल के लिए उसे दबा भले ही दिया जाय किंतु, उसका सर्वथा निर्मूलन ऐसे नहीं किया जा सकता। समस्या दिलों और दिमागों को संकुचितता के गड्ढे में से निकालकर राष्ट्रीयता के विशाल दृष्टिकोण से संपन्न करने की है। यह कार्य बलात अथवा कानून मात्र से नहीं हो सकता। इसके लिए एक भावात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। संकीर्ण निष्ठाओं की निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें उच्चतर निष्ठाओं द्वारा स्थानापन्न करने का योजनाबद्धप्रयास होना चाहिए —उनका भारतीयकरण होना चाहिए। विघटनवादी प्रवृत्तियां एक दृष्टि से हमारे बहुविधि पिछड़ेपन का ही प्रकटीकरण हैं और उनके निष्कासन के लिए जहां एक ओर आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक क्षेत्र में द्रुतगति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है वहां दूसरी ओर जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाकर इन बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार करना आवश्यक है। इस संबंध में केन्द्रीय कार्य समिति निम्नलिखित सुझाव देती है :

(1) राजनीति में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक की परिकल्पना मूलतः राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है और उसका परित्याग किया जाय। उपासना पद्धति की भिन्नता के फलस्वरूप नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किसी प्रकार के भेद-भाव को प्रश्रय देना उचित नहीं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर पृथकता को बनाये रखने के प्रयत्नों को रोका जाय।

(2) सभी प्रमुख राजनीतिक दल यह निश्चय करें कि वह सांप्रदायिकता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और न उम्मीदवारों के चयन आदि में इन प्रवृत्तियों को स्थान देंगे।

(3) जिन संस्थाओं की सदस्यता सभी भारतीयों के लिए खुली नहीं है और जो किसी विशेष मतावलंबियों के हितों का संरक्षण तथा संवर्द्धन करने के लिए कार्यरत हैं, उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों की दृष्टि से मान्य न किया जाय और न उनके द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक स्वरूप की मांगों तथा शिकायतों पर विचार किया जाय। इससे या तो वे राजनीति से दूर रहेंगी अथवा उन्हें अपने सांप्रदायिक स्वरूप को त्यागने के लिए विवश होना पड़ेगा वरना राजनीति के सांप्रदायिक स्वरूप को बल मिलेगा।

[22 अप्रैल 1961; पटना के०का०स०]

61.14. मास्टर तारासिंह का अनशन

द्विभाषी पंजाब —विभाजित पंजाब द्विभाषी राज्य है। यहां सभी स्तरों पर पंजाबी और हिंदी भाषी लोग इस तरह मिले व गुथे हैं कि राज्य का अब भाषा के आधार पर, और विभाजन अवांछनीय एवं राजनीतिक दृष्टि से इष्टकर नहीं हैं। यह वास्तविक स्थिति है और भारतीय जनसंघ का दृष्टिकोण भी यही रहा है जिसका समर्थन राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी किया है।

जबरदस्ती का अनशन —राज्य का और विभाजन करने की अकाली दल की मांग मूलतः सांप्रदायिक मांग है जिसका भाषा से कोई वास्ता नहीं। अकाली दल के मास्टर तारासिंह ने अनशन जैसे जबरदस्ती के उपाय अपनाये, उनसे तो अकाली मांग का लोकतंत्र-विरोधी तथा अतार्किक रूप और उभर कर सामने आ गया है, ऐसे उपायों की प्रतिक्रिया में तो जवाबी उपाय ही उठाये जायेंगे। राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे उपायों को अपनाना निंदनीय है और उन्हें निरुत्साहित ही किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस मामले में जो दृढ़ता दिखाई और दबाव के आगे झुकने से जिस तरह इनकार किया केन्द्रीय कार्य समिति उसका स्वागत करती है। लेकिन, क्षेत्रीय समिति के अधिकार बढ़ाने और उन्हें उप-विधानमंडल का दर्जा देने की जो चर्चा चल रही है वह चिंताजनक है। कार्य समिति को यकीन है कि ऐसे पग उठाये जाने से तो पंजाब की स्थिति और उलझ जायेगी। अकालियों को खुश करने के लिए यथास्थिति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से उठाया गया कोई भी पग खतरनाक होगा, अतः उससे बचना चाहिए। कार्य समिति पंजाब की जनता को विश्वास दिलाती है कि पंजाब का और विभाजन करने का वह विरोध करेगी— वह जनता से अपील करती है कि मास्टर तारासिंह के अनशन से उत्पन्न घटनाओं से वह विचलित न हों और अपनी एकता बनाये रखें।

[25 अगस्त 1961; जम्मू, के०का०स०]

61.20. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सांप्रदायिक रूप

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन के चुनावों के सांप्रदायिक स्वरूप तथा उसके परिणामों के उपरांत मुस्लिम संप्रदायवादियों के आक्रामक प्रयत्नों के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इन कांडों में हिंसा के साथ-साथ जिस सांप्रदायिक दुर्भावना का प्रकटीकरण हुआ है वह राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के लिए घातक है। भारतीय प्रतिनिधि सभा इन प्रवृत्तियों की निंदा करती है।

स्थान-स्थान पर उत्तेजनापूर्ण वातावरण होते हुए भी सामान्य जनता ने अत्यंत धैर्य और संयम का परिचय देते हुए शांति बनाये रखी। प्रतिनिधि सभा उसका अभिनंदन करती है।

शांति और व्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरे का दृढ़ता के साथ सामना करना

शासन का कर्तव्य है। उसके इन प्रयत्नों में सभी शांतिप्रिय नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। किंतु यह अत्यंत ही दुःख का विषय है कि सत्तारूढ़ तथा साम्यवादी दल इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का दुरुपयोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। एक ओर निराधार अपप्रचार प्रारंभ है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और जनसंघ के कार्यकर्ताओं, तथा आगामी चुनाव के प्रत्याशियों को अब उपद्रवों के शांत होने के उपरांत गिरफ्तार किया जा रहा है। स्थान-स्थान पर आतंक और दमन का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जनसंघ की ओर से शासक दल को चुनावों में दी गई चुनौती को प्रजातंत्रीय ढंग से स्वीकार करने के बजाय वह इन ओछे हथियारों पर उतर आया है। जनसंघ की ओर से न्यायिक जांच की मांग की गई है किंतु शासन ने उसे स्वीकार नहीं किया है। स्पष्ट है कि वह तथ्यों का सामना करने से भागना चाहता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भारतीयकरण—भारतीय प्रतिनिधि सभा इन राजनीतिक दमन के प्रयत्नों की तीव्र निंदा करती है तथा मांग करती है कि एक ओर उपद्रवों की न्यायिक जांच हो तथा दूसरी ओर अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के सांप्रदायिक स्वरूप को समाप्त कर उसका भारतीयकरण कर अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उसका भी संचालन हो।

[12 नवम्बर 1961; वाराणसी; भा०प्र०स०]

65.16. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

पाकिस्तान की जन्मस्थली—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के मुसलमानों में पृथकतावाद का भाव पैदा करने और उन्हें भारत की राष्ट्रीयता से अलग रखने के उद्देश्य से निर्माण किया गया था। पाकिस्तान की विचारधारा इस विश्वविद्यालय में पनपी और फलीभूत हुई। पाकिस्तान बनने के बाद इस विद्यालय के अधिकतर विद्यार्थी और अध्यापक पाकिस्तान चले गये। उस समय यह सर्वत्र अपेक्षा थी कि यह विषवृक्ष अपनी मौत मर जायेगा और इसे पुनः जड़ पकड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। परन्तु हुआ इसके विपरीत। भारत की राष्ट्रीय सरकार ने इस विषवृक्ष को पुनः सींचना प्रारंभ किया और इसे एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय के रूप में करोड़ों रुपयों का अनुदान देकर इसे विभाजन के पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बनाया। इसमें नया इंजीनियरिंग कालेज, नया मैडिकल कालेज तथा नया कृषि कालेज खोला गया और करोड़ों रुपयों की इमारतें बनाई गई। परन्तु यह सब कुछ करते समय इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया कि विश्वविद्यालय के पृथकतावादी और सांप्रदायिक स्वरूप को बदलकर इसे राष्ट्रीय संस्था का रूप दिया जाय। इसके विपरीत संस्था को पुनः राष्ट्र-विरोधी और पाकिस्तान-समर्थक तत्वों का अड्डा बनने दिया गया। विश्वविद्यालय के सांप्रदायिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए अलीगढ़ के तीन अन्य स्थानीय कालेजों को इससे संबद्ध नहीं होने दिया गया और

'स्थानीय विद्यार्थियों' के नाम पर मुसलमान विद्यार्थियों के सांप्रदायिक आधार पर प्रवेश की व्यवस्था कायम रखी गई। इसके परिणामस्वरूप यह विश्वविद्यालय पुनः मुस्लिम सांप्रदायिकता और पृथकतावाद का अड्डा बन गया जिसका प्रकटी-करण वहां वर्षानुवर्ष होने वाले सांप्रदायिक दंगों में होने लगा।

गत अप्रैल मास में नये उपकुलपित श्री अलीयावरजंग द्वारा मुस्लिम छात्रों के लिए सुरक्षित स्थानों में कुछ कमी करने का सुझाव रखने के कारण उन पर जो घातक आक्रमण किया गया वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में बढ़ती हुई सांप्र-दायिकता का ताजा उदाहरण है। इसने भारत सरकार को बाध्य किया कि परि-स्थिति को सुधारने के लिए वह कुछ पग उठाये और राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया अध्यादेश जारी किया गया जिसके अनुसार इस विश्वविद्यालय के कोर्ट और कार्य समिति को भंग कर नये कोर्ट और कार्य समिति को मनोनीत किया गया है। यह पग वास्तव में स्थिति को सुधारने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। इससे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्वरूप को बिल्कुल नहीं बदला गया। फिर भी इस अध्यादेश के विरोध की आड़ में सारे देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता की एक नई बाढ़ सी आ गई है। जमैयत-उल-उलेमा, जमायते इस्लामी तथा मुस्लिम विधायक और कुछ मुस्लिम मंत्री भी सारे देश में जहरीले प्रचार द्वारा सांप्रदायिकता को उभार कर लोगों में लड़ने मरने की भावना पैदा कर रहे हैं। 16 जुलाई को इसी निमित्त एक दिवस भी मनाया जा रहा है। जैसा कि शिक्षा मंत्री श्री छागला ने कहा है कि कांग्रेसी मुसलमान भी इस सांप्रदायिक आंदोलन को बल दे रहे हैं।

यह स्थिति अति भयानक है। अलीगढ़ नगर और उसके आसपास के जिलों में विशेष तनावों की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि समय रहते इस संबंध में उचित पग न उठाये गये तो इसके परिणाम अति खतरनाक हो सकते हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सांप्रदायिक रूप—भारतीय जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि भारत में भारतीय जनता के पैसे से चलने वाले सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उन्हें किसी एक सम्प्रदाय विशेष के साथ जोड़ना और उसी संप्रदाय के लोगों के अधिकार में रखना भारतीय राष्ट्रीयता पर कुठाराघात करना है। अतः भारतीय जनसंघ मांग करता है कि :

(1) अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन कर उसके सांप्रदायिक स्वरूप को समाप्त किया जाये।

(2) अलीगढ़ नगर तथा निकटवर्ती सभी कालेजों को इससे संबद्ध किया जाये।

(3) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों एवं छात्रों की भली प्रकार छानबीन की जाये और उसे सभी राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों से मुक्त किया जाये तथा आगे से सारी नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जायें।

[10 जुलाई 1965; जबलपुर, के०का०स०]

66.02. पंजाबी सूबे की मांग

केन्द्रीय कार्य समिति पंजाब की जनता का अभिनंदन करती है कि उसने पाकिस्तानी आक्रमण के समय बड़ी अनुकरणीय दृढ़ता और एकता का परिचय दिया। समिति को इस बात का भारी खेद है कि पंजाबी सूबे का जो प्रश्न भली प्रकार मथे जाने के पश्चात अधिकृत रूप से हल किया जा चुका था उसे युद्ध समाप्त होते ही सरकार ने फिर खड़ा कर दिया है। सरकार का यह पग अनावश्यक, अदूरदर्शी और असामयिक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पड़ौसी देशों के आक्रामक इरादों का निकट भविष्य में सामना करने की आवश्यकता की दृष्टि से पंजाब की एकता को बनाये रखना तथा उसे दृढ़तर करना नितांत आवश्यक है।

अतः इस सीमांत प्रदेश की एकता के संबंध में कार्य समिति अपना मत पुनः दोहराती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाय कि जिससे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के महती कार्य से लोगों का ध्यान बंटे।

[15 जनवरी 1966; कानपुर, के०का०स०]

66.10. पंजाब का पुनर्गठन

भारत सरकार ने कांग्रेस कार्य समिति के 9 मार्च 1966 के प्रस्ताव का पालन करते हुए पंजाब के पुनर्गठन का निर्णय किया है। यह निर्णय शासन की अब तक की उद्घोषित नीति, दिये गये आश्वासनों, विशेषज्ञों की राय तथा जन भावना के प्रतिकूल है। जनसंघ इस निर्णय को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है।

पंजाब में पाशविक अत्याचार—कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव की पंजाब में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जन भावना उग्र थी तथा क्षोभ गहरा था। शासन ने क्षुब्ध जनता की भावनाओं और विचारों को सुनने और समझने के स्थान पर दमन का सहारा लिया। प्रैस पर सेंसर लगाया गया। सभाओं और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी। धारा 144 का प्रयोग हुआ। भारत सुरक्षा नियमों का दुरुपयोग कर भारी संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। पुलिस ने निरीह नागरिकों और महिलाओं तक के साथ घरों में घुस-घुस कर ज्यादती की। मन्दिरों में जूते पहने घुसकर उनकी पवित्रता को भंग किया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसके फलस्वरूप अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पानीपत और भिवानी में 9 व्यक्ति शहीद हुए और 3 व्यक्ति पानीपत की अग्निकांड घटना में दिवंगत हुए।

इस समय भी पुलिस सर्वथा निर्दोष व्यक्तियों को, राजनीतिक द्वेष के आधार पर, विभिन्न मुकदमों में फंसाने का यत्न कर रही है। बड़ी संख्या में लोग जेलों में बंद हैं। भारतीय जनसंघ बलपूर्वक मांग करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय जांच आयोग का गठन किया जाय जो पुलिस की ज्यादतियों तथा शासन द्वारा किये गये दमन की खुली जांच करे। बस्तर-गोलीकांड की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने में अनाश्वयक

जल्दबाजी दिखाने वाला कांग्रेस शासन पंजाब में जांच आयोग नियुक्त करने से जिस तरह कतरा रहा है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वह सत्य का सामना करने का साहस नहीं रखता। हम सर्वोच्च न्यायालय के बार-एसोसिएशन आफ इण्डिया का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश डा० सी० बी० अग्रवाल की अध्यक्षता में दो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों का स्वतंत्र जांच आयोग बिठाया है।

भारतीय जनसंघ पंजाब की जनता को बधाई देता है कि उसने बड़े साहस तथा वीरता के साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करके यह सिद्ध कर दिया है कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सकती है और स्वाभिमानपूर्वक जीवित रहना जानती है। पंजाब के राष्ट्रवादी नेता सराहना के अधिकारी हैं कि उन्होंने अत्यंत क्षोभ के वातावरण में भी बड़े धैर्य और संयम से काम लिया और कुछ शरारती तत्वों के बावजूद आंदोलन के शान्तिप्रिय स्वरूप को बनाये रखा।

यह आंदोलन का ही परिणाम है कि केन्द्रीय सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि पंजाब में अकालियों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उसने यह भी माना है कि पंजाब के पुनर्गठन के साथ पंजाब की आधारभूत एकता को टिकाये रखने और विभिन्न वर्गों की सही आकांक्षाओं के निवारण के लिए कुछ विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएं करनी होंगी। एतदर्थ प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री ने यह आश्वासन दिये हैं कि :

(1) पंजाब का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर होगा और उसमें किसी प्रकार के सांप्रदायिक अथवा मजहबी दृष्टिकोण को प्रश्रय नहीं दिया जायेगा।

(2) दोनों नये राज्यों के बीच अधिकाधिक एकता की कड़ियां बनाये रखी जावेंगी।

(3) अल्पसंख्यकों के भाषा संबंधी तथा अन्य अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को रिहा किया जायेगा।

भारतीय जनसंघ आशा करता है कि उपर्युक्त आश्वासनों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जायेगा। साथ ही हम पंजाब की राष्ट्रवादी जनता का आवाहन करते हैं कि वह जागरूक तथा संगठित रहे जिससे कि शासन किसी दबाव में आकर अपने वचन से पीछे न हटने पाये।

पंजाब सीमा निर्धारण—राज्य पुनर्गठन में सीमा निर्धारण का प्रश्न हर जगह कठिनाइयां पैदा करता रहा है। सीमा पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की भाषा का निर्णय सदैव विवादास्पद हो सकता है। इसका विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त हुआ है। हम आशा करते हैं कि विचारों का प्रकटीकरण आयोग के समक्ष ही होगा तथा वह किसी आंदोलन का स्वरूप नहीं लेगा। यदि केन्द्र सरकार तथा सभी राजनीतिक दल आयोग के प्रतिवेदन को एक पंचाट (अवार्ड) के रूप में

मानने का अभिवचन दे दें तो विवादों से उत्पन्न गर्मी को बहुत अंशों में टाला जा सकता है।

कुछ तत्वों के सांप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण पंजाब की राजनीति अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने अपने दलीय स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए बराबर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। पंजाब के पुनर्गठन के बाद भी यदि राजनीति की यही दिशा रही तो उससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निरंतर संकटों की आशंका बनी रहेगी। पंजाब की राष्ट्रवादी शक्तियों पर इस बात की विशेष जिम्मेदारी है कि वह पंजाब की राजनीति को एक नई दिशा दें। भारतीय जनसंघ अपने जन्मकाल से इस हेतु प्रयत्नशील है। अब इन प्रयत्नों को और अधिक गति देनी होगी।

भारतीत जनसंघ सिखों को हिन्दू समाज से पृथक नहीं मानता। उसे सिखों की राष्ट्रीयता और देशभक्ति पर अभिमान है। हम आशा करते हैं कि वे उन प्रवृत्तियों और नेतृत्व से दूर रहेंगे जो उनमें पृथकतावाद भड़काने का प्रयास करते हैं।

पंजाब की जनता सीमांत प्रदेश की वासी होने के कारण सदैव से भारतीय स्वतंत्रता के प्रहरी के रूप में काम करती रही है। उसने सदैव ही देशभक्ति, वीरता और त्याग का ऊंचा आदर्श रखा है। हरियाणा के वासी भी इन गुणों में कभी पीछे नहीं रहे हैं। भारतीय जनसंघ आशा करता है कि नई राज्य रचना के बाद इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि पुरानी परंपरा और नई जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वाह करेंगे और इस क्षेत्र की आधारभूत एकता तथा विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेंगे।

[1 मई 1966; जालंधर, तेरहवां सा०अ०]

68.11. सांप्रदायिक खतरा

सांप्रदायिकता के विष बीज—सांप्रदायिक दंगों का आरंभ उस युग में हुआ जब इस देश पर विदेशी राज करते थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद भी वे जारी हैं। परंतु गत कुछ महीनों में इनमें जिस तेजी से वृद्धि हुई और वे विभिन्न स्थानों पर बारबार जिस तरह होने लगे वह गंभीर चिंता का विषय है। अकेले इस सप्ताह नागपुर में मुसलमानों और डा० अम्बेडकर के अनुयाइयों के बीच गंभीर टक्करें हुईं। आमतौर पर अब तक झगड़े हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच होते थे। लेकिन हाल में ही केरल में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच और गाजीपुर में शिया-सुन्नियों के बीच झगड़ों से सांप्रदायिक दंगों के नये रूप और नये दायरे का पता चलता है।

1947 से पहले आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि सांप्रद्रायिक दंगे ब्रिटिश शासकों के हाथों का चमत्कार हैं और 'सांप्रदायिक त्रिभुज' की तीसरी भुजा के मिटते ही संप्रदायों के बीच स्वभावतः शांति और सौमनस्य हो जायेगा। भारत

के विभाजन का समर्थन भी इसी आधार पर किया गया था कि ऐसा हो जाने के बाद देश सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक कटुता से मुक्त हो जायेगा। लेकिन, हाल की घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि यह विश्लेषण कितना ऊपरी, गलत और अवास्तविक था। कहने का अभिप्राय यह नहीं कि हिन्दू मुसलमान तनाव को उग्र बनाकर और दोनों को विभाजित रखकर, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरे करने में ब्रिटिश सरकार ने कोई कोताही बरती। कटु सत्य तो यह है कि सांप्रदायिक अशांति के विष-बीज यहां ब्रिटिश शासन से पहले से भी मौजूद थे और उनके जाने के 20 साल बाद भी देश को उन विष-बीजों के विष फल चखने पड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि इस समस्या पर उसके उचित ऐतिहासिक संदर्भ में विचार करने और उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता को जीवित और सक्रिय रखा।

दंगों के पीछे विदेशी हाथ—भारतीय जनसंघ ने हाल के सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए उपसमितियां नियुक्त कीं थीं। इन समितियों ने जो प्रतिवेदन दिये उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा। उनसे एक बात स्पस्ट हो जाती है कि हिंसा और लूट की इन घटनाओं को छुटपुट मानना गलत होगा। यह सही है कि कई स्थानों पर दंगे का आरंभ ऐसी मामूली बातों से हुआ जैसे होली के अवसर पर रंग डाल देना या गोहत्या, लेकिन दंगे जिस तेजी से और जितने उग्र रूप में फैले उससे पता चलता है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी और उपद्रवी केवल बहाने की प्रतीक्षा में थे। थोड़े समय में ही दंगा यदि दो दूरस्थ स्थानों जैसे श्रीनगर और करीमगंज, इलाहाबाद और औरंगाबाद, में हो तो भी यही सिद्ध होता है कि देश में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो सांप्रदायिकता भड़काकर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का षडयंत्र रचती हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दंगाइयों को किन्हीं विदेशी शक्तियों से धन और हथियार मिलते हैं। 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने और दंगों के समय पाकिस्तानी झंडा फहराने की घटनाओं से इसी संदेह की पूर्ति होती है कि इन दंगों के पीछे विदेशी हाथ है। दंगों के बारे में पाकिस्तान रेडियों से समाचार जिस तरह बात की बात में प्रसारित किये जाते हैं उससे भी इस खतरनाक संभावना का संकेत मिलता है।

यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सांप्रदायिकता के रोग का सही निदान करके कोई वैज्ञानिक उपचार खोजने के बजाय, विभिन्न राजनीतिक दल अपने दलगत राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस समस्या से अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो और अधिक आश्चर्यजनक है कि अपनी धर्म निरपेक्षता का जोर-जोर ढोल पीटने वाले दल सांप्रदायिकता को संरक्षण एवं बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। मुसलमान मतदाताओं का सबसे बड़ा समूह-वोट पाने के लिए वे सब आपस में होड़ कर रहे हैं। मुसलमानों का समर्थन पाने की धुन में इन पार्टियों ने न केवल मुस्लिम सांप्रदायिकता की ओर से आंखें मूंद ली हैं बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के बहाने उन्हें ऐसी माँगों का भी

समर्थन करने में कोई संकोच नहीं होता जिनसे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को ही आघात पहुंच सकता है। इस सांप्रदायिक तुष्टिकरण के लिए टटपूंजिये राजनीतिक नेता किस सीमा तक खतरनाक खाई में गिर सकते हैं इसका एक उदाहरण एक केन्द्रीय मंत्री के हाल के उस वक्तव्य से मिलता है, जिसमें उसने मुसलमानों द्वारा हथियार जमा करने की कार्यवाही का समर्थन यह कहकर दिया है कि कई प्रदेशों में जनसंघ सरकार में शामिल हो गया है।

कुछ वर्ष पूर्व केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। हाल में ही कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य कई पार्टियों ने भी वही किया। इन कार्यवाहियों के कारण और उग्र पृथकतावादी संगठनों (जैसे मुस्लिम मुशव्वरत) के साथ हाल में ही जो राजनीतिक गुरमिताई चल रही है उससे उन्हीं तत्वों को बल मिलता है जो मुसलमानों को मूल राष्ट्रीय धारा से पृथक रखना और उन्हें भेड़-बकरियों की तरह मनमानी दिशा में हांक ले जाना चाहते हैं। हाल के वर्षों में जमाते इस्लामी की शक्ति और प्रभाव में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई, वह भी इसका एक सबूत है कि मुसलमान जनता उन कट्टर मुल्ला-मौलवियों की पकड़ में जा रही है जो ऐसा समझते हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा और प्रगति केवल उसी राज्य में संभव है जहां मुसलमान शासक हैं और जहां का राजकाज शरियत के अनुसार चलता है।

एक देश, एक जन व एक संस्कृति—भाषावाद और क्षेत्रवाद की ही तरह सांप्रदायिकता भी एक ऐसे घातक रोग का लक्षण है जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा है और जिसका यदि समय रहते उपचार न किया गया तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। सच तो यह है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के संबंध में हमारे देश में ऐसी गलत धारणाएं बन गई हैं कि विघटनकारी शक्तियों को उनसे बढावा मिलता है और देश के सामने छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इन शक्तियों द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने के लिए सबको मिलाकर, एक देश, एक जन एवं एक संस्कृति के आदर्श में अपनी आस्था दोहरा कर, अपने देश और देशवासियों को धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटनेवालों के सब प्रयत्नों को विफल करना चाहिए!

जो लोग भारत को अनेक राष्ट्रों का समूह कहते हैं वे न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जड़ काटते हैं, बल्कि अपने संकुचित स्वार्थों को पूरा करने के लिए देश को विघटित करने पर उतारू शक्तियों को आदर देते हैं। इसी प्रकार के लोग, जो भारत को प्राचीन राष्ट्र मानने से इनकार करके यह तर्क देते हैं कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचारधारा है और हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जिसके निर्माण की प्रक्रिया अभी आरंभ हुई है, वे भारत के महान अतीत की ओर से आंखें मूंद कर भारतीय जीवन एवं एकता के उन सब आधार सूत्रों की उपेक्षा कर देते हैं जिन्होंने देश को सहस्रों वर्षों के उतार-चढ़ावों में बनाये रखा।

भारत के धुरी तत्व—हमारे गणराज्य के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म

और भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद भारत का संविधान समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करता है। संविधान सब भारतीयों को समान नागरिकता प्रदान करता है। उसमें किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव या अंतर करने की गुंजाइश नहीं। संविधान भारत की जनता के इस सामूहिक संकल्प का प्रतीक है कि प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वाधीनता और समानता उपलब्ध होगी। भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आज उस संप्रदाय के हैं जिसने 20 वर्ष पूर्व धर्म के आधार पर पृथक जाति होने का अपना दावा किया था और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसने व्यापक रूप से हिंसा लूटपाट और आगजनी आरंभ की थी। असांप्रदायिक राज्य के आदर्श के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा का स्वयं यह तथ्य प्रखर प्रमाण है। इन तमाम बातों के बावजूद कुछ लोग यदि इसी प्रकार के आरोपों को दोहराते रहते हैं कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है या उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है तो वे विश्वजनमत के सामने भारत को बदनाम करने का ही अपराध करते हैं। विभाजन के बाद भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का उद्देश्य किसी को खुश करना नहीं था। सच तो यह है कि हिंदू समाज-व्यवस्था में सदैव राज्य को धर्म-निरपेक्ष संस्था स्वीकार किया गया और यहां किसी एक संप्रदाय के राज्य के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन, धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत अपनी धुरी से ही हट जाय और युगों प्रचीन अपनी स्वर्णिम व गौरवशाली परंपराओं से सब नाते तोड़ दे।

आधुनिक एवं प्रबुद्ध राष्ट्र होने के नाते भारत को अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा लेना होगा। लेकिन, विश्व राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का प्रयत्न करते हुए भी भारत अपनी प्राचीन विरासत के उन मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता जो उसके जीवन में दिव्यता प्रदान करते हैं—जिनके बिना आर्थिक समृद्धि से व्यक्ति अपराधी बनता है, सैनिक शक्ति अर्जित करके दमन करता है व ज्ञानवान बनकर पाखंडी हो जाता है। परमाणु-आयुधों के ढेर पर बैठे विश्व में भारत को एक विशिष्ट भूमिका निभानी है और यह दायित्व अपने परंपरागत मूल्यों की मूल्यवान थाती को सुरक्षित रखकर ही निभाया जा सकता है। ऐसे तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत को अपने भव्य अतीत एवं गौरव मंडित परंपरा से काटकर अलग कर देना चाहते हैं। उनके प्रयत्नों को सफल नहीं होने दिया जा सकता।

राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा यह है कि विभिन्न धार्मिक, भाषायी तथा अन्य पृथक नाम वाले समूह राष्ट्रीय जीवन की एक धारा में एकाकार हो जाने के बजाय अपने पृथक अस्तित्व पर अधिक बल देना चाहते हैं। अनेकता में एकता का सिद्धांत निश्चय ही हमारी राष्ट्रीयता का एक प्रशंसनीय स्वरूप है, परंतु हमने यदि अनेकताओं को इस सीमा तक बढ़ जाने दिया कि स्वयं मूलभूत

एकता ही तिरोहित हो जाय, तो फिर राष्ट्र के ही अस्तित्व के लिए खतरा हो जायेगा।

पाठ्यक्रम, केन्द्रीय विषय—भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए और सांप्रदायिकता, भाषावाद, एवं क्षेत्रवाद जन्य खतरों के सामने विजयी होने के लिए समिति निम्नलिखित उपाय सुझाती है :

(1) कहीं भी हिंसात्मक झगड़ा-फसाद होने पर, चाहे वे सांप्रदायिक हों या कुछ और, उनका दृढ़ता से सामना किया जाय। जो लोग कानून और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं उनसे उसी स्तर पर निपटा जाना चाहिए। ऐसे अवसरों पर साहस एवं निष्पक्ष भाव से अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुलिस तथा प्रशासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कानूनी कार्यवाही में राजनीतिक नेताओं को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(2) जिला स्तर पर प्रशासन तंत्र को इतना सक्रिय और गतिशील बनाना चाहिए कि किसी शरारत के फैसले से पहले ही प्रभावशाली पग उठाये जा सकें। उपासना स्थानों में अक्सर होने वाली गुप्त मंत्रणाओं और बैठकों की अधिकारियों को पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जिन व्यक्तियों के बारे में संदेह हो कि वे चोरी छिपे हथियार जमा कर रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाय।

(3) शांति और सौमनस्य बनाये रखने के लिए सभी स्तरों पर नागरिक समितियां गठित की जायें। सामान्य नागरिकों को अफवाहों के फैलने से रोकने को प्रोत्साहित किया जाय।

(4) राष्ट्रीय एकता की समस्या पर विचार करते समय राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के तात्कालिक हितों के विचार से ऊपर उठना चाहिए। तुच्छ चुनाव हितों को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करना, इस उद्देश्य से सांप्रदायिक अशांति फैलाने वाले तत्वों को संरक्षण देना या अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों को बदनाम करने के लिए सांप्रदायिक अशांति से लाभ उठाना ऐसे खतरनाक खेल हैं जिनको समाप्त करने में ही राजनीतिक दलों का हित है। राष्ट्रीय एकता एक अमूल्य निधि है, जिसे दलगत राजनीति की वेदी पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए।

(5) भारतीय जनता को धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नाम से दो स्थायी शिविरों में बांट देना या प्रत्येक समस्या को इसी आधार पर हल करने का प्रयत्न करना न तो उचित है और न वांछनीय। संविधान सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी करता है। इस गारंटी की रक्षा करने को न्यायालय हैं। धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठन बनाना और धार्मिक मंच पर खड़े होकर राजनीतिक मांगें पेश करना धर्मनिरपेक्ष राज्य के विचार और सिद्धांत के विरुद्ध हैं।

(6) सेवाओं में भर्ती या उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश पाने की एकमात्र शर्त योग्यता होनी चाहिए। कुछ ऐतिहासिक कारणों से संविधान में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ संरक्षणों की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त और किसी वर्ग के साथ विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी वर्ग के साथ किसी प्रकार के भेदभाव की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। मांग की जा रही है कि एक विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से सरकार में स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिए। यह मांग नितांत खतरनाक है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। यह खेद का विषय है कि स्वतंत्र भारत में इस उद्देश्य से शिक्षा की क्षमता का प्रयोग नहीं किया गया। शिक्षा प्रदेश का विषय अवश्य है, परंतु यह सुझाव विचारणीय है कि पाठ्यक्रम तैयार करना केन्द्रीय विषय बना दिया जाय। यह भी आवश्यक है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी शिक्षण संस्था को छात्रों के मस्तिष्क में पृथकतावाद का विष भरने की छूट न दी जाय। भारत भर की समस्त शिक्षण संस्थाओं का आम वातावरण, चाहे वे पब्लिक स्कूल हों, मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल हों या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी केन्द्र प्रबंधित संस्थाएं हों, अनिवार्यतः भारतीय होना चाहिए।

बार बार सांप्रदायिक झगड़े होने से सब देशभक्तों को गहरी चिंता होना स्वाभाविक है। परंतु इससे घबराने का कोई कारण नहीं। जनता का हृदय पवित्र है। उसको केवल सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि युग की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता आगे आये।

[14 जून 1968; गोहाटी, के०का०स०]

69.01. तेलंगाना आंदोलन

पृथक तेलंगाना की मांग को लेकर हाल में आंध्र प्रदेश में होने वाले व्यापक उपद्रवों पर भारतीय जनसंघ की कार्य समिति गहरी चिंता व्यक्त करती है। पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण का जनसंघ विरोध करता है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का आग्रह करता है, क्योंकि वर्तमान असंतोष की जड़ में यही बात है और कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के कारण इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

तेलंगाना के लिए संरक्षण—पृथक तेलंगाना आंदोलन की पृष्ठभूमि पुरानी है। 1956 में जब अलग आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, उस समय आंध्र और तेलंगाना के नेताओं में क्षेत्रीय हितों के संरक्षण जैसे नौकरी आदि के संबंध में एक समझौता हुआ था। बाद में संसद ने एक पब्लिक ऐम्पलायमेंट एक्ट पास कर उक्त समझौते को वैधानिक रूप दिया था। संरक्षण संबंधी इस कानून की अवधि 10 साल थी। 1964 में इस कानून की मान्यता जब समाप्त हो गई तो संसद ने उसी प्रकार का एक दूसरा कानून पास किया जिसकी अवधि 5 वर्ष थी जो कि मार्च 1969 में समाप्त हो जायेगा। एक तेलंगाना क्षेत्रीय समिति का भी गठन हुआ था जिसके

जिम्मे समझौते की शर्तों के पालन की देखरेख का काम सौंपा गया।

यद्यपि कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, परंतु न तो समझौते की शर्तों का पालन हुआ और न ही पब्लिक ऐम्पलायमेंट एक्ट के अंतर्गत दी गई गारंटी पूरी की गई। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के एक गुट ने क्षेत्रीय भावना को भड़काने का काम जारी रखा। छात्र संगठनों को साथ लेकर इन कांग्रेसियों ने एक आंदोलन आरंभ कर दिया। कांग्रेस का यही गुट पृथक तेलंगाना के आंदोलन को बढ़ावा देता रहा है तथा रुपये पैसे से भी उसकी सहायता करता रहा है। शीघ्र ही, कम्युनिस्ट पार्टी का छात्र मोर्चा 'स्टूडैंट्स फैडरेशन' भी कूद पड़ा। बाद में अन्य उपद्रवी तत्वों को भी इस आंदोलन में खींचा गया। फिर रजाकारों का इसे आशीर्वाद प्राप्त हो गया। परिणामस्वरूप हिंसा, लूट और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। इसकी प्रतिक्रिया आंध्र में भी हुई।

18 और 19 जनवरी को मुख्यमंत्री ने विधान-मंडल के सभी दलों की एक बैठक बुलाई। इन दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय हितों के संरक्षण की शर्तों की अवधि 5 साल के लिए और बढ़ाई जाय। तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए अन्य कई उपाय किये जाने के संबंध में भी सहमति हुई। क्षेत्रीय हितों के संरक्षण की गारंटी का उद्देश्य यही है कि एक निश्चित अवधि के भीतर तेलंगाना भी राज्य के अन्य भागों के समकक्ष हो जाय। आशा की जाती है कि यह नवीनतम समझौता इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा।

भारतीय जनसंघ पृथक तेलंगाना की मांग का समर्थन नहीं करता और दोनों क्षेत्रों के लोगों से संपूर्ण राज्य के कल्याण के संयुक्त रूप से प्रयास करने की अपील करता है। जनसंघ का यह निश्चित मत है कि हाल के उपद्रवों के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है। एक तो राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा के संबंध में दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये जाने के कारण उनमें असंतोष की आग भड़की एवं दूसरी ओर कांग्रेस के एक गुट ने आग में घी डालने का काम किया। अतः राज्य सरकार को अब 19 जनवरी के समझौते की शर्तों को ईमानदारी से और शीघ्र पूरा करना चाहिए।

[16 फरवरी 1969; दिल्ली, के०का०स०]

69.02. प्रस्तावित मलापुरम जिला

केन्द्रीय कार्य समिति ने केरल में एक नया जिला निर्माण करने के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया। कार्य समिति यह निश्चित रूप से अनुभव करती है कि मलापुरम जिला बनाने की मांग पूर्णतया एक सांप्रदायिक मांग है और इससे राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। इसके विरुद्ध जनसंघ ने अपने आंदोलन को तीव्र करने का निश्चय किया है।

जिन्ना का मोपलास्तान—यद्यपि मलापुरम जिले का नाम हाल में ही गढ़ा

गया है, मोपलास्तान के नाम से इन्हीं क्षेत्रों को लेकर एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग उतनी ही पुरानी है जितनी कि पाकिस्तान की मांग है। मलाबार में मुस्लिम लीग ने अपने प्रारंभ से ही इस मांग को उठाया है और भारत विभाजन के पश्चात भी इस मांग का परित्याग नहीं किया है। इस बात के प्रमाण हैं कि श्री मुहम्मद अली जिन्ना ने केरल के मुस्लिम लीगी नेताओं को यह परामर्श दिया था कि भारतीय संघ के अंतर्गत एक पृथक मोपलास्तान के निर्माण के अपने प्रयत्न वे जारी रखें जो 'उपयुक्त समय आने पर पाकिस्तान से जोड़ा जा सकेगा।' इस परामर्श के अनुसार पुराने मद्रास राज्य के मुस्लिम लीगी विधायकों ने मलाबार के मुस्लिम-बहुल क्षेत्र तथा लक्षद्वीप का समावेश करने वाले एक पृथक मोपलास्तान के निर्माण की मांग की थी और यह कहा था कि प्रस्तावित मोपलास्तान एक पृथक सांस्कृतिक इकाई है।

केरल में वर्तमान संयुक्त मोर्चे की सरकार (जिसमें मुस्लिम लीग एक शक्तिशाली घटक है) के गठन के बाद उसी मोपलास्तान की पुरानी मांग को ही केवल नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके पुनर्जीवित किया गया है, जिससे जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। केरल प्रदेश मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इस मांग को उठाया गया है। कालीकट के मुस्लिम लीगी संसद सदस्य ने खुले शब्दों में यह कहा है कि पृथक जिले के निर्माण की कल्पना मात्र से समूचे भारत के मुसलमानों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई है। केरल के मुस्लिम लीगी मंत्री श्री कोया ने ज़िला निर्माण के प्रश्न का मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों से सीधा संबंध बताया है और यह धमकी दी है कि पृथक् जिला न बनाये जाने की दशा में वे संयुक्त सरकार के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करेंगे। यह एक विचित्र बात है कि न केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, जो मुस्लिम लीग के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं, अपितु संयुक्त मोर्चा सरकार में सम्मिलित अन्य दल भी जो सैक्युलरवाद के बारे में लंबी लंबी तथा ऊंची घोषणाएं करते रहते हैं, इस खुली सांप्रदायिक मांग का या तो सक्रिय समर्थन कर रहे हैं अथवा निष्क्रिय रहकर उसको अपना समर्थन दे रहे हैं।

यह तर्क निराधार है कि नये जिले का निर्माण पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक है। जिन तहसीलों का इस नये जिले में समावेश किया जा रहा है वे केरल की सबसे पिछड़ी हुई तहसीलें नहीं है। यदि नये जिले का निर्माण वस्तुतः पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा है तो वायनाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर एक तेलीचेरी जिला बनाने अथवा कासरगोड़ जिले के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। यह कहना कि कालीकट जिला बहुत बड़ा है, कोई अर्थ नहीं रखता। इस कथन का खोखलापन इसी तथ्य से प्रकट हो जाता है कि अपेक्षाकृत छोटे जिले पालघाट को भी विभाजित किया जा रहा है। इसके मूल में जो भावना काम कर रही है वह बिल्कुल स्पष्ट है। मुस्लिम लीग चाहती है कि पालघाट तथा कालीकट जिलों की मुस्लिम-बहुल तहसीलों को जोड़कर एक

नया जिला बनाया जाय जिसमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत हो। अस्वाभाविक रूप से एक मुस्लिम-बहुल जिला बनाने के इसी शरारतपूर्ण प्रयत्न का भारतीय जनसंघ विरोध करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यदि किसी जिले में सहज रूप से मुसलमानों अथवा अन्य मतावलंबियों का बहुमत होता जैसा कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है, तो जनसंघ को उनमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती।

सांप्रदायिक व सुरक्षा को खतरनाक—प्रस्तावित जिला न केवल एक सांप्रदायिक जिला होगा अपितु सुरक्षा के लिए भी खतरनाक होगा। नया जिला समुद्र के तट पर स्थित होगा और उसका संबंध लक्षद्वीप से जोड़ा जा सकेगा। लक्षद्वीप में मुसलमानों की जनसंख्या है जो अनेक बार पाकिस्तान के प्रति अपने रुझान का परिचय दे चुकी है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जिसे मुख्यमंत्री श्री नम्बूद्रीपाद ने गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श कहा है, ऐसी है जो केरल में चल रहे कम्युनिस्ट-लीग गठबंधन के संदर्भ में सुरक्षा के लिए वास्तविक समस्या बन जाती है। अन्य दृष्टियों में भी एक संप्रदाय को कृत्रिम रूप से बहुमत में लाने के लिए एक जिले के निर्माण का विचार ही हमारे संविधान के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध जाता है। कार्य समिति उन सभी दलों, गुटों तथा व्यक्तियों का अभिनंदन करती है जिन्होंने इस ख़तरनाक मांग का खुले तौर पर विरोध किया है और सभी देशप्रेमी शक्तियों से आग्रह करती है कि वे इस आंदोलन में अपना सहयोग दें जिससे इस राष्ट्र-विरोधी पग को रोका जा सके।

केन्द्रीय कार्य समिति जनसंघ की सभी शाखाओं को निर्देश देती है कि आगामी 9 मार्च को 'मोपलास्तान-विरोधी दिवस' मनायें और प्रस्तावित जिले के विरुद्ध जनमत जागरण और उसका प्रभावी प्रकटीकरण करें।

[16 फरवरी 1969; दिल्ली, के०का०स०]

69.13. तेलंगाना में असंतोष

कांग्रेस नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने की अक्षमता, जनभावनाओं की उग्रता को समझने की उसकी असमर्थता तथा दल और व्यक्ति की तुलना में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर तदनुसार आचरण करने की उसकी अतत्परता का, सबसे ताजा (किन्तु अन्तिम नहीं) उदाहरण तेलंगाना है।

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि आन्ध्र के निर्माण के समय 1956 में, तेलंगाना की जनता को नौकरियों के तथा अतिरिक्त लाभांश के उपयोग के बारे में जो आश्वासन दिये गये थे, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। इसके लिए कांग्रेस का केन्द्र, प्रदेश तथा तेलंगाना तीनों ही स्तर का नेतृत्व दोषी है। तेलंगाना की क्षेत्रीय समिति का निर्माण राष्ट्रपति के आदेश से हुआ था। राज्यपाल का यह विशेष दायित्व था कि वह क्षेत्रीय समिति की सफलता के लिए प्रयत्न करते।

सबसे अधिक, तेलंगाना के विधायकों का यह कर्तव्य था कि वे सतत् जागरूक रहकर तेलंगाना के हितों की रक्षा करते।

जहां तक वर्तमान आंदोलन का संबंध है, उससे निबटने का केन्द्र तथा राज्य सरकार का तरीका भी भूलों से भरा, अनिर्णय की अवस्था से आक्रान्त और न केवल कांग्रेस दल अपितु कांग्रेस के भीतर विद्यमान विभिन्न गुटों की स्वार्थसिद्धि के प्रयत्नों से परिपूर्ण है। संसदीय समिति को तेलंगाना जाने से रोकना, प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री द्वारा आरंभ में तेलंगाना जाने से मना करना और बाद में स्वयं होकर वहां जाना, मुख्यमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का अपने पद से चिपके रहना और अब उससे हटने की इच्छा प्रकट करना, जबकि उनके हटने क कोई अर्थ नहीं रह गया है, राष्ट्रपति शासन लागू करने में देर करना—यह बताता है कि कांग्रेस नेतृत्व ठीक समय पर ठीक निर्णय लेने की क्षमता खो चुका है और तेलंगाना के प्रश्न को उलझाने और बिगाड़ने का सारा दायित्व उसके ऊपर आता है।

केन्द्रीय कार्य समिति बम्बई के वार्षिक अधिवेशन में दिये गये इस सुझाव को दोहराती है कि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास की समस्या पर विचार करने और उनके त्वरित विकास के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार संपन्न आयोग नियुक्त किया जाय। आयोग के निर्णय सभी पक्षों पर अनिवार्यतः लागू होने चाहिएं।

कार्य समिति मांग करती है कि आन्ध्र के मुख्यमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाय और आंध्र में, कुछ समय के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय। यह पग उठाने में जितनी भी देर हो रही है, आंध्र की एकता को बनाये रखने का कार्य उतना ही कठिन होता जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की स्थापना का सुझाव सबसे पहले जनसंघ की ओर से आया था और यदि उसी समय इसे मान लिया जाता तो आज की परिस्थिति कदापि पैदा न होती।

[2 जुलाई 1969; रायपुर, के०का०स०]

69.19. आंतरिक स्थिति

बढ़ती सांप्रदायिकता—सांप्रदायिक उपद्रवों में वृद्धि, विधि के शासन में क्षय, देश की एकता को खंडित तथा विभिन्न भागों में लोकतंत्र तथा संवैधानिक शासन को समाप्त करने के योजनाबद्ध प्रयत्नों से एक विस्फोटक परिस्थिति पैदा हो गई है जिसको यदि शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावी रीति से संभाला नहीं गया तो उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

सांप्रदायिक उपद्रव (अहमदाबाद, जगतदल तथा वाराणसी में हाल में हुए दंगे जिनका ताजा उदाहरण हैं) एक बंधे-बंधाये ढंग से होते हैं। वे भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा प्रारंभ किये जाते हैं जो उस विचारधारा से चिपटा हुआ है जिसका परिणाम 1947 में मातृभूमि के विभाजन में हुआ। इसमें उन्हें दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस दल के एक वर्ग द्वारा

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता तथा प्रोत्साहन मिलता है। इन दलों ने मुसलमानों में सांप्रदायिकता तथा पृथकता की भावनाओं को बनाये रखने तथा उन्हें भारतीय जीवन की मुख्य धारा से अलग रखने में एक निहित स्वार्थ विकसित कर लिया है जिससे कि चुनाव में उनके सामूहिक मतदान पर एकाधिकार रख सकें।

सांप्रदायिक उपद्रवों को आरंभ होने से रोकने और उनके आरंभ होने के बाद उन्हें दृढ़तापूर्वक दबाने में शासन की विफलता ने परिस्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। उपद्रवकारियों के साथ चाहे वे किसी भी संप्रदाय से संबंधित क्यों न हों, कानून के अंतर्गत कड़ाई से बरताव किया जाना चाहिए।

भारत सरकार की सांप्रदायिकता से प्रेरित पश्चिमी एशियाई नीति (जिसने उसे रबात के इस्लामी सम्मेलन में दरवाजा तोड़कर घुसने तथा सारे देश के लिए अपमान तथा अनादर आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया) अलफतह के विध्वंसकों का स्वागत तथा जेरूसलम स्थित अल-अक्सा मस्जिद को जलाने के विरोध के नाम पर सारे देश में एक सांप्रदायिक जुनून जगाने का जो योजनाबद्ध प्रयास हुआ उससे मुसलमानों के एक वर्ग में भारत-बाह्य निष्ठायें उभड़ीं तथा मजबूत हुई हैं। पाकिस्तान तथा उसके एजेंट इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें आक्रमण-कारी रवैया अपनाने के लिए उकसा रहे हैं जिसका परिणाम दंगों में होता है और जिससे पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध प्रचार का तूमार खड़ा करने का अवसर मिलता है। श्री भुट्टो तथा मौलाना भाषानी के हाल के लेखों तथा वक्तव्यों और लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को अनेक मुस्लिम संगठनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान भारत के नये विभाजन के लिए प्रयत्न-शील है। असम, प० बंगाल, बिहार तथा जम्मू-काश्मीर के सीमावर्ती प्रदेशों में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश भी जो इधर बढ़ गया है, भारतीय भूभाग पर पाकिस्तान की कुदृष्टि का संकेत देता है।

मुस्लिम लीग तथा अन्य तत्त्वों (जो श्री फखरुद्दीन अली अहमद तथा श्री जगजीवनराम की सांप्रदायिक तथा संकीर्ण अपीलों से प्रभावित होते हैं) के ऊपर इंदिरा गांधी सरकार की निर्भरता के फलस्वरूप सांप्रदायिक समस्या को एक नई गंभीरता प्राप्त हो गई है जिसकी कोई राष्ट्रवादी उपेक्षा नहीं कर सकता।

साम्यवादी दल, जिन्होंने संविधान को तोड़ने, लोकतंत्र को ध्वस्त करने तथा भारत की एकता को खंडित करने के अपने निश्चय को कभी नहीं छिपाया, इस परिस्थिति का अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण देश में मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान पक्षीय तत्वों से गठबंधन किया है। इस गठबंधन ने पश्चिमी बंगाल, असम तथा केरल में कांग्रेस-मुस्लिम लीग गठबंधन का स्थान ले लिया है।

केरल में मलापुरम जिले का निर्माण, जम्मू-काश्मीर में भारत-विरोधी तत्वों का दुस्साहस तथा हठवादिता और उनके प्रति मुख्यमंत्री श्री सादिक की मैत्री भावना

तथा पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों द्वारा आतंक के राज्य की स्थापना इस राष्ट्र-विरोधी गठबंधन के कुछ विषफल हैं।

क्षेत्रवाद तथा उपक्षेत्रवाद—क्षेत्रवाद तथा उपक्षेत्रवाद की बढ़ती हुई भावना (जो अधिकांशतः आर्थिक विकास में असंतुलन से उत्पन्न हुई है) देश की शांति तथा एकता के लिए एक नया खतरा बन गई है। केन्द्र सरकार के दुर्बल होते जाने से इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि विभिन्न राज्यों के महत्वों को देश के महत्व के मूल्य पर प्रतिष्ठित किया जाय। राज्यों की सीमाओं को राष्ट्र की सीमाओं से भी (जो निरंतर संकुचित हो रही है) अधिक पवित्र समझा जाने लगा है। असम में मेघालय उपराज्य के निर्माण से देश के अन्य भागों से उपक्षेत्रीय राज्यों की मांग करने वालों को बल मिला है।

आर्थिक असंतोष—झूठी आशाएं जगाने की इंदिरा सरकार की नीति ने, जिसके फलस्वरूप वस्तुतः उत्पादन घटा है और बेरोजगारी बढ़ी है, देश में आम आर्थिक असंतोष के साथ नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा विफलता की भावना को और अधिक गंभीर बना दिया है। यह स्थिति देश में अराजकता उत्पन्न कर शासन-तंत्र पर हावी होने के कम्युनिस्ट हथकंडों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस बारे में नक्सलपंथी उन्हें भी मात दे रहे हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियां केरल, बिहार, आंध्र, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों तक बढ़ा ली हैं। उनका एक अखिल भारतीय दल के रूप में (जो हिंसा तथा माओवाद में अपनी खुली निष्ठा उद्घोषित करता है) उदय होना, कम्युनिस्ट संकट को एक नया विस्तार प्रदान करता है।

इस स्थिति की ओर सभी देशभक्त दलों तथा तत्वों को अविलंब ध्यान देना चाहिए और उसको सुधारने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए—फिर अन्य विषयों के बारे में उनके बीच कुछ भी मतभेद क्यों न हों।

विदेशी हस्तक्षेप—भारतीय जनसंघ देश के आंतरिक मामलों में 'विदेशी शक्तियों' के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को गंभीर दृष्टि से देखता है। मास्को रेडियो, रेडियो पीस तथा प्रोग्रेस और सोवियत समाचारपत्र जिनका स्वामित्व तथा प्रबंध पूर्णतया सोवियत सरकार के हाथ में है, भारत में घटने वाली घटनाओं के संबंध में जो दृष्टिकोण प्रकट कर रहे हैं, उसे हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के अतिरिक्त और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती।

इसी प्रकार पश्चिमी देश अपनी आर्थिक सहायता, सस्ते तथा उत्तेजक साहित्य तथा सबसे बढ़कर अपने धर्म-प्रचारकों के माध्यम से भारत में विद्यमान अशिक्षा तथा अभाव का लाभ उठाकर सामूहिक धर्मांतरण का जो प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनसंघ उसकी कठोर निंदा करता है। हम विदेशी शक्तियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत की सर्वप्रभुता व स्वतंत्रता के विरुद्ध वे कोई काम न करें और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की विदेशी कार्यवाहियों को रोकने के लिए वह कठोर पग उठाये।

भारतीयकरण—भारतीय जनसंघ जो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रजेता तथा

राष्ट्रीय एकता के संरक्षण तथा संवर्धन का हामी है इस स्थिति पर विशेषतया चिंता अनुभव करता है और मांग करता है कि :

(1) राष्ट्रीयत्व के भाव को जो (किसी भी देश में सबको जोड़ने की कुल शक्ति होती है) जागृत करने तथा बलशाली बनाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीयत्व तथा उसके मुख्य प्रवाहों को ठीक तरह से समझा जाय।

(2) भारतीयकरण—जिसका अर्थ मजहब, जाति, क्षेत्र, भाषा तथा मतवाद के प्रति छोटी निष्ठाओं को राष्ट्र के प्रति बड़ी निष्ठा के अधीन लाना है—के अंतर्गत विशेषतः उन सभी तत्वों को लाया जाय जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो राष्ट्रों अथवा बहुराष्ट्रों के सिद्धांतों के अनुरूप भारत के बाहर निष्ठाएं या भक्ति रखते हैं।

(3) सभी प्रकार के सीमा विवादों के हल के लिए स्थायी न्यायाधिकरण की नियुक्ति हो जिसके निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अनिवार्यतः लागू होंगे।

(4) भारतीय संविधान को जम्मू-काश्मीर में लागू करने के लिए अविलंब पग उठाये जायें जिससे उसे अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जा सके। गजेन्द्रगडकर आयोग द्वारा काश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख के लिए पृथक विकास बोर्डों (जिनके बीच विकास निधियों का स्पष्ट विभाजन हो) के संबंध में की गई सिफारिश को पूर्णतया अविलम्ब लागू किया जाय।

(5) क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय आर्थिक संतुलन और पिछड़ेपन की जांच और इनके निवारण के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चाधिकार संपन्न आयोग की नियुक्ति की जाय।

(6) निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति के साथ देशद्रोह कानून को बनाने की बड़ी आवश्यकता हो गई है। इस कानून में देशद्रोह तथा देशद्रोहात्मक गतिविधियों की परिभाषा की जाय और जो व्यक्ति तथा दल अपराधी पाये जायें उनके लिए कठोर दंड उसमें व्यवस्था हो।

[28 दिसम्बर 1969; पटना, सोलहवां सा०अ०]

70.01. चंडीगढ़

आत्मदाह की धमकी—केन्द्रीय कार्य समिति अकाली नेता संत फतेहसिंह से आग्रह करती है कि वे आत्मदाह के अपने निर्णय को छोड़ दें। संतजी एक सम्मानीय नेता हैं। उन्होंने पंजाब राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध सुदृढ़ करने और वहां की राजनीति को स्थिर करने में मूल्यवान योग दिया है। उनका जीवन संपूर्ण देश के लिए बहुत मूल्यवान है। जनसंघ का यह भी विचार है कि आज के लोकतंत्रीय ढांचे में इस प्रकार के आत्मदाह की कार्यवाही बिल्कुल असंगत है।

जनसंघ का मत है कि चंडीगढ़ समस्या का दायित्व संपूर्ण रूप से केन्द्र

सरकार पर है। पंजाब के विभाजन के समय से लेकर अब तक इस समस्या के प्रति उसका रवैया, अनिर्णय, ढिलाई तथा अवसरवादिता का रहा है। पहिले तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय तदुपरांत कांग्रेस विभाजन के अवसर पर, सत्तारूढ़ गुट द्वारा अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ के इस प्रश्न के दुरुपयोग किये जाने के कारण यह समस्या और भी अधिक जटिल बन गई है।

जनसंघ ने पंजाब तथा हरियाणा की अपनी शाखाओं को अनुमति दी है कि वे इस प्रश्न पर वहां की जनभावनाओं को प्रकट करें तथा प्रयत्न करें कि दोनों राज्यों में आंदोलन शांतिपूर्ण मार्ग से चले। दोनों प्रदेशों में विद्यमान विस्फोटक स्थिति में यह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किसी भी क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द्र तथा शांति न बिगड़े।

[14 जनवरी 1970; दिल्ली, के०का०स०]

Smt. Dr. G. V. Sarena "Kiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

अध्याय 3

प्रशासन की शुचिता व दक्षता

जनसंघ की गृहनीति का तीसरा खम्भा है "प्रशासन की शुचिता और दक्षता (60.01)"। प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार के महारोग के प्रति जनसंघ अत्यधिक चिंतित रहा है। दुर्भाग्य से यह भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है और इसका स्रोत सत्ता-लोलुप भ्रष्ट राजनीति में है (60.01, 60.09)। केन्द्रीय सरकार कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर से आंखें मूंदकर चलती रही है। पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध (64.15) तथा हाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को ठुकराने से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय नेतागण स्वयं भी भ्रष्टाचार की लपेट से मुक्त नहीं हैं (72.18)। अतः भ्रष्टाचार के रोकने के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों एवं उच्च पदस्थ नौकरशाहों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। इस दिशा में जनसंघ ने बड़े पहले से एक उच्चाधिकार युक्त अधिकरण की नियुक्ति की मांग उठाई थी (60.01, 60.09) और अब वह प्रशासन सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित लोकपाल व लोकायुक्त की शीघ्र नियुक्तियों का आग्रह कर रहा है।

प्रशासन की दक्षता व क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके कर्मचारियों का संतुष्ट व कर्मरत रहना नितांत आवश्यक है। अतः जनसंघ सदा सरकार से अनुरोध करता रहा है कि बढ़ती महंगाई के अनुपात में वह कर्मचारियों को वेतन वृद्धि एवं अन्य सुविधाएं दे। 1960 और 1968 में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के लिए उसने सरकार की दुराग्रहपूर्ण व अदूरदर्शी नीतियों को ही उत्तरदायी ठहराया (60.18)। कर्मचारी आंदोलन के दमन का जनसंघ ने बहुत कड़ा विरोध किया है। उसने हड़ताल के अधिकार पर पाबंदी लगाने के विचार की भी निंदा की (60.18)। वह चाहता है कि कर्मचारी संगठनों के प्रति प्रतिशोध की नीति अपनाने के बजाय सरकार अपनी श्रम-नीति में ऐसे परिवर्तन करे कि हड़ताल की आवश्यकता ही न रहे (61.09)।

लोकतंत्रीय समाज में स्वस्थ मजदूर आंदोलनों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए (60.18) जनसंघ सरकारी कर्मचारियों को उनका कर्तव्य बोध कराने में तनिक नहीं झिझका। उसने स्पष्ट कहा है कि वे "उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करें। अपने कर्तव्य का प्रामाणिकता तथा अनुशासित ढंग से पालन करें" (68.17)। वे यह न भूलें कि "हड़ताल एक असाधारण अधिकार है और उसका उपयोग अंतिम अस्त्र के रूप में ही होना चाहिए (68.21)"।

55.05. अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति

कानून व व्यवस्था की बिगड़ती दशा—भारतीय जनसंघ देश के अनेक भागों (पंजाब, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू-काश्मीर आदि) में पुलिस की ज्यादतियों पर चिंता प्रकट करता है। अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक पग उठाने तथा अपराधियों को दंडित करने के बजाय सत्तारूढ़ दल उलटे उनका संरक्षण करता है और पुलिस का उपयोग शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए न होकर बहुधा राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न सत्तारूढ़ गुट समाज-विरोधी तत्वों से सांठ-गांठ रखते हैं और उनका उपयोग जन-साधारण को आतंकित करने तथा अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए करते हैं। ऐसे मामलों में अपराधियों को या तो पकड़ा ही नहीं जाता अथवा यदि पकड़ा भी जाता है तो दोषपूर्ण जांच या उचित पैरवी के अभाव में वे दंड पाने से बच जाते हैं।

उच्चस्तर पर बढ़ती हुई कुनबापरस्ती, व्यापक भ्रष्टाचार, एवं नैपुण्यहीनता के कारण तथा दलगत राजनीति और दैनंदिन कार्यों में हस्तक्षेप के परिणाम-स्वरूप संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही पुलिस में व्याप्त असंतोष तथा अनुशासनहीनता (जो पश्चिमी बंगाल में हाल में हुई संगठित पुलिस हड़ताल से प्रकट हो चुकी है) एक गंभीर तथा संकटपूर्ण स्थिति का निर्देश करती है जिसकी ओर सरकार तथा जनता को ध्यान देना चाहिए।

कार्यपालिका को अधिक अधिकार—सबसे बुरी बात तो यह है कि सत्तारूढ़ दल अपनी अयोग्यता को छिपाने तथा दलगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रशासन तथा पुलिस को सरलतापूर्वक प्रयुक्त कर लेने के उद्देश्य से, कार्यपालिका तथा पुलिस को नये अधिकारों से सज्ज करने का यत्न कर रहा है और इसके लिए ब्रिटिश-कालीन दंड-विधानों तक में संशोधन करने पर उतारू है।

भारतीय जनता सामान्यतः कानून की पाबंद है। जनहित की दृष्टि से देश में प्रामाणिक तथा अनुशासित पुलिस दल तथा प्रशासक वर्ग की आवश्यकता है जो राजनीतिक नेताओं के हस्तक्षेप तथा कृपा दान से मुक्त हो। प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को पुनः जगाने के लिए यह आवश्यक है।

भारतीय जनसंघ का मत है कि संपूर्ण पुलिस प्रशासन तथा पुलिस दल की क्षमता, अनुशासन तथा मनोबल पर बुरा प्रभाव डालने वाले कारणों की जांच के

लिए अविलंब एक अखिल भारतीय पुलिस कमीशन नियुक्त किया जाय जिसका आधार विस्तृत हो और जो वर्तमान परिस्थिति की पूरी छानबीन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

[1 जनवरी 1955; जोधपुर, तीसरा सा०अ०]

55.22. अखिल भारतीय पुलिस कमीशन की नियुक्ति

पुलिस का व्यवहार—भारतीय जनसंघ बिहार की हाल की घटनाओं पर चिंता तथा पटना एवं नवादा में निश्शस्त्र जनसमूह और विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस द्वारा किये गये गोली कांडों के प्रति तीव्र क्षोभ व्यक्त करता है। अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है कि पुलिस के व्यवहार के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय। देश में शांति और सुरक्षा को बनाये रखने की आवश्यकता एवं उत्तरदायित्व की गुरुता का अनुभव करते हुए भी हम यह समझते हैं कि स्वतंत्र भारत के नागरिक के जीवन की महत्ता की किसी भी प्रकार अवहेलना नहीं की जा सकती। समय-बेसमय गोली चलाकर जन-जीवन का विनाश शासन की कार्यकुशलता एवं परिस्थिति पर काबू पाने में असफलता का द्योतक ही नहीं, अपितु उनकी ब्रिटिश काल की दमनकारी मनोवृति का भी परिचायक है। विश्व की समस्याओं को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक ढंग से हल करने का उपदेश करने वाली सरकार देश में हिंसा का अवलंबन करे यह सबसे बड़ी विडंबना है। जनसंघ की मांग है कि भारत सरकार शीघ्र ही एक पुलिस कमीशन नियुक्त करे जो पुलिस और जनता के बीच व्यवहार की नीति एवं बलप्रयोग की मर्यादाएं निश्चित करे।

[28 अगस्त 1955; कलकत्ता, भा०प्र०स०]

56.12. होशियारपुर की घटनाएं

केन्द्रीय कार्य समिति श्री यज्ञदत्त शर्मा को साधुवाद देती है कि उन्होंने होशियारपुर में भारतीय नारी के सम्मान की रक्षा के लिए अनशन किया और वीरता के साथ कष्ट झेलने की भावना का परिचय दिया। कार्य समिति इस बारे में भी अपना संतोष व्यक्त करती है कि साधारणतः पंजाब की तथा विशेषतः होशियारपुर की जनता और व्यापार-मंडल ने स्वाभाविक रूप से अहिंसात्मक और सर्वसम्मत संघर्ष छेड़ा।

कार्य समिति इस संबंध में भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करना चाहती है कि महापंजाब समिति इस अवसर पर दलगत हितों और मान सम्मान की भावना से ऊपर उठी और इस प्रकार उसने एक कठिन एवं तेजी से बिगड़ती स्थिति को संभालने में सहायता दी। वह यह भी अनुभव करती है कि सरकार न्यायिक जांच कराने से बराबर इनकार करके—जिसका विकल्प वर्तमान जांच नहीं हो सकता—अपनी ही तटस्थता एवं न्यायप्रियता के प्रति संदेह जगा रही है।

कार्य समिति इस बारे में चिंता प्रकट करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री बराबर पक्षपातपूर्ण और कटुता फैलाने वाली बातें कह रहे हैं। वह अनुभव करती है कि ऐसी बातों से उस सद्भावना को बनाये रखने और बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी, जो महापंजाब समिति के प्रयत्नों से बनी है।

[21 जुलाई 1956; दिल्ली, के०का०स०]

56.20. जम्मू के साथ भेदभाव

अनुच्छेद 370 की समाप्ति—जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति को यह जानकर नितांत दुःख हुआ कि जम्मू-काश्मीर राज्य के भारत में विलय और राज्य की संविधान सभा द्वारा उसकी विधिवत पुष्टि कर दिये जाने के बाद भी भारत सरकार इस पर बल दे रही है कि जम्मू-काश्मीर सरकार का एक पृथक संविधान हो, यह बहुत खतरनाक बात है और इसमें भारत की एकता के लिए भयानक खतरा छिपा है। समय है कि भारतीय संविधान के 370वें अनुच्छेद को, जिसमें जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, समाप्त किया जाय और अन्य प्रदेशों के पुनर्गठन के साथ ही इस प्रदेश को भी भारत के अन्य प्रदेशों के समान स्तर पर लाया जाय। कार्य समिति मांग करती है कि अस्थायी अनुच्छेद 370 को अविलंब समाप्त किया जाय और भारत के संविधान को जम्मू-काश्मीर राज्य पर भी लागू किया जाय। जम्मू-काश्मीर राज्य में पृथकतावादी शक्तियों को दबाने और भारतीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है।

समिति को इस बात से भी पीड़ा हुई है कि जनसंघ के आंदोलन और डा० मुखर्जी के महान बलिदान के बाद भारत सरकार और काश्मीर सरकार की ओर से जो यह आश्वासन दिया गया था कि राज्य को शेष भारत के साथ समान स्तर पर लाया जायेगा और जम्मू की जनता के साथ न्याय किया जायेगा, वह पूरा नहीं हुआ। सेवाओं में भर्ती और पंचवर्षीय योजना के अधीन जम्मू के विकास के लिए धन देने के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है और प्रजा परिषद के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। आम जनता को इस सबसे बहुत पीड़ा और परेशानी हो रहा है। अतः कार्य समिति भारत सरकार और जम्मू-काश्मीर सरकार से भी अनुरोध करती है कि राज्य में शांति और एकता के तथा उसके भारत का अभिन्न अंग होने के व्यापक हितों में, जम्मू की जनता के मन में व्याप्त समस्त भय एवं अन्याय की भावना को मिटाने के लिए आवश्यक पग उठाये जायें।

[6 अक्तूबर 1956; पूना, के०का०स०]

60.09. उच्च पदों पर भ्रष्टाचार

स्थायी न्यायाधिकरण—कार्य समिति प्रशासन में (जिसमें केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रीमंडल शामिल हैं) विभिन्न रूपों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता प्रकट करती है। यह भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि समूचे प्रशासन की प्रामाणिकता

तथा शुचिता में से जनता का विश्वास उठ गया है और यह मांग की गई है कि उच्च पदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाय। किंतु इस मांग के प्रति प्रधानमंत्री का रवैया अत्यधिक निराशापूर्ण तथा असंतोषजनक रहा है। एक कांग्रेसजन के नाते प्रधानमंत्री इस प्रश्न पर कांग्रेस दल की एक जांच समिति बनाने का विचार कर रहे बताये जाते हैं जो संभवतः कांग्रेस को भ्रष्टाचारी तत्वों से मुक्त करने का यत्न करेगी। किंतु जनसंघ अनुभव करता है कि यह कोई दलीय प्रश्न नहीं बल्कि सार्वजनिक समस्या है और इसलिए जनता दलीय जांच से संतुष्ट नहीं होगी। भारतीय जनसंघ इस कार्य के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्त करने की मांग का समर्थन करता है और सरकार से इस संबंध में अविलंब कार्यवाही की मांग करता है।

[20 मार्च 1960; दिल्ली, के०का०स०]

60.18. केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल

जनसंघ इस बात पर खेद प्रकट करता है कि सरकार ने दुराग्रहपूर्ण रवैया अपनाया और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं ने राजनीतिक सूझबूझ एवं कुशल नेतृत्व का परिचय नहीं दिया। इन दोनों बातों का संयुक्त रूप से यह परिणाम निकला कि कर्मचारियों ने आम हड़ताल कर दी। जब हड़ताल का खतरा सर पर आ गया तब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा की और जब हड़ताल आरंभ हो गई तब उसने रहन-सहन के व्यय में हुई वृद्धि को संतुलित करने के लिए उसी अनुपात में महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की इच्छा प्रकट की। इन तथ्यों से पता चलता है कि कर्मचारियों की मांग मूल रूप से सही थी और सरकार दुराग्रह कर रही थी। स्थिति का सिंहावलोकन करने पर यह दुःखद तथ्य सामने आता है कि सरकार वेतन आयोग तभी नियुक्त करती है जब हड़ताल की धमकी दी जाती है और उसे तब लागू करती है जब हड़ताल आरंभ हो जाती है। यह रवैया नितांत निंदनीय है।

सरकार का प्रतिशोध—जिन यूनियनों या कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया या जिन्होंने उसका समर्थन किया उनके प्रति अधिकारियों द्वारा अपनाये गये प्रतिशोधपूर्ण रवैये की जनसंघ कठोर निंदा करता है। सरकार को समझना चाहिए कि कर्मचारियों के मन में इस प्रकार कटुता और असहयोग की आग धधकाकर वह स्वयं अपने यंत्र को दुर्बल बना रही है। हड़ताल में भाग लेने के आरोप में जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उन सबको फिर से काम पर लिया जाय। जिन यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गई है उन्हें फिर से मान्यता दी जाय। इसके बिना यही समझा जायेगा कि सरकारी कार्यवाही पक्षपातपूर्ण और दलगत भावनाओं से प्रेरित है।

उन सबको, जो यह स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्रीय समाज में स्वस्थ मजदूर

आंदोलनों का उचित स्थान है, निश्चय ही इस बात से चिंता होगी। हाल की हड़ताल को बहाना बनाकर सरकार स्वयं मजदूर आंदोलन को कुचल डालना चाहती है। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर पूर्ण पाबंदी लगा देने का विचार है। जनसंघ इस विचार के विरुद्ध है। जनसंघ का आग्रह तो यह है कि सरकार अपनी श्रम नीति में भारी परिवर्तन करे और शिकायतें दूर करने की ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था करे जिससे हड़ताल करने का अधिकार अपने आप में ही निरर्थक हो जाय।

[28 अगस्त 1960; हैदराबाद, भा०प्र०स०]

61.06. केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल

भारतीय जनसंघ को खेद है कि प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री द्वारा संसद में दिये गये आश्वासनों के बावजूद जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने पिछली आम हड़ताल में भाग लिया था उनके तथा कर्मचारी संगठनों के प्रति प्रतिशोधात्मक नीति अपनाई जा रही है।

श्रम नीति का पुनर्निर्धारण—जनमत की मांग के उपरांत भी, जिसकी ओर भारतीय प्रतिनिधि सभा ने ध्यान दिलाया था, सरकार ने न तो कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव ही वापस लिया है और न अपनी श्रमनीति में ही आवश्यक परिवर्तन किये हैं, जिनसे कर्मचारियों की मांगों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए एक प्रभावशाली तंत्र की रचना हो सके और हड़ताल के अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े। जनसंघ का यह सुविचारित मत है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में औद्योगिक शांति स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का प्रमुख दायित्व भारत सरकार पर है और इस दायित्व को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक सरकार एक आदर्श मालिक के नाते व्यवहार न करे। इस दृष्टि से यह निंदनीय है कि कर्मचारियों को अब तक भी अभियोग पत्र दिये जा रहे हैं और उनके विरुद्ध बिना किसी औचित्य के कार्यवाही की जा रही है। विभागीय अधिकारी इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपने अधीनस्थ उन कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध की भी कार्यवाही कर रहे हैं। जिन्होंने कभी भी कोई हिंसात्मक अथवा विध्वंसात्मक कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग भी नहीं लिया था उन्हें भी दंडित किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाहियां सेवाओं में उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण विकसित करने में सहयोगी नहीं हो सकतीं।

भारतीय जनसंघ सरकार से मांग करता है कि हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों को अविलंब वापिस ले, बरखास्त कर्मचारियों को बहाल करे और कर्मचारी संगठनों की मान्यता लौटा दे। सरकार द्वारा इन पगों को

उठाने में देर करना देश में स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा लोकतंत्रीय परंपराओं के विकास में बाधक होगा।

[1 जनवरी 1961; लखनऊ, नवां सा०अ०]

61.15. जम्मू के साथ भेदभाव

अधूरा एकीकरण—कार्य समिति ने जम्मू-काश्मीर राज्य की स्थिति पर, (मुख्यतः शेष भारत के साथ उसके एकीकरण की दिशा में हुई प्रगति के संदर्भ में) विचार किया। वह परमिट प्रणाली की समाप्ति, वित्तीय एकीकरण और चुनाव आयोग एवं उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाने का स्वागत करती है। साथ ही वह इस पर खेद व्यक्त करती है कि अब भी बहुत कुछ करना शेष है। पृथक संविधान, संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का अभाव और नागरिकता का पृथक कानून, राज्य को शेष भारत के साथ एकाकार करने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं और इससे राज्य में पाकिस्तान को तथा उसके एजेंटों को ही लाभ होता है। पकिस्तान में बढ़ते हुए सैनिकवाद के संदर्भ में राज्य में पाकिस्तानियों की बढ़ती हुई घुसपैठ से और वहां के नेताओं द्वारा सैनिक कार्यवाही की धमकियों से राज्य में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है जो समूचे राष्ट्र की सुरक्षा और व्यापक राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि इन अंतरों और अलगावों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाय और जम्मू-काश्मीर राज्य को सब दृष्टियों से देश के अन्य प्रदेशों के समान स्तर पर लाया जाय। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में, खतरनाक ढंग से सक्रिय पृथकतावादी शक्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए यह पहली अनिवार्य आवश्यकता है।

जम्मू-काश्मीर में चुनाव नियम—मतपत्रों पर निशान आदि लगाने के मामले में शेष भारत में प्रचलित मतदान प्रणाली को अपनाने से इनकार करके जम्मू-काश्मीर सरकार स्वयं चुनाव आयोग के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। इससे राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकेंगे इस बारे में जनता के मन में संदेह और भय जागा है। यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कार्य समिति भारत सरकार और चुनाव आयोग से अनुरोध करती है कि वह जम्मू-काश्मीर सरकार को इस बात की छूट न दे कि वह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र घटाकर उसे एक तमाशा बना दे। यह नितांत आवश्यक है कि जम्मू-काश्मीर राज्य भी चुनाव आयोग के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में और शेष भारत में लागू नियमों के अधीन हो। इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव करने से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास घटेगा और भारत सरकार की प्रतिष्ठा पर भी आंच आयेगी।

आर्थिक विकास और डोंगरी भाषा के प्रश्नों पर जम्मू क्षेत्र के प्रति भेदभाव-पूर्ण व्यवहार से जम्मू की जनता में बराबर असंतोष बढ़ रहा है और वह निराश हो चली है। यह स्थिति राज्य की एकता और समूचे भारत की सुरक्षा की दृष्टि

गंभीर और खतरनाक है। अतः यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह इस ओर ध्यान दे और जम्मू के साथ होने वाले इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली पग उठाये।

[25 अगस्त 1961; जम्मू, के०का०स०]

61.19. केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल

सरकार का प्रतिशोध—भारतीय प्रतिनिधि सभा केन्द्रीय कर्मचारियों की पिछली हड़ताल के उपरांत सरकार द्वारा अपनाई गई विभेदपूर्ण नीति की निंदा करती है। यद्यपि शासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि तोड़फोड़ तथा हिंसा की कार्यवाही में भाग न लेने वाले सभी निलंबित हड़ताली कर्मचारियों को पुनः काम पर ले लिया जायेगा, किंतु अभी तक भारी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें या तो बर्खास्त कर दिया गया था अथवा उनकी पदावनति कर दी गई है। आज जबकि नागरिक उड्डयन एवं आडिट विभाग आदि कुछ कर्मचारी संघों को छोड़कर अन्यों की मान्यता दुबारा बहाल कर दी गई है, कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें—पिछले वर्ष में वस्तुओं के मूल्यांकन में दस अंकों से अधिक की वृद्धि होकर वह 127 तक पहुंच गया है। वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार आवश्यक है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदनुसार बढ़ोतरी की जाय।

जयपुर, इलाहाबाद तथा मदुराई नगरों की जनसंख्या में वृद्धि तथा बढ़ती हुई महंगाई और विशेषतः मकानों की कमी को ध्यान में रखकर, वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के उपरांत भी अभी तक उन्हें 'बी' श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया गया है। भारतीय प्रतिनिधि सभा सरकार से बलपूर्वक आग्रह करती है कि :

(*i*) जिन कर्मचारी संघों की मान्यता वापस नहीं की गई है उन्हें अविलंब मान्यता प्रदान की जाय।

(*ii*) सभी हड़ताली कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर प्रतिष्ठित किया जाय।

(*iii*) महंगाई के अनुरूप कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि की जाय।

(*iv*) नगरों की श्रेणी की वृद्धि के संबंध में शीघ्र घोषणा की जाय।

(*v*) चुनाव-सभाओं में केन्द्रीय कर्मचारियों के भाग न लेने संबंधी निर्देश को वापस लिया जाय।

[12 नवम्बर 1961; वाराणसी, भा०प्र०स०]

63.04. आपत्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग

जनसंघ इस बात पर गहरी चिंता प्रकट करता है कि जनता और समाचार

पत्रों की आजादी पर अंकुश रखने के लिए आपत्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। यह समय है कि रक्षा के लिए किये गये सभी प्रयत्नों और जनता के एकनिष्ठ समर्थन के प्रति सरकार ईमानदारी के साथ कृतज्ञता प्रकट करे। यदि सरकार की आलोचना भी की गई तो इसका उद्देश्य इन प्रयत्नों को बढ़ावा देना था। ईमानदार व्यक्तियों को जेल में डालने से सरकार के साथ जनसहयोग को बढ़ावा नहीं मिलता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अजमेर के श्री नानक राम इसरानी, डिगबोई के श्री शंकर लाल, दैनिक 'प्रदीप' के संपादक श्री प्रीतम ज्याई और जालंधर के पंडित लेखराज को तत्काल रिहा करे और इस प्रकार सरकार में जनता के विश्वास को फिर से जगाये।

हमें इस बात पर क्षोभ है कि चीनी आक्रमण के समय जिनकी सहानुभूति चीन के साथ होने का पता चला उनके प्रति सरकार का रवैया नरम होता जा रहा है।

[6 अप्रैल 1963; दिल्ली, के०का०स०]

64.15. उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध जांच

उड़ीसा की राजनीतिक स्थिति पर (जहां मुख्यमंत्री तथा पिछले मुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्रियों पर सत्ता का घोर दुरुपयोग करने तथा भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं) केन्द्रीय कार्य समिति चिंता व्यक्त करती है। राज्य विधानसभा के प्रतिपक्षी सदस्यों ने केन्द्र को एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन आरोपों का विवरण दिया गया है और न्यायिक जांच की मांग की गई है। हाल के महीनों में राज्य सरकार ने छात्र आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का जिस भोंड़े और अकुशल ढंग से सामना करने का प्रयास किया, उससे शांति और व्यवस्था की स्थिति में और अधिक बिगाड़ आया, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है।

केन्द्रीय सरकार इस विषय पर जिस तरह आगा पीछा कर रही है और समूचे प्रश्न पर दलगत हितों की दृष्टि से विचार किये जाने के जो संकेत मिल रहे हैं, समिति उनकी विशेषतः निंदा करती है। स्थिति को इस सीमा तक बिगड़ने दिया गया है कि अब कोई कठोर पग उठाकर ही राज्य में राजनीतिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है और जनता में विश्वास जगाया जा सकता है।

कार्य समिति मांग करती है कि उड़ीसा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाय, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय, राज्य के नेताओं पर लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए अविलंबनीय पग उठाये जायें और जांच परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

[4 दिसम्बर 1964; पटना, के०का०स०]

68.17. केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष

तृतीय वेतन आयोग व रेलवे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति—केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते का मूल वेतन में समावेश, मूल्य वृद्धि के लिए शत-प्रति-शत प्रतिपूर्ति तथा अवकाश लेने की आयु के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने की मांगों पर केन्द्रीय कार्य समिति ने विचार किया। समिति अनुभव करती है कि यह मांगें न्यायोचित हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। कार्य समिति का यह मत है कि यद्यपि प्रथम तथा द्वितीय वेतन आयोगों ने सराहनीय कार्य किया था, किंतु केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन दर अभी तक किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये हैं। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्णीत कसौटियां तथा स्तरों के अनुसार न्यूनतम मजूरी का निर्धारण, कार्यभार के मूल्यांकन के फलस्वरूप वेतनों में अंतर का वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा निश्चय और समूचे वेतन तथा भत्ते को निर्वाह-व्यय-सूचकांक से जोड़ना, समिति की दृष्टि में मजूरी तय करने की शास्त्र-शुद्ध पद्धति है। अतः समिति मांग करती है कि रेल कर्मचारियों के लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड तथा शेष सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाय।

समान कार्य के लिए एकसा वेतन—कार्य समिति इस बात पर खेद प्रकट करती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों तथा विभिन्न राज्य कर्मचारियों के वेतन दरों, भत्तों तथा अन्य भुगतानों में भारी अंतर बना हुआ है। न्याय का तकाजा है कि केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों को इस मामले में एक ही स्तर पर लाया जाय। राज्यों के सीमित साधनों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता के लिए बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए जिससे कि राज्य कर्मचारियों को समान वेतन तथा भत्ता देने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त पग उठाये जा सकें।

समाचारपत्र उद्योग में उत्पन्न वर्तमान संकट केन्द्रीय सरकार की श्रम नीति तथा श्रम मंत्रालय की विफलता का द्योतक है। इस क्षेत्र में औद्योगिक अशांति में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार की मामले को लटकाये रखने की नीति, सीधे तौर से उत्तरदायी है। कार्य समिति मांग करती है कि केन्द्र सरकार को इस विवाद में अविलंब तथा प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। समिति का मत है कि मजूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशों को वैधानिक मान्यता दी जाय और मजूरी बोर्डों का गठन इस प्रकार किया जाय जिससे उन्हें सामूहिक सौदे का त्रिपक्षीय मंच बनाया जा सके।

कार्य समिति बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक की धारा 36 ए (डी) तथा धारा 54 ए (ए) के विरुद्ध चलाये जा रहे संघर्ष में अपने समर्थन को दोहराती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माण के अवसर पर कार्य समिति सुझाव देती है कि भारत सरकार को सभी आर्थिक हितों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज

सम्मेलन बुलाना चाहिए जो आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय आय नीति तथा राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करे।

उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि—केन्द्रीय कार्य समिति केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों और सरकारी तथा गैरसरकारी उद्योग धंधों में लगे हुए मजदूरों को आश्वासन देती है कि जनसंघ उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अग्रसर रहेगा और उनसे अपील करती है कि वे देश के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दें तथा अपने कर्तव्य का प्रामाणिकता और अनुशासित ढंग से पालन करें, जिससे राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से सशक्त तथा समृद्धिशाली बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

[7 सितम्बर 1968; इन्दौर, भा०प्र०स०]

68.21. केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल

मजदूर विरोधी अधिनियम—संसद में पेश आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के विधेयक का केन्द्रीय कार्य समिति निरनुमोदन करती है और उसे वापस लेने की मांग करती है।

प्रस्तावित विधेयक न केवल कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, अपितु अपनी लपेट में उन श्रमजीवियों को भी ले लेता है जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू है और जो उस अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अंतर्गत हड़ताल पर जा सकते हैं। स्पष्टतः प्रस्तुत विधेयक श्रम-विरोधी, अलोकतांत्रिक तथा उत्तेजनात्मक है। श्रमजीवियों ने अपने सतत और सुदीर्घ संघर्ष के बाद सामूहिक सौदा करने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसे कलम की एक नोक से समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिनमें सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमजीवियों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही न पड़े।

निरर्थक संयुक्त सलाहकार मशीनरी—खेद का विषय है कि 1960 में केन्द्रीय कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल के बाद कर्मचारियों की व्यथाओं पर विचार करने और शासन के साथ उनके विवादों को निपटाने के लिए जो संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनी थी, वह 19 सितंबर की सांकेतिक हड़ताल को रोकने में प्रभावहीन सिद्ध हुई। कर्मचारियों के प्रतिनिधि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के प्रश्न को जबकि पंच फैसले को सौंपने को तैयार थे, केन्द्र सरकार ने उनके सुझाव को अस्वीकार कर समझौते के सभी द्वार बंद कर दिये।

कानूनी पंच फैसला—कार्य समिति का सुविचारित मत है कि कर्मचारियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए ऐसी कानूनी व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है जिसमें समझौता वार्ता द्वारा अनिर्णीत विषयों को हल करने के लिए मध्यस्थता तथा पंच फैसले के लिए सरकार को विवश किया जा सके। ऐसी व्यवस्था होने पर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

कार्य समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि हड़ताल का अधिकार एक असाधारण अधिकार है और उसका उपयोग अंतिम अस्त्र के रूप में ही होना चाहिए। विवादों को निपटाने के जब तक अन्य मार्ग खुले हुए हैं तब तक हड़ताल करने का प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय कर्मचारी व सरकार के संबंध—कार्य समिति मांग करती है कि 19 सितंबर की हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिये जायें और उन्हें काम पर लौटने की अनुमति दी जाय। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा अथवा तोड़फोड़ के निश्चित आरोप हैं उनके विरुद्ध सामान्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। 19 सितंबर को जो कुछ हुआ उसे भूल जाने और कर्मचारियों तथा सरकार के संबंधों में एक नया अध्याय आरंभ करने की आवश्यकता है। नीतिमत्ता का तकाजा है कि केन्द्र सरकार बदले की भावना का परित्याग कर कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का रवैया अपनाये। केन्द्रीय कर्मचारियों को भी देश तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा तथा प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए।

[16 दिसम्बर 1968; दिल्ली, के०का०स०]

69.03. जम्मू व लद्दाख के साथ भेदभाव

जम्मू-काश्मीर राज्य में 1947 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना के समय से ही जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के लोगों की यह शिकायत रही है कि राज्य सरकार जिसमें काश्मीरियों का प्रभुत्व है, उनके साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती रही है।

क्षेत्रीय असंतुलन—अपनी विशिष्ट समस्याओं को प्रकाश में लाने और उनका समाधान पाने की दृष्टि से जम्मू की जनता को, इस अवधि में कई बार आंदोलन करने पड़े हैं। लेकिन, राज्य सरकार ने उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने, इन तीन स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के आर्थिक असंतुलन को मिटाने, सरकारी नौकरियों में जम्मू और लद्दाख के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ नहीं किया।

गजेन्द्रगडकर आयोग (जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने राज्य की जनता और केन्द्रीय सरकार के काफी दबाव के बाद की) ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ बरते जाने वाले भेदभाव की बात को प्रकाश में लाया है और उसने इस मामले में जनसंघ के दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन किया है।

गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशें—यह अत्यन्त दुःख और चिंता की बात है कि सादिक सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है और वह एक न एक बहाना लगाकर रिपोर्ट को ताक पर रख देने का प्रयास कर रही है। यह स्वाभाविक है कि इससे जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। केन्द्रीय कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि यदि गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को, विशेषतः क्षेत्रीय विकास बोर्ड और भरती

बोर्ड को गठित करने, जम्मू-काश्मीर में अलग-अलग विश्वविद्यालय एवं मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने, जम्मू तथा श्रीनगर में राशनिंग की वस्तुएं समान दर पर उपलब्ध कराने के संबंध में, लागू नहीं किया तो वर्तमान तनाव की स्थिति और बिगड़ेगी।

अतः कार्य समिति केन्द्र एवं राज्य सरकारों से मांग करती है कि सही काम सही समय पर किया जाय। विलंब से किया गया न्याय भी बेकार होता है।

कार्य समिति जनसंघ की जम्मू शाखा को निर्देश देती है कि वह गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों के संबंध में जनता को पूरी जानकारी कराये और उन्हें शीघ्र कार्यान्वित कराने के लिए प्रबल जनमत तैयार करे।

[16 फरवरी 1961; दिल्ली, के०का०स०]

72.18. भ्रष्टाचार के बारे में दोहरे मापदंड

बंसीलाल व केन्द्रीय नेता—केन्द्रीय कार्य समिति हरियाणा के मुख्यमंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाये गये रवैये पर आश्चर्य तथा रोष प्रकट करती है। लोकायुक्त की नियुक्ति में किये गये मनमाने विलंब के साथ, जहां एक ओर पंजाब में एक दो विधायकों की शिकायत पर ही जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र पर अविलंब उनसे जवाब मांगा गया, वहां एक सौ बीस से अधिक संसद सदस्यों तथा अनेक विधायकों द्वारा विस्तृत आरोपों से युक्त स्मरण-पत्र दिये जाने के बाद भी महीनों और वर्षों तक सरकार उन पर विचार करने का नाटक कर रही है और श्री बंसीलाल तथा केन्द्रीय सरकार के बीच के कागजों के आवागमन को ही पर्याप्त कार्यवाही माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जांच के बारे में शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन देती हैं और स्वास्थ्य मंत्री दो ही दिन बाद मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोपों को निराधार घोषित कर देते हैं। इन सब बातों से इस संदेह को बल मिलता है कि श्री बंसीलाल के घोटालों की जांच न करने का कारण यह है कि केन्द्रीय नेतागण भी उसकी लपेट में आ सकते हैं।

कार्य समिति को आशंका है कि सरकार की ऐसी भ्रष्टाचार-पोषक नीति वैधानिक उपायों पर जनता के बचे-खुचे विश्वास को भी हिला देगी। उसकी मांग है कि श्री बंसीलाल के आचरण के संबंध में अविलंब जांच आयोग नियुक्त किया जाय। उसकी यह भी मांग है कि केन्द्र तथा सभी राज्यों में लोकायुक्त तथा लोक-पाल अविलंब नियुक्त किये जायें और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को भी उनके क्षेत्र की परिधि में सम्मिलित किया जाय।

लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए इस गंभीर विषय में दोहरे मापदण्ड रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं माना जा सकता।

[20 नवम्बर 1972; जयपुर, के०का०स०]

अध्याय 4

लोकतंत्र व दलीय प्रवृत्तियां

एकात्मक शासन के साथ-साथ नीचे तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कल्पना जनसंघ बहुत प्रारंभ से लेकर चलता आया है। वह उसे 'एक देश, एक जन और एक संस्कृति' की अपनी मौलिक कल्पना के अनुकूल मानता है (55.29)। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कल्पना जनसंघ की लोकतंत्र में गहरी निष्ठाओं में से उत्पन्न हुई है। वह अपनी संपूर्ण राजनीति की धुरी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को ही घोषित करता आया है।

जनसंघ का विश्वास है कि "भारत में लोकतंत्र की सफलता या विफलता पर ही एशिया और समूचे विश्व के लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है (58.31)।" उसकी आस्था है कि भारतीय जनता की मूल निष्ठा स्वतंत्रता और लोकतंत्र में बहुत गहरी है इसलिए संविधान, प्रशासन, दलीय राजनीति व चुनाव—प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्रीय भावना एवं परंपराओं के पोषण एवं निर्माण के लिए जनसंघ प्रयत्नशील है। उसकी धारणा है कि "स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जनतंत्र की मूल इकाइयां हैं। उन्हें सबल और सक्षम बनाये बिना विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता (58.06)"। लोकतंत्र के हित में "प्रेस की स्वाधीनता का संरक्षण आवश्यक है (62.19)"। जनसंघ ने ही सर्वप्रथम मांग उठाई कि प्रेस काउंसिल का गठन कर उसे प्रेस के नियंत्रण का काम सौंपा जाय (62.19)। व्यक्ति-पूजा का वातावरण निर्माण करने के प्रयत्नों को जनसंघ प्रारंभ से लोकतंत्र के विपरीत बताता आया है (62.19)। उसने चेतावनी दी थी कि "एक देश, एक दल, एक नेता और एक नीति के नारे लगाने वाले प्रजातंत्र की हत्या कर उसी अधिनायकवाद को भारत के ऊपर लादना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध कम्युनिस्ट चीन से हम लड़ रहे हैं (62.19)"। जब जब सत्तारूढ़ दल ने लोकतंत्रीय परंपराओं का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया जैसे आपात्कालीन अधिकारों का दुरुपयोग, गैरकांग्रेसी सरकारों को गिराने की साजिशें, राज्यपालों को दलीय राजनीति का मोहरा बनाना, चुनावों में शासनतंत्र का दुरुपयोग, स्वतंत्र प्रेस व स्वतंत्र न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना आदि तब तब जनसंघ का विरोध बहुत सशक्त और प्रखर रहा है।

यदि सत्तारूढ़ कांग्रेसी दल की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की जनसंघ ने कठोरतम आलोचना की है तो वह अन्य दलों द्वारा अपनाई गई हिंसा की निंदा करने में भी कभी पीछे नहीं रहा। उसका स्पष्ट कथन है, "भारतीय जनसंघ सार्वजनिक जीवन में हिंसात्मक उपायों की निंदा करता है (66.07)"। बंबई के उपद्रवों के संदर्भ में उसने कहा था कि "किसी भी राजनीतिक विवाद का सड़कों पर निर्णय करने का प्रयास अत्यन्त अनुत्तरदायित्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है (69.04)"। किन्तु आंदोलनों में हिंसा बढ़ती जा रही है क्योंकि "सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति सरकार उदासीनता का रवैया अपनाती है।....वह हिंसा के सामने दबी है। इससे यह धारणा बद्धमूल हो रही है कि सरकार केवल हिंसा की भाषा समझती है (66.07)"।

कम्युनिस्टों के प्रति जनसंघ के विरोध का मुख्य कारण ही उनकी भारत-बाह्य निष्ठाएं एवं लोकतंत्र में अनास्था है। जनसंघ की दृढ़ धारणा है कि कम्युनिस्ट रणनीति का एकमेव उद्देश्य हिंसात्मक राजनीति अथवा किन्हीं भी अन्य उपायों से सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त कर भारत में लोकतंत्र को समाप्त कर देना है।

कांग्रेस में घुसपैठ करके पिछले दरवाजे से सत्ता पर अधिकार जमाने के कम्युनिस्टों के प्रयत्नों के बारे में जनसंघ ने 1958 से ही देश को सतर्क करना प्रारंभ कर दिया था (58.16, 61.07, 65.02)। पहले नेहरू और अब इंदिरा भक्ति के आवरण में कांग्रेस पर आधिपत्य जमाने के कम्युनिस्ट कुचक्र पर जनसंघ की बहुत सतर्क दृष्टि रही है और उनके इस दोहरे षड्यंत्र की ओर सभी लोकतंत्रवादियों का ध्यान उसने बलपूर्वक आकर्षित किया है कि कांग्रेस के अन्दर घुसपैठ करके शासनतंत्र पर अंदर से तथा अराजकता व अशांति उत्पन्न करके बाहर से सत्ता पर एकाधिकार किया जाय।

57.01. विधान-मण्डलों में विरोधी दलों से सहयोग

केन्द्रीय कार्य समिति विभिन्न विधान-मंडलों में निर्वाचित अपने सदस्यों को निर्देश देती है कि वे वहां एक दल के रूप में काम करें, अपने स्वरूप को कायम रखें और मतदाताओं के सामने जो कार्यक्रम उन्होंने रखा और जिसके आधार पर मतदाता की राय प्राप्त की उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। समान समस्याएं उठाने और वर्तमान सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विरोधी पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से, वे विधान-मंडलों में अन्य गुटों और पार्टियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

[20 अप्रैल 1957; जौनपुर, के०का०स०]

57.04. द्वितीय आम चुनाव

केन्द्रीय कार्य समिति ने विभिन्न राज्यों की जनसंघ की इकाइयों के सचिवों की रिपोर्टों के आलोक में चुनाव परिणामों पर विचार किया। समिति ऐसा अनुभव करती है कि विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद प्राप्त मतों और सीटों की दृष्टि से जनसंघ निश्चय ही आगे बढ़ा है। पिछले चुनावों में प्राप्त 32 लाख मतों के मुकाबले इस बार संसद के लिए हुए चुनावों में जनसंघ को 72 लाख वोट मिले हैं।

राज्य विधान-मंडलों के चुनावों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बम्बई के चुनाव परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। यदि वित्तीय तथा अन्य साधनों की भारी कमी न होती तो ये परिणाम और भी अच्छे होते। इन राज्यों में चुनाव से पहले की स्थिति की तुलना में निश्चित सुधार हुआ है।

पश्चिमी बंगाल में जनसंघ पिछले चुनावों में प्राप्त स्थिति को कायम नहीं रख सका। यहां उसे धक्का लगा और यही हाल बिहार तथा कर्नाटक का भी रहा, जहां जनसंघ का काम कुछ काल से चल रहा है। इन राज्यों में जनसंघ को जो धक्का लगा है उसके मुख्य कारण यह थे कि संगठन के ठोस आधार का अभाव था और साधनों की कमी रही।

इस चुनाव में जातिवाद और सांप्रदायिकता, विशेषकर मुस्लिम सांप्रदायिकता ने जो भूमिका निभायी है समिति उस पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। सत्तारूढ़ दल और कुछ प्रतिपक्षी दलों ने अपने अस्थायी लाभ के लिए व्यापक राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की और इन भावनाओं को जानबूझकर उभारा तथा

प्रोत्साहित किया। इन शक्तियों को दबाने के लिए यदि प्रभावशाली पग न उठाये गये तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए जबर्दस्त खतरा बनेंगी और स्वयं लोकतंत्र को भी कमज़ोर करेंगी।

ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति—समिति इस पर संतोष का अनुभव करती है कि राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक शक्तियों के ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी है। विकसित हो रही राजनीतिक परिस्थिति की आवश्यकताएं पूरा करने की दृष्टि से इसकी नितांत आवश्यकता है। इस नई परिस्थिति में राष्ट्रीय शक्तियां बढ़ रही हैं और वे अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं। इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए सब संभव प्रयत्न किये जाने चाहिए।

समिति यह भी निर्णय करती है कि भविष्य में देश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कार्य वृद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

समिति उन लाखों मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करती है, जिन्होंने जनसंघ के उम्मीदवारों को वोट देकर इस संस्था पर अपना विश्वास प्रकट किया और उन्हें विश्वास दिलाती है कि जनसंघ उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सिद्ध होगा। कार्यकर्ताओं और अपने साथ सहानुभूति रखनेवालों की निस्स्वार्थ सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है और आशा करती है कि जनसंघ को भविष्य में भी उनकी सहानुभूति और समर्थन का लाभ मिलता रहेगा।

[20 अप्रैल 1957; जौनपुर, के०का०स०]

58.06. स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधान

विकेन्द्रित प्रशासन—स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं जनतंत्र की मूल इकाइयां हैं। उन्हें सबल और सक्षम बनाये बिना विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। खेद का विषय है कि संविधान में स्वायत्त संस्थाओं को भारतीय गणराज्य की महत्त्वपूर्ण तथा आधारभूत इकाइयों के रूप में प्रतिष्ठित करने के हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्थानीय निकायों के बीच समन्वय—परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के एक दशक बाद भी विभिन्न प्रान्तों में स्वायत्त संस्थाओं का न तो कोई समन्वित व एक दूसरे से संबद्ध एवं सुनिश्चित स्वरूप निर्धारित हो पाया है और न उन्हें नौकरशाही एवं प्रादेशिक शासन के हस्तक्षेप से मुक्त तथा आवश्यक साधनों एवं अधिकारों से युक्त अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होने का अवसर ही मिला है। विभिन्न प्रदेशों ने पिछले वर्षों में इन संस्थाओं के संबंध में जो अनेक कानून बनाये हैं वे किसी सुविचारित और सुनिश्चित नीति पर आधारित न होने के कारण, उनसे स्वायत्त शासन में और भी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। पंचायतों, जनपद सभाओं, जिला और म्यूनिसिपल बोर्डों आदि के बीच कार्यक्षेत्रों का और उनके साधन-स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण और पारस्परिक तालमेल नहीं है। सामुदायिक विकास

योजनाओं और राष्ट्रीय विकास खंडों का भी क्षेत्र की स्वायत्त संस्थाओं से कोई सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया है।

जो स्वायत्त संस्थाएं इस समय विद्यमान हैं उन्हें प्रांतीय शासनों ने सब प्रकार से प्रभावहीन बना रखा है। पंजाब के जिला बोर्ड व उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के निगम अनेक वर्षों से शासन द्वारा मनोनीत अधिकारियों के हाथ में हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जिला बोर्डों के पिछले 9 वर्षों से कोई चुनाव नहीं कराये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वे अपना लोकतंत्रात्मक स्वरूप ही खो बैठे हैं। जहां चुनाव हुए हैं वहां भी सदस्यों और संस्थाओं को आये दिन प्रांतीय सरकारें मनमाने ढंग से निलंबित और भंग करती रहती हैं। अनुदानों के लिए स्थानीय संस्थाएं सदैव ही प्रांतीय सरकारों की मुखापेक्षी रहती हैं। इस परिस्थिति में वे न तो स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकती हैं और न जनसेवा के अपने कर्तव्य का ही निर्वाह कर सकती हैं। जहां ये संस्थाएं विरोधी दलों के हाथों में हैं वहां तो शासन पग-पग पर रोड़े अटकाता हुआ उन्हें हटाने के अवसर ढूंढा करता है। पंजाब में हिन्दी रक्षा आंदोलन का बहाना बनाकर सरकार ने जनसंघ के अनेक सदस्यों को अकारण ही अपदस्थ कर दिया जबकि आंदोलन के उद्देश्यों और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के नाते उनके कर्तव्यों में कोई पारस्परिक संघर्ष नहीं था।

स्थानीय निकायों के साधन-स्रोत व चुनाव—भारतीय जनसंघ अपनी इस मांग को पुनः दोहराता है कि :

(1) स्थानीय निकायों के स्वरूप, अधिकार तथा साधन-स्रोत संविधान द्वारा निर्धारित हों और उनके चुनाव, चुनाव आयोग के निरीक्षण में आयोजित हों।

(2) इन संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का आधार बनाया जाय और समस्त विकास योजनाओं को उनसे संबद्ध किया जाय।

(3) प्रांतीय सरकारों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए प्रचलित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जायें। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तब तक निलंबित अथवा अपदस्थ न किये जायें जब तक कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप किसी न्यायालय में प्रमाणित न हो जायें। स्वायत्त संस्थाओं का स्वरूप पूर्णतः लोकतंत्रात्मक हो और प्रांतीय सरकारों द्वारा सदस्यों का मनोनयन न किया जाय।

(4) जिन निकायों में निर्वाचन नहीं हुए हैं वहां उन्हें शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाय।

[5 अप्रैल 1958; अम्बाला, छठा सा०अ०]

58.14. राजनैतिक हत्याएं

उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में जनसंघ कार्यकर्ताओं की हत्या तथा उनके साथ घटी हिंसा की दूसरी घटनाओं के समाचारों पर बड़े दुःख के साथ केन्द्रीय कार्य समिति ने विचार किया और राजनीतिक दलबंदी के लिए बढ़ती

इन हिंसात्मक प्रवृत्तियों की जोरदार शब्दों में निंदा की। कार्य समिति इन दुःखद घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान इस आशा से आकर्षित करती है कि वह इस निंदनीय स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली पग उठायेगी।

[19 जुलाई 1958; बम्बई, के०का०स०]

58.16. कम्युनिस्ट चुनौती

पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक मोर्चे पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे देश के भविष्य की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। केरल के अतिरिक्त अन्य सब प्रदेशों पर और केन्द्र सरकार पर नियंत्रण के बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके चोटी के नेताओं का प्रभाव घटने लगा है और जर्जरता एवं विघटन के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। इस भानुमती के कुनबे के—जो तेजी से अपनी सैद्धांतिक लीक से (यदि उसकी ऐसी कभी कोई लीक थी तो) हटता जा रहा है और अपनी संगठनात्मक समरसता खो रहा है – बिखरने के बारे में जो अनुमान लोग लगाते थे, अब उससे पहले ही इस कुनबे के बिखर जाने की संभावना को कोई चमत्कार ही टाल सकता है। अतः राजनीतिक दृष्टि से जागरूक प्रत्येक व्यक्ति के सामने देश में राजनीतिक रिक्तता की संभावना घूमने लगी है।

केरल में अपनी सरकार बनाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पंजे फैलाने लगी है, जिससे जब भी परिस्थितियां अनुकूल हों वह अवसर से लाभ उठा सके। वह अपनी नीति की दिशा में चल रही है। एक ओर तो वह विधिवत घुसपैठ करके और लोकतंत्र एवं शांतिपूर्ण उपायों पर विश्वास प्रकट करते हुए कांग्रेस तथा अन्य वामपंथी पार्टियों के साथ मिलने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर वह कांग्रेस के भीतर अपना एक शक्तिशाली गुट बनाने में सफल भी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नेहरू के रूप में उन्हें एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक मिल गया है जो जाने या अनजाने में स्वयं कांग्रेस के भीतर भी उनका सबसे बड़ा समर्थक सिद्ध हो रहा है। अन्य वामपंथी पार्टियां भी (यद्यपि वे जोर-जोर से प्रचार कर रही हैं कि वे कम्युनिस्ट विरोधी हैं) तथापि वास्तविकता में वे जनता के मौलिक विकास के लिए कम्युनिस्टों से नारेबाजी में होड़ कर रही हैं और इस तरह वे कम्युनिस्टों के लिए भूमि तैयार कर रही हैं।

साथ ही उद्योगों में हड़तालों आदि का आयोजन करके और मजदूरों को हिंसा एवं अशांतिमूलक कार्यों के लिए संगठित करके, कम्युनिस्ट देश में अशांति, अव्यवस्था और तोड़फोड़ के बीज बो रहे हैं। हाल में ही हुई कलकत्ता, मद्रास और जमशेदपुर में इस्पात मजदूरों की हड़तालों से कम्युनिस्टों के मनसूबों का पता चलता है।

गृहयुद्ध की धमकी—केरल के मुख्यमंत्री श्री नंबूद्रीपाद ने हाल में ही अपने एक भाषण में गृहयुद्ध की धमकी दी है। इससे भी कम्युनिस्ट मस्तिष्क का पता

चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए चूंकि अन्य प्रतिपक्षी दलों ने एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया है, अतः कम्युनिस्टों द्वारा गृहयुद्ध की बात सोचना, राजनीति में कम्युनिस्ट दृष्टि और लोकतंत्रीय दृष्टि के भेद को स्पष्ट करता है। लोकतंत्र इस तथ्य को स्वीकार करता है कि नागरिकों और राजनीतिक दलों को अधिकार है कि जिस सरकार को वे पसंद नहीं करते उसे चुनावों में हरा कर अपदस्थ करने के लिए संगठित हों और आंदोलन करें, लेकिन कम्युनिस्ट एक बार सत्ता हाथ में आ जाने पर उसे किसी भी मूल्य पर और किसी भी उपाय से अपने ही लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं।

सबसे पहली बात तो यही है कि इस दृष्टिकोण का लोकतंत्र से कोई मेल नहीं बैठता। स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक या किसी अन्य उपाय से यदि एक बार भी सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में चली गई तो वे सबसे पहले सत्ता का उपयोग लोकतंत्र को मिटाने और सब तरह के लोकतंत्रीय विरोध को समाप्त करने के लिए करेंगे। अतः भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए (जिस पर समूचे एशिया में लोकतंत्र का भविष्य आश्रित है) यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि कम्युनिस्टों को कांग्रेस का स्थान लेने से रोका जाय।

आवश्यकता यह है कि कोई ऐसी पार्टी या दल हो जिसके संगठन का आधार सुदृढ़ हो, जो जनता को सैद्धांतिक दृष्टि से प्रभावित कर सके और जो रिक्तता को भरने के लिए दृढ़ संकल्प हो। कारण स्पष्ट है। सोशलिस्ट या प्रजा समाजवादी पार्टी यह सब करने में असमर्थ हैं। उनका अपना ऐसा कोई मौलिक स्वरूप या आधार नहीं कि उन्हें कांग्रेस से भिन्न रखा जा सके। उनमें ऐसी संगठनात्मक समरसता भी नहीं जो कम्युनिस्ट चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।

ऐसा एकमात्र दल जिसमें कम्युनिस्ट चुनौती का सामना कर सकने की सामर्थ्य है और जो कांग्रेस के विघटन के बाद उत्पन्न रिक्तता को भर सकता है, वह जनसंघ है। यह उन लोगों को, जिन्होंने इसके आवाहन को सुना है, प्रभावित एवं मंत्रमुग्ध करने लगा है और गुड़गांव, सिहोर तथा महावा के उपचुनावों में इसकी एक के बाद दूसरी विजय से इस दावे की पुष्टि भी हुई है। देश के सुदूर भागों में स्थित दिल्ली, अंबाला छावनी और जूनागढ़ की नगरपालिकाओं के चुनावों में जनसंघ की विजय उसके बढ़ते अखिल भारतीय स्वरूप की साक्षी है।

इसके आलोचक भी अब इसकी बढ़ती शक्ति को स्वीकार करने और इसे कांग्रेस का संभावित विकल्प मानने लगे हैं। इन आशाओं को पूरा करने के लिए जनसंघ को अपना संगठन और संदेश देश के कोने-कोने में पहुंचाने के उद्देश्य से द्विगुणित प्रयास करना होगा। दक्षिणी और पूर्वी भारत अब तक अपेक्षाकृत उपेक्षित रहे हैं। अब उन्हें जनसंघ के मानचित्र पर अंकित करने के लिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

जनसंघ के कार्यकर्ताओं और उसके साथ सहानुभूति रखने वालों को भी कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए ताकि वे जनता की आशाओं के अनुरूप सिद्ध हो

सकें। कार्यकर्ता जनसंघ की सबसे बड़ी पूंजी है। जनसंघ के उद्देश्य एवं कार्य के प्रति उन्होंने जिस निस्वार्थ श्रद्धा और लगन का परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि अपने जन्म के 6 वर्ष के भीतर ही वह एक शक्ति के रूप में सामने आया है। कार्य समिति विभिन्न प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों की सराहना करती है और उनका आवाहन करती है कि वे और अधिक प्रयत्न करने तथा और अधिक बलिदान करने को तैयार हों ताकि जनसंघ हमारे स्वप्नों के भारत को साकार करने का सच्चा एवं उपयुक्त माध्यम सिद्ध हो सके।

[19 जुलाई 1958; बम्बई, के०का०स०]

58.23. पंजाब की एकता

केन्द्रीय कार्य समिति पुनः बलपूर्वक विश्वास प्रकट करती है कि पंजाब और वहां की संपूर्ण जनता का हित संयुक्त और अविभक्त पंजाब प्रदेश बनाये रखने में ही है।

पंजाब जनसंघ को समिति आदेश देती है कि वह वहां की एकताभिमुख शक्तियों को सुदृढ़ करने तथा वहां की जनता की (जिसे अवास्तविक और थोथे प्रश्नों पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है) भावात्मक एकता संपादन करने के लिए ठोस और रचनात्मक पग उठाये। समिति आशा करती है कि वहां की सभी जनता विघटनकारी प्रयासों का वीरतापूर्ण सामना, जैसा कि उसने अभी तक किया है, सफलतापूर्वक करती रहेगी।

[12 अक्तूबर 1958; दिल्ली, के०का०स०]

58.28. काश्मीर में छलपूर्ण चुनाव

नागरिक स्वतंत्रता, शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से जम्मू-काश्मीर की उत्तरोत्तर बिगड़ती आंतरिक स्थिति पर भारतीय जनसंघ गहरी चिंता प्रकट करता है। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को नागरिक की हैसियत से जिन मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी की है वहां की जनता को केवल उन्हीं से वंचित नहीं किया जा रहा, बल्कि सबसे अधिक शोचनीय बात तो यह है कि स्थानीय निकायों तक के चुनावों में बड़े आपत्तिजनक ढंग से गड़बड़ी की जा रही है। जनसंघ सचिवालय को जम्मू से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शासक दल के पराजित उम्मीदवारों को भी कई स्थानों पर (जहां प्रजापरिषद एवं अन्य प्रतिपक्षी दलों के उम्मीदवार विजयी हुए) निर्वाचित घोषित कर दिया गया और इस प्रकार की मनमानी का विरोध करने वाले प्रजापरिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

इन घटनाओं ने बड़े स्पष्ट रूप में उन असमर्थताओं को उजागर किया है जिनसे राज्य की जनता इसलिए पीड़ित है क्योंकि वहां भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। साथ ही राजनीतिक दृष्टि से जागरूक राज्य के सभी

तत्व अब इस आवश्यकता को भी अधिकाधिक अनुभव करने लगे हैं कि उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र इस राज्य तक पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।

जम्मू-काश्मीर सरकार और केन्द्रीय सरकार से जनसंघ अनुरोध करता है कि वह सभी संबद्ध व्यक्तियों के हित में इन लोकतंत्र-विरोधी कार्यों और नीतियों को रोकने के लिए अविलंब प्रभावशाली पग उठाये। चुनावों में इस तरह मनमानी करके जनता के मूलभूत नागरिक अधिकारों का जिस तरह हनन किया जा रहा है उससे न केवल जम्मू-काश्मीर सरकार बदनाम हो रही है बल्कि लोकतंत्रीय उपायों से अपनी शिकायतें दूर करने की प्रक्रिया पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है और भारत के शत्रुओं को भारत को बदनाम करने का अवसर मिल रहा है। जम्मू-काश्मीर की जनता खुल्लम-खुल्ला चलने वाली इस मनमानी को अनंत काल तक सहन करती रहेगी, ऐसी आशा नहीं की जानी चाहिए।

जनसंघ अपनी सब शाखाओं का आवाहन करता है कि भारत भर में जनता को जम्मू-काश्मीर राज्य की आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी कराने और राज्य तथा शेष भारत के बीच का अंतर मिटाने के हेतु जनमत तैयार करने के लिए 8 फरवरी को 'काश्मीर दिवस' मनाया जाय।

[28 दिसम्बर 1958; बंगलौर, सातवां सा०अ०]

58.31. भारत में लोकतंत्र

एशिया में लोकतंत्र का बुर्ज—पाकिस्तान, बर्मा, थाईलैंड तथा पूर्वी और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में लोकतंत्र के पतन के बाद दुनिया में लोकतंत्र चाहने वाले सब लोगों की दृष्टि अब भारत पर टिकी है। अब इस बात को अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता या विफलता पर ही एशिया और समूचे विश्व में लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है।

कांग्रेस की असहिष्णुता—लेकिन, भारत में भी स्थिति ऐसी नहीं, जिस पर लोकतंत्र चाहने वाले गर्व कर सकें। कांग्रेस पार्टी भी, जो लोकतंत्र की वकालत करते कभी नहीं थकती, ऐसी परंपराएं स्थापित कर रही है और ऐसी नीतियां अपना रही है जिनसे लोकतंत्र पर से लोगों की आस्था डिग सकती है और देश में तानाशाही प्रवृत्तियां बल पकड़ सकती हैं। वह प्रतिपक्ष के प्रति उत्तरोत्तर असहिष्णु होती जा रही है और श्री नेहरू तो इस सीमा तक बढ़ गये कि उन्होंने अपनी नीतियों के सब आलोचकों को बुद्धिहीन कहना आरंभ कर दिया। पार्टी और प्रशासन के बीच जो आवश्यक दूरी और भेद रहना चाहिए, शासक दल उसे बनाये नहीं रख सका है। सबसे अनुचित बात तो यह है कि पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने और प्रतिपक्षी दलों को कुचलने के लिए सरकारी यंत्र और सरकारी संरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस हाई कमान की नाक के नीचे, केन्द्र शासित दिल्ली प्रदेश में विभिन्न परामर्शदात्री और सलाहकार समितियों में जिस

तरह कांग्रेसियों को भरा गया और जनसंघ के प्रतिनिधियों को उनसे जिस तरह दूर रखा गया उससे लोकतंत्र के प्रति कांग्रेसी दृष्टिकोण का पता चलता है। फिर कांग्रेस जिन आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है उनसे अधिकारवादी तानाशाही प्रवृत्तियां और सशक्त हो रही हैं। मुसलसानों, ईसाइयों, सिखों आदि की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना तथा दलीय लाभ के लिए सांप्रदायिक बातों को महत्व देना—कांग्रेसी चुनाव नीति का नियमित अंग बन गया है। असम में तो वह इस हद तक बढ़ गई कि चुनाव में वोट पाने के लोभ में मुसलमानों को पाकिस्तान से विधिवत बुलाकर, सीमाक्षेत्र में बसाया जाने लगा है। ये सब बातें नवजात भारतीय लोकतंत्र की जड़ें काटने वाली हैं।

कम्युनिस्ट चाल—आमतौर से देश की और खासकर केरल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों से स्थिति और बिगड़ गई है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार जिन नीतियों पर चल रही है उनके कारण उस महत्त्वपूर्ण प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। वह प्रशासन और न्यायपालिका के मामलों में बराबर हस्तक्षेप कर रही है और जो मजिस्ट्रेट कम्युनिस्ट अपराधियों के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को मानने से इनकार करते हैं उनकी पदावनति की जा रही है। पुलिस को बराबर कम्युनिस्ट विचारधारा के रंग में रंगने की कोशिश हो रही है, और वह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और उच्च पदाधिकारियों की गैर-कानूनी और लोकतंत्र-विरोधी गतिविधियों की मूकदर्शक बनती जा रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कम्युनिस्टों को महत्त्वपूर्ण स्थानों पर बैठाने का प्रयत्न हो रहा है। विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाकर उनमें कम्युनिस्टों को भरा जा रहा है और सरकारी प्रभाव का उपयोग करके पार्टी के लिए विशाल कोष इकट्ठा किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के चुनावों में मनमानी की जा रही है और मतदाता सूचियों में जाली नाम जोड़े जा रहे हैं जिससे भावी चुनावों में पार्टी को जिताया जा सके। एक अथवा दूसरे संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी बहाने से सांप्रदायिक अशांति भड़कायी जा रही है। मुसलमानों के प्रति तो यह नीति विशेष रूप से अपनायी जा रही है और वे जानते हैं कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रसोपा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें फुसला रहे हैं। वे मुस्लिम लीग की सुपरिचित नीति पर चलते हुए अपने समर्थन का भारी मूल्य वसूल करना और मलाबार में अपने लिए एक मिनी पाकिस्तान बना लेना चाहते हैं। अन्य प्रदेशों में भी लोकतांत्रिक चुनावों का चालाकी से लाभ उठाकर एक बार सत्ता में आ जाने पर कम्युनिस्ट पार्टी अपने पंजे मजबूती से जमाने के लिए निश्चय ही ऐसे ही लोकतंत्र विरोधी उपाय अपनायेगी।

भारतीय लोकतंत्र के लिए बढ़ते हुए इस दोहरे खतरे के सामने, स्वतंत्रता और लोकतंत्र चाहने वालों का आत्मसंतोष करके बैठे रहना नितांत अपराधपूर्ण होगा। अब समय है कि सब राष्ट्रवादी और लोकतंत्रीय शक्तियां केरल तथा अन्य स्थानों पर तानाशाही कम्युनिस्ट खतरे का सामना करने के लिए एक हों और

साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की तानाशाही प्रवृत्तियों और नीतियों से लोहा लें। भारतीय लोकतंत्र अब कांग्रेस के हाथों सुरक्षित नहीं, क्योंकि उसे पूरी तरह मिटाने के लिए कम्युनिस्ट कांग्रेस का स्थान ग्रहण करने की योजना बना रहे हैं। अब एक ऐसे लोकतंत्रीय राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष की, जिसका प्रतिनिधित्व जनसंघ करता है, नितांत आवश्यक है जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के जहाज को इन दोनों झंझावातों के बीच से बचाकर ले जा सके। अतः यह सभी राष्ट्रवादी शक्तियों और खासकर जनसंघ के कार्यकर्ताओं और उससे सहानुभूति रखने वालों का दायित्व है कि वे कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनसंघ को शक्तिशाली बनाने में अपनी समस्त शक्ति लगायें। स्थिति का तकाजा है कि देश के सभी नर-नारी द्विगुणित शक्ति से प्रयास करें और प्रत्येक हृदय में लोकतंत्र एवं देश के प्रति छिपे प्रेम को जगायें। भारत की सुदीर्घ परंपरा और इतिहास में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना बड़ी गहराई से व्याप्त है; जनसंघ इन प्रवृत्तियों को प्रभावशाली ढंग से पुनरुज्जीवित करे, यही संकल्प करना है।

[28 दिसम्बर 1958; बंगलौर, सातवां सा०अ०]

59.05. केरल में जनता का संघर्ष

कम्युनिस्ट कुशासन—भारत में 1956-57 में हुए आम चुनावों में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग 35 प्रतिशत वोट मिले और उन्होंने केरल विधानसभा की आधी से कुछ कम सीटें जीतीं। बाद में मंत्रिपद तथा अन्य प्रलोभन देकर पाँच निर्दलियों को कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम करने को तैयार किया गया। लेकिन, इन सबके बावजूद 127 सदस्यों के सदन में कम्युनिस्ट सरकार को केवल दो का काम चलाऊ बहुमत प्राप्त हो सका। फिर भी, इस मामूली बहुमत के बावजूद सरकार पर अधिकार करते ही कम्युनिस्टों ने (अपनी परंपरा के अनुसार) राज्य में सब प्रकार से अपनी स्थिति को सशक्त बनाना आरंभ कर दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने दल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविधान का भी दुरुपयोग किया। पार्टी का कोष बढ़ाने के लिए बड़े-पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया पुलिस का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, ईमानदार अधिकारियों को डराया-धमकाया गया, और घृणास्पद शिक्षा विधेयक तथा ऐसे ही अन्य उपायों से शिक्षा को जड़ से ही विषाक्त करने का प्रयत्न हुआ। बात अब इस सीमा तक पहुंची है कि समूची स्थिति असह्य हो गई है। परिणामस्वरूप, श्रीमन्नाथ पद्मनाभन् के नेतृत्व में केरल में एक विशाल जन आंदोलन छिड़ गया है, जो केरल के जीवन में अश्रुतपूर्ण है। जनता के सभी वर्ग—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई—और कम्युनिस्ट को छोड़कर सभी राजनीतिक दल कम्युनिस्ट कुशासन से मुक्ति पाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गये हैं।

केरल में यह जनजागृति बड़ा ही स्वस्थ लक्षण है। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को मानव मस्तिष्क से निकाला नहीं जा

सकता। भारतीय जनसंघ केरल में जनता के इस स्वागत आंदोलन का करता है और वह अपनी पूरी सामर्थ्य से इस आंदोलन का समर्थन करेगा और इसमें सहयोग देगा।

कम्युनिस्ट गोलीवर्षा—12 जून के बाद, जबकि इस आंदोलन को आरंभ करने की औपचारिक घोषणा की गई, जो पखवाड़ा बीता है उसमें कई घटनाएं हुई। आंदोलन को कुचलने के लिए कम्युनिस्ट सरकार कठोर पग उठा रही है। कई स्थानों पर शांतिपूर्ण नागरिकों पर अकारण गोली चलाई गई जिससे बहुत से लोग मरे या घायल हुए। इन गोलीकांडों की जांच की मांग को कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ने ठुकरा दिया। लेकिन, इन सबसे जनता को आतंकित करके उसे झुकाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, हालांकि उद्देश्य यही था। व्यावहारिक दृष्टि से वहां सामान्य प्रशासन समाप्त प्रायः हो चुका है और संविधान का कहीं उचित ढंग से पालन नहीं हो रहा है। अतः जनसंघ अनुभव करता है कि जब बड़ी तेजी से स्थिति संकटापन्न बनती जा रही हो, तब भारत सरकार केवल मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। उसे स्थिति के प्रति गम्भीर रुख अपनाकर उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

स्पष्ट है कि केरल सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है—सच तो यह है कि अपने दो साल के कुशासन में उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस बात को देखते हुए, केरल की कम्युनिस्ट सरकार के सामने अब एक ही लोकतांत्रिक और सम्मानपूर्ण मार्ग बचा है कि वह अविलंब त्यागपत्र दे दे और यदि जनता चाहती है तो उसे अपने मताधिकार का नये सिरे से प्रयोग करने का अवसर दे।

तदनुसार भारतीय जनसंघ मांग करता है कि :

(*i*) गोलीकांडों की अविलंब अदालती जांच कराई जाय।

(*ii*) केरल की जनता की इच्छाओं का आदर करते हुए कम्युनिस्ट सरकार अविलंब त्यागपत्र दे दे।

(*iii*) कम्युनिस्ट कुशासन से मुक्ति पाने के लिए केरल की जनता के संघर्ष को हर संभव सहायता और समर्थन दिया जाना चाहिए।

कार्य समिति, तदनुसार देशभर में जनसंघ की प्रांतीय समितियों को निर्देश देती है कि वे केरल में कम्युनिस्ट सरकार की गतिविधियों के स्वरूप और मात्रा के बारे में जनता को अवगत करायें और उसे समझायें कि केरल में जारी आंदोलन की सहायता करना कितना आवश्यक है। इस उद्देश्य से, प्रारंभिक पग के रूप में 12 जुलाई 1959 को देशभर में जनसंघ की ओर से 'केरल दिवस' मनाया जाना चाहिए।

[8 जुलाई 1959; पूना, भा०प्र०स०]

59.11. चीनी आक्रमण और कम्युनिस्ट पार्टी

अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट प्रशाखा—तिब्बत में चीन के आक्रमण और अत्याचार तथा भारत की सीमाओं के अतिक्रमण के संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया आंखें खोलने वाली है। तिब्बत के संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का खुला समर्थन किया और आक्रमणकारी सेनाओं को मुक्तिदल कहकर स्वागत किया। भारत की भूमि पर चीनी अतिक्रमण को कम्युनिस्ट पार्टी ने सीमा संबंधी विवाद बताकर, जिसके बारे में दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी गंभीरता को कम करने का प्रयत्न किया है। इस बात के बावजूद कि चीन के इरादों के प्रति राष्ट्र ने एक स्वर से अपना तीव्र रोष प्रकट किया है, कम्युनिस्ट पार्टी न केवल चीन के पक्ष का समर्थन कर रही है, बल्कि विभिन्न प्रश्नों की आड़ में विघटनात्मक आंदोलनों तथा उपद्रवों को भड़काकर चीन के संकट की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए भी भरसक प्रयत्नशील है। किंतु कम्युनिस्ट पार्टी के आज तक के इतिहास और उसकी बाह्य निष्ठा को देखते हुए इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की एक प्रशाखा है, जो देशभक्ति नहीं जानती और अतः इस कारण उसे राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। 1942 में उसका आचरण इसी राष्ट्र-विरोधी स्वरूप के अनुसार था।

कम्युनिस्ट पार्टी के इस इतिहास तथा बाहरी निष्ठा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस राष्ट्रीय संकट के समय जबकि विस्तारवादी आकांक्षाओं से प्रेरित तथा शक्ति के दर्प से उद्धत एक कम्युनिस्ट राष्ट्र से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों पर जनता तथा सरकार द्वारा कठोर दृष्टि रखी जानी चाहिए। बाहरी आक्रमण के समय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आंतरिक उपद्रव तथा तोड़फोड़ की सम्भावना का खतरा देश नहीं उठा सकता। भारतीय जनसंघ जनता के सभी देशभक्त वर्गों तथा तत्वों का आवाहन करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रद्रोहात्मक गतिविधियों के संबंध में जनता को शिक्षित तथा जागरूक कर इस राष्ट्र-विरोधी दल की शरारत करने की शक्ति को कुंठित करें और भारत की राजनीति से उसके संपूर्ण निष्कासन की प्रक्रिया को गति प्रदान करें।

[20 सितम्बर 1959; दिल्ली, के०का०स०]

60.01. राष्ट्र निर्माण में सहभागी

राजनीतिक प्रगति के आधार—भारतीय जनसंघ ने राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्रीय पद्धति तथा प्रशासन की शुचिता और दक्षता को देश की राजनीतिक प्रगति का आधार माना है। बिना इन तीनों के देश की राजनीति न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकती है और न प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास का पूर्ण अवसर देते हुए उसका हित संपादन कर सकती है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में एशिया के अनेक देशों में संसदीय लोकतंत्र समाप्त होकर अधिनायकवादी शासन प्रस्थापित हो चुके हैं, भारत इस बात का गर्व कर सकता है कि उसने संवैधानिक

पद्धति और संसदीय प्रणाली पर अडिग रहकर अपनी मूलभूत लोकतंत्रीय प्रवृत्ति का परिचय दिया है। किंतु यह मानकर चलना कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित है और उसको समाप्त करने के लिए यहां कोई शक्तियां क्रियाशील नहीं हैं अपने को धोखे में डालना होगा।

इस दृष्टि से कम्युनिस्ट पार्टी विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि वह सिद्धांततः लोकतंत्रीय पद्धति में विश्वास नहीं करती। नीति के रूप में उसने अमृतसर-प्रस्ताव द्वारा लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली पर विश्वास अवश्य प्रकट किया, और देश के अनेक लोग भुलावे में भी आ गये किंतु केरल में सत्तारूढ़ होते ही लोकतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात करने का षड्यंत्र जो उन्होंने किया, वह उनके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह हर्ष का विषय है कि जनता ने उनके इस षड्यंत्र के विरुद्ध सफल आंदोलन करके लोकतंत्र की रक्षा की। जनसंघ आशा करता है कि आने वाले चुनावों में केरल के मतदाता कम्युनिस्ट पार्टी के और उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के विरुद्ध मतदान करके लोकतंत्र का मूलोच्छेदन करने वाली इन शक्तियों को क्षीण करेंगे।

कांग्रेस की असहिष्णुता—सत्तारूढ़ दल ने यद्यपि रूपरंग से लोकतंत्र को स्वीकार किया है किंतु व्यवहार में वह अधिकाधिक अलोकतंत्रीय होता जा रहा है और जिन नीतियों और कार्यक्रमों को उसने अपनाया है उनसे निश्चित ही लोकतंत्र भारी संकट में पड़ जायेगा। विरोधी दलों के प्रति सर्वत्र उपेक्षा ही नहीं तो असहिष्णुता का व्यवहार किया जाता है। जहां जहां स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरे लोग बहुमत में चुनकर आये हैं वहां सरकार उनको न्यायपूर्ण सहायता देना तो दूर, उलटे उनके मार्ग में बाधाएं उपस्थित करती है और उन्हें भंग करने का हर बहाना ढूंढा जाता है। समाजवाद के नाम पर राष्ट्रीयकरण तथा सहकारी खेती के जो कार्यक्रम लिये जा रहे हैं उनसे समाज के अधिकाधिक जनों को राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र भी राज्य के सर्वग्राही हस्तक्षेप से नहीं बचा है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त होती चली जा रही है। श्रमिक कानून भी ऐसे बनाये जा रहे हैं कि जिसमें इन्टक को छोड़कर दूसरे श्रम संगठन का चलना ही संभव न हो। जनसुरक्षा के नाम पर कानून बनाकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को अधिकाधिक सीमित कर दिया गया है। कर्मचारियों को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने की सुविधाएं भी कम की जा रही हैं। निश्चित ही यह सब एक दलीय सत्ता बनाये रखने के उपाय हैं।

भावात्मक रूप से लोकतंत्र में जनता की निष्ठा बलवती करने के लिए यह भी आवश्यक है कि शासन के द्वारा जनहित का संपादन हो सके। कांग्रेस शासन की पिछले 12 वर्षों की असफलताओं ने आज देश के मन में लोकतंत्रीय पद्धति की राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्तता और क्षमता के संबंध में ही शंका उत्पन्न कर दी है। फलतः आज एक ओर तो सर्वदलीय सरकारों के सुझाव दिये जाते हैं

तो दूसरी ओर विभिन्न देशों की अधिनायकवादी सरकारों के गुणगान करने वाले लोग भी मिल जाते हैं।

अवसरवादिता व साम्प्रदायिकता—कांग्रेस की असफलताओं, उसके भ्रष्टाचार और आंतरिक गुटबाजी का समीकरण प्रजातंत्र के साथ करना भूल होगी। यह तो दुःख का विषय है कि कांग्रेस ने आपस की गुटबाजी और स्वार्थ-लिप्सा के कारण संपूर्ण देश की राजनीति को विषाक्त बना दिया है। कांग्रेस से निकलकर जो दल बने हैं वे भी किसी सैद्धांतिक आधार पर नहीं, अपितु इसी गुटबाजी से उत्पन्न विघटन के परिणामस्वरूप स्थापित हुए हैं। स्वाभाविक ही ये दल भारतीय राजनीति का सैद्धांतिक ध्रुवीकरण करने के स्थान पर उसमें अधिकाधिक अव्यवस्था और जनता में भ्रम ही उत्पन्न करते हैं। अवसरवाद एवं सिद्धांतहीन गठबंधन के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। देश के पृथकतावादी तत्व कांग्रेस तथा इन दलों के सहारे सौदेबाजी करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। विभिन्न दल समय-समय पर इनसे समझौता करके देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाये रखने और बढ़ावा देने का ही पाप कर रहे हैं। फलतः आज पंजाबी सूबे के रूप में सिखिस्तान, स्वतंत्र द्रविड़स्तान, झारखण्ड, पृथक पर्वतीय क्षेत्रीय राज्य तथा नागा राज्य की मांगों को इनके द्वारा पोषण मिल रहा है।

मुस्लिम सांप्रदायिकता भिन्न-भिन्न रूपों में फिर सिर उठा रही है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का चुनाव गठबंधन और भू०पू० कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदेश पर अल्पसंख्यकों की शिकायतों का विचार करने के लिए और उनको दी जाने वाली सुविधाओं की सिफारिशें करने के लिए एक समिति की नियुक्ति ऐसे राष्ट्रघाती प्रयत्न हैं, जो इन तथाकथित अल्पसंख्यकों को भारत के राष्ट्र जीवन के साथ कभी एकात्म नहीं होने देंगे।

व्यापक पैमाने पर प्रशासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार आज एक महारोग का रूप धारण कर चुका है। बिना उसको दूर किये हमारे राष्ट्र विकास की योजनाओं को पूर्ण करना तो दूर, शासक अपने प्राथमिक कर्तव्यों का निर्वाह भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। इसे दूर करने के लिए क्रांतिकारी पग उठाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए उच्चाधिकार-युक्त अधिकरण की नियुक्ति करने का सुझाव अत्यंत सामयिक और समीचीन है। प्रधानमंत्री ने उसे अमान्य कर भ्रष्ट शासकों को अनीति की राह पर चलते रहने की खुली छूट दे दी है।

भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए जहां एक ओर जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर काम करने वाले दल संकट पैदा कर रहे हैं वहां दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी भारत-बाह्य निष्ठा उत्पन्न कर राष्ट्रीय जीवन को मूलतः समाप्त करने का प्रयास कर रही है। तिब्बत और भारत पर चीन के आक्रमण की घटनाओं ने इस दल के राष्ट्र-विरोधी स्वरूप को एक बार पुनः जनता के सामने ला दिया है। चीन के प्रश्न पर भारत की प्रबल जनभावनाओं के कारण इस दल ने शब्दों का मायाजाल फैलाकर अपनी प्रवृत्तियों को दबाने का विफल प्रयास किया

है। आवश्यक है कि जनता उनके सही रूप को समझकर उन्हें चीनी पंचमांगियों के रूप में विध्वंसक और राष्ट्र-विरोधी कार्य न करने दे।

एकता, स्वतंत्रता व लोकतंत्र —भारतीय जनसंघ का मत है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति के, भारत की प्रकृति और परंपरा के आधार पर चलने से ही देश की एकता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संरक्षण होकर, जनता को सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकेगी। राजनीति का आधार शासन की एकाध नीति के प्रति विरोध अथवा क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार बने हुए अनेक दल जो पिछले वर्षों में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं अधिक दिन चल नहीं सकते और न जन-हित ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए जो संकट उपस्थित हो गया है उसका सामना करना होगा। आज जनता को भ्रम में डालकर चाहे अनेक लोग अपने कुत्सित इरादों को पूरा कर रहे होंगे किंतु उसकी इन दोनों जीवन-मूल्यों में गहरी निष्ठा है। जब कभी अवसर आया है इस निष्ठा का उसने परिचय दिया है। पिछले 12 वर्षों में काश्मीर और गोवा के प्रश्न पर संपूर्ण भारत की जनता ने समान भावनाओं का प्रदर्शन किया और आज भी चीन द्वारा देश की सीमाओं के अतिक्रमण का डटकर मुकाबला करने के लिए काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत सन्नद्ध है। लोकतंत्र के अपने प्रेम का परिचय उसने विभिन्न चुनावों में भावात्मक रूप से दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे आसन्न संकट का ज्ञान कराया जाय, उसका योग्य मार्गदर्शन किया जाय तथा उसे संगठित कर संकट का सामना करने तथा भावात्मक रूप से राष्ट्र-निर्माण की योजना में स्वेच्छा से जुट जाने के लिए सिद्ध किया जाय।

राजनीति का ध्रुवीकरण—जनता की इन भावनाओं के आधार पर देश की राजनीति के ध्रुवीकरण से ही वह सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है जो देश में बढ़ती हुई राजनीतिक अनास्था को दूर कर सके। सरकार की कुछ नीतियों के प्रति विरोध या क्षणिक प्रतिक्रिया हमें बहुत दूर नहीं ले जायेगी। क्षेत्रीय या वर्गीय आधार पर हितों के संरक्षण के लिए किया गया विरोध, अन्य राष्ट्रीय निष्ठाओं को और भी धक्का लगायेगा।

भारतीय जनसंघ पिछले 8 वर्षों से राष्ट्र की इन मान्यताओं के आधार पर जनता का राजनीतिक संगठन कर रहा है। उसे सफलता भी मिली है। जनसंघ इन जीवन मूल्यों में निष्ठा रखने वाली सभी शक्तियों का आवाहन करता है कि वे इस महान प्रयत्न में सहभागी होकर देश को आज की विपन्न अवस्था से निकाल कर स्वतंत्र, समृद्ध और सुखी बनाने का पुण्य लाभ करें।

[25 जनवरी 1960; नागपुर, आठवां सा०अ०]

61.12. बस्तर गोलीकांड

जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति ने बस्तर की अद्यतन स्थिति के संबंध में मध्य प्रदेश जनसंघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया। समिति का मत है कि

बस्तर महाराज के निष्कासन से लेकर आज तक के घटना-चक्र पर विचार करने से दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। प्रथम, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारों ने बस्तर की स्थिति के प्रति घोर अक्षमता तथा मनमानी का परिचय दिया है। द्वितीय, शासन की नीतियां दलगत स्वार्थों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती रही हैं। मध्य प्रदेश शासन ने वनवासियों पर हुई गोली वर्षा, जिसमें 12 व्यक्ति मारे गये, की न्यायिक जांच की व्यापक रूप से समर्थित मांग को जिस ढंग से ठुकरा दिया है, उससे इन संदेहों को बल मिला है कि उसके हाथ साफ नहीं हैं और वह सत्य का सामना करने से कतरा रही है। शासन के संबंध में इस प्रकार की धारणा उत्पन्न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि समय रहते इसे दूर नहीं किया गया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नजरबंदी कानून के अंधाधुंध उपयोग से तथा अन्य दमनकारी उपायों द्वारा वनवासियों को कुछ काल के लिए आतंकित भले ही किया जा सके, किंतु उस क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। आवश्यक है कि मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा गोलीकांड की जांच किये जाने का आदेश दे जिससे सभी तथ्य प्रकट हो सकें और जिलाधिकारियों के आचरण की छानबीन हो सके।

समिति केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश सरकारों से बलपूर्वक आग्रह करती है कि बस्तर के संबंध में अपनी नीतियों पर वे पुनर्विचार करें और वनवासियों के बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए पग उठायें।

[22 अप्रैल 1961; पटना, के०का०स०]

62.01. तृतीय आम चुनाव

तृतीय आम चुनावों ने एक बार यह पुनः प्रमाणित कर दिया है कि भारत की जनता लोकतंत्र में आस्था रखती है। कुछ हिंसात्मक घटनाओं को छोड़कर संपूर्ण देश में जिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न हुए हैं उसके लिए जनता बधाई की पात्र है। यद्यपि सत्तारूढ़ दल मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर अन्यत्र बहुमत प्राप्त कर सका है, फिर भी उसके विरुद्ध जिस व्यापक पैमाने पर तथा उत्साह के साथ मतदाताओं ने अपने भावों का प्रकटीकरण किया है उससे यह स्पष्ट है कि जनता वर्तमान ढांचे और नीतियों में परिवर्तन चाहती है।

खेद का विषय है कि आम चुनावों को लोकशिक्षा तथा लोकमत को जानने का साधन बनाने के स्थान पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को किसी न किसी प्रकार बनाये रखने के लिए अनुचित उपायों और अनियमितताओं का अवलंबन किया और बड़े पैमाने पर शासन यंत्र का भी दुरुपयोग किया। इससे जहां एक ओर चुनाव जनमत के सही निर्देशक नहीं रहे, वहां दूसरी ओर उन तत्वों और प्रवृत्तियों को बल मिला है जो लोकतंत्र विरोधी हैं।

अपवित्र कांग्रेसी गठजोड—भारतीय जनसंघ को इन चुनावों में जनता ने जो बढ़ता हुआ समर्थन और सहयोग दिया है उसके लिए हम आभारी हैं।

यद्यपि कुछ प्रदेशों में चुनावों के परिणाम अनुपेक्षित रहे हैं, फिर भी कुल मिला कर जनसंघ ने जो प्रभावी प्रगति की है वह विश्वासप्रद और आशादायक है। अनेक स्थानों पर जनसंघ का सामना करने के लिए, पूर्वोक्त अनुचित बातों के अतिरिक्त कांग्रेस ऐसे तत्वों से भी गठबंधन करने से नहीं चूकी जो अराष्ट्रवादी तथा लोकतंत्र विरोधी है। सत्तालोलुप व्यक्तियों और अराष्ट्रवादी शक्तियों का यह गठबंधन भविष्य के लिए गंभीर सकट का संकेत है जिसके प्रति लोकतंत्रीय और राष्ट्रवादी जनता उदासीन नहीं रह सकती।

भारतीय जनसंघ जनता से अधिकाधिक सहयोग की कामना करते हुए उसे विश्वास दिलाता है कि उसके प्रतिनिधि विधान-मंडलों में जनता के हितों के संरक्षण के लिए तथा उसके सामने रखे गये कार्यक्रम को पूरा करवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे।

[3 मार्च 1962; दिल्ली, के०का०स०]

62.19. चीन युद्ध के बाद

संसद की प्रतिज्ञा—कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के विरुद्ध भारत की जनता ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह उसकी मौलिक एकता, अन्तर्भूत राष्ट्रीयता, एवं उसकी उत्कट देशभक्ति का परिचायक है। स्थान-स्थान पर जिस उत्साह के साथ देशवासियों ने शत्रु से लोहा लेने का संकल्प व्यक्त किया है तथा युद्ध के लिए आवश्यक साधन सामग्री जुटाने के लिए त्याग के अनुकरणीय उदाहरण रखे हैं उससे स्पष्ट होता है कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। कम्युनिस्ट चीन की चुनौती को राष्ट्र ने स्वीकार किया है। भारत की संसद ने जन-भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की मनीषा को व्यक्त करने वाला जो संकल्प इस संबंध में स्वीकार किया है वह भारत के प्रत्येक नागरिक की पावन प्रतिज्ञा है। भारत सरकार उसकी पूर्ति की व्यवस्था करे, यही उसका कर्तव्य है। भारतीत जनसंघ इस कार्य में शासन को अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता है।

आपत्कालीन अधिकार—युद्ध के कारण असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति ने आपत्कालीन अवस्था की घोषणा की है तथा शासन को संसद ने विशेषाधिकारों से सुसज्ज किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए युद्ध में सफलता के लिए जनता ने जिस प्रकार उत्साह के साथ अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है उसी प्रकार वह अपने व्यवहार में भी संयम और विवेक का परिचय देगी। कुछ पंचमांगी एवं राष्ट्रद्रोही व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी के विरुद्ध इन विशेष कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।

यह खेद का विषय है कि सरकार ने जनोत्साह को टिकाने, बढ़ाने तथा युद्ध प्रयत्नों में जुटाने की दृष्टि से कोई प्रभावी और समाधानकारक योजना प्रस्तुत

नहीं की। समितियों और उप-समितियों की बाढ़ में वास्तविक कार्य की उपेक्षा की जा रही है। साथ ही इन समितियों के गठन में दलीय पक्षपात इतना स्पष्ट है कि वे न तो जनता की एकता का प्रतिनिधित्व करती हैं और न उसमें कर्म चेतना ही जगा सकती हैं।

नेहरू के आलोचक 'देशद्रोही'—वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाकर सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिति सुदृढ़ करने और विरोधी दलों को प्रभावहीन बनाने का जो प्रयत्न कर रहा है वह राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र दोनों के लिए घातक है। सरकार की जो नीतियां विफल प्रमाणित हो चुकी हैं उन्हें उचित बताया जाता है और उनकी आलोचना करने वालों को युद्ध प्रयत्नों में बाधक बताकर उनका मुँह बन्द करने का यत्न किया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया वह परिपत्र जिसमें प्रधानमंत्री के आलोचकों को 'देशद्रोही' कहकर उनके विरुद्ध कांग्रेसजनों को जेहाद बोलने का आदेश दिया गया है, इस बात का द्योतक है कि सत्तारूढ़ दल अधिकाधिक असहिष्णु होता जा रहा है। 'एक देश एक दल, एक नेता और एक नीति' के नारे लगाने वाले प्रजातंत्र की हत्या कर उसी अधिनायकवाद को भारत के ऊपर लादना चाहते हैं जिसके विरुद्ध हम कम्युनिस्ट चीन से लड़ रहे हैं। इस नीति को कम्युनिस्ट और उसके सहयात्री बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि एक ओर तो वे प्रधानमंत्री की आड़ लेकर अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को जारी रख सकें और दूसरी ओर राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच फूट डाल सकें। भारतीय जनसंघ देशवासियों, विशेषतः कांग्रेसजनों को चेतावनी देता है कि वे कम्युनिस्टों के इस कुचक्र से बचें।

रूसी प्रभाव—सत्य तो यह है कि जब भारत एक कम्युनिस्ट देश के साथ युद्धरत है, तब कम्युनिस्टों तथा उनसे सहानुभूति रखनेवाले सरकारी कर्मचारियों को खुला छोड़ना नीतिसंगत नहीं है। कम्युनिस्टों के विरुद्ध व्यापक जन-असंतोष होते हुए भी सरकार ने न तो कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित किया और न उसकी शरारत करने की शक्ति को कुंठित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय-योजना की है। कहीं-कहीं तो कम्युनिस्टों को नागरिक सुरक्षा समितियों में स्थान देकर इन समितियों के गठन के उद्देश्य को ही विफल बनाया जा रहा है। जो थोड़े कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पकड़े भी गये उन्हें भी धीरे-धीरे छोड़ा जा रहा है। यदि कम्युनिस्टों के प्रति इस नरम नीति का कारण सोवियत रूस के साथ हमारी मित्रता हो, तो निश्चित ही यह अनुचित और हमारी गृहनीति में दूसरे देश के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को स्वीकार करना होगा। हमारी गृहनीति का निर्धारण तो भारत की सुरक्षा और शांति का विचार करके ही होना चाहिए।

यह आश्चर्य का विषय है कि कम्युनिस्ट पंचमांगियों के प्रति इतनी नरम नीति अपनाने वाली सरकार भारत सुरक्षा अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग कर ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो सच्चे देशभक्त हैं और चीनी आक्रमण के प्रतिरोध के लिए जनता को संगठित करने में अग्रसर रहे हैं। दिल्ली के

तीन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा डिगबोई (असम) के जनसंघ के मंत्री की गिरफ्तारी उन आशंकाओं की पुष्टि करती है जो संसद में सरकार को असाधारण अधिकार देते समय प्रकट की गईं थीं। इन कार्यकर्ताओं को तुरंत मुक्त किया जाय और भविष्य में शासन इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो। उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्र के संबंध में अंग्रेजी काल से चली आई अलगाव की नीति के दुष्परिणाम कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के कारण और स्पष्ट हो गये हैं। आवश्यकता है कि इस नीति को बदलकर उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र को असम प्रदेश का प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से अंग बनाया जाय और शेष भारतवासियों के ऊपर उस क्षेत्र में आने-जाने और बसने के प्रतिबंध हटा दिये जायें।

आपत्काल में प्रैस—समाचारपत्रों की स्वाधीनता का संरक्षण आवश्यक है। राष्ट्र की प्रतिकार शक्ति को जगाने और बढ़ाने में प्रैस ने (कुछ अपवादों को छोड़कर) देशभक्तिपूर्ण भूमिका दिखाई है। शासन को प्रैस की स्वतंत्रता का समादर करना चाहिए और नियंत्रण का कार्य प्रेस-काउन्सिल का गठन कर उस पर छोड़ देना चाहिए।

असम को चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तानियों की दुरभिसंधि दोनों से बचाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र उसका शासन अपने हाथ में ले। प्रदेश की वर्तमान सरकार पर एक संप्रदाय विशेष का इतना प्रभाव है कि सुरक्षा की दृष्टि से जनता के मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इन आशंकाओं के निवारण के लिए राष्ट्रपति द्वारा शासन अपने हाथ में लेकर सेवाओं का पुनर्गठन करना आवश्यक है।

लद्दाख की सुरक्षा तथा विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वहां का भी प्रशासन केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

[30 दिसम्बर 1962; भोपाल, दसवां सा०अ०]

63.08. विरोधी दलों की एकता

केन्द्रीय कार्य समिति प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के उन वक्तव्यों का स्वागत करती है जिनमें उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे विदेशी आक्रमण, भ्रष्टाचार आदि पर सहयोग के साथ काम करने की वांछनीयता का प्रतिपादन किया है जिससे सरकार को इन विषयों पर प्रभावी पग उठाने के लिए बाध्य किया जा सके। जनसंघ इस संबंध में किये गये प्रयासों के प्रति सहयोग करेगा।

समिति सखेद अनुभव करती है कि इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में प्रसोपा ने अपने भोपाल अधिवेशन में इस संबंध में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है उससे इस सहयोग की भावना को आघात पहुँचा है।

[31 जून 1963; इलाहाबाद, के०का०स०]

63.09. कांग्रेसी गुंडागर्दी

केन्द्रीय कार्य समिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसात्मक कार्यवाहियों तथा गुंडागर्दी की घटनाओं को सुनकर खेद और विस्मय अनुभव करती है। गत 15 मई को गोरखपुर जिले के बढ़हलगंज टाउन एरिया के अध्यक्ष श्री चन्द्रदेव मिश्र की दिन दहाड़े, हाटा बस अड्डे के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई। श्री मिश्र दो मास पूर्व ही कमेटी के अध्यक्ष चुने गये थे। उस समय से ही वहाँ के कांग्रेस नेताओं की निगाह में वह खटकने लगे थे और वह लोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सतत घात लगाये बैठे थे।

इसी प्रकार की दूसरी घटना 19 मई को श्री आचार्य कृपलानी जी के लोकसभा के उपचुनाव के दिन मतदान समाप्त होने पर घटित हुई। संभल जनसंघ के नेता श्री महेशकुमार पर जो आचार्य कृपलानी के चुनाव में उस क्षेत्र के प्रमुख थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ठीक कांग्रेस चुनाव कार्यालय के सामने निर्मम घातक आक्रमण किया गया। उपर्युक्त दुर्घटना का भारी खेदजनक पहलू यह है कि घटना के समय उक्त कांग्रेस चुनाव कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप-गृहमंत्री महोदय स्वयं उपस्थित थे। साथ ही और भी अधिक बुरी बात यह है कि आज तक एक भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई। कार्य समिति इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करती है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से साग्रह मांग करती है कि बढ़ती हुई इस अराजकता को रोकने के लिए वह कड़ी कार्यवाही करे। आवश्यक है कि इन दो विशेष घटनाओं से संबंधित अपराधियों को अविलंब दंडित किया जावे।

[13 जून 1963; इलाहाबाद, के०का०स०]

63.25. कांग्रेसी गुंडागर्दी

उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-काश्मीर राज्य से राजनीतिक गुंडागर्दी और मार-धाड़ के समाचारों पर केन्द्रीय कार्य समिति अत्यंत क्षोभ और चिंता अनुभव करती है। उनसे ऐसा पता चलता है कि इस गुंडागर्दी को सत्तारूढ़ दल तथा अधिकारियों द्वारा, जिन्हें कानून का संरक्षक होना चाहिए, सक्रिय सहयोग अथवा परोक्ष प्रश्रय प्राप्त है।

इन प्रदेशों में जनसंघ के, सत्तारूढ़ दल का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी होने के कारण उसको इस गुंडागर्दी का सर्वाधिक शिकार होना पड़ा है। जनसंघ के कार्यकर्ताओं की हाल में हुई हत्याएं और उन पर हुए आक्रमण इसका प्रमाण हैं।

कुछ मास पहले बढ़हलगंज (जिला गोरखपुर) की टाउन एरिया कमेटी के जनसंघी प्रधान की दिन दहाड़े हत्या कांग्रेस से संबंधित लोगों द्वारा की गई थी। इसी प्रकार गत मास कानपुर में जनसंघ के श्री आई० डी० सक्सेना नामक कार्यकर्ता की कांग्रेसियों द्वारा हत्या की गई। पंजाब के सुनाम (जिला संगरूर) स्थान पर जनसंघ के कार्यकर्ता की पत्नी और मासूम बच्चे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उड़ा लिया गया और बाद में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।

जम्मू-काश्मीर में डोडा जनसंघ के विभाग संगठन मंत्री शेख अब्दुल रहमान और श्री मस्तराम (जिला मंत्री), नेशनल कांफ्रेंस के लोगों द्वारा भाड़े पर लाये गये गुंडों के आक्रमण का शिकार बनाये गये। इन सब घटनाओं में कहीं पर पुलिस ने सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और कहीं परोक्ष रूप में वह सम्मिलित रही है।

पुलिस की ज्यादतियां—देहरादून और ललितपुर (झांसी) में पुलिस के कुकृत्य विशेषतः कलंकपूर्ण रहे हैं। इन स्थानों पर जनसंघ के जनप्रिय नेता श्री नित्यानंद स्वामी और श्री रघुनाथ सिंह से पुलिस ने केवल इस कारण बदला निकाला कि वे अधिकारियों की ज्यादती के विरुद्ध जनता के साथ खड़े हुए थे। देहरादून के श्री नित्यानंद स्वामी को तो पुलिस की हिरासत में ही बुरी तरह पीटा गया। इन शर्मनाक घटनाओं को कौन निश्चिततापूर्वक देखता रह सकता है? दुर्व्यवहार की इक्की-दुक्की घटनाओं को भले ही नजरंदाज कर दिया जाय पर इस प्रकार की लगातार घटनाओं को और वह भी जब सत्ताधिकारियों के आशीर्वाद से हो रही हों किस प्रकार आँखों से ओझल किया जा सकता है? स्वभावतः यह भारी चिंता का विषय है। ऐसी बातों से जनता की कानून में आस्था ही डिगने लगती है तथा सार्वजनिक सुरक्षा का आधार ही नष्ट हो जाता है। कार्य समिति केन्द्रीय गृहमंत्री महोदय का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे प्रार्थना करती है कि वे इन घटनाओं की जांच करायें और अपराधियों को दंडित करें।

[30 दिसम्बर 1963; अहमदाबाद, ग्यारहवां सा०अ०]

65.02. विघटनकारी शक्तियां

नेहरू युग की देन—व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासन में बढ़ती हुई लापरवाही और ढिलाई, वृद्धिशील महंगाई और बेरोजगारी, कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग जैसी अराष्ट्रीय शक्तियों का फिर से उभड़ना और बल पकड़ना, काश्मीर और नागालैंड की नासूर बनी हुई समस्याएं, नेहरू युग की देश को वे देन हैं जिनसे भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत संकटापन्न हो गई है। श्री नेहरू के उत्तराधिकारी श्री लालबहादुर शास्त्री से आशा की गई थी कि वे इन समस्याओं का यथार्थवादी विश्लेषण कर साहसपूर्ण एवं प्रभावी पग उठायेंगे, किंतु अब वे आशाएं भी धूमिल हो गई हैं। आज वे पूर्णतः अप्रभावी हैं। प्रधानमंत्री की प्रभावशून्यता का यह परिणाम हुआ है कि विभिन्न मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री स्वतंत्र अधिपति के समान मनमाने ढंग से चल रहे हैं। फलतः केन्द्र और राज्यों के बीच तथा एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच कोई समन्वय नहीं है। इससे स्थिति और भी भ्रमपूर्ण बन गई है।

स्थिति को सुधरने न देने तथा बिगाड़ने के लिए कम्युनिस्ट, जिसमें दक्षिण और वामपंथी तथा कांग्रेस में घुसे हुए उनके सहयात्री सभी सम्मिलित हैं, योजनाबद्ध रूप से प्रयास कर रहे हैं। जहां भी पुरानी गलत नीतियों को बदलने का विचार रखा जाता है, वे नेहरू भक्ति के नाम पर हो हल्ला मचाते हैं। आज के शासकों में

वह नैतिक साहस तथा विचारों की दृढ़ता नहीं कि वे सत्य को स्वीकार कर सकें। मूक व सहमे हुए वे उसी ओर बढ़ते जा रहे हैं जिधर कम्युनिस्ट उन्हें हांक रहे हैं। कम्युनिस्टों के दायें और बायें गुट दोनों ही अपने तरीकों से इस षड्यंत्र में सक्रिय हैं। दक्षिणपंथी समाज के सामने राष्ट्रीयता का नकाब ओढ़कर आते हैं तथा सरकार उनके इस धोखे को बनाये रखने में उनका साथ देती है। दूसरी ओर वामपंथी कम्युनिस्ट पाक-परस्त शक्तियों के साथ सांठ-गांठ कर पीकिंग और पिंडी के संकेत पर देश में व्यापक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। शासन ने कुछ पीकिंगवादी कम्युनिस्टों को पकड़ा है किंतु अभी उनकी बहुत बड़ी संख्या भूमिगत हो गई है तथा साथ ही उनके साथ षडयंत्र करने वाली दूसरी शक्तियों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

देशभक्ति व देशद्रोह—श्री जयप्रकाश नारायण के वक्तव्यों ने तथा सरकार की उनके प्रति अजीब नीति ने देशभक्ति और देशद्रोह में भेद बहुत कम कर दिया है। नागा विद्रोहियों ने अपनी मांग स्पष्ट रख दी है और वे उस पर अड़े हुए हैं। विदेशों के साथ उनके संबंध तथा वहां से उन्हें मिलने वाली सहायता के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है। फिर भी उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। शेख अब्दुल्ला और उनके साथी भारत को खुली चुनौती दे रहे हैं। वे सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं और विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। किंतु सरकार उनके प्रति नरम और लाचार जैसी है। सरकार की इन नीतियों ने जनता के मन में गंभीर आशंकाएं पैदा कर दी हैं। भारतीय जनसंघ सरकार और देशवासियों को सचेत करना चाहता है कि यदि शीघ्र ही प्रभावी पग नहीं उठाये गये तो वर्तमान विस्फोटक अवस्था, कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान के आक्रमण की पृष्ठभूमि में, अत्यंत संकटापन्न स्थिति पैदा कर देगी जिसमें हमारा एक स्वतंत्र प्रजातंत्रीय गणराज्य के नाते अस्तित्व ही खतरे में आ जायेगा। विश्व में प्रजातंत्र के भविष्य के लिए भी इसके सुदूरगामी परिणाम होंगे। जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि देश की गृह, आर्थिक एवं विदेश नीतियों का पुनर्निर्धारण किया जाय तथा प्रतिरक्षा की तैयारी में तेजी लाते हुए निम्नलिखित पग उठाये जायें :

(1) *सीमा-नीति*—सभी राष्ट्र-बाह्य निष्ठावाले तत्वों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी पग व उपाय अपनाये जायें। पीकिंग, पिंडी व मास्को के प्रति निष्ठाओं में इस दृष्टि से कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रद्रोही, अप्रजातांत्रिक एवं निरंकुशतावादी मंतव्यों की पूर्ति के लिए इन तत्वों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और सुविधाओं का दुरुपयोग करने का अवसर देना आत्मघातकी होगा। भारत की प्रतिरक्षा और एकता की आवश्यकताएं कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग पर पूर्ण प्रतिबंध से कम में पूरी नहीं हो सकतीं। धर्मनिरपेक्षता का कोई भी विचार देश की रक्षा के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए।

पाकिस्तान से अवैध रूप में आये मुसलमानों तथा पारपत्र की अवधि के उपरांत भी भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अविलंब निकाला जाय।

सीमा क्षेत्र की कम से कम 10 मील तक इस प्रकार रचना की जाय कि वहां के निवासी घुसपैठियों को रोक सकें तथा एक दृढ़ रक्षा-पंक्ति का काम कर सके।

सीमांत क्षेत्रों के संबंध में एक स्पष्ट, समन्वित एवं सुनियोजित नीति की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र की संचार-व्यवस्था, जनता की आबादी तथा उसकी रक्षात्मक शिक्षा और सज्जा, वहां का आर्थिक विकास तथा वहां पर निरपवाद रूप से योग्य एवं प्रामाणिक प्रशासन—सबका विचार करना चाहिए।

(2) *नागा-नीति*—3.5 लाख लोकसंख्या का अलग से नागा प्रदेश बनाने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु अब नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत करके इस गलती को और न बढ़ाया जाय। वहां शांति और व्यवस्था का भार सेना पर छोड़ देना चाहिए। शांति मिशन को भंग कर दिया जाय और पादरी स्कॉट को वापिस भेज दिया जाय।

सरकार की नागा नीति से प्रोत्साहित होकर पहाड़ी राज्य आदि की मांगें बल पकड़ रही हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यह समझकर चलने की भूल नहीं करनी चाहिए कि इन अंचलों में बसने वालों की कोई अलग संस्कृति हैं। उनके जीवन की विविधताएं भारतीय संस्कृति के अंग हैं, किंतु उनके मूल में जो एकता है उसे पुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। नैफा को शेष भारत से पृथक रखने की वर्तमान नीति समाप्त की जाय।

(3) *दूसरी श्रेणी की नागरिकता*—भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-काश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाना चाहिए। यह अनुच्छेद पृथकता की मनोवृत्ति का प्रतीक बन गया है तथा वहां के नागरिकों को उनके मताधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित करता है। राज्य का अलग विधान और निशान भी इसी अनुच्छेद की देन है। शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को खुश करने के लिए वहां की जनता को भारतीय संविधान की सुविधाओं और अधिकारों से वंचित कर दूसरी श्रेणी के नागरिक बनाकर नहीं रखा जा सकता। शेख अब्दुल्ला और अफजलबेग को भारत के बाहर जाने से रोका जाय।

(4) *भ्रष्टाचार की समस्या*—प्रशासन तंत्र को सुदक्ष और शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के संबंध में उसे विश्वासपात्र बनाने का अविलंब प्रयत्न करना चाहिए। मंत्रियों के स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि एक शक्तिशाली आयोग स्थापित हो जो सभी शिकायतों की जांच करे तथा अपराधियों पर अभियोग चलाकर दंड दिलवा सके। हर मामले में अलग आयोग बिठाने की तथा उसे राजनीतिक स्तर पर हाथ में लेने की प्रवृत्ति गलत है।

[24 जनवरी 1965; विजयवाड़ा, बारहवां सा०अ०]

65.11. केरल में कार्यकर्ता पर पुलिस-गोली

केरल के चुनाव के पश्चात् करनूल में जनसंघ के कार्यकर्ता श्री सुब्रह्मण्यम्

के पुलिस द्वारा गोली से मार दिये जाने की दुःखद घटना पर केन्द्रीय कार्य समिति भारी चिंता और रोष व्यक्त करती है। प्राप्त जानकारी से ऐसा लगता है कि गोली चलाये जाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु व्यक्तिगत द्वेष के कारण ही गोली चलाई गई। कार्य समिति श्री सुब्रह्मण्यम् की मृत्यु पर भारी शोक अनुभव करते हुए उनके संबंधियों के प्रति हार्दिक दुःख प्रकट करती है।

कार्य समिति मांग करती है कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाये।

[3 अप्रैल 1965; जयपुर, के०का०स०]

65.12. केरल में कम्युनिस्ट चाल

केरल विधानसभा के गठन के पूर्व ही राज्यपाल ने उसको भंग करके संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक परंपरा को भारी धक्का लगाया है। भारतीय जनसंघ इस कृत्य की निंदा करता है।

केरल के मामले में भारत सरकार ने इतने बेढंगे तौर पर काम किया है कि भारत की सुरक्षा और प्रजातंत्र दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है। भारतीय जनसंघ ने पहले ही मांग की थी कि देशद्रोह के संबंध में एक कानून बनाया जाय तथा उसके अंतर्गत कम्युनिस्टों की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाय। भारत सरकार ने इस दृष्टि से कोई प्रभावी पग उठाने के स्थान पर कम्युनिस्टों को जिस प्रकार से नज़रबन्द किया उसका उन्होंने चुनावों में लाभ उठाया। आज वे पुनः जनभावनाओं को उभाड़कर राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध आंदोलन करना चाहते हैं। स्पष्टतः इस आंदोलन की आड़ में वे अपने कुत्सित इरादों को पूरा करना चाहते हैं।

भारतीय जनसंघ केरल की जनता को सचेत करता है कि वह कम्युनिस्टों की चाल में न पड़े। साथ ही हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह केरल में पुनः चुनाव की व्यवस्था द्वारा राष्ट्रपति शासन को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करे।

[3 अप्रैल 1965; जयपुर के०का०स०]

66.07. आंतरिक स्थिति

लोकतंत्रीय प्रवृत्तियां व संस्थान—पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न भागों में जो आंदोलन हुए हैं उनमें हिंसा, अग्निकांड और तोड़-फोड़ की घटनाएं घटी हैं। शासन की ओर से भी जन-आंदोलन को दबाने के लिए अधिकाधिक दमन और हिंसात्मक उपायों का अवलंबन किया गया है। बाहर के आंदोलनों और शासन के आचरण की प्रतिध्वनि विधान-मंडलों के भीतर भी हुई है और ऐसे कांड हुए हैं, जो संसदीय परंपरा के लिए अशोभनीय तथा घातक हैं। भारतीय जनसंघ सार्वजनिक जीवन में हिंसात्मक उपायों की निंदा करता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश में ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं जो सिद्धांततः हिंसात्मक उपायों के अवलंबन को अनुचित नहीं समझते हैं। शासन की नीतियां दिन-प्रतिदिन अलोक-

प्रिय होती जाती हैं, दूसरी ओर सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति शासन उदासीनता का रवैया अपनाता है। किन्तु इसके विपरीत जहां-जहां हिंसा हुई है वहां सरकार दबी है। इससे यह धारणा बद्धमूल हो रही है कि यह शासन केवल हिंसा की भाषा समझता है। देश में एक लम्बे काल से संकटकालीन स्थिति की घोषणा की हुई है। लड़ाई बंद होने के बाद, जनता इस बात का औचित्य नहीं समझती कि देश में संकटकालीन वातावरण ही रहे। राज्य व केन्द्रीय सरकारों द्वारा भारत सुरक्षा कानूनों का काफी दुरुपयोग हुआ है। विधान-मंडलों के उपचुनाव ही नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव भी टाल दिये गये हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए आधारभूत प्रवृत्तियां व संस्थान नदारद हैं। हिंसात्मक आंदोलनों तथा जन-भावनाओं के प्रति शासन की उदासीनता और अनुत्तरदायित्व के भावों से न केवल लोकतंत्र को अपितु देश की स्वतंत्रता तथा सुव्यवस्थित जीवन को भी संकट पैदा होता है। भारतीय जनसंघ शासन और सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और प्रयत्नपूर्वक इस प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकें। जनसंघ अपनी इस मांग को दोहराता है कि वामपंथी कम्युनिस्ट दल पर जो कि आक्रमणकारी चीन से सम्बद्ध है, प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

लोकतंत्र अविभाज्य है—विधान-मंडलों में गरिमा तथा व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न भी तब तक स्थायी रूप से हल नहीं हो सकता जब तक कि शासन और राजनीतिक दल सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रकट नहीं करेंगे। वस्तुतः लोकतंत्र अविभाज्य है। यदि बाहर हिंसा हुई तो उसकी प्रतिध्वनि विधान-मंडलों में भी होगी और इसी प्रकार यदि विधान-मंडलों में बहुमत के बल पर अथवा नियमों का सहारा लेकर जनता की आवाज को अवरुद्ध करने का यत्न हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया बाहर अवश्यम्भावी है।

विघटनकारी प्रवृत्तियां—यह बड़ी चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय एकता के लिए विद्यमान चुनौतियों का शासन न तो सम्यक आंकलन कर पाया और न उनका दृढ़ता से सामना कर रहा है। बागी नागाओं के साथ बातचीत करके शासन ने सभी पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा दिया है। मिज़ो पहाड़ियों में हाल की बगावत इसका प्रमाण है। बागी नागाओं ने वार्ता का उपयोग अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने और विदेशी शक्तियों से सांठ-गांठ कर सैन्य सामग्री और प्रशिक्षण प्राप्त करने में किया है। इस अवधि में उन्होंने मणिपुर के क्षेत्र में भी (जो अभी तक अछूता था) अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है। हाल में डिफू और लामडिंग में सवारी रेल-गाड़ियों को उड़ाने के लिए जो भयंकर विस्फोट हुए हैं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि या तो बागी नागाओं के इरादे अच्छे नहीं हैं अथवा अपने अनुयायियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दोनों स्थितियों में वार्ता जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रहता। पादरी स्काट की गतिविधियां भारत विरोधी रही हैं। उनके वीसा की अवधि बढ़ाकर भारत सरकार ने बड़ी भूल की है। पादरी स्काट को अविलंब भारत छोड़ने का आदेश दिया जाय। साथ ही बागी नागाओं से बातचीत

बंद की जाय तथा उनकी चुनौती का सामना करने के लिए सेना को स्वतंत्रता दी जाय।

भारत सरकार द्वारा इस बात की रट लगाये जाने से कि नागा समस्या का समाधान भारतीय संघ के एक अंग के रूप में ही होगा इस संदेह की पुष्टि होती है कि यदि बागी नागा दो एक विषयों को केन्द्र को सौंपने को तैयार हो जायें तो सभी अवशिष्ट मामलों में उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी जा सकती है। इससे उन तत्वों को भी बल मिलता है जो काश्मीर को शेष भारत के साथ पूरी तरह एकात्म करने वाली प्रक्रिया को उलटना चाहते हैं और काश्मीर को भी केवल तीन विषयों में भारत के साथ रखकर शेष मामलों में उसे स्वतंत्र करना चाहते हैं। ये तत्व शेख अब्दुल्ला की रिहाई और उसके साथ समझौता वार्ता के लिए पुनः वातावरण बना रहे हैं। भारतीय जनसंघ सरकार को चेतावनी देता है कि यदि वह शेख को रिहा करने अथवा उसके साथ बातचीत करने की भूल करेगा तो उसके वही दुष्परिणाम होंगे जो पिछली बार हमें भुगतने पड़े थे। आज जबकि केन्द्र को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ये प्रयत्न क्षेत्रीयता को बढ़ावा देकर धीरे-धीरे भारतीय संघ को विघटन की ओर ले जायेंगे।

गुप्तचर विभाग की विफलता—जम्मू-काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों का बड़ी संख्या में प्रवेश तथा मिजो पहाड़ियों में बागियों द्वारा लंबी तैयारी के बाद अचानक विस्फोट यह बताता है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग अपने कर्तव्यपालन में सर्वथा विफल रहा है। चीनी आक्रमण के समय भी सैनिक तथा असैनिक, केन्द्रीय तथा प्रांतीय गुप्तचर संस्थानों की अदक्षता सामने आई थी। स्पष्ट है कि गत 3 वर्षों में शासन के इन आश्वासनों के बावजूद कि गुप्तचर व्यवस्था को अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाया जायेगा, इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारतीय जनसंघ की मांग है कि एक उच्चाधिकार संपन्न समिति द्वारा इस बात की जांच की जाय कि काश्मीर में हजारों पाकिस्तानी घुसपैठिये किस प्रकार प्रविष्ट होकर श्रीनगर तक पहुंचने में सफल हो गये। संपूर्ण देश में पंचमांगियों पर कठोर दृष्टि रखने के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय गुप्तचर विभागों का पुनर्गठन आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि सैनिक तथा असैनिक गुप्तचर संस्थानों में पूर्ण तालमेल रहे।

दोगले—भारत-पाक युद्ध के समय जो लोग पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के साथ पाकिस्तान चले गये थे उन्होंने स्पष्ट रूप से राष्ट्र के प्रति अनास्था प्रकट की है। खेद का विषय है कि इन तत्वों के नागरिक अधिकार समाप्त करने के स्थान पर जम्मू-काश्मीर में उन्हें वापिस बुलाया जा रहा है और उनके स्वागत की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय जनसंघ का यह मत है कि राजस्थान, जम्मू-काश्मीर व अन्य भागों से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये हैं उनके नागरिकता के अधिकार समाप्त किये जायें और उन्हें वापिस आने की अनुमति न दी जाय।

[1 मई 1966; जालंधर, तेरहवां सा०अ०]

66.11. बस्तर का कलंक

कायरतापूर्ण हत्या—जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में पुलिस की गोलीबारी से बस्तर के भूतपूर्व महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव तथा अन्य वनवासियों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुःखद एवं शोकजनक ही नहीं अपितु भारतीय प्रजातंत्र के माथे पर एक कलंक है। मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण घटना पर जांच आयोग के नाम पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया है। किन्तु अभी तक जो तथ्य सामने आये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि श्री प्रवीरचन्द्र भंजदेव के प्रति बस्तर के वनवासियों की प्रगाढ़ श्रद्धा थी, जिस कारण पिछले अनेक वर्षों में कांग्रेस वहां अपने पैर नहीं जमा पाई थी। वहां के वनवासी तथा अन्य निवासियों में वन,भूमि और पुनर्वास की सरकारी नीतियों के कारण असंतोष था, जिसको लेकर वे समय-समय पर आंदोलन करते रहते थे और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वभावतः श्री प्रवीरचन्द्र भंजदेव के पास ही था। इस वर्ष अन्न की कमी तथा शासन द्वारा लेवी की जबरिया वसूली से लोगों के संकट और बढ़ गये और उसके लिए आंदोलन भी किये गये। मध्य-प्रदेश शासन ने जनता के कष्टों को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक उपाय-योजना करने के स्थान पर दमन का सहारा लिया तथा इस अवसर को अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के काम में भी लाया।

जांच आयोग का विस्तार—मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना के संबंध में जो भ्रममूलक एवं तथ्यहीन वक्तव्य दिये हैं उनसे तथा जिस प्रकार जांच आयोग बिठाने में जल्दबाजी की गई तथा अब जिस हठधर्मी का व्यवहार किया जा रहा है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका मन भी साफ नहीं है। यदि जांचों आयोग का मंतव्य सचाई का ही पता लगाना है तो प्रदेश से बाहर के न्यायाधीश का उसमें समावेश करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं। प्रत्युत इससे आयोग के प्रतिवेदन को अधिक बल ही मिलेगा। न्यायधीश श्री कन्हैयालाल पाण्डे से हम निवेदन करेंगे कि वे अपनी ओर से भी इस विषय में आग्रह करें क्योंकि आज वे अनेक प्रवादों के लक्ष्य बन गये हैं। मध्य प्रदेश के भीतर तथा बाहर यह मांग निरंतर बल पकड़ रही है कि मिश्र मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए जिससे जांच का कार्य बिना किसी प्रभाव या दबाव के हो सके।

बस्तर कांड में एक प्रबल विरोधी को हिंसात्मक तरीके से समाप्त किया गया है। शासक दल की यह मनोवृत्ति प्रजातंत्र के लिए भारी संकट है। यदि बस्तर जैसी घटनाएं होती रहीं और शासक दल बेदाग बच निकला तो भारत में विरोधी दल के किसी भी कार्यकर्ता का जीवन सुरक्षित नहीं है। प्रजातंत्र के समर्थकों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। अतः भारतीय जनसंघ निर्णय करता है कि 'बस्तर' की गंभीर संभावनाओं से देश को अवगत कराया जाये। हमारी मांग है कि :

(1) बस्तर कांड की खुली जांच हो और उसके लिए नियुक्त आयोग का

विस्तार कर उसमें मध्य प्रदेश से बाहर के दो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का समावेश किया जाय।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरों को आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम सौंपा जाय।

(3) संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य अवकाश दिया जाय।

(4) बंदी बनाये गये वनवासियों को अविलंब मुक्त किया जाय।

(5) बस्तर में पुलिस का आतंक बंद हो। देहातों में सशस्त्र पुलिस दल की गश्त बंद की जाय तथा जनता में विश्वास पैदा किया जाय जिससे वे निर्भीकता-पूर्वक तथ्यों की साक्षी दे सकें। धारा 144 भी तत्काल हटाई जाय।

(6) पुलिस गोली से दिवंगत मृतकों के परिवारों को तथा अन्य आहत व्यक्तियों को मु ावजा दिया जाय।

[1 मई 1966; जालंधर, तेरहवां सा०अ०]

66.21. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकल्प

कांग्रेस के दुःशासन को समाप्त करने और सत्ता पर उसके एकाधिकार को हटाने की जनता की व्यापक तथा गहरी भावना को ध्यान में रखते हुए,

इस विचार से कि इस उद्देश्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय यह है कि भावात्मक आधार पर ऐसा वैकल्पिक दल सामने आये जो बहुमत प्राप्त करने पर स्थायी सरकार बना सके, और

प्रदेशों में जनसंघ की संगठनात्मक प्रगति और चुनाव की योजनाओं तथा संभावनाओं का विचार करने के पश्चात,

भारतीय जनसंघ निश्चय करता है कि :

(1) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में प्रायः सभी स्थानों पर उम्मीदवार खड़े किये जायें, और अन्य प्रदेशों में उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाय, जहां गत 5 वर्षों में जनसंघ का काफी काम हुआ है। हमारा संगठन कांग्रेस को प्रभावी रूप से चुनौती देने की स्थिति में है।

(2) अन्य राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक विरोधी दलों के प्रति जनसंघ उन प्रदेशों में अपने सहयोग का हाथ बढ़ाता है जहां वे मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं, और अपेक्षा रखता है कि वे भी उन प्रदेशों में जहां जनसंघ इस हेतु समर्थ और सचेष्ट है, अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

(3) स्थानीय इकाइयों को उपयुक्त दलों के साथ तालमेल बैठाने की अनुमति देता है जिससे परस्पर लाभ के लिए आपसी संघर्ष टाला जा सके।

(4) अब तक गुजरात, राजस्थान तथा उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी के साथ जो तालमेल हुआ है उसकी पुष्टि करता है।

(5) कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, जिनसे जनसंघ का कोई साम्य नहीं है और जो लोकतांत्रिक सुविधाओं का उपयोग केवल लोकतंत्र और स्वतंत्रता की जड़ें

खोदने के लिए ही करती हैं, तालमेल पर प्रतिबंध लगाता है।

(6) जनता को उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने का आश्वासन देता है और अपील करता है कि एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक विकल्प निर्माण करने में वह अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

[2 नवम्बर 1966; नागपुर, के०का०स०]

67.01. चतुर्थ आम चुनाव

चतुर्थ महानिर्वाचनों की सफल समाप्ति पर भारतीय जनसंघ देश की जनता का अभिनंदन करता है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में शासक दल ने अनुचित उपायों का अवलंबन कर चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया, किंतु मतदाताओं ने निर्भीकता और साहस के साथ तथा लोभ और लालच का शिकार न होते हुए अपने प्रजातंत्रीय कर्तव्य का दृढ़ता से पालन किया। जम्मू-काश्मीर में अवश्य एक बड़े पैमाने पर प्रशासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से चुनाव हुए हैं। जनता ने जिस उत्साह, जागरूकता, शांतिप्रियता और अनुशासन का परिचय दिया है वह हमारे लिए गौरव की बात है।

चुनावों के परिणामस्वरूप कांग्रेस की एकछत्र सत्ता को भारी धक्का लगा है। आठ प्रदेशों तथा दिल्ली में वह बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी तथा केन्द्र में भी उसे बहुत ही थोड़ा बहुमत मिला है। कांग्रेस के प्रति जनता का भारी असंतोष और अविश्वास इन चुनाव परिणामों में प्रकट हुआ है। स्पष्ट है कि अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। जिसे अजेय समझा जाता था वह जेय ही नहीं अपितु निस्स्वत्व भी सिद्ध हुई है। भारतीय मतदाता ने अपने सामर्थ्य और प्रभाव को पहिचाना है। उसका आत्मविश्वास जागा है।

कांग्रेस के विघटन और लोप के साथ ही एक पर्याय की आवश्यकता अनुभव हो रही है। भारतीय जनसंघ ने इस संभावना की कल्पना चुनावों के पहले ही की थी और इसलिये वह सकारात्मक आधार पर एक पर्याय प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही चुनावों में उतरा था। जनसंघ को चुनावों में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लोकसभा और विधानसभाओं के मतदान में उसे गैरकांग्रेसी दलों में सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं जबकि अन्य अखिल भारतीय दल या तो पीछे हटे हैं या पूर्ववत् हैं, जनसंघ ने मत और स्थान दोनों में ही काफी प्रगति की है। जनसंघ ने किसी दल के साथ बिना किसी गठबंधन के ही चुनाव में भाग लिया था। इसलिये उसकी उपलब्धियां उसके प्रति जनता के विश्वास और समर्थन को ही पूर्णतः परिलक्षित करती हैं। भारतीय जनसंघ हृदय से जनता को उसके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है और अपना यह संकल्प प्रकट करता है कि एक विकल्प के निर्माण में उसे जो विश्वास प्राप्त हुआ है उसको वह बढ़ाने के लिए सब प्रकार से प्रयत्नशील रहेगा।

संविद में जनसंघ—कांग्रेस की पराजय और किसी दूसरे दल के बहुमत में आने से कई प्रांतों में यह स्थिति है कि बिना सभी गैरकांग्रेसी दलों के मिले वहां सरकार नहीं बन सकती थी। इन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनने देना न केवल जन-भावनाओं की अवहेलना होती बल्कि जनता के आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचाना होता। प्रजातंत्रीय विकास के लिए यह स्थिति ठीक नहीं। इससे उन तत्वों को ही बल मिलता जिनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। अतः केन्द्रीय कार्य समिति गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडलों में जनसंघ के विधायकों के सम्मिलित होने के निर्णय को पुष्ट करती है। ये सदस्य तभी तक मंत्रिमंडल में रहेंगे जब तक कि वे भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अधीन तथा उनके अनुकूल जनता की सेवा प्रभावी रूप से कर सकेंगे। गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडलों में सम्मिलित होते हुए भी यह आवश्यक है कि जनसंघ का विधायक दल अपना संगठन बनाये रखे और अपने संविधान के अनुसार काम करें।

सम्मिलित मोर्चा—जहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने हैं तथा भारतीय जनसंघ विरोधी दल के रूप में है, वहां जनसंघ को अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखना चाहिए और अपने दृष्टिकोण को धूमिल न होने देते हुए प्रभावी रूप से उसे रखना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही दूसरे प्रजातंत्रीय राष्ट्रीय दलों के साथ संपर्क अरौ संबंध बढ़ाते हुए इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न मुद्दों पर एक सम्मिलित मोर्चा प्रस्तुत किया जा सके।

[14 मार्च 1967; दिल्ली, के०का०स०]

67.04. राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या

राज्यपाल का पक्षपातपूर्ण रवैया—राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की स्थापना और नवनिर्वाचित विधानसभा को स्थगित करने का निर्णय जनतंत्र का उपहास है। राजस्थान के चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। राज्यपाल का कर्तव्य था कि वे जन-निर्णय का समादर करते और संयुक्त दल को जिसे सभी गैर-कांग्रेसी दलों और निर्दलीय सदस्यों ने एक नेतृत्व व एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर गठित किया था व जिसे विधानसभा के 183 सदस्यों में से 92 का समर्थन प्राप्त था, मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करते। यह खेद का विषय है कि राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और पहले कांग्रेस दल के नेता श्री सुखाड़िया को (जिन्होंने अपनी अल्पसंख्या को बहुसंख्या में बदलने के लिए सभी प्रकार के अनुचित और अनैतिक तरीके अपनाये) सरकार बनाने के लिए बुलाया और बाद में जब कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थ रही तब संयुक्त दल को अवसर देने के बजाय राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। राज्यपाल का यह कथन कि कांग्रेस अथवा संयुक्त दल के बल का निर्णय करते हुए निर्दलीय सदस्यों की गणना नहीं की जानी चाहिए, सर्वथा अतर्कसंगत और जनतंत्रीय मान्यताओं के प्रतिकूल है।

जनसंघ इस आरोप का बलपूर्वक खंडन करता है कि राजस्थान में विरोधी दलों ने उपद्रव कराये। वस्तुत: 7 मार्च को जयपुर में जो बर्बर गोलीकांड हुआ उसके लिए राजस्थान सरकार पूर्णत: उत्तरदायी है। जयपुर में धारा 144 लगा कर और विरोधी दलों के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर राजस्थान सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के सभी रास्ते बंद कर दिये। जयपुर को छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार की अप्रिय घटना का न होना और जयपुर में 7 मार्च की उभाड़ने वाली कार्यवाहियों के बाद भी शांति रहना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में शांति और व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं है।

केन्द्र व गैरकांग्रेसी सरकारें—विधानसभा की बैठक के एक दिन पूर्व जब अध्यक्ष के चुनाव में ही संयुक्त दल शक्ति परीक्षण के लिए तत्पर था, राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्पष्ट उद्देश्य गैरकांग्रेसी दलों को लोकतांत्रिक उपाय से सत्तारूढ़ होने से रोकने के अतिरिक्त कुछ नहीं। केन्द्रीय सरकार के इस रवैये का अन्य गैरकांग्रेसी सरकारों के साथ उसके संबंधों पर परिणाम होना अवश्यम्भावी है। सत्य यह है कि नई केन्द्रीय सरकार के इस प्रथम कार्य से प्रधानमंत्री की इन घोषणाओं का खोखलापन सिद्ध हो गया है कि वह चुनावों द्वारा प्रकट जनमत का समादर करेंगी और गैरकांग्रेसी सरकारों को पूर्ण सहयोग देंगी।

केन्द्रीय कार्य समिति मांग करती है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन स्थापित करने का निर्णय रद्द किया जाय और राज्यपाल को विधानसभा की बैठक बुलाने और संयुक्त दल को मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रित करने का निर्देश दिया जाय।

राजस्थान में एक नये राज्यपाल की नियुक्ति की जाय।

7 मार्च के नृशंस गोलीकांड की जांच के लिए उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाय।

कार्य समिति राजस्थान की जनता का आवाहन करती है कि वह लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखें। इस संघर्ष में जनसंघ उसे अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता है और उसकी सफलता की कामना करता है।

[14 मार्च 1967; दिल्ली, के०का०स०]

67.06. संविद मंत्रिमंडल

न्यूनतम कार्यक्रम का आधार—भारत की राजनीति ने चौथे आम चुनावों में एक नया मोड़ लिया है। अब तक 8 राज्यों तथा राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का शासन समाप्त होकर गैरकांग्रेसी सरकारें बनी हैं। जहां किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला वहां इन सरकारों का गठन गैरकांग्रेसी दलों ने साझे तौर पर किया है। इन मिले-जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण जनभावनाओं के अनुकूल और लोकतंत्र की परम्पराओं के अंतर्गत ही हुआ है। अन्य दलों के साथ वैचारिक तथा

नीति संबंधी मतभेद होते हुए भी एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर भारतीय जनसंघ शासन में इसीलिए सहभागी हुआ है कि कांग्रेस के 20 वर्षीय कुशासन से संत्रस्त जनता को कुछ राहत पहुंचाई जा सके और जन मानस में व्याप्त कुंठा और अनास्था को दूर कर उसे आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के महान कार्य में जुटाया जा सके।

जनता की भाषा—भारतीय जनसंघ का यह मत है कि गैरकांग्रेसी सरकारों को इस समय अपनी संपूर्ण शक्ति खाद्य-समस्या को सुलझाने, कृषि-उत्पादन को बढ़ाने और इसके लिए प्रत्येक खेत की सिंचाई की व्यवस्था करने, भ्रष्टाचार का समूलोच्छेदन करने और शासन में मितव्ययिता लाने में लगानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जनता और शासन के बीच की वर्तमान खाई पाटी जाये और शासक जनता के साथ स्वयं को पूर्णतया एकात्म करें। इस हेतु शासक को अपना संपूर्ण कामकाज जनता की भाषा में चलाना होगा और प्रशासकों को रहन-सहन तथा आचार-व्यवहार में सादगी और विनम्रता लानी होगी।

वर्तमान परिस्थिति तथा मिले-जुले मंत्रिमंडलों की अपनी सीमाएं देखते हुए जनता को इनसे चमत्कारों की आशा नहीं करनी चाहिए और न इन मंत्रिमंडलों अथवा इनके अंगभूत किसी दल को कुछ कर दिखाने की धुन में कोई दुस्साहसपूर्ण पग उठाना चाहिए। निरंतर बिगड़ती हुई परिस्थिति को सुधारने के लिए लगन के साथ जुटने और कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। इसी भूमिका से जनसंघ मंत्रिमंडलों में शामिल हुआ है और यही भावात्मक दृष्टिकोण उसकी भावी नीति का आधार होगा।

जिन प्रदेशों में जनसंघ शासन में भागीदार नहीं है, वहां हम उत्तरदायी विरोधी दल के नाते अपना काम करते रहेंगे और अन्य शक्तियों के सहयोग से कांग्रेस को शासन से अपदस्थ करने के लिए प्रयत्न जारी रखेंगे। जनता ने आम चुनाव में कांग्रेस को हरा कर जिस जागरूकता का परिचय दिया है उसे बनाये रखना होगा। विभिन्न सरकारों (फिर उनका गठन जिस किसी आधार पर हुआ हो) की नीतियों तथा गतिविधियों पर जनता को नजर रखनी होगी और अपनी भावनाओं के अनुरूप उनको प्रभावित करने के लिए सचेष्ट रहना होगा। जनसंघ की विभिन्न इकाइयों का कर्तव्य है कि इस दृष्टि से सचेत तथा सक्रिय रहें।

[21 अप्रैल 1967; दिल्ली, भा०प्र०स०]

67.07. केन्द्र-राज्य संबंध

चतुर्थ महानिर्वाचन के परिणामस्वरूप कई प्रदेशों में गैरकांग्रेसी सरकारें बनी हैं। केन्द्र में कांग्रेस का ही शासन है। फलत: केन्द्र और प्रांतों के बीच के संबंधों का प्रश्न विशेष महत्व का बन गया है।

पिछले 20 वर्षों में भी समय-समय पर अनेक प्रश्नों को लेकर केन्द्र और प्रांतों

के बीच तनाव और मतभेद रहे हैं। प्रांत तथा केन्द्र दोनों ही के द्वारा अपनी मर्यादाओं के उल्लंघन अथवा दायित्व-अवहेलना की घटनाएं हुई हैं। किंतु सभी ओर एक ही दल का शासन होने के कारण इन प्रश्नों को दलीय राजनीति का स्वरूप नहीं मिला। आज इस बात की आशंका है कि ऐसी कोई भी त्रुटि दलबंदी का आधार बनकर ऐसे तनाव पैदा कर देगी जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जायेगा। अतः आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने राजनीतिक आचरण के संबंध में अत्यधिक दक्ष रहें।

राजस्थान में गैरकांग्रेसी दलों का बहुमत होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लागू करना यह बताता है कि कांग्रेस दल ने चुनाव के परिणामों से कोई पाठ नहीं सीखा है। केन्द्र को ऐसे मामलों में न केवल न्याय करना है, अपितु यह दिखाई भी देना चाहिए कि वह न्याय कर रहा है। गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडलों को भी अपनी प्रत्येक कठिनाई अथवा विफलता के लिए केन्द्र पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति से बचना होगा। केरल के मुख्यमंत्री श्री नम्बूद्रीपाद द्वारा हाल में ही दिये गये कुछ वक्तव्य जिनमें केन्द्र तथा राज्यों के बीच 'मुठभेड़' को अवश्यम्भावी बताया गया है और अपने प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं से अर्जित विदेशी मुद्रा की मांग की गई है, खेदजनक है।

वित्तीय प्रावधानों का पुनर्निर्धारण— यह सही है कि राज्यों के ऊपर जो दायित्व हैं उनके निर्वाह के लिए उन्हें पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। गत 15 वर्षों में वित्तीय एवं अन्य प्रकार से केन्द्र पर राज्यों की निर्भरता बराबर बढ़ती गई है। प्रजातंत्रीय और उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए यह स्थिति वांछनीय नहीं है। अतः आवश्यक है कि संविधान के वित्तीय प्रावधानों का पुनर्निर्धारण हो जिससे प्रदेश अपने क्षेत्र में अपने दायित्व का पूरी तरह पालन कर सकें। विकेन्द्रित स्व-शासन की इस आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी भारतीय जनसंघ यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी उसकी भावना एकात्मक है। सभी को इस एकात्मकता को बनाये रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

[21 अप्रैल 1967; दिल्ली, भा०प्र०स०]

67.10. नक्सलबाड़ी खतरा

केन्द्रीय कार्य समिति पश्चिमी बंगाल की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अन्य अनेक राज्यों की तरह पश्चिमी बंगाल में भी गैरकांग्रेसी सरकार की स्थापना का (एक ऐतिहासिक महत्व की क्रांतिकारी घटना के रूप में) देश भर में स्वागत किया गया। इससे लोकतंत्र में हमारे विश्वास की पुष्टि हुई और शांति-पूर्ण एवं लोकतांत्रिक उपायों से सरकार बदलने की जनता की क्षमता का पता चला। गैरकांग्रेसी पार्टियों ने चुनाव के फलितार्थों को स्वीकार किया और वैकल्पिक सरकारें स्थापित करने के लिए संयुक्त मोर्चे स्थापित किये। कठिनाइयों

के बावजूद यह सरकारें अच्छा काम कर रही थीं और जनता की हालत सुधारने के लिए प्रयत्नशील थीं।

नक्सलबाड़ी में 'जन-अदालतें'—लेकिन, पश्चिमी बंगाल में संयुक्त मोर्चे की एक घटक कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना आरंभ किया। उत्तरी बंगाल में सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नक्सलबाड़ी में पार्टी ने आतंक और अराजकता फैलाना आरंभ किया जो बरबस तेलंगाना के अत्याचारों की याद ताजा कर देती है। कम्युनिस्ट गिरोहों को खुली छूट मिल गई और उन्होंने हत्याओं, शीलभंग, आगजनी और डाकेजनी का बाजार गर्म कर दिया। पीकिंग के नमूने पर स्थापित 'जन-अदालतों' की कार्यवाहियां प्रकाश में आईं एवं उन्होंने प्रशासन द्वारा विधिवत स्थापित संस्थाओं के अधिकारों को स्वयं संभाल लिया और 'अभियुक्तों' को मृत्युदंड तक सुनाना आरंभ कर दिया। सरकारी यंत्र रुक गया और राज्य के नेताओं की शह से स्थानीय कम्युनिस्टों ने समानान्तर सरकार स्थापित करने का प्रयास किया।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की संसदीय लोकतंत्र में कभी आस्था नहीं रही। उसके हाल के आचरण ने उसके इस मनसूबे को और स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान लोकतंत्रीय ढांचे में अपनी विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाकर, वह लोक-तंत्र को समाप्त करना और अपनी कल्पना की खूनी क्रांति को साकार करना चाहती है। वस्तुतः नक्सलबाड़ी से उन सबकी आंखें खुल जानी चाहिए जिनको इन पीकिंग परस्त कम्युनिस्टों के इरादों और स्वरूप के बारे में कोई संदेह है। चीन के नये हमले के खतरे के संदर्भ में तो राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी गतिविधियां और भी अशुभसूचक हैं। कार्य समिति इस बात पर संतोष प्रकट करती है कि पश्चिमी बंगाल सरकार में मौजूदा राष्ट्रवादी शक्तियों जैसे संसोपा, प्रसोपा और गोरखा लीग ने सरकार में अपने पथभ्रष्ट सहकारियों के आचरण की निंदा करते हुए उनकी गतिविधियों का विरोध करने के अपने संकल्प को दोहराया है। समिति की आकांक्षा है कि श्री अजय मुखर्जी की बांगला कांग्रेस भी जोरदार शब्दों में पीकिंगवादियों की निंदा करे और उनकी ओर से क्षमा याचना करने वालों तथा उनके टहलुओं के रूप में काम करना बंद कर दे। श्रमिक विवादों को हल करने के लिए 'घिराव'— जैसे गैरकानूनी और लोकतंत्र-विरोधी उपाय का प्रयोग किया जाय और अजय मुखर्जी सरकार उसके सामने सरकारी तौर पर निरुपाय हो जाय—यह तो और भी निंदनीय है। यह भी नितांत खेदजनक है कि अपने मार्क्सवादी साथियों के परामर्श पर काम करते हुए पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने नक्सलबाड़ी के लिए प्रस्तावित संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी विरोध किया।

जनसंघ अभी पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। वह अनुभव करता है कि इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से मार्क्सवाद कम्युनिस्टों को ही बल मिलेगा और इस प्रकार इस प्रयोग का समूचा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। पश्चिमी बंगाल की समस्या का हल तो यह है कि सरकार के

भीतर और बाहर की सब राष्ट्रवादी शक्तियां पीकिंग पंथी कम्युनिस्टों को सबसे अलग-थलग कर देने के लिए जमकर प्रयत्न करें। उनके गलत कार्यों की बेधड़क निंदा करें और वे जो भी कर रहे हैं उन समस्त गतिविधियों से सरकार को पृथक कर लें। गृहमंत्री भी होने के नाते यह देखना मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्य में कानून और व्यवस्था का ईमानदारी से पालन हो और जो व्यक्ति या दल इसे भंग करना चाहता है वह अछूता न जाने पाये। न केवल पश्चिमी बंगाल के बल्कि देश भर के राष्ट्रवादियों को नक्सलबाड़ी की घटनाओं और पश्चिमी बंगाल में शांति एवं व्यवस्था की आमतौर पर बिगड़ती दशा से गहरी चिंता हुई है। आशा की जाती है कि मुख्यमंत्री श्री मुखर्जी अन्य लोकतंत्रीय शक्तियों के समर्थन एवं सहयोग से अपने अधिकारों को दृढ़ता से स्थापित करेंगे।

[30 जून 1967; शिमला, के०का०स०]

67.12. पंजाब व हरियाणा की संविद सरकारें

प्रदेश की नई सरकारों के आम क्रियाकलाप और दो विशिष्ट विषयों अर्थात पंजाब व हरियाणा इन दोनों प्रदेशों की सरकारों के ताजा विस्तार और चंडीगढ़ के संबंध में दोनों प्रदेशों की सरकारों के विरोधी विचारों के बारे में दोनों प्रदेशों के जनसंघ सचिवों के प्रतिवेदनों पर केन्द्रीय कार्य समिति ने विचार किया।

कार्य समिति दोनों प्रदेश सरकारों के क्रियाकलाप से आमतौर पर संतुष्ट है। फिर भी वह ऐसा अनुभव करती है कि उन्होंने जिस न्यूनतम कार्यक्रम को स्वीकार किया है उसे तेजी से लागू किया जाना चाहिए।

दोनों प्रदेशों में मंत्रिमंडल का हाल में ही जो विस्तार हुआ समिति उसे नापसंद करती है। हरियाणा सरकार तो अपने निर्माण के समय ही काफी बड़ी थी और यही हाल पंजाब का रहा। पंजाब में 104 के सदन में, सत्रह मंत्रियों का होना राजनीतिक दृष्टि से चाहे आवश्यक हो परंतु उसका कोई प्रशासनिक औचित्य नहीं है।

कार्य समिति को इस प्रसंग में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री गुरनामसिंह से बातचीत करने का अवसर मिला था और समिति ने उन तक अपने विचार पहुंचा भी दिये थे। तब पंजाब के मुख्यमंत्री समिति के विचारों से पूरी तरह सहमत थे; लेकिन उन्होंने बताया कि राज्य और केन्द्र दोनों स्तर पर उन्हें कांग्रेस की जिन चालों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें वे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने को बाध्य हुए हैं।

समिति चाहती है कि जनसंघ की प्रदेश शाखाएं इस संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग बराबर करती रहें कि मंत्रिमंडल प्रदेश के आकार के अनुरूप होने चाहिए। लेकिन, वह यह भी अनुभव करती है कि सरकार के आकार मात्र को ही निर्णायक न मान लिया जाय। सरकार के प्रति अपना पूरा रवैया निर्धारित करने में इस बात को मुख्य निर्णायक के नाते स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जन-

संघ विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के प्रति अपना रवैया इस आधार पर निश्चित करेगा कि कोई सरकार कैसी चल रही है।

विवादों के लिए पंचनिर्णय—चंडीगढ़ के संबंध में समिति पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करती है कि वे आमने-सामने बैठकर अपने विरोधी दावों को शांति से सुलझाने का प्रयत्न करें। जनसंघ का मत है कि ऐसे सब विवादों को जिन्हें आपस में मिलकर तय नहीं किया जा सकता, उभय पक्ष द्वारा मान्य पंच को सौंप दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि जिसे पंच बनाया जाय उसका राजनीति से कोई वास्ता न हो। जो लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ में यथास्थिति कायम रखी जाय उन्हें भी पंच के सामने अपने विचार रखने दिये जायें। पंच फैसला सब संबद्ध पक्षों पर लागू समझा जाय। दोनों प्रदेशों के जनसंघ को भी पंच के सामने अपने-अपने विचार रखने की आजादी होगी। इस बीच उन्हें इस संबंध में आंदोलनकारी रास्ता छोड़ देना चाहिए और ऐसा कुछ भी कहने या करने से बचना चाहिए जिससे विभिन्न वर्गों में कटुता बढ़े।

[30 जून 1967; शिमला, के०का०स०]

67.17. संविद मंत्रिमंडल

केन्द्रीय कार्य समिति, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में मिली-जुली सरकारों के बारे में प्रस्तुत प्रतिवेदनों को सुनने के बाद इन सरकारों में जनसंघ के मंत्रियों के कार्य सम्पादन पर संतोष प्रकट करती है। इन सरकारों के बारे में अलग-अलग राज्यों के अनुसार कार्य समिति ने अलग-अलग मूल्यांकन किया है। परंतु सामान्यतः कार्य समिति इस बात से संतुष्ट है कि ये सरकारें ठीक दिशा में चल रही हैं। समिति ऐसा समझती है कि इन राज्यों में कांग्रेस के 20 वर्षों के कुशासन के फलस्वरूप उत्पन्न अव्यवस्था को ठीक करने में इन सरकारों को जनसंघ का सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही किसी घटक दल की हठधर्मी या स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। इस संदर्भ में कार्य समिति बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा देने के प्रयास के विरुद्ध जनसंघ द्वारा अपनाये गये कड़े रुख पर संतोष प्रकट करती है।

लोकतांत्रिक क्रांति—समिति इस अवसर पर इस बात को दुहराना चाहती है कि जनसंघ की यह प्रबल इच्छा है कि मिलीजुली सरकारें जनता की सेवा करने और सामान्य व्यक्ति की दशा सुधारने के प्रभावशाली माध्यम बनें। ऐसी सरकारों का प्रयोग शुरू किये जाने के समय भी, जनसंघ ने परस्पर भिन्न विचार वाले दलों की मिलीजुली सरकारों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत किया था। जनसंघ ने इस बात पर भी बल दिया था कि ऐसी सरकारों की उपलब्धियां, समान विचार वाले दलों की सरकारों की अपेक्षा कम होंगी और उनकी गति भी धीमी होगी। ऐसी सरकारों की सफलता के लिए यह अनिवार्य होगा कि घटक दल स्वीकृत न्यूनतम कार्यक्रम की परिधि में ही कार्य करें और

संपूर्ण सरकार को अपने व अपनी पार्टी के ढांचे में ढालने का प्रयास न करें। उत्तर प्रदेश और बिहार में, पिछले दो महीनों में, कुछ घटक दलों द्वारा इस बात को नजर अंदाज किये जाने के कारण तनाव भी पैदा हुआ, जिससे आसानी से बचा जा सकता था। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि फरवरी-मार्च 1967 की जिसे लोकतांत्रिक क्रांति के परिणामस्वरूप 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता-विहीन हो गई, और जिसके कारण, निकट भविष्य में ही केन्द्र से भी कांग्रेस अपदस्थ हो सकती है, वह तभी सार्थक होगी, जब जनता को 20 वर्षों के कुशासन और भ्रष्टाचार के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। इन मिलीजुली सरकारों का असफल होना, जनता में निराशा उत्पन्न कर सकता है, और उसके परिणाम-स्वरूप वोट के सामर्थ्य में उसकी आस्था कमजोर पड़ सकती है। इससे उन्हीं तथ्यों को बल मिलेगा, जो भारत में लोकतंत्र को असफल होते देखना चाहते हैं। अतः मिलीजुली सरकारों के घटक दलों को, जिनकी जनतंत्र में पूर्ण आस्था है, इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

[19 सितम्बर 1967; बड़ौदा, के०का०स०]

67.22. गैरकांग्रेसी सरकारें

चौथे आम चुनाव ने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नये अध्याय का श्रीगणेश किया है। जनता ने अपने मताधिकार के महत्व को पहचाना और सत्ता पर कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त कर अपनी जागरूकता का परिचय दिया। चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतांत्रिक उपायों से शासन में परिवर्तन हो सकता है तथा कोई भी दल जनमत की अवहेलना करके अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता।

यह संतोष का विषय है कि आम चुनावों में जनसंघ को जनता का व्यापक समर्थन मिला। जीते हुए स्थान और प्राप्त मत—दोनों दृष्टि से सभी गैरकांग्रेसी दलों में जनसंघ आगे रहा है। दिल्ली और मद्रास को छोड़कर शेष प्रदेशों में किसी एक गैरकांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जनसंघ ने जन भावनाओं का आदर कर कांग्रेस के दुःशासन से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संयुक्त मंत्रिमंडलों के गठन में योग दिया। यह पहला ही अवसर था जब विभिन्न विचारधारा वाले दलों के मिले-जुले मंत्रिमंडलों का इतने व्यापक पैमाने पर निर्माण हुआ। जहां-जहां घटक दलों ने संयुक्त मंत्रिमंडलों की मर्यादाओं को समझकर संयम और जिम्मेदारी से व्यवहार किया वहां-वहां इन मंत्रिमंडलों ने जन-अपेक्षाओं को पूरा करने में कुछ सफलता पायी। इसके विपरीत जहां किसी भी घटक दल ने अपने विचारों और निर्णयों को सरकार पर थोपने की कोशिश की वहां पर तनाव और अस्थिरता पैदा हुई और इन सरकारों की प्रभावशीलता और उपयोगिता कम हुई।

जहां तक पश्चिमी बंगाल का संबंध है, यह ठीक है कि वामपंथी कम्युनिस्टों

ने भूमि सुधार के नाम पर नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह को उभाड़ा, घिराव को प्रोत्साहन देकर औद्योगिक अशांति पैदा की और मजदूरों के हितों को हानि पहुंचाई; पुलिस को प्रभावहीन बनाकर अराजकता पैदा करने वाले तत्वों को बढ़ावा दिया। इन गतिविधियों के कारण यह मार्क्सवादी बड़ी तेजी से जनता की नजरों में गिरते जा रहे थे, किन्तु अजय मुखर्जी मंत्रिमंडल की अपदस्थता का लाभ उठाकर कम्युनिस्टों को अपनी इन कार्यवाहियों पर पर्दा डालने का अवसर मिला है और आज वे लोकतंत्र की दुहाई देकर हिंसात्मक कार्यवाहियां कर रहे हैं।

सरकार पलटने की कांग्रेसी लीला—यह खेद का विषय है कि कांग्रेस ने बदली हुई परिस्थिति में एक स्वस्थ विरोधी दल की जिम्मेदारी निभाने के स्थान पर गैरकांग्रेसी मंत्रिमंडलों को तोड़ने के लिए सब प्रकार के अप्रजातांत्रिक, असंवैधानिक और भ्रष्ट साधन अपनाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने राज्यपालों को अपना हथियार बनाने तक में संकोच नहीं किया। एक ओर दल-बदल का कारण बताकर हरियाणा में संविद का बहुमत होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और दूसरी ओर पंजाब और पश्चिमी बंगाल में दल-बदल को प्रोत्साहन देकर अल्पमत की सरकारें थोप दी गयीं। भारतीय जनसंघ का मत है कि दोनों ही प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू करके मध्यावधि चुनाव कराये जाएं।

विदेशी प्रभाव—पिछले चुनावों के समय से ही देश के आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों की बढ़ती हुई रुचि तथा यहां की राजनीति को प्रभावित करने के प्रयत्न दृष्टिगत हुए हैं। सोवियत सरकार द्वारा संचालित तथा नियंत्रित 'रेडियो शांति तथा स्वाधीनता कार्यक्रम' के अंतर्गत भारत के राजनीतिक दलों तथा राष्ट्रीय नेताओं, विशेषतः भारतीय जनसंघ के विरुद्ध विषैला प्रचार, भारत के घरेलू मामलों में खुला हस्तक्षेप है। इसी प्रकार की अमरीकी सैंट्रल इन्टैलीजेंस एजेंसी की विदेशों में चलने वाली कार्यवाहियों के बारे में, अमरीकी समाचार-पत्रों में ही प्रकाशित विवरणों से यह स्पष्ट है कि अमरीका योजनाबद्ध रीति से जासूसी तथा पंचमांगी कार्यवाहियों में रत है। दोनों ही पक्षों की ओर से भारत के चौथे आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए विपुल धनराशि का व्यय किये जाने की शिकायतें, जिनकी पुष्टि गृहमंत्री श्री चव्हाण द्वारा की गई है, यह बताती हैं कि भारत की स्वाधीनता तथा सर्व-प्रभुता के लिए वास्तविक खतरा पैदा हो गया है और यदि अविलंब ही प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो भारत को परस्पर विरोधी विचारधाराओं तथा स्वार्थों की टक्कर का रंगमंच बनाने का प्रयत्न फलीभूत हो जायेगा। भारतीय जनसंघ की मांग है कि आम चुनावों में विदेशी धन के उपयोग के गंभीर आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाय। केन्द्रीय जांच ब्यूरों के द्वारा की गई छानबीन सर्वथा अपर्याप्त है। इससे न तो जन-मन में व्याप्त आशंकाओं का ही निराकरण होगा और न संबंधित पक्षों के साथ ही न्याय होगा।

आम चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय और तत्पश्चात् उसकी रीति-नीति तथा रंगढंग से यह भलीभांति स्पष्ट हो गया है कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की आदर्शवादिता समाप्त हो चुकी है और वह स्वार्थ-साधुओं और अवसरवादी राजनीतिज्ञों की एक टोली मात्र रह गई है। जिस तीव्र गति से कांग्रेस का ह्रास हो रहा है उतनी ही तेजी से संपूर्ण देश में कांग्रेस का स्थान लेने वाले एक वैकल्पिक दल का विकास न होने के कारण कुछ लोगों के मन में देश की एकता और लोकतंत्र के भविष्य के बारे में आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। इन आशंकाओं के प्रति जनसंघ अनभिज्ञ नहीं है, किन्तु उसका विश्वास है कि भारत की एकात्मता तथा लोकतांत्रिक जीवन-मूल्यों में जनता की निष्ठा इतनी गहरी तथा बद्धमूल है कि एक दल के उत्थान-पतन से उस पर आंच नहीं आने पायेगी। आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आदर्शों में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति और समूह समय की मांग को पहिचानें और भारतीय जनसंघ को एक ऐसी शक्ति के रूप में खड़ा करें जो न केवल कांग्रेस का स्थान ले सके, अपितु उन तत्वों को भी पछाड़ सके जो संक्रमण काल की अस्थिरता, अनिश्चितता व असंतोष का लाभ उठाकर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं और भारत में अधिनायकवाद स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनसंघ जनता का आवाहन करता है कि वह अब तक की अपनी उपलब्धियों की रक्षा और उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए कमर कसकर खड़ी हो। अब उदासीनता अथवा शिथिलता के लिए समय नहीं है। भारत का भवितव्य हमें पुकार रहा है। विवेक और आत्म-विश्वास से काम लेकर और परिश्रम की पराकाष्ठा कर हम झोंपड़ी-झोंपड़ी तक जनसंघ के संदेश और संगठन को पहुंचाने का संकल्प करें। वर्तमान संकटों से देश को उबारने का यही एकमेव मार्ग है।

[26 दिसम्बर 1967; कालीकट, चौदहवां सा०अ०]

67.25. केरल में कम्युनिस्ट व संप्रदायवादी

केरल की जनता अपनी बहुविधि कठिनाइयों के निराकरण के लिए 10 वर्षों से एक नये राजनीतिक नेतृत्व की खोज कर रही है। इस दौरान उसने कितनी सरकारें बनती और बिगड़ती देखी हैं, परन्तु खोज अभी जारी है; पूरी नहीं हुई। कम्युनिस्टों के प्रजातंत्र विरोधी हथकंडों से ऊबकर जनता ने 1959 में उन्हें निकाल कर कांग्रेस को सेवा करने का एक और अवसर दिया था। परन्तु जनता की आशंकाओं की पूर्ति करने और समस्याओं को सुलझाने में कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह विफल हो गई। फलतः एक विचित्र स्थिति ने जन्म लिया। जिन लोगों ने कम्युनिस्टों का विरोध कर उन्हें अपदस्थ किया था वही लोग कम्युनिस्टों से मिल गये और उनके साथ सत्ता में साझीदार बन बैठे।

फिर भी 1967 के आम चुनाव के उपरांत केरल में एक टिकाऊ सरकार बनी। स्वभावतः लोग उससे अपेक्षाएं करने लगे। लोगों को आशा थी कि

नम्बूद्रीपाद सरकार कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पैदा खाद्य और बेरोजगारी की मुख्य समस्याओं को सुलझाने के लिए ईमानदारी से कार्यवाही करेगी।

विघटनकारी कम्युनिस्ट कुचक्र—परन्तु खेद का विषय यह है कि खाद्य समस्या को हल करने का यत्न करने के बजाय कम्युनिस्ट सरकार ने विघटनकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसे केन्द्र सरकार के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार की नीतियां भी कुछ अच्छी नहीं रहीं। परन्तु केरल की वर्तमान खाद्य समस्या के लिए स्वयं केरल सरकार की नीतियां भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। सदा की अपेक्षा अच्छी फसल वाले वर्ष में भी लोगों का राशन काटकर केवल 3 औंस चावल कर दिया गया। अनिवार्य लेवी, जबरन गल्ला वसूली तथा स्टाक की घोषणा करने के नियम तथा अन्न के आवागमन पर पाबंदी से किसान परेशान किया जा रहा है। एक ओर विवश किसान घाटे के दामों पर अपना अन्न बेचता है और दूसरी ओर उपभोक्ता को उसकी ऊंची दरें देनी पड़ती हैं और इन दोनों मूल्यों के बीच का पैसा भ्रष्ट कर्मचारियों और पेशेवर तस्कर व्यापारियों की जेब में जाता है।

बेरोजगारों को राहत पहुंचाने में भी केरल सरकार पूर्णतः विफल रही है। जो कारखानेदार कारखाने खोलना चाहते थे उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भगा दिया गया। इस प्रकार लोगों को काम मिलने के अवसर नहीं मिलने दिये गये।

सरकारी बंद—इन 9 मास में सरकार न केवल विद्यमान समस्याओं को हल करने में असफल रही है बल्कि बहुत सी नई समस्याएं उसने पैदा कर दी हैं। इनमें सर्वाधिक भयानक बात यह है कि राज्य की कानून और व्यवस्था की प्रतिष्ठा को जान-बूझकर योजनापूर्वक चोट पहुंचाई जा रही है। शांति और व्यवस्था की हालत तेजी से गिर रही है। 11 सितम्बर 1967 को केरल सरकार ने केरल-बन्द का आयोजन किया। पुलिस को एक तरफ हटाकर कम्युनिस्टों और गुंडों को हिंसात्मक कार्यवाहियां करने और लोगों पर आतंक जमाने की खुली छूट दी गई। परन्तु हर्ष की बात यह है कि पुलिस की मदद न मिलने पर भी केरल की जनता ने कम्युनिस्टों की इस गुंडागर्दी का डटकर सामना किया। आम आदमी के उस दिन के व्यवहार ने सारे देश को दिखा दिया कि केरल की जनता कम्युनिस्टों के इशारे पर नाचने को तैयार नहीं और वह कम्युनिस्टों की हिंसात्मक योजनाओं का भी सफलता से सामना कर सकती है। 'केरल-बन्द' के दिन कासरगोड में पुलिस दमन के शिकार हुए उन दो शहीदों को जनसंघ श्रद्धांजलि देता है जो कम्युनिस्टों की हिंसा के विरुद्ध जनता के मोर्चे पर लड़ते हुए शहीद हुए थे। पार्टी का कोष भरने और नौकरियों में दल के लोगों को घुसाने के लिए प्रशासन की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तथाकथित 'जनता कमेटियां' ग्रामीण जनता में पार्टी का प्रभाव जमाने की साधन-मात्र बनाई जा रही हैं।

केरल सरकार प्रदेश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए भी हर

संभव प्रयास कर रही है। मुस्लिम बहुमत का एक अलग जिला बनाने के सुझाव से वर्षों पहले पाकिस्तान और मोपलास्तान के सांप्रदायिक नारों की स्मृति ताजा हो जाती है।

स्वभावतः केरल के लोग इन हालात से बहुत सशंकित हैं। लोग यह भी समझते हैं कि टूटती हुई कांग्रेस पार्टी अब संकटों का सामना नहीं कर सकती क्योंकि प्रदेश को इस विकट अवस्था तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ही मूलतः उत्तरदायी है।

जनसंघ अनुभव करता है कि केरल की जनता की समस्याओं का समाधान केवल कांग्रेस विरोधी अथवा कम्युनिस्ट विरोधी रवैये से नहीं होगा। आवश्यकता राष्ट्रपरक और जनतंत्रमूलक एक नीति और व्यवहार की है। वास्तव में इस तथ्य की अनुभूति ही जनसंघ के इस अधिवेशन के प्रति जनता के इस अपार उत्साह और सहयोग के रूप में प्रकट हुई है।

जनसंघ ने निश्चय किया है कि वह जनता के इस उत्साह का उपयोग प्रदेशों में जनसंघ का ऐसा संगठन तैयार करने में करेगा जो केरल के लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत करने का प्रभावी साधन बन सके।

[26 दिसम्बर 1967; कालीकट, चौदहवां, सा०अ०]

68.07. संविद मंत्रिमंडल

मार्च-अप्रैल 1967 में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जब भिन्न विचारों वाले गैरकांग्रेसी दलों की मिलीजुली सरकारें बनीं, तब जनसंघ ने इन सरकारों की अंतर्निहित सीमाओं की ओर संकेत किया था और अपने नई दिल्ली अधिवेशन में प्रतिनिधि सभा ने जनता को सावधान किया था कि "उनसे किसी चमत्कार की आशा करना गलत होगा।" बाद में, बड़ौदा में भी जनसंघ की केन्द्रीय कार्य समिति ने इस बात पर बल दिया कि "ऐसी (मिलीजुली) सरकारों की सफलता की एक अनिवार्य शर्त यह है कि सब घटक स्वीकृत न्यूनतम कार्यक्रम तक अपने को सीमित रखें, समूची सरकार को अपनी पार्टी के सांचे में ढालने का प्रयत्न न करें और दर्शकों को आकर्षित करने से बाज आयें।" गत 15 मास के अनुभव से यह यथार्थवादी दृष्टिकोण सही सिद्ध हुआ है।

पंजाब में, जहां मिलीजुली सरकार में शामिल दलों ने इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार किया, वहां संयुक्त सरकार, जिसमें जनसंघ, अकाली और कम्युनिस्टों जैसे बहुरंगी तत्व सम्मिलित थे, अच्छे ढंग से चल सकीं। गुरनामसिंह सरकार नौ मास तक कायम रही और इस अवधि में उसने एक अच्छी सरकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। पिछली सरकारों के समय जिस भ्रष्टाचार और चापलूसी का जोर था, वे समाप्त होने लगी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा निष्ठा का वातावरण बनने लगा। राजनीतिक जीवन में इस परिवर्तन का सबसे शुभ परिणाम यह हुआ कि पंजाब के जीवन में 20 वर्ष तक सांप्रदायिकता का जो जहर फैला रहा और जिसे कांग्रेस ने जानबूझ कर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के

लिए फैलाया, वह शांत होने लगा। पंजाब के लिए वह निश्चय ही शोक का दिन था जब स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने केन्द्र करकार की सहायता से और उसके उकसाने पर, अकाली दल में फूट के बीज बो दिये और संयुक्त मोर्चा सरकार को अपदस्थ करके श्री गिल की अध्यक्षता में दलबदलुओं की अल्पसंख्यक सरकार स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचा। संविद सरकार ने जो शानदार और लाभदायक कार्य आरंभ किया था उसे अचानक रोक दिया गया और प्रदेश आम चुनाव से पूर्व की स्थिति में पहुंच गया। पंजाब आज मध्यावधि चुनाव चाह रहा है जिससे वहां अवरुद्ध प्रक्रिया को फिर से गतिशील किया जा सके।

उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलीजुली सरकारों का अनुभव भिन्न रहा। इन दोनों प्रदेशों में कुछ घटक दलों ने एक बहुदलीय सरकार के जिम्मेदार सदस्य के रूप में आचरण नहीं किया और सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह उनके दल की सैद्धांतिक कल्पनाओं के अनुरूप काम करना शुरू करें। इस प्रकार जो अंतर्दलीय दबाव और तनाव पैदा हुए, कांग्रेस ने उससे पूरा लाभ उठाया और इन दोनों प्रदेशों की सरकारों को अपदस्थ करने के लिए षड्यंत्र रचा। बिहार में कांग्रेस की सफलता अल्पकालीन रही और एक नई मिलीजुली सरकार फिर अस्तित्व में आई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अब मध्यावधि चुनाव की तैयारी हो रही है।

इस प्रकार, अपने अनुभव के आधार पर, जनसंघ ऐसा महसूस करता है कि मिलीजुली सरकारों की उपयोगिता या अनुपयुक्तता के बारे में कोई आम निष्कर्ष निकालना अभी ठीक न होगा। पंजाब में अनुभव सामान्यतः सुखद रहा, उत्तर प्रदेश में वह निश्चय ही असंतोषजनक और बिहार में समान रूप से खट्टा-मीठा रहा।

मध्य प्रदेश में मिलीजुली सरकार का प्रयोग उपर्युक्त तीनों प्रयोगों से भिन्न श्रेणी का था। सरकार में कम्युनिस्ट शामिल नहीं, इसलिए सैद्धांतिक विविधता और विरोध का अधिक महत्व और कारण नहीं था। फिर भी, सरकार को यदि संकट का सामना करना पड़ रहा है तो इसका कारण यही है कि कुछ घटक मिलीजुली सरकार की सीमाओं को समझकर उसके भीतर काम करने को तैयार नहीं हैं।

हाल में हुए हरियाणा के चुनावों, केरल के नगरपालिका के चुनावों और कृष्णनगर के उपचुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेसी नेता बड़े जोर-शोर से यह प्रचारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन चुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जनता की बदलती राय को सूचित करते हैं। यद्यपि ये चुनाव हरियाणा, केरल और पश्चिमी बंगाल में गैरकांग्रेसी सरकारों के क्रियाकलाप के प्रति जनता की निराशा को व्यक्त करते हैं तथापि कांग्रेस यदि इसका यह अर्थ लगाये कि जनता का विश्वास उस पर बढ़ रहा है तो यह आत्म-प्रवंचना ही होगी। 20 वर्ष के कांग्रेसी कुशासन ने दल को इतना बदनाम कर दिया है कि केन्द्र और उन प्रदेशों

में जहां अब भी इस दल की सरकार है, ठोस कार्य ही इस दल की साख जमा सकता है। आम चुनाव के बाद इन 15 महीनों में कांग्रेस ने कहीं भी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वह अपना तरीका बदलने को तैयार है। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि फरवरी 1967 के आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए जो 5 उपचुनाव हुए उनमें से 3 में कांग्रेस हारी और सिर्फ 2 में जीती है। राज्य सभा और विभिन्न प्रदेशों की विधान परिषदों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनावों के दौरान भी यह तथ्य उभरकर सामने आया कि कांग्रेस की स्थिति बुरी तरह बिखरे घर जैसी है।

केरल और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस की सफलता केवल यह सूचित करती है कि इन प्रदेशों में सामान्य जनता को जितनी निराशा कांग्रेस से हुई थी उतनी ही कम्युनिस्टों से हुई है। पालघाट और कासरगोड के पालिका चुनावों में जनसंघ को जो शानदार विजय प्राप्त हुई है, वह इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि जनता ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के किसी संतोषप्रद विकल्प की ओर ध्यान देना आरंभ किया है। पश्चिमी बंगाल के आगामी चुनावों में जनसंघ की नीति यह होगी कि ऐसे तीसरे विकल्प के उत्कर्ष में मदद दी जाय और राज्य विधान-मंडल में अपने लिए स्थान बनाया जाय। हरियाणा और लखनऊ में जनसंघ को कुछ अस्थायी आघात लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निगम चुनावों के परिणाम समग्र रूप से पार्टी के लिए संतोष-प्रद रहे हैं। वाराणसी में जनसंघ ने कांग्रेस को परास्त किया, आगरा में भी उसने कांग्रेस को पछाड़ा और कानपुर नगर निगम में उसकी शक्ति में तीन गुना वृद्धि हुई।

संसदीय लोकतंत्र में मिली-जुली सरकार को राजनीतिक विवशता के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल स्वभावतः यही चाहता है है कि उसकी शक्ति इतनी हो कि वह अकेले शासन चला सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जनसंघ जनता की श्रेष्ठतम सेवा नहीं कर सकता है जब तक कि वह इस स्थिति में न हो कि अकेले सरकार चला सके। इसलिए, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से जनसंघ ने प्रयत्न करने का निर्णय किया है ताकि वह देश के इस बड़े प्रदेश के भविष्य का निर्माण अपनी योजना और कार्यक्रम के अनुरूप कर सके।

[14 जून 1968; गोहाटी, के०का०स०]

68.13. सन् 1967 के बाद की स्थिति

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में फरवरी 1967 एक महत्वपूर्ण मोड़ के लिए जाना जायेगा। गत पूरे 20 वर्ष तक कांग्रेस ने केन्द्र तथा राज्यों में सत्ता पर पूर्ण एकाधिकार का उपभोग किया। चौथे आम चुनाव ने इस स्थिति में भारी परिवर्तन किये। कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार टूट गया। केन्द्र प्रशासित दिल्ली

के अतिरिक्त छः राज्यों (पंजाब, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मद्रास तथा केरल) में गैरकांग्रेसी सरकारें स्थापित हुईं। परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकी। कुछ ही महीनों में कुछ अन्य राज्य—हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश—इस पंक्ति में शामिल हो गये और 1967 के मध्य तक देश की जनसंख्या का दो-तिहाई भाग गैरकांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत आ गया।

संयुक्त व अल्पसंख्यक सरकारें—तब से एक वर्ष बीता है कि इन 10 सरकारों में से 5 सरकारें—हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार—आंतरिक दुर्बलताओं और कांग्रेसी कुचक्रों का शिकार हो चुकी हैं। परिणामतः आज देश लघु आम चुनाव का सामना कर रहा है। आगामी फरवरी-मार्च 1969 तक पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो चुके होंगे। यह स्वाभाविक है कि इन चुनावों में मतदाताओं का निर्णय चौथे आम चुनाव के बाद हुई घटनाओं के मूल्यांकन से भी प्रभावित हो।

गत 18 महीनों में दो राजनीतिक दृश्य कसौटी पर थे। एक मिलीजुली सरकारें तथा दूसरे अल्पमत सरकारें। प्रथम प्रयोग गैरकांग्रेसी दलों ने किया और दूसरा कांग्रेस ने। 1967 के आम चुनाव के पश्चात् अल्पमत सरकारें स्थापित करने का प्रयोग प्रथम पश्चिमी बंगाल में तदनंतर बिहार में और अन्त में पंजाब में किया गया, जो सर्वथा विनाशक रहा। पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में यह प्रयोग सौभाग्य से अल्पकालिक रहा, किंतु पंजाब में जहां इसकी अवधि थोड़ी अधिक रही इससे राज्य को अपार क्षति हुई है। कांग्रेस समर्थित गिल की कठ-पुतली सरकार में भ्रष्टाचार तथा स्वार्थाचार ने इतना उग्र रूप धारण किया कि इसके सामने कैरों शासन के कुकृत्य भी फीके पड़ गये। पंजाब के राज्यपाल ने गिल सरकार द्वारा त्यागपत्र के तुरंत पूर्व लिये गये निर्णयों को स्थगित करके एक अच्छा कार्य किया है। किंतु सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जनसंघ, अकाली दल तथा अन्य प्रतिपक्ष के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये स्मृति-पत्र को स्वीकार किया जाय और गिल सरकार की करतूतों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय।

अल्पमत सरकारों की तुलना में, जो सर्वथा विफल रहीं, गैरकांग्रेसी दलों की संयुक्त सरकारें सुखद तथा दुखद अनुभवों का एक मिल-जुला प्रयोग रहीं। संयुक्त सरकारों के प्रति जनसंघ के दृष्टिकोण को इस विषय में स्वीकृत तीन प्रस्तावों में—[प्रथम दिल्ली में (अप्रैल 1967) पश्चात् बड़ौदा में (सितम्बर 1967) तथा हाल में गौहाटी में (जून 1968) पारित प्रस्तावों में] भली-भांति स्पष्ट कर दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि :

(*i*) भारतीय जनसंघ केन्द्र तथा राज्यों में अपने ही बलबूते पर सरकारें बनाने की आकांक्षा रखता है; वह गैरकांग्रेसवाद को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करता।

(*ii*) संयुक्त सरकारें राजनीतिक विवशताओं में से जन्म लेती हैं; घसंनज

अनुभव करता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों का तुलनात्मक बल जिस प्रकार का है उसे देखते हुए यह विवशताएं कुछ राज्यों में कुछ समय तक हमारे साथ रह सकती हैं।

(iii) संयुक्त सरकारों की सफलता मुख्यतः उसमें शामिल विभिन्न घटकों द्वारा अपनी मर्यादाएं पहिचानने पर निर्भर करती है। यदि वे जनता को शुचितापूर्ण तथा दक्ष प्रशासन देने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और सरकारी नीतियों को मतवादी मोड़ देने की प्रवृत्ति से सर्वदा बच सकें तो उन्हें सफल बनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि संयुक्त सरकारों का निर्माण जहां वे विफल रही हैं वहां भी, जनता का हित करने की उत्कट आकांक्षा से प्रेरित था। इसके विपरीत अल्पमत सरकारें कांग्रेस दल के सिद्धांत-विहीन अवसरवाद तथा गैरकांग्रेसी सरकारों को सहन करने की उसकी अक्षमता में से निकली थीं।

गत 18 महीनों में कांग्रेस समेत सभी प्रमुख राजनीतिक दल भी कसौटी पर कसे जा रहे थे। प्रथम बार केन्द्र स्थित कांग्रेस सरकार को अनेक गैरकांग्रेसी सरकारों से निपटना था और प्रथम बार कांग्रेस दल को अनेक राज्यों में विरोधी दल के रूप में बैठना था। दोनों दृष्टियों से कांग्रेस का रिकार्डलज्जाजनक रहा है। जिस ढंग से भारत सरकार ने गैरकांग्रेसी सरकारों को उलटने के लिए राज्यपालों को अपना उपकरण बनाया है, उससे न केवल राज्यपाल के पद को लांछित होना पड़ा है अपितु उन तत्वों को बल मिला है जो केन्द्र को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली में जनसंघ अपने अनुभव से यह बात जानता है कि गैरकांग्रेसी सरकारों के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया स्पष्टतः भेदभावपूर्ण है। जहां तक प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस की भूमिका का प्रश्न है, पुनः दिल्ली के उदाहरण से यह सिद्ध है कि 20 वर्षों में अनिर्बाध प्रभुत्व से कांग्रेसजनों में यह स्वभावगत अक्षमता पैदा हो गई है कि सत्ता से वंचित होकर वे उत्तरदायित्व और संतुलन की भावना से आचरण कर सकें। कम से कम आज तक का कांग्रेस का व्यवहार ऐसा ही है।

कम्युनिस्ट सरकारें—अन्य दलों में से कम्युनिस्टों ने, आशाओं के अनुरूप, पश्चिमी बंगाल में कानून के राज्य तथा लोकतांत्रिक पद्धति को ध्वस्त करने के लिए शासन-तंत्र का दुरुपयोग कर अपने विरुद्ध जनता के रोष को उभाड़ा है। नक्सलबाड़ी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और न उसे क्षमा ही किया जा सकता है। केरल में कम्युनिस्टों ने आर्थिक स्थिति में सुधार एवं एक प्रामाणिक प्रशासन की जनता की सभी आशाओं पर पानी फेर दिया है। इस राज्य में कम्युनिस्ट शासन का एक अशुभ परिणाम यह है कि मुस्लिम लीग की संप्रदायवादी गतिविधियों में इतनी उग्रता आ गई है कि जितनी पहले कभी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल में हुई दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं—पाकिस्तान को सोवियत रूस की शस्त्र-सहायता तथा रूस और वारसा सन्धि समझौते के अन्य साथी देशों द्वारा

चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण—के बारे में जो रवैया अपनाया है उससे इसी तथ्य की पुष्टि हुई है कि यह दल मास्को के पिछलग्गूपन से अपने को मुक्त करने में असमर्थ है।

भारतीय जनसंघ आगामी मध्यावधि चुनावों में अपने सिद्धांतों तथा आम चुनाव के पश्चात् की गई सेवा के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। दिल्ली में जनसंघ का स्पष्ट बहुमत है। वहां पिछले डेढ़ वर्ष में उसने सराहनीय कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त सरकार में वह प्रमुख घटक रहा है और मध्य प्रदेश में आज भी है। बिहार तथा पंजाब में उसने संयुक्त मोर्चे की सरकारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मिलीजुली सरकारों के समूचे कार्य-कलापों के बारे में राय कुछ भी हो, जनसंघ का अपना रिकार्ड ऐसा रहा है कि जिस पर न तो कोई लांछन लगा सकता है और न उंगली ही उठा सकता है।

आगामी मध्यावधि चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ सभी स्थानों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगा और राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। बिहार में जहां कुछ समय पूर्व तक हमारा काम बहुत अधिक व्यापक नहीं था और अब जहां जनसंघ के पक्ष में जन-समर्थन का एक भारी उभार आया हुआ है, दल अधिकांश स्थानों के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और राज्य में सबसे बड़ा दल बनने का प्रयास करेगा। पंजाब में अकाली दल तथा अन्य राष्ट्रवादी गुटों के साथ तालमेल बैठाकर हम सभी स्थानों पर लड़ना चाहेंगे। पश्चिमी बंगाल में हमारा उद्देश्य इन चुनावों द्वारा विधानसभा में दृढ़तापूर्वक अपने पांव जमाने तथा ऐसी एक तृतीय शक्ति का आधार बनने का होगा, जो भविष्य में कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दोनों का विकल्प बन सके। इन सभी चुनावों में जनसंघ कम्युनिस्टों के साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं करेगा। अन्य गैरकांग्रेसी दलों तथा उम्मीदवारों के साथ स्थानीय आधार पर तालमेल की छूट होगी।

चतुर्थ आम चुनाव के दो स्थायी लाभ हमें मिले हैं—प्रथम, कांग्रेस की अजेयता के भ्रम का निवारण तथा द्वितीय मतपेटी की प्रभावशीलता में साधारण जन का विश्वास। इनके साथ-साथ जनसंघ की विचारधारा तथा कार्यक्रम है और शासन के भीतर तथा बाहर जन-सेवा का हमारा शानदार रिकार्ड है। इस पूंजी के साथ हमें जनता का विश्वास तथा समर्थन प्राप्त करने के लिए सारी शक्ति लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि फरवरी 1967 कांग्रेस की नकारात्मक अस्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण था तो फरवरी 1969 जनसंघ के प्रति जनता के भावात्मक समर्थन का द्योतक बनना चाहिए।

[7 सितम्बर 1968; इन्दौर, भा०प्र०स०]

68.18. दिल्ली के साथ भेदभाव

केन्द्रीय कार्य समिति इस बात पर अपना क्षोभ एवं चिंता व्यक्त करती है कि जनसंघ द्वारा संचालित दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाये हुए है, दिल्ली के मामलों में लगातार तथा अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है तथा दिल्ली महानगर परिषद् और कार्यकारी परिषद् को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों में भी कटौती करने के लिए सतत् यत्नशील है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली प्रशासन और नगर निगम दिल्ली की जनता की सेवा करने का प्रभावी माध्यम न बन सके।

रेड्डी व मोरारका आयोग—1966 में दिल्ली नगर निगम के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गोपाल रेड्डी आयोग ने आम चुनाव से ठीक पहले 1967 के प्रारंभ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अन्य सिफारिशों के साथ प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई थी कि वर्षों पुराने वित्तीय कुप्रबन्ध से उत्पन्न संकट पर पार पाने के लिए दिल्ली नगर निगम को तत्काल 2 करोड़ रु० का ऋण दिया जाये। परन्तु जब केन्द्र सरकार की अपेक्षा के विरुद्ध 1967 के निर्वाचन में नगर निगम में जनसंघ को बहुमत प्राप्त हुआ तो केन्द्र ने यह रिपोर्ट अचानक वापिस ले ली और नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था की जांच के लिए अप्रैल-मई 1967 में श्री मोरारका की अध्यक्षता में एक नया आयोग नियुक्त कर दिया। जनसंघ के नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण निर्णय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तथा आग्रह किया कि मोरारका आयोग की रिपोर्ट आने तक कम से कम एक तदर्थ अनुदान की व्यवस्था की जाय। परन्तु केन्द्र सरकार ने यह प्रार्थना भी ठुकरा दी।

दिल्ली वक्फ़ बोर्ड—दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन और प्रबंध कानून के अनुसार दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है। परन्तु गत वर्ष जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने कार्यकारी परिषद् के परामर्श अनुसार नये वक्फ बोर्ड का गठन किया तो केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करके वह सूची रद्द कर दी और अपनी नई सूची तैयार करके नियुक्तियां कीं। जिस प्रकार महानगर परिषद् के एक मुसलमान जनसंघ सदस्य का नाम सची से हटाये जाने पर जोर दिया गया था, उससे ऐसे प्रश्नों पर केन्द्र सरकार का ओछा तथा पक्षपातपूर्ण रवैया उजागर हो गया है।

दिल्ली प्रशासन अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन दिल्ली की कार्यपरिषद् को हस्तांतरित किया गया एक विषय है। नई दिल्ली नगरपालिका स्वायत्त शासन विभाग के अधीन एक स्थानीय निकाय है। प्रशासन के सूत्र संभालने के बाद जनसंघ, नई दिल्ली नगरपालिका के काम को सुधारने और उसे जनमत के प्रति सजग बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा। परन्तु सहयोग देने के बजाय केन्द्रीय सरकार हर स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप करके रोड़े अटकाती रही। वित्त सदस्य की नियुक्ति के संबंध में हाल में ही जो विवाद उठा है वह इस हस्तक्षेप का ज्वलंत उदाहरण है। नई निल्ली नगरपालिका के सदस्यों के नामांकन को सुरक्षित

विषय घोषित करके केन्द्र सरकार ने अपने घनौने इरादों को नग्न कर दिया है।

केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण और दलगत रवैये के ये केवल कुछ ही प्रमुख उदाहरण हैं। इस पर भी जनसंघ बड़े संयम से काम लेता रहा है। कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनसंघ को यह स्थान जनता के विश्वास से प्राप्त हुआ है और वह दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को जनता की भलाई और सेवा की दृष्टि से चलाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जनसंघ दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम को केन्द्र सरकार का दुमछल्ला नहीं बनने देगा। कार्य समिति आशा करती है कि केन्द्र सरकार के जो नेता दलगत स्वार्थ से ऊपर उठकर चल सकते हैं, स्थिति को समझेंगे तथा दिल्ली प्रशासन के साथ केन्द्र के संबंधों का इस प्रकार संचालन करेंगे कि परस्पर टकराव की स्थिति पैदा न हो।

[7 सितम्बर 1968; इंदौर, भा०प्र०स०]

68.19. केन्द्र-राज्य संबंध

केन्द्र और राज्यों के संबंधों को लेकर आजकल काफी विवाद चल रहा है। एक ओर जहां यह कहा जा रहा है कि प्रदेशों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, वहां दूसरी ओर कहा जा रहा है कि केन्द्र को और अधिक अधिकार चाहिए जिससे वह राज्यों से अपने आदेश मनवा सके।

इस बात को समझ लेना चाहिए कि यह समस्या मूलतः इसलिए उठी क्योंकि भारत का संविधान संघीय है। जनसंघ को इस बात से कभी संतोष नहीं हुआ कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। उसकी मान्यता है कि भारत हमेशा से ही एक राष्ट्र रहा है और आज भी है। वर्तमान संघीय व्यवस्था के बजाय यदि भारत एकात्मक व्यवस्था स्वीकार कर ले तो यह राष्ट्र की एकता और प्रगति के हित में होगा।

संघीय व्यवस्था में केन्द्र और प्रदेश के बीच कुछ सीमा तक तनाव होना अनिवार्य है। 1967 तक, जबकि केन्द्र और प्रदेशों में सत्ता सदा एक ही दल के हाथ में थी, तब तक इन तनावों को संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर, पार्टी स्तर पर तय कर लिया जाता था। चौथे आम चुनाव ने इस स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। प्रदेशों में विभिन्न दलों के लोग सत्तारूढ़ हुए। अब यह विशेष रूप से आवश्यक हो गया है कि जो लोग सत्ता में पहुंचें वे संवैधानिक व्यवस्थाओं और शिष्टताओं का विधिवत पालन करें।

राज्यपालों के द्वारा केन्द्र के दांवपेंच—वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में समिति को यह जानकर दुःख हुआ कि चौथे चुनाव के बाद केन्द्र और प्रदेशों के बीच जो समस्याएं उठीं उनको हल करने में केन्द्र सरकार ने संविधान की व्यवस्था या देश की एकता का विचार करने के बजाय तात्कालिक आवश्यकता और दलगत पक्षपात को अधिक महत्व दिया। विशेषरूप से चिंताजनक और खेदजनक यह है कि केन्द्र सरकार ने अपने दलगत पक्षपातपूर्ण मनसूबों को क्रियान्वित करने

के लिए राज्यपालों को अपना मोहरा बनाया। संविधान का मन्शा तो यह है कि राज्यपाल दलगत पक्षपात से ऊपर रहें और अपने दायित्व का इस तरह निर्वाह करें कि उनके बारे में कोई विवाद या शंका न हो। लेकिन, दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार ने तात्कालिक लाभ उठाने के लिए राज्यपालों को जिस प्रकार से अपना मोहरा बनाया, उससे न केवल कई राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि स्वयं राज्यपाल का पद ही विवाद का विषय बन गया है।

आरंभ राजस्थान से हुआ जहां एक भोंडी संवैधानिक बाजीगरी के द्वारा मतदान से फलित कांग्रेस के अल्पमत को विधानमंडलीय बहुमत में बदल दिया गया और इसकी चरम सीमा हाल में हरियाणा में हुई जहां केन्द्र सरकार और कांग्रेस हाई कमान ने लड़खड़ाते बंसीलाल मंत्रिमंडल का पलड़ा भारीकरने के लिए राजनीतिक शिष्टता की रही सही मान्यताओं को भी ताक में रख दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा और केरल में ऐसी घटनाओं की एक शृंखला-सी बन गई जिसमें केन्द्र सरकार के आचरण का समर्थन नहीं किया जा सकता। आरंभ से अंत तक कांग्रेस सरकार के व्यवहार की एक विशेष बात यह रही कि उसने गैरकांग्रेसी सरकारों का सामना करने में अपनी अक्षमता और खोई सत्ता को फिर से प्राप्त करने की अपनी आतुरता का परिचय दिया।

यहां तक कि उन सरकारों का सामना करने में भी जिन पर कम्युनिस्टों का नियंत्रण था और केन्द्रीय सत्ता तथा देश की एकता को कमजोर बनाने में जिनकी रुचि स्पष्ट थी, केन्द्र सरकार ने गलत समय पर गलत प्रश्न उठाने की एक विलक्षण प्रवृत्ति का परिचय दिया जिसका कुल मिलाकर यह परिणाम निकला कि न केवल संवैधानिक प्रस्थापनाओं की अवहेलना हुई बल्कि राष्ट्रीय एकता भी क्षीण हुई। उदाहरणस्वरूप, जब पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी तथा अन्य क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था को प्रदेश सरकार के सहयोग से विधिवत् मिटाया जा रहा था तब केन्द्र सरकार महीनों तक निश्चेष्ट भाव से देखती रही और जब उसने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया तब एक नगण्य और छोटी सी बात को इसका आधार बनाया और वह भी उस समय जबकि कांग्रेस समर्थित अल्पमत की सरकार गिर गई। हाल में ही केरल प्रदेश सरकार के साथ हड़ताल-विरोधी अध्यादेश लागू करने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार ने विवाद खड़ा किया, किन्तु इसको चलाने और आवश्यक संवैधानिक पग उठाने में असफल रही। परिणाम यह हुआ कि केरल के मुख्यमंत्री संविधान का उल्लंघन करके भी साफ बच निकले।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के बारे में, जहां पिछले आम चुनाव में जनता ने जनसंघ को स्पष्टतः अवसर दिया, केन्द्र सरकार के साथ जनसंघ का अपना अनुभव भी नितांत कटु रहा। प्रशासन में जनसंघ के प्रतिनिधि यद्यपि केन्द्र के साथ अपने संबंधों में संवैधानिक और राजनीतिक शिष्टताओं का पूरी तरह निर्वाह करते रहे, तथापि उन्हें बार-बार केन्द्र सरकार के भेदभाव और दलगत पक्षपात पूर्ण रवैये का सामना करना पड़ा।

जनसंघ अनुभव करता है कि 1967 के चुनाव के बाद भारत की राजनीति में जिस बहुदलीय व्यवस्था का उद्भव हुआ है, उसके संदर्भ में केन्द्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जैसा कि पहले सुझाया गया जनसंघ चाहेगा कि वर्तमान संघीय किन्तु अति केन्द्रवादी संविधान के स्थान पर एकात्मक किंतु विकेन्द्रित व्यवस्था लागू की जाय। लेकिन, जब तक संविधान में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक के लिए कार्य समिति का सुझाव है कि वर्तमान वित्तीय व्यवस्था पर इस दृष्टि से पुनर्विचार किया जाय कि ऐच्छिक अनुदानों के बजाय राज्यों को उनके अंश के रूप में अधिक राशि मिले और इस प्रकार के बटवारे से राज्यों को मिलने वाली राशि जहां तक संभव हो उनके दायित्वों के अनुरूप हो।

अनुच्छेद 263 के अंतर्गत परिषद्—पिछले 20 मास के अनुभव पर ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति संविधान के 263वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें और एक परिषद की स्थापना करके उसे केन्द्र एवं प्रदेशों के बीच उठे सभी प्रश्नों पर विचार करके अपनी सिफारिश देने को कहें।

[16 दिसम्बर 1968; दिल्ली, के०का०स०]

69.04. बंबई के उपद्रव

शिवसेना का क्षेत्रीयतावाद—7 से 10 फरवरी तक बंबई में हिंसा लूट और आगजनी की जो घटनाएं होती रहीं तथा जैसी अव्यवस्था बनी रही, उससे राष्ट्रीय एकता को काफी क्षति पहुंची है और जनतांत्रिक मूल्यों में हमारी आस्था को यह एक चुनौती है। अपने जन्मकाल से ही शिवसेना क्षेत्रीयतावाद और भाषावाद के आधार पर लोगों की भावनाएं स्पर्श करती रही है। जनवरी में पूरे महीने शिवसेना के नेता उत्तेजक भाषण देते रहे। किंतु यह रहस्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार उदासीन क्यों बनी रही?

यह सरकार की उदासीनता का ही परिणाम है कि इन घटनाओं की उसे पूर्वानुभूति नहीं हो सकी और इसीलिए वह सतर्कतामूलक कार्यवाही नहीं कर सकी तथा बाद में जब उपद्रव आरंभ हुए, तो उसकी गंभीरता और व्यापकता के अनुसार दृढ़ता के साथ उसका सामना नहीं किया जा सका। इन उपद्रवों के परिणामस्वरूप जानमाल की भारी क्षति हुई है। करोड़ों रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हुई तथा पुलिस की गोली से 58 युवक मारे गये हैं। प्रारंभ में पुलिस की उदासीनता से यह संदेह हुआ कि शायद राज्य सरकार इस प्रकार का आंदोलन चाहती थी ताकि मैसूर के साथ सीमा विवाद में उसके हाथ मजबूत हों।

भारतीय जनसंघ की कार्य समिति का यह निश्चित मत है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा-विवादों का अथवा किसी भी राजनीतिक विवाद का सड़कों पर निर्णय करने का प्रयास अत्यंत अनुत्तरदायित्वपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है।

कार्य समिति संबंधित सभी पक्षों से अनुरोध करती है कि वे इस प्रकार के दृष्टिकोण का परित्याग करें और ऐसा कोई पग न उठायें, जिससे देश की एकता कमजोर हो।

कार्य समिति ऐसा अनुभव करती है कि महाराष्ट्र सीमा-विवाद के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक लंबी अवधि तक निर्णय न लिए जाने से समाज-विरोधी तत्वों को लूटपाट और तोड़फोड़ का तांडव उपस्थित करने का अवसर मिला। अतः यह नितांत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार और दोनों राज्य सरकारों के नेता परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा शीघ्र इस समस्या का समाधान ढूंढे ताकि बंबई की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[16 फरवरी 1969; दिल्ली; के०का०स०]

69.05. सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव

सन् 1967 के आम चुनाव में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और प० बंगाल की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका और 1969 के मध्यावधि चुनाव में भी इसकी पुनः पुष्टि हुई। इन सभी राज्यों में कांग्रेस के अपदस्थ होने के पश्चात संविद सरकारें बनीं। फिर भी, श्री गुरुनाम सिंह के नेतृत्व में गठित पंजाब की सरकार को छोड़कर इन सभी राज्यों की सरकारें जनता की अपेक्षाएं पूरी करने में असफल रहीं। इसके बावजूद यदि जनता ने पुनः कांग्रेस को सत्तारूढ़ नहीं किया, तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस की नीतियों और उसके कार्यक्रमों में जनता को कोई आकर्षण नहीं रह गया है और पार्टी का संगठन जनता का समर्थन जुटा पाने में असमर्थ हो गया है।

संयोग से, इन चुनावों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए किस सीमा तक नीचे उतर सकती है। पंजाब में जनसंघ को हटाने के लिए कांग्रेस ने गैर-सिख हिंदुओं का संरक्षक बनने का ढोंग रचा और उनमें संकीर्ण जातीय भावनाओं को उभाड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने को मुस्लिम हितों के संरक्षक के रूप में पेश किया और 1967 की उस स्वस्थ जनतांत्रिक प्रवृत्ति को पलटने की कोशिश की, जब मुसलमानों ने सांप्रदायिक आधार पर नहीं बल्कि पार्टियों और उम्मीदवारों के गुण-दोष का विवेचन कर एक जागरूक मतदाता की हैसियत से अपना मतदान किया था। बिहार में पृथक झारखंड की मांग को समर्थन देने में भी कांग्रेस को कोई संकोच नहीं हुआ और पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्टों की प्रगति को विफल बनाने के लिए इसने गैर-बंगालियों को भयाक्रांत करने की कोशिश की। इन चालों का कांग्रेस को क्षणिक लाभ भले ही मिला हो, परंतु इनसे इसकी अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता की भी कलई खुल गई है।

पंजाब और पश्चिमी बंगाल में मतदाताओं ने न केवल कांग्रेस को अस्वीकार किया, बल्कि वे किसे चाहते हैं, इसे भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस को वहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिला,

लेकिन जनता ने इस बात का भी संकेत नहीं दिया वह किस पार्टी को या किन पार्टियों के संयुक्त प्रयास को चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों में कांग्रेस का स्पष्ट विकल्प सामने आने में कुछ समय लगेगा।

जहां तक जनसंघ का प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव में इसे अपेक्षाकृत कम सफलता मिली है। पंजाब में जनसंघ को 15 सीटें मिलने की अपेक्षा थी, परंतु केवल 8 मिली, अर्थात पिछले चुनाव से भी एक कम। खासतौर से अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में जनसंघ को अधिक क्षति हुई। प्रतीत होता है कि जनसंघ और अकाली दल के समझौते में व्यापक हितों की बातों को सही ढंग से पंजाब में हमारी पार्टी जनता को समझा नहीं सकी। इस समझौते की विशिष्टताएं स्पष्ट हैं और उन्हें जनसंघ के आलोचक भी स्वीकार करते हैं। चुनाव में लाभ-हानि की दृष्टि से भी विचार किया जाय तो जहां हमने विधानसभा की एक सीट खोई, वहां लोकसभा में हमारी एक सीट की अभिवृद्धि हुई। साथ ही, पहली बार जनसंघ ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता पाई है। अतः बाधाओं को पार कर नये चिह्न बनाने की दृष्टि से इस चुनाव का महत्व है। कुल मिलाकर पंजाब में जनसंघ की उपलब्धियों पर यह अधिवेशन संतोष प्रकट करता है।

बिहार में, जहां सभी प्रमुख गैरकांग्रेसी पार्टियों की सीटें या तो कम हुई हैं, अथवा पूर्ववत रही हैं, वहां विधानसभा में जनसंघ की सीटें 27 से बढ़कर 34 हो गई। साथ ही, 50 सीटों पर जनसंघ का द्वितीय स्थान होना इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बिहार में पार्टी का संगठन और मजबूत होता तथा वह और साधन जुटा पाती तो उसे और अधिक सफलता मिलती।

लेकिन, उत्तर प्रदेश में पार्टी को धक्का लगा है। 1967 में जनसंघ को 98 सीटें मिली थीं। इसमें वृद्धि होने की बात तो दूर रही, यह संख्या घटकर 48 हो गई और पार्टी 1962 की स्थिति में आ गई। चुनाव के नतीजे अनपेक्षित हुए हैं और इनके कारण आसानी से नहीं पता लगाये जा सकते। जनसंघ के निंदकों को, जो यह प्रचार करते नहीं थकते कि जनसंघ की लोकप्रियता में ह्रास हुआ है, यह नहीं भूलना चाहिए कि जनसंघ के वोटों के प्रतिशत में, जो लोकप्रियता का अधिक प्रामाणिक मापदंड है, केवल 2 प्रतिशत की कमी हुई है। फिर भी थोड़ी सी भी कमी क्यों न हुई हो, तो भी उसका केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर सही विश्लेषण होना चाहिए। प्रत्यक्षतः चुनावों में पराजय के मुख्य रूप से यह कारण प्रतीत होते हैं :

(*i*) पिछले चुनाव में खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पार्टी जीती थी, अपनी पुनः जीत के बारे में आवश्यकता से अधिक आश्वस्त होने के कारण, कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और मतसंग्रह करने के लिए कम प्रयास किया।

(*ii*) प्रतिद्वंद्वियों की शक्ति को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रही। खासतौर से कुछ दलों के बारे में यह मालूम होने पर भी कि वे चुनाव में

जातीयता की भावना उभाड़ने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध करने की दिशा में हमारी ओर से पूरी कोशिश नहीं हुई।

(*iii*) जनसंघ को सफल न होने देने के लिए उसके विरोध में सामूहिक रूप से वोट देने के लिए मुसलमान को उभाड़ा गया।

(*iv*) साधनों का अभाव काफी था। 1967 की अपेक्षा इस बार पार्टी को बहुत कम साधनों से चुनाव लड़ना पड़ा। खासतौर से वाहनों की कमी के कारण चुनाव अभियान काफी प्रभावित हुआ।

पश्चिमी बंगाल में काफी संख्या में उम्मीदवार खड़े करने के पीछे पार्टी का उद्देश्य राज्य के कोने-कोने में जनसंघ का संदेश पहुंचाना था। एक प्रकार से यह उद्देश्य पूरा हुआ है और भविष्य में कार्य विस्तार के लिए भूमि तैयार हो गई है। वहां जनसंघ की पराजय का कारण कांग्रेस रही है, जिसने यह कुप्रचार किया कि जनसंघ को वोट देना कम्युनिस्टों को विजयी बनाना होगा।

इन राज्यों के बारे में जनसंघ यह निर्णय करता है कि :

(*i*) पंजाब में, अकाली दल के साथ सहयोग करते हुए जनसंघ राज्य की जनता को एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा; वह जन-कल्याण के कार्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न करेगा। साथ ही जनसंघ सिखों और गैरसिखों के बीच एकता की कड़ी को और मजबूत करेगा।

(*ii*) बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता ने जनसंघ को एक विरोधी दल की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जनसंघ इस उत्तरदायित्व को पूरा करेगा, और रचनात्मक ढंग से सरकार का विरोध करेगा।

[26 अप्रैल 1969; बम्बई, पंद्रहवां सा०अ०]

69.12. उपाध्याय हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग

श्री दीनदयाल उपाध्याय हत्याकांड के दोनों अभियुक्त भरत और राम अवध के मुक्त कर दिये जाने से सी०बी०आई० की जांच के संबंध में जनसंघ की आशंकाओं की न्यायालय ने भी पुष्टि कर दी है। उसने सी०बी०आई० की इस कहानी को कि श्री उपाध्याय की हत्या मामूली दो चोरों ने की थी, सर्वथा अमान्य करते हुए कहा कि हत्या के रहस्य का पता लगाया जाना अभी शेष है।

प्रारंभ में जब हमने यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही जांच के साथ सी०बी०आई० को भी संबद्ध किया जाय तब हमारा एकमात्र उद्देश्य यह था कि इस मामले से क्योंकि रेलवे विभाग के व्यक्तियों का भी स्वभावतः संबंध है, सी०बी०आई० के द्वारा जांच करने पर उनका सहयोग सरलता से प्राप्त हो सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ से जाँच छीनकर संपूर्ण मामला सी०बी०आई० को देने के भारत सरकार के निश्चय से, उस समय भी हम लोगों

को भारी आश्चर्य हुआ था। उसी समय यह स्पष्ट हो चला था कि सी०बी०आई० सत्य की खोज करने की बजाय यह सिद्ध करने के लिए अधिक प्रयत्नशील है कि हत्या के पीछे कोई राजनैतिक कारण नहीं है।

इस अवसर पर केन्द्रीय कार्य समिति अपने इस संदेह को पुनः व्यक्त करना चाहती है कि श्री उपाध्याय की हत्या सोच समझकर की गई एक राजनीतिक हत्या थी तथा इस जघन्य कृत्य के करनेवाले हत्यारों अथवा हत्या करवाने वाले तत्वों का उद्देश्य केवल यह था कि उदीयमान जनसंघ की शक्ति के मर्म स्थान पर चोट करके उसे अधिक से अधिक हानि पहुंचाई जाय।

जनसंघ इन तत्वों को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। श्री दीनदयाल जी के इस बलिदान ने हमारे इस संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। परंतु इतने बड़े नेता की हत्या के रहस्य का पता न लगना देश के सार्वजनिक जीवन और विशेषतः भारत सरकार के माथे पर भारी कलंक होगा।

कार्य समिति मांग करती है कि हत्या की सचाई का पता लगाने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया जाय जिसे खोज करने के पूरे अधिकार प्राप्त हों। सी०बी०आई० के पास उपलब्ध सब कागजात और तथ्य आयोग के सुपुर्द किये जायें। आयोग के कार्य की परिसीमाओं का निर्धारण तथा उसके वक्तव्यों की नियुक्ति इस भांति की जाय कि सब क्षेत्रों में आयोग के विषय में पूर्ण विश्वास पैदा हो सके।

जनसंघ देश के राजनीतिक दलों और अन्य जन-प्रतिनिधियों से निवेदन करता है कि वे भी रहस्य की खोज किये जाने की मांग करें। जनसंघ न्यायिक आयोग की अपनी मांग पर बल देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का निश्चय करता है :

(*i*) 21 जुलाई 1969 को संसद के अगले सत्र के प्रथम दिन स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा यह प्रश्न सदन में उठाया जाय।

(*ii*) 22 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाय।

(*iii*) 23 जुलाई को जनसंघ से संसद सदस्य तथा प्रादेशिक विधान-मंडलों के सदस्य दिल्ली में एकत्र हों और अनिश्चित काल के लिए प्रधान-मंत्री के निवास पर धरना दें।

(*iv*) 28 जुलाई को दिल्ली प्रदेश जनसंघ की ओर से संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन किया जाय।

[2 जुलाई 1969; रायपुर, के०का०स०]

69.14. विरोधी दलों की एकता

26 व 27 मई को हुई जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय वार्ता का डाक्टर महावीर से वृत्त सुनने के पश्चात केन्द्रीय कार्य समिति ने निश्चय किया है कि स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल

तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच प्रस्तावित वार्ता के परिणाम की प्रतीक्षा की जाय।

कार्य समिति अपने इस मत पर पुनः बल देती है कि जनसंघ जनतंत्र और राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाले दलों के विलय को अस्वीकार तो नहीं करता परंतु वह सिद्धांत, नीति और कार्यक्रमों के विषय में विभिन्न दलों के बीच मतैक्य होने के पश्चात ही विलय को स्वीकार कर सकता है। खेद का विषय है कि विलय से पूर्व इस प्रकार के समझौते की आवश्यकता पर जनसंघ के उचित आग्रह को ठीक रूप में समझने की बजाय भारतीय क्रांति दल ने जनसंघ से बात न करने का एकतरफा निर्णय किया है। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ यह संयुक्त वक्तव्य दिये जाने के 24 घंटों के भीतर ही कि वैचारिक मतैक्य के क्षेत्रों की खोज के लिए की जा रही प्रारंभिक वार्ता सफलतापूर्वक चलती रही है, भारतीय क्रांति दल ने ऐसा करके स्वयं अपने लिए ही हास्यास्पद स्थिति पैदा की है। कार्य समिति अनुभव करती है कि राष्ट्रवादी तत्वों की एकता स्थापित करने के लिए, भारतीय क्रान्ति दल द्वारा प्रदर्शित व्यवहार की अपेक्षा कहीं अधिक धैर्य और गम्भीरता की आवश्यकता है। कार्य समिति अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है कि भारतीय क्रान्ति दल के इस फैसले पर स्वतंत्र पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है।

संयुक्त नीति व सहकार्य का आधार — समिति का यह भी मत है कि यदि कुछ समय के लिए समान नीति और सहयोग से कार्य किया जाय तो उसमें से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न एकता जल्दबाजी में प्राप्त की गई एकता से कहीं अधिक स्थायी और दृढ़ होगी। पी०एस०पी० और एस०एस०पी० जैसे दलों से कि जिन्हें पहले ही एक दल में रहने की सुविधापूर्ण पृष्ठभूमि प्राप्त है, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भारतीय जनसंघ अपने बम्बई के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न दलों के बीच उपरोक्त संयुक्त नीति और सहकार्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करता रहेगा।

केन्द्रीय कार्य समिति को यह देखकर प्रसन्नता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी समाजवाद का नारा न लगाने वाले दलों के प्रति अपना अस्पृश्यता का रवैया बदलने को तैयार है।

[2 जुलाई 1969; रायपुर, के०का०स०]

69.17. पांचवां राष्ट्रपति चुनाव

अभी हाल में संपन्न पांचवें राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस दल में जो भारी उथल-पुथल हुई है, वह 1939 के ऐतिहासिक गांधी-सुभाष संघर्ष के पश्चात् पहली बार दिखाई दी है। किन्तु उस समय उन दिग्गजों के बीच जो संघर्ष हुआ वह विशुद्ध सैद्धांतिक था और उन्होंने अपनी मान्यताओं के साथ समझौता करने के बजाय अलग होना श्रेयस्कर समझा था। इसके विपरीत आज के छोटे कांग्रेसियों ने सिद्धांत के स्थान पर निजी स्वार्थ की चिंता की है और लीपा-पोती तथा पाखंड-पूर्ण समझौते का आवरण धारण करना अधिक उचित समझा है। स्पष्टतः जिस

भांति सत्ता और अधिकार की लालसा विग्रह को जन्म देती है, उसी भांति सत्ता खोने का भय भी एकत्र रहने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और उनके समर्थक भरसक प्रयत्न करते रहे कि उसे 'दक्षिण' और 'वाम' पंथियों के बीच का संघर्ष प्रदर्शित किया जाय। इससे अधिक भ्रममूलक और पूर्णतः गलत और कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। कांग्रेस के भीतर उत्पन्न दरार स्वयं इस बात को सिद्ध करती है। निश्चय ही श्रीमती गांधी और उनके कांग्रेसी समर्थक, विरोध में खड़े सर्वश्री चव्हाण, कामराज तथा अशोक मेहता की अपेक्षा वैचारिक दृष्टि से वामपक्षी अर्थव्यवस्था के अधिक अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है।

कम्युनिस्ट चाल— तथ्य यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पक्षों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर हुआ था:

(*i*) कम्युनिस्टों और विशेषतः प्रधानमंत्री एवं कम्युनिस्टों के बीच बढ़ते हुए गठजोड़ (इन दोनों ने राष्ट्रपति के चुनाव का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने का निश्चय किया) के प्रति दलों का दृष्टिकोण; और

(*ii*) बहुत से गुटों द्वारा प्रधानमंत्री के साथ जोड़े गये व्यक्तिगत संबंध।

श्री संजीव रेड्डी के पक्ष में द्वितीय वरीयता का मतदान करने का जनसंघ का फैसला मुख्यतः प्रथम आधार पर किया गया।

प्रारंभ में अकाली दल, डी०एम०के० तथा पी०एस०पी० और भारतीय क्रांति दल के संबंध में भी ऐसा लगता था कि वे साम्यवादियों के खेल से अवगत हैं, परन्तु बाद का उनका निश्चय उपर्युक्त वर्णित द्वितीय आधार से प्रभावित हुआ।

किंतु इन दलों में उत्पन्न भ्रांति के बावजूद यदि प्रधानमंत्री इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के भीतर फूट न डाल पाती तो चुनाव का परिणाम भिन्न होता। प्रधानमंत्री की चुनाव की नीति का खेदजनक पक्ष केवल इतना ही नहीं है कि उन्होंने अनुशासनहीनता को एक सैद्धांतिक भूमिका दे दी है। प्रधानमंत्री के शिविर ने निर्लज्जता के साथ सांप्रदायिकता और जातिवाद का सहारा लिया। श्री फखरुद्दीन अली अहमद और श्री जगजीवन राम को चुनाव आंदोलन में प्रधानमंत्री का मुख्य सहयोगी बनना भी एक संयोग की बात नहीं थी। श्री रेड्डी के संबंध में कांग्रेस और जनसंघ के बीच तथाकथित समझौते का आरोप भी जो बाद में कांग्रेस की ओर से अधिकृत रूप से वापिस ले लिया गया, सोच-समझकर सांप्रदायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए गढ़ा गया था। केन्द्रीय सरकार की पूरी मशीनरी, जिसमें आकाशवाणी सबसे आगे है, चुनाव अभियान में लगा दी गई। यहां तक कि सरकारी पक्ष लेने के लिए समाचार-पत्रों को भी हर प्रकार दबाया और धमकाया गया। उन स्वतंत्रता-प्रिय पत्रकारों तथा व्यंग्य चित्रकारों का अब तक भी पीछा नहीं छोड़ा गया है, जिन्होंने चुनाव के दिनों में सरकारी दबाव में आने से इंकार कर दिया था। यह उचित ही है कि नये राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के संबंध में अब

सभी विवाद पूर्णतः समाप्त हो जाने चाहिए तथा श्री गिरि को सभी वर्गों के समर्थन और सहयोग का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। परन्तु यदि चुनाव के दौरान उपयोग में लाये गये अनुचित हथकंडों के विषय में सभी लोकतंत्रवादी गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो वे अपने कर्तव्यपालन में विफल रहेंगे।

इस चुनाव के कांग्रेस पर स्थायी दुष्परिणाम होंगे। कांग्रेस यद्यपि प्रकट रूप से नहीं टूटी परन्तु अब वह पहले की स्थिति पर कभी नहीं लौट सकेगी।

वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस का रूप सदैव ही भांति-भांति के लोगों के एक जमघट का रहा है परन्तु दलीय अनुशासन का व्यापक भाव और संस्था के प्रति निष्ठा, इस वैचारिक बंधन के अभाव की पूर्ति करते रहे हैं, जिससे कांग्रेसजन एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करने में समर्थ हुए हैं। परन्तु अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अनुशासन की भी अंत्येष्टि हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेसी प्रत्याशी के संबंध में यद्यपि कोई विवाद नहीं था, फिर भी चालीस-पचास कांग्रेसियों का टूटना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि 'मुक्त मतदान का सिद्धांत' स्वयं कांग्रेस के लिए भस्मासुर सिद्ध हो रहा है।

कांग्रेस के लिए इससे अधिक भयंकर परिणाम इस बात के होंगे कि प्रधानमंत्री दल की सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रही हैं और उसे विधायक दल के अधीन मात्र बनाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कांग्रेस के केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्या हैं, जो विधायक दलों को एक ओर रखकर मुख्यमंत्रियों को सरकारों के गठन तथा नीति आदि के बड़े मसलों पर वर्षों से निर्देश देता रहा है। विचित्र स्थिति है कि अब प्रधानमंत्री ब्रिटेन के क्लीमैंट एटली और हेरेल्ड लास्की का उदाहरण देकर विधायक दल पर बाहर के नियंत्रण के विरुद्ध दुहाई दे रही हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दल और उसके विधायकों के संबंधों का निश्चय करने में भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के उदाहरण ठीक नहीं बैठते। इंगलैंड में राजनीतिक दलों का प्रारंभ संसद के भीतर हुआ तथा बाद में उनका फैलाव बाहर किया गया। कुछ दलों ने, उदाहरणार्थ कंजरवेटिव पार्टी ने, इस स्थिति को वैधानिक रूप में भी मान्य किया है। भारत में, दल और उसकी सरकार के बीच के संबंध संवैधानिक और परंपरागत, दोनों दृष्टि से इसके पूर्णतः विपरीत हैं। भारत में राजनीतिक दल मुख्यतः जनता के दल हैं। उनके विधायक दलों को न तो कभी दल से ऊपर माना गया और न किसी भी विषय में दलीय अनुशासन से स्वतंत्र स्वीकार किया गया। मुख्य नीतियों और बड़े फैसलों के संबंध में उन्हें स्वतंत्र माने जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय प्रधानमंत्री भले ही सिद्धांत के आवरण में अपनी निजी लड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध लड़ती रहें, परंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा करके वे न केवल स्वयं अपनी पार्टी को अपरिमित हानि पहुंचा रही हैं, वरन् देश की संपूर्ण राजनीति को भी दूषित कर रही हैं।

'दक्षिण' व 'वाम', भारतीय पृष्ठभूमि में निरर्थक—जैसा कि ऊपर कहा

गया है भारतीय जनसंघ इन नई घटनाओं को 'दक्षिण' और 'वाम' के मध्य ध्रुवीकरण का लक्षण नहीं मानता। जनसंघ का मत रहा है कि भारतीय पृष्ठभूमि में 'दक्षिण' और 'वाम' का शब्द-प्रयोग सार्थक नहीं है। इन शब्दों पर जितना अधिक बल दिया जायेगा उतना ही कम्युनिस्टों के लिए यह सरल होगा कि वे अपनी भारत-बाह्य निष्ठाओं को 'प्रगतिशील वामपंथ' की आड़ में छिपा सकें।

राष्ट्रवाद व लोकतंत्र, मूलभूत निष्ठाएं—कार्य समिति को प्रसन्नता है कि आर्थिक दृष्टि से दक्षिण पंथ की उत्साहपूर्ण वकालत करने वाली स्वतंत्र पार्टी ने भी अपने हाल के प्रस्ताव में इस शब्दावली की निरर्थकता को माना है। समय की मांग है कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले सभी लोग यह समझें कि यद्यपि दलों में आर्थिक प्रगति की दिशा के संबंध में मतभेद हो सकते हैं परंतु जहां तक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की मूलभूत निष्ठाओं का प्रश्न है, देश उन पर विभाजित होने की भूल नहीं कर सकता। इस संबंध में दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति के विषय में किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वे इन दोनों मूल निष्ठाओं में से किसी को भी स्वीकार नहीं करतीं। कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी के तीन शीर्षस्थ नेताओं ने हाल ही में संविधान को ध्वस्त करने की सार्वजनिक घोषणाएं की हैं। जनसंघ कम्युनिस्टों के इन कुत्सित मनसूबों के विषय में जनसाधारण को सचेत करने का कार्य करता रहेगा तथा अपने बंबई के प्रस्ताव के अनुसार उन सब गुटों और दलों के बीच सहयोग और सहकार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जो इस राष्ट्र-विरोधी तथा लोकतंत्र-विरोधी संकट का सामना करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं।

[30 अगस्त 1969; दिल्ली के०का०स०]

69.20. कांग्रेस की फूट

कांग्रेसी फूट के परिणाम–कांग्रेस पार्टी के विभाजन ने भारतीय राजनीति को एक पूर्णतया नया स्वरूप प्रदान कर दिया है, जिसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं :

(1) केन्द्र में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है; वर्तमान सरकार एक अल्पमत सरकार है जो विभिन्न गुटों और व्यक्तियों के कामचलाऊ समर्थन पर जैसे-तैसे टिकी हुई है।

(2) केन्द्र में जो दल सत्तारूढ़ है अर्थात श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता संभाले हुए है उनमें देश की कुल जनसंख्या के एक-तिहाई से भी कम लोग रहते हैं।

कांग्रेस का विघटन देश की राजनीति में उस प्रकार की सैद्धांतिक स्पष्टता लाने में विफल रहा है जिस प्रकार की बहुत लोग आशा कर रहे थे। यह समझा जाता था कि चूंकि कांग्रेस में सभी प्रकार के आर्थिक विचार—शुद्ध मार्क्सवाद से लेकर अमिश्रित पूंजीवाद तक—विद्यमान हैं, उसके टूटने से भारतीय राजनीति का स्वयमेव 'दक्षिण' और 'वाम' नामधारी दो गुटों में ध्रुवीकरण हो जायेगा।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है और जहां तक आर्थिक आधार पर नयी एकजुटता का संबंध है, कांग्रेस की फूट से ध्रुवीकरण की बजाय बिखराव को ही बल मिला है।

इससे जनसंघ को आश्चर्य नहीं हुआ है। जनसंघ यह सदैव से मानता रहा है कि 'दक्षिण' और 'वाम' की शब्दावली भारत की परिस्थितियों में सार्थक नहीं है। दूसरा हमारा यह मत है कि कांग्रेस के विघटन के मूल में सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। प्रारंभ में, संघर्ष व्यक्तियों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के टकराव से पैदा हुआ और उसकी अंतिम परिणति तब हुई जब प्रधानमंत्री ने संगठन पर निरंकुश सत्ता प्रस्थापित करने और उसे सरकार का एक प्रभावहीन उपांग बनाने का प्रयत्न किया। समाजवाद के प्रति निष्ठा या उसकी कमी का, इस फूट से कोई संबंध नहीं है। किंतु यह तथ्य कि श्रीमती गांधी उसे अपने कृत्यों का आधार बना रही हैं, कांग्रेस-विरोधियों के लिए समाजवाद की घोषणाएं अधिक ऊंचे स्वर में करने का कारण बन गया है। स्पष्टतः कांग्रेस के विघटन से आर्थिक प्रश्नों पर स्पष्टता की बजाय भ्रांति ही अधिक बढ़ी है। इस समय दोनों ही कांग्रेस दल अपने समाजवादी नारों के बंदी बन गये हैं।

किंतु राजनीतिक क्षेत्र में इस फूट का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ है। कम्युनिस्टों पर श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्भरता ने, जो प्रारंभ में राष्ट्रपति पद के लिए अपने दल के प्रत्याशी को परास्त करने तथा पश्चात्, अल्पमत में होते हुए भी स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिए, भारत में कम्युनिस्टों के खतरनाक खेल को उजागर कर दिया है और सभी दलों को विवश किया है कि वह इस संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इस दृष्टि से कांग्रेस के विभाजन ने राजनीतिक चिंतन में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को निश्चय ही बल प्रदान किया है।

श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। इस नाते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने जो वक्तव्य दिये हैं वे ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि उनमें श्रीमती गांधी ने कहा है कि वे कम्युनिस्टों के उपायों को पसंद नहीं करतीं। हमारा मत है कि कम्युनिज्म एक घातक विचारधारा है जो उसकी समग्रता में— उसके लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के उपायों के कारण— प्रत्येक लोकतंत्रवादी द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए। कम्युनिज्म में लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। किंतु प्रधानमंत्री स्पष्टतः उसके उद्देश्यों में कोई बुराई नहीं देखतीं। श्रीमती इंदिरा गांधी कम्युनिष्टों की भारत बाह्य निष्ठाओं तथा विदेशी शक्तियों के प्रति उनके दास-भाव के बारे में (जो ऐसा पाप है जिससे कोई देशभक्त समझौता नहीं कर सकता) कुछ नहीं कहती हैं।

कम्युनिस्ट समर्थन का मूल्य —इंदिरा गांधी सरकार को कम्युनिस्टों का समर्थन बिना किसी लाभ की इच्छा के नहीं दिया जा रहा है। थोड़े ही दिनों में सरकार नियंत्रित संस्थानों में अपने व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण पद प्राप्त कराने और नई कांग्रेस दल में पुराने कम्युनिस्टों को प्रभुत्व का स्थान दिलाने में

कम्युनिस्ट सफल हुए हैं। इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता कि कालांतर में इंदिरा कांग्रेस पर कम्युनिस्ट पूरी तरह अपना आधिपत्य जमाने का यत्न करें। उनका तात्कालिक उद्देश्य श्रीमती गांधी को विवश करके सत्ता में परोक्ष रूप से भागीदार बनने और इस प्रकार केन्द्र में अपने पांव जमाने का दिखाई देता है। यदि ऐसा हुआ तो वह निश्चित ही समूचे देश में लोकतंत्र के अंत का प्रारंभ होगा जैसा कि आज पश्चिमी बंगाल में दिखाई देता है।

कांग्रेस-कम्युनिस्ट-लीग तिगड्डा यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्रीमती गांधी के अघोषित संयुक्त मोर्चे में केवल कम्युनिस्ट ही नहीं हैं अपितु मुस्लिम लीग भी है। इसके अतिरिक्त अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए श्रीमती गांधी ने जो ढंग अपनाये हैं उनसे जातिवाद तथा क्षेत्रवाद को काफी बढ़ावा मिला है।

कांग्रेस की फूट की छाया प्रायः उन सभी बड़े दलों पर भी पड़ी है जो इंदिरा कांग्रेस के विरुद्ध हैं। किन्तु भारतीय जनसंघ इसका अपवाद है। सैद्धांतिक तथा संगठनात्मक दोनों दृष्टियों से भारतीय जनसंघ इससे अप्रभावित रहा है। परिस्थिति ने हमारे ऊपर जो दायित्व डाला है उसके प्रति हम पूर्णतया जागरूक हैं। स्वयं में भारतीय कम्युनिस्ट एक कुख्यात तथा अस्थायी शक्ति है। किंतु केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के साथ अपने गठबंधनों से वे एक वास्तविक खतरा बन जाते हैं जिसके प्रति देश को सावधान करना आवश्यक है। भारतीय जनसंघ का संकल्प है कि वह इस प्रयत्न का अगुवा बनेगा और सभी देशभक्त शक्तियों के दृढ़ीकरण का कार्य करेगा।

हमारी सभी राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रवादी दलों से अपील है कि वे कम्युनिस्ट संकट की गंभीरता को समझें और परस्पर के संबंधों में प्रतियोगिता की राजनीति की बजाय सहयोग की राजनीति को स्थान दें।

नई परिस्थिति में जनसंघ की व्यूह-नीति निम्नलिखित आधारों पर प्रतिष्ठित होगी :

(1) इंदिरा सरकार का कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन देखते हुए जनसंघ का एक प्रमुख उद्देश्य श्रीमती गांधी के गुट द्वारा नियंत्रित सरकारों को हटाने तथा ऐसी ही नई सरकारों को बनने से रोकने का यत्न करना होगा।

(2) राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले सभी दलों तथा व्यक्तियों के सहयोग से जनहित के एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर केन्द्र तथा प्रदेशों में सरकारें गठित करने के लिए जनसंघ प्रयत्नशील होगा।

(3) लोकसभा के लिए नये चुनावों की संभावना वर्तमान स्थिति में अंतर्भूत है। अतः जनसंघ की समस्त शाखाएं संगठनात्मक दृष्टि से स्वयं को सुदृढ़ तथा सक्रिय रखें जिससे थोड़े समय की सूचना पर चुनाव के मैदान में वे उतर सकें और सफलता पा सकें।

[28 दिसम्बर 1969; पटना, सोलहवां सा०अ०]

70.05. संयुक्त विरोध

इंदिरा सरकार द्वारा कम्युनिस्टों तथा संप्रदायवादियों के साथ जो गठबंधन किया गया है, उसके गंभीर परिणामों के प्रति भारतीय जनसंघ ने अपने पटना अधिवेशन में देश को सावधान किया था और राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रवादी दलों से अपील की थी कि वे संयुक्त कार्यवाही की एक ऐसी योजना तैयार करें जिससे इस अपवित्र तिहरे गठबंधन के सत्तारूढ़ रहने से, राष्ट्रीय हितों और विशेषतः अखंडता तथा लोकतंत्र को होने वाली क्षति को रोका जा सके।

प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग हमने यह भी कहा था कि जहां तक भारतीय कम्युनिस्टों का प्रश्न है, वे एक अस्थायी तथा कुख्यात शक्ति हैं, किंतु केन्द्रीय सरकार के साथ गठबंधन के कारण वे एक वास्तविक खतरा बन गये हैं। मुस्लिम लीग भी अनेक वर्षों तक निष्प्राण तथा निष्क्रिय रहने के बाद अब अचानक जोर पकड़ रही है और तेजी से अपनी पुरानी जड़ों को पुनर्जीवित व उनका विस्तार कर रही है। हमने यह अनुभव किया था कि सभी राष्ट्रवादी तथा लोकतांत्रिक दलों को इन प्रवृत्तियों पर विचार करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की राजनीति के स्थान-पर सहयोग की राजनीति का विकास करना चाहिए।

* कांगी-कम्युनिस्ट-लीग के अघोषित किंतु सक्रिय गठबंधन से होने वाली बुराइयों के बारे में हमारी गंभीरतम आशंकाओं को पटना अधिवेशन के बाद के गत 7 महीनों में घटी घटनाओं ने पुष्ट कर दिया है। इस गठबंधन ने नक्सलपंथियों द्वारा देश के अनेक भागों में फैलाई गई हिंसा तथा अराजकता के विरुद्ध नई दिल्ली को सर्वथा अपंग बना दिया है और सरकार को कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य के पालन में भी असमर्थ बना दिया है। विदेशी घुसपैठ की खतरनाक रूप से शिकार बनने की भी स्थिति में भारत सरकार आ गई है। वह मास्को के आदेशों के सामने नत मस्तक होने के लिए प्रायः तैयार है। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के साथ इंदिरा कांग्रेस के गठबंधन ने सांप्रदायिक समस्या के प्रति उसके दृष्टिकोण को सर्वथा विकृत कर दिया है। पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के प्रति सरकार की उपेक्षा नीति के लिए और पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ाई से पेश आने में असमर्थता के लिए, वर्तमान गठबंधन उत्तरदायी है।

ऐसा दिखाई देता है कि पर्दे के पीछे चलने वाले इस गठबंधन के प्रत्यक्ष रूप में आगे आने में थोड़ा ही समय है और वह दिन दूर नहीं है जब इंदिरा कांग्रेस कम्युनिस्टों तथा लीगियों को केंद्र में सत्ता में भागीदार बनने के लिए खुले तौर पर आमंत्रित करेगी। इस प्रकार के दृश्य के लिए धीरे-धीरे रंगमंच तैयार किया जा रहा है। इंदिरा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री चिदांबरम सुब्रमण्यम ने ऐसे खुले गठबंधन की जोरदार वकालत कर दी है। केन्द्रीय मंत्री श्री खाडिलकर ने मुस्लिम लीग को सार्वजनिक रूप से यह प्रमाणपत्र दिया है कि वह सांप्रदायिक नहीं है।

* कांग्रेस (इंदिरा गांधी)

श्रीमती गांधी ने नक्सलपंथियों के आतंकवाद, मार्क्सवादियों द्वारा आयोजित बंदों तथा दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों के भूमि पर बलात कब्जा करने के आंदोलन के बारे में जो चुप्पी धारण की है वह सब कुछ कह देती है।

निश्चय ही वह दिन देश के लिए बड़ा अंधकारपूर्ण होगा जब ये आशंकाएं सत्य सिद्ध हो जायेंगी और मास्को, पीकिंग तथा पिंडी के एजेंट केंद्र सरकार में अपने पांव जमाने की स्थिति में आ जायेंगे। इस विपत्ति को टालने के लिए राष्ट्रवादी शक्तियों को अपने प्रयत्नों में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यह संतोष का विषय है कि संगठन कांग्रेस ने हाल में ही नई दिल्ली में हुए अपने सम्मेलन में कांगी-कम्युनिस्ट गठबंधन के प्रति समान विचार व्यक्त किये हैं और इस मामले में विभिन्न राजनैतिक दलों, जिनमें जनसंघ शामिल है, को विधिवत पत्र लिखकर संसद के भीतर तथा बाहर एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया है।

राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मोर्चा—भारतीय प्रतिनिधि सभा संगठन कांग्रेस की इस अपील का स्वागत करती है और यह अनुभव करती है कि इस दिशा में पहला पग संसद के भीतर उठाया जा सकता है। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा शोषण-विहीन अर्थरचना के आधार पर संसदीय मोर्चा गठित हो सकता है। इस राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मोर्चे का न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम काफी विस्तृत होना चाहिए जिससे वह एक प्रभावशाली विकल्प की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अधिकार देती है कि इस बारे में संबंधित दलों के साथ वे वार्तालाप करें और आवश्यक पग उठायें।

भारतीय जनसंघ की समस्त शाखाएं इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मोर्चे के निर्माण के कारण अपने संगठन को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के कार्यक्रम में किसी तरह की ढिलाई न आने दें। वस्तुतः वर्तमान संकट की गंभीरता जनसंघ के ऊपर यह विशेष दायित्व डालती है कि संगठन का विस्तार करने के लिए हम प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके दिखायें। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि निःस्वार्थी तथा ध्येय के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या के कारण राष्ट्र-विरोधी मनसूबों को विफल करने के लिए कोई भी दल जनसंघ की अपेक्षा संगठनात्मक दृष्टि से अधिक सिद्ध नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में इस अपवित्र गठबंधन में शामिल सभी दलों ने जनसंघ को अपने हमलों का एकमेव निशाना बनाया है। इस संयुक्त हमले से जनता के मन में यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि इन राष्ट्र विरोधी तथा लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के संकट का सामना भारतीय जनसंघ सफलतापूर्वक कर सकता है। हाल में ही जनसंघ के पक्ष में जन-समर्थन की जो लहर आई है उसे स्थायी राजनैतिक शक्ति तथा समर्थन का रूप देने की आवश्यकता है। परिस्थिति का तकाजा है कि हम संगठनात्मक दृष्टि से अपने प्रयत्नों में अभूतपूर्व गति लायें।

[18 जुलाई 1970; चंडीगढ़, भा०प्र०स०]

70.07. आंतरिक स्थिति

संसद में लोकतांत्रिक मोर्चा—गत अगस्त में चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय जनसंघ की प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के पश्चात् तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति के आंकलन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं— (1) संगठन कांग्रेस द्वारा संसद के भीतर एक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मोर्चा गठित करने के संबंध में जो पहल की गई थी उसका सफल न होना; (2) केरल के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस का दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट तथा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन और उसकी सफलता; (3) उत्तर प्रदेश में पांच दलों की संयुक्त विधायक दलीय सरकार का गठन।

अखिल भारतीय कमेटी की गत जुलाई में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में जब संगठन कांग्रेस ने कांगी-कम्युनिस्ट अपवित्र गठबंधन के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र को उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए सभी राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रवादी दलों की एकता का आवाहन किया था तो ऐसा समझा गया था कि पार्टी के सभी स्तरों पर वर्तमान संकट की गंभीरता की प्रतीति है जिसकी ओर भारतीय जनसंघ ने जनवरी के अपने पटना अधिवेशन में अंगुलि निर्देश किया था। किन्तु बाद की घटनाओं ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि राज्यों के स्तर पर संगठन कांग्रेस में या तो इस प्रकार की प्रतीति नहीं थी अथवा वह इतनी गहरी नहीं थी जो दलगत पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त कर सके।

केन्द्रीय कार्य समिति ने स्वतंत्र पार्टी के नेता और संसद सदस्य श्री मीनू मसानी द्वारा संसदीय मोर्चे के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के सुझाव को ध्यान में रखा है। किन्तु समिति अनुभव करती है कि उपर्युक्त पृष्ठभूमि के प्रकाश में संगठन कांग्रेस को इस बारे में अपना मन तैयार करना चाहिए और पहल करनी चाहिए। जहां तक जनसंघ का प्रश्न है, हम यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के संगठित प्रत्यनों की आवश्यकता आज भी उतनी ही प्रबल है।

वस्तुतः केरल में हुई हाल की घटनाओं ने इस मोर्चे की स्थापना को और भी आवश्यक बना दिया है। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से केरल के मध्यावधि चुनाव की महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक सत्तारूढ़ कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ परदे के पीछे चलने वाला गठबंधन खुलकर सामने आगया है। एक दृष्टि से केरल के चुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों के इतिहास में एक नया मोड़ प्रस्तुत करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए परेल के उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को खुला समर्थन प्रदान किया। केरल से हाल में हुए राज्यसभा के उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार सत्तारूढ़ कांग्रेस के समर्थन से ही निर्वाचित हुआ है। यद्यपि सत्तारूढ़ कांग्रेस के पटना अधिवेशन में इस गठबंधन के संबंध में कोई औपचारिक उद्घोषणा करने के प्रश्न को टाल दिया गया किन्तु अगले चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी

तथा मुस्लिम लीग के मध्य गठबंधन होना एक सुनिश्चित तथ्य है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के शिविर में इस संबंध में जो विरोध था वह केरल के चुनाव परिणाम के बाद समाप्तप्राय हो गया है।

केन्द्र में भी किसी ऐसे गठबंधन के होने के विरुद्ध जनसंघ देश को चेतावनी देना चाहता है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी अथवा मुस्लिम लीग स्थान पायें। जनसंघ जहां एक ओर राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रवादी दलों का आवाहन करता है कि वह इस प्रकार की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए संयुक्त व्यूह बनायें वहां दूसरी ओर जनसंघ सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की देशभक्ति तथा सद्विवेक को भी अपील करता है कि वे इस प्रकार के गठबंधन के गंभीर परिणामों को समझें और उसे रोकें। वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब कांग्रेस के भीतर उस कम्युनिस्ट गुट को अलग-थलग करने में वे सफल हो जायें जो इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि केन्द्र सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी पक्के पांव जमा ले और इस प्रकार भारत में चेको-स्लोवाकिया की तरह संवैधानिक ढंग से सत्ता हथिया ले।

केरल में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को जो प्रशंसापत्र दिया है उससे सारे देश में मुस्लिम लीग की गतिविधियों में खतरनाक वृद्धि हो गई है। वर्षों की निष्क्रियता के बाद मुस्लिम लीग अचानक खूब सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री ने केरल तथा देश के अन्य भागों की मुस्लिम लीग में जो भेद करने का प्रयत्न किया उससे उनके दिल की नग्न अवसरवादिता की कलई ही खुली है। लीग के सांप्रदायिक स्वरूप के आंकलन के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों से देश भ्रमित नहीं हो सकता। इस संबंध में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के वक्तव्य अधिक सही हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केरल की मुस्लिम लीग में तथा अन्य भागों की लीग में कोई अंतर नहीं है और अन्य प्रदेशों की तरह केरल की मुस्लिम लीग भी संविधान में निहित समान शादी-विवाह के कानून की आवश्यकता को नहीं मानती; वह उर्दू को सभी हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों की दूसरी राजभाषा बनाना चाहती है और वह सेवाओं में मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व चाहती है। संक्षेप में, वह भारतीय मुस्लिम लीग के सभी सांप्रदायिक तथा विभाजनकारी दृष्टिकोणों की हामी है। लीग नेता का यह दावा कि वह भारतीय मुसलमानों की एकमेव प्रतिनिधि संस्था है, बड़ा खतरनाक है और विभाजन के पूर्व की मुस्लिम लीग की भूमिका का स्मरण दिलाता है। प्रधानमंत्री ने केरल मुस्लिम लीग की जो तुलना नायर सर्विस सोसाइटी तथा श्री नारायण धर्म परिपालन संघम के साथ की है वह सर्वथा भ्रामक है और इन प्रतिष्ठित सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं के प्रति अपमानजनक है।

भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के गठन को लोकतंत्रवादी शक्तियों की एक विजय मानता है। यह विजय बड़ी कठिनाइयों के बीच प्राप्त की गई। केन्द्र सरकार के सभी साधन इस विजय को रोकने में लगाये गये, समस्त संवैधानिक तथा राजनीतिक मान्यताओं तथा नैतिकताओं को ताक में रखकर

प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा व सत्तारूढ़ दल के विपुल धन के बल पर सामूहिक दल-बदल का प्रयत्न किया गया और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार थोपने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों को भी कलंकित किया गया। किन्तु इस सबका परिणाम नहीं निकला। इस प्रश्न पर जनमत जागरूक था। जिन पांच दलों ने साथ आने का निश्चय किया वे सुदृढ़ और संयुक्त थे।

संविद प्रयोग पर दृष्टि—किन्तु इस विजय को हमें स्थायी बनाना है। संविद के घटकों को यह समझना चाहिए कि भविष्य में लोकतंत्रवादी दलों के संयुक्त प्रयत्नों के प्रति देश की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्तर प्रदेश में नया प्रयोग कितना सफल अथवा विफल होता है। अतः यह आवश्यक है कि पांचों दल न केवल राज्य स्तर पर किन्तु केन्द्रीय स्तर पर भी सरकार के सुचारु संचालन के लिए निरंतर प्रयत्न करें।

संयुक्त सरकार आचारसंहिता—इस संदर्भ में भारतीय जनसंघ निर्णय करता है कि वह संविद के विभिन्न दलों के बीच चुनाव सामंजस्य की संभावनाओं की खोज करेगा और अपने अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस संबंध में आवश्यक पग उठाने का अधिकार देता है। यदि इस बारे में कोई प्रारंभिक समझौता किया जा सके तो उससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को कम करने और नई सरकार को स्थायित्व प्रदान करने में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही जनसंघ का सुझाव है कि संयुक्त सरकार में सम्मिलित दलों के लिए एक आचारसंहिता का अविलंब निर्धारण किया जाय जिसके आधार पर दलों के पारस्परिक संबंधों का नियमन हो सके।

राज्यपाल के स्वविवेक की मर्यादा—उत्तर प्रदेश के प्रकरण में वहां के राज्यपाल ने जो आचरण किया उसकी सभी ने निंदा की है। किंतु उनके लिए ऐसा करना प्रमुख रूप से इसलिए संभव हुआ क्योंकि केन्द्र सरकार ने राज्यपाल के स्वविवेक के अधिकारों के संबंध में कानूनी निर्देश निर्धारित करने से इनकार किया। इस महीने के अंत में राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन होगा। जनसंघ उस सम्मेलन से अपील करता है कि वह राज्यपालों के स्वविवेक के अधिकारों की मर्यादाओं का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करे। सम्मेलन के लिए यह अच्छा होगा कि वह असंदिग्ध शब्दों में यह घोषणा करे कि विधानसभाओं व संसद के अध्यक्षों के सम्मेलन द्वारा तथा प्रशासन सुधार आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को वह स्वीकार करता है।

कार्य समिति यह अनुभव करती है कि प्रधानमंत्री के खंडन के बावजूद लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। जब से कांग्रेस विभक्त हुई तब से प्रधानमंत्री इस पर विचार कर रहीं हैं। उत्तर प्रदेश में संविद के गठन के बाद उनके शिविर में हड़कंप मच गया है और वह अनुभव करतीं हैं कि कहीं उत्तर-प्रदेश की यह लहर बिहार, दूसरे अन्य राज्यों तथा केन्द्र को अपनी लपेट में न ले

ले। वे आशा करती हैं कि शीघ्र चुनाव कराके इस घटनाचक्र को टाल सकती हैं।

जनसंघ का यह सुनिश्चित मत है कि ब्रिटिश परंपरा ने वहां के प्रधानमंत्री को संसद को भंग कर देने की सलाह का जो अधिकार दिया है वह भारत की बहुदलीय राजनीति में अधिक उपयोगी नहीं है। यदि प्रधानमंत्री इस तरह की कोई सलाह देती हैं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे उसे अस्वीकार कर दें और एक वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावनाओं के बारे में खोज करें।

कार्य समिति दल की समस्त शाखाओं को निर्देश देती है कि वे मध्यावधि चुनाव के लिए अपने को तैयार करें, उम्मीदवारों के चयन की योजनाओं को अंतिम रूप दें और बिना किसी विलंब के निर्वाचन की तैयारियों को पूर्ण करें।

[6 नवम्बर 1970; दिल्ली, के०का०स०]

70.10. पश्चिमी बंगाल की स्थिति

यह स्मरणीय है कि 1967 में हुए आम चुनावों में कम्युनिस्टों द्वारा मुस्लिम संप्रदायवादियों के साथ गठबंधन करके बंगाल के विधानमंडल और राजनीति में प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद जो घटनाएं घटीं वे भविष्य के लिए चेतावनी और अशुभ लक्षण हैं। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके साथियों ने अपनी सत्ता के प्रथम चरण का उपयोग (अपनी कल्पना की सशस्त्र क्रांति की भूमिका के रूप में) अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया। उन्होंने लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों और सत्ता का पूरा उपयोग लोकतंत्र और संविधान में लोगों की आस्था को नष्ट करने के लिए ही किया।

कम्युनिस्ट प्रवृत्ति का राज्यपाल—1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस और दूसरे गैर-कम्युनिस्ट दलों के स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थिति और अधिक अच्छी हो गई। पहले की अपेक्षा अधिक जीत और सरकार में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करने से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को और अधिक निश्चय और निर्भयता के साथ घुसपैठ, तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाहियों के कम्युनिस्ट हथकंडों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिला। इन हथकंडों में तथाकथित नक्सलवादी और कम्युनिस्टों की नैतिक और भौतिक सहानुभूति और सहायता, पुलिस तथा अन्य प्रशासकीय सेवाओं के कुछ अंगों में इनकी घुसपैठ और उन्हें अपने विचारों की पकड़ में लाना, संसद में कम्युनिस्टों की सहायता पर निर्भर केन्द्रीय सरकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया तथा राज्यपाल श्री एस०एस० धावन की अशोभनीय कम्युनिस्ट प्रवृत्ति तथा उनके प्रति झुकाव माने जा सकते हैं।

1970 के मध्य में पुनः राष्ट्रपति राज लागू करने से भी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार न आने का कारण यह है कि कम्युनिस्टों के साथ खुली सहानुभूति होने के कारण राज्यपाल, आवश्यक दृढ़ता और दूरदर्शिता से स्थिति का

सामना करने में विफल रहे हैं तथा मार्क्सवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकाधिक कार्यकर्ताओं ने नक्सलवादियों के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। राजनीतिक आवरण और ठप्पा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान समर्थक तथा कुछ समाज-विरोधी तत्व भी नक्सलवादियों के नाम से अपने काम करने लगे हैं।

दो वर्ष से अधिक से चल रही लूट और हत्याओं के कारण, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस दल और जनसाधारण का मनोबल टूट गया है। जनमानस पर गहरा प्रभाव रखने वाले राष्ट्रीय नेताओं और देशभक्तों की प्रतिमा और चित्रों को बिगाड़ने की चीनी सांस्कृतिक क्रांति के अनुरूप सतत आंदोलन से, योजनापूर्वक माओ-त्से-तुंग को क्रांति के नेता से रूप में पेश करते रहने तथा इसके साथ मुस्लिम लीग और अन्य पाकिस्तान-समर्थक तत्वों और संस्थाओं की गतिविधियों के तेज हो जाने से देश के इस सामरिक महत्व के क्षेत्र में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिमी बंगाल को भारत का 'येनान' बनाने की भूमिका तैयार की जा रही है। ताकि कम्युनिस्ट क्रांति को फैलाने और देश में कम्युनिस्ट तानाशाही राज्य स्थापित करने के लिए इसका अड्डे के रूप में उपयोग किया जा सके।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्तव्यों और कृत्यों से बंगाल में वर्तमान स्थिति उत्पन्न करने वाले तत्वों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रोत्साहन और बल मिल रहा है। यह लोग अब बिहार और दूसरे पड़ोसी प्रदेशों में भी अपनी कार्यवाहियां फैलाने का योजनाबद्ध प्रयास कर रहे हैं।

'भूमि छीनो' की चाल—देश के लोकतंत्रीय ढांचे और उसमें अंतर्निहित वैधानिक शासन की भावना के लिए बढ़ते हुए खतरे के रूप में, बंगाल की वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्य समिति गहरी चिंता व्यक्त करती है। तथाकथित 'भूमि छीनो' आंदोलन देश में कानून व व्यवस्था को नष्ट करके जंगल का कानून लागू करने की सोची-समझी चाल है। यदि स्थिति का मुकाबला करने के लिए अविलंब प्रभावी पग न उठाये गये तो हालात पूर्णतः वश से बाहर हो जायेंगे। इस दृष्टि से जनसंघ का सुझाव है कि निम्नलिखित आधार पर अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिए :

(*i*) बंगाल के वर्तमान राज्यपाल को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसे प्रशासन का अच्छा अनुभव हो तथा जिसकी लोकतंत्र और संवैधानिक राज्य व्यवस्था में निष्ठा हो।

(*ii*) नक्सलवादियों और उनके साथियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के विषय में (सामाजिक और आर्थिक कारणों की दी जाने वाली दलीलों से) मस्तिष्क में किसी प्रकार की उलझन रखे बिना उनकी हिंसात्मक कार्यवाहियों से, कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही निबटा जाय।

(*iii*) इन अलोकतांत्रिक और राष्ट्र-विरोधी हिंसात्मक शक्तियों की चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए सभी राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रीय शक्तियों को एकत्रित और संगठित करने के लिए पग उठाये जायें।

(*iv*) नक्सलवादियों और उनकी लोकतंत्र-विरोधी हिंसात्मक कार्यवाहियों के समर्थकों और सहयोगियों के विरुद्ध जन-विरोध तैयार किया जाय। आवश्यकता पड़े तो बल प्रयोग का सामना बल प्रयोग से ही किया जाय।

(*v*) युवकों में राष्ट्रवादी भावना जागृत और दृढ़ करने के लिए संयुक्त कार्यवाही की जाय। अंततः राष्ट्रवाद ही साम्यवाद का प्रत्युत्तर है।

(*vi*) सरकारी आर्थिक नीतियों को उत्पादनोन्मुख तथा रोजगारक्षम बनाने के लिए उनमें आमूल परिवर्तन किया जाय। आर्थिक स्थिति में सुधार की गति का, कानून और व्यवस्था संबंधी सुनिश्चित, दृढ़ और प्रभावी कार्यवाहियों के साथ मेल बैठाया जाय।

बंगाल की आर्थिक स्थिति व विस्थापित—पूर्वी बंगाल से विस्थापितों के आने से बंगाल की आर्थिक स्थिति पर जो पहले भी कभी बहुत अच्छी नहीं थी, भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की समस्याओं के प्रति केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा नीति तथा पश्चिमी बंगाल की अर्थ-व्यवस्था पर इनके प्रभाव से बंगाल की जनता के बहुत बड़े भाग में विफलता और बेचैनी की भावना उत्पन्न हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके सहयोगियों ने युवकों और बुद्धिजीवियों में अपना प्रभाव फैलाने के लिए इस स्थिति का दुरुपयोग किया है। सरकार में बैठे कम्युनिस्टों ने उद्योगों में और उद्योगपतियों के विरुद्ध योजनाबद्ध हड़ताल, घेराव और हिंसात्मक कार्यवाहियां कराके आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ा है।

इस कारण, आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए अविलंब प्रभावी पग उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जहां नक्सलवादियों और उनके सहयोगियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को उचित ठहराने के लिए आर्थिक स्थिति का सहारा नहीं लिया जा सकता, वहां आर्थिक स्थिति की ओर दुर्लक्ष्य करना अथवा उसकी गंभीरता को कम समझकर चलना भी गलत होगा।

[6 नवम्बर 1970; दिल्ली, के०का०स०]

आंतरिक प्रश्नों पर प्रस्तावों की तिथि-क्रमानुसार सूची

वर्ष	प्रस्ताव संख्या	दिनांक	स्थान	प्रसंग	अध्याय	पृष्ठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1952	52.05	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	1	19
	52.06	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	1	19
	52.07	14 जून	दिल्ली	के०का०स०	1	20
	52.11	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	97
	52.12	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	97
	52.18	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	2	98
	52.24	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	1	22
	52.25	31 दिसम्बर	कानपुर	पहला सा०अ०	1	24
1953	53.01	10 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	1	25
	53.02	4 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	1	29
	53.06	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	1	31
	53.07	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	1	31
	53.11	15 अगस्त	इलाहाबाद	भा०प्र०स०	1	33
1954	54.05	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	1	33
	54.13	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	1	33
	54.14	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	1	34
	54.16	25 जनवरी	बम्बई	दूसरा सा०अ०	2	98
	54.23	19 अगस्त	इन्दौर	भा०प्र०स०	1	35
1955	55.05	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	3	139
	55.06	1 जनवरी	जोधपुर	तीसरा सा०अ०	1	36
	55.14	15 अप्रैल	गोकांक	के०का०स०	1	38
	55.19	13 जून	दिल्ली	के०का०स०	1	39
	55.21	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	2	98
	55.22	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	3	140
	55 27	28 अगस्त	कलकत्ता	भा०प्र०स०	1	39
	55.29	23 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	2	99
1956	56.01	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	101
	56.02	19 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	102
	56.05	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	1	41
	56.06	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	2	103
	56.08	21 अप्रैल	जयपुर	चौथा सा०अ०	1	42
	56.12	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	3	140
	56.13	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	1	42
	56.16	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	1	43
	56.17	21 जुलाई	दिल्ली	के०का०स०	2	104
	56.20	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	3	141
	56.22	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	2	104
	56.23	6 अक्तूबर	पूना	के०का०स०	2	105
	56.27	30 दिसम्बर	दिल्ली	पांचवां सा०अ०	1	44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1957	57.01	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	155
	57.04	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	4	155
	57.07	20 अप्रैल	जौनपुर	के०का०स०	1	45
1958	58.01	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	1	46
	58.05	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	2	106
	58.06	5 अप्रैल	अम्बाला	छठा सा०अ०	4	156
	58.14	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	4	157
	58.15	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	2	107
	58.16	19 जुलाई	बम्बई	के०का०स०	4	158
	58.21	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	1	47
	58.23	12 अक्तूबर	दिल्ली	के०का०स०	4	160
	58.28	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	4	160
	58.30	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	2	108
	58.31	28 दिसम्बर	बंगलौर	सातवां सा०अ०	4	161
1959	59.03	15 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	1	48
	59.05	8 जुलाई	पूना	भा०प्र०स०	4	163
	59.11	20 सितम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	164
	59.14	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	1	49
	59.16	6 दिसम्बर	सूरत	के०का०स०	2	108
1960	60.01	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	4	165
	60.05	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	1	50
	60.08	25 जनवरी	नागपुर	आठवां सा०अ०	2	109

	60.09	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	3	141
	60.11	20 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	1	51
	60.12	1 जून	दिल्ली	के०का०स०	2	110
	60.15	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	1	52
	60.17	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	2	111
	60.18	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	3	142
	60.21	28 अगस्त	हैदराबाद	भा०प्र०स०	1	53
1961	61.01	1 जनवरी	लखनऊ	नौवां सा०अ०	1	53
	61.06	1 जनवरी	लखनऊ	नौवां सा०अ०	3	143
	61.07	1 जनवरी	लखनऊ	नौवां सा०अ०	1	56
	61.10	5 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	1	58
	61.11	22 अप्रैल	पटना	के०का०स०	2	112
	61.12	22 अप्रैल	पटना	के०का०स०	4	168
	61.14	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	2	115
	61.15	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	3	144
	61.16	25 अगस्त	जम्मू	के०का०स०	1	58
	61.19	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	3	145
	61.20	12 नवम्बर	वाराणसी	भा०प्र०स०	2	115
1962	62.01	3 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	169
	62.07	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	1	59
	62.08	24 मई	कोटा	भा०प्र०स०	1	61
	62.12	29 सितम्बर	राजमुन्दरी	के०का०स०	1	61
	62.13	29 सितम्बर	राजमुन्दरी	के०का०स०	1	62
	62.19	30 दिसम्बर	भोपाल	दसवां सा०अ०	4	170

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1963	63.04	6 अप्रैल	दिल्ली	के०का०स०	3	155
	63.08	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	172
	63.09	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	4	173
	63.10	13 जून	इलाहाबाद	के०का०स०	1	63
	63.14	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	64
	63.15	12 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	65
	63.19	3 दिसम्बर	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	66
	63.25	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	4	173
	63.29	30 दिसम्बर	अहमदाबाद	ग्यारहवां सा०अ०	1	67
1964	64.02	1 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	1	67
	64.09	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	1	68
	64.10	10 अगस्त	ग्वालियर	भा०प्र०स०	1	69
	64.15	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	3	146
	64.17	4 दिसम्बर	पटना	के०का०स०	1	69
1965	65.02	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	4	174
	65.09	24 जनवरी	विजयवाड़ा	बारहवां सा०अ०	1	71
	65.11	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	4	176
	65.12	3 अप्रैल	जयपुर	के०का०स०	4	177
	65.16	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	2	116
	65.17	10 जुलाई	जबलपुर	के०का०स०	1	71
	65.20	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	73
	65.23	17 अगस्त	दिल्ली	भा०प्र०स०	1	75

1966	66.02	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	2	118
	66.03	15 जनवरी	कानपुर	के०का०स०	1	77
	66.07	1 मई	जालन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	177
	66.10	1 मई	जालन्धर	तेरहवां सा०अ०	2	118
	66.11	1 मई	जालन्धर	तेरहवां सा०अ०	4	180
	66.12	1 मई	जालन्धर	तेरहवां सा०अ०	1	77
	66.16	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	1	78
	66.18	12 जुलाई	लखनऊ	के०का०स०	1	79
	66.19	1 अक्तूबर	कलकत्ता	के०का०स०	1	80
	66.21	2 नवम्बर	नागपुर	के०का०स०	4	181
1967	67.01	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	182
	67.04	14 मार्च	दिल्ली	के०का०स०	4	183
	67.06	21 अप्रैल	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	184
	67.07	21 अप्रैल	दिल्ली	भा०प्र०स०	4	185
	67.10	30 जून	शिमला	के०का०स०	4	186
	67.11	30 जून	शिमला	के०का०स०	1	81
	67.12	30 जून	शिमला	के०का०स०	4	188
	67.15	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	1	181
	67.17	19 सितम्बर	बड़ौदा	के०का०स०	4	89
	67.22	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	4	190
	67.25	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	4	192
	67.27	26 दिसम्बर	कालीकट	चौदहवां सा०अ०	1	82
1968	68.07	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	4	194
	68.08	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	1	83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968 (जारी)	68.11	14 जून	गोहाटी	के०का०स०	2	120
	68.13	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	196
	68.17	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	3	147
	68.18	7 सितम्बर	इन्दौर	भा०प्र०स०	4	200
	68.19	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	201
	68.21	16 दिसम्बर	दिल्ली	के०का०स०	3	148
1969	69.01	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	125
	69.02	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	126
	69.03	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	3	149
	69.04	16 फरवरी	दिल्ली	के०का०स०	4	203
	69.05	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	4	204
	69.08	26 अप्रैल	बम्बई	पन्द्रहवां सा०अ०	1	87
	69.12	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	4	206
	69.13	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	2	128
	69.14	2 जुलाई	रायपुर	के०का०स०	4	207
	69.17	30 अगस्त	दिल्ली	के०का०स०	4	208
	69.19	28 दिसम्बर	पटना	सोलहवां सा०अ०	2	129
	69.20	28 दिसम्बर	पटना	सोलहवां सा०अ०	4	211
1970	70.01	14 जनवरी	दिल्ली	के०का०स०	2	132
	70.05	18 जुलाई	चण्डीगढ़	भा०प्र०स०	4	214
	70.07	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	216
	70.10	6 नवम्बर	दिल्ली	के०का०स०	4	219
1972	72.18	20 नवम्बर	जयपुर	के०का०स०	3	150

अनुक्रमणिका

अकाली—
कांग्रेस—
आतंक, पंजाब में 105
गठजोड़ 105
सरकार वार्ता 102
अखंड भारत 31, 75
अनशन—
जबरदस्ती का, (देखिए : पंजाब, द्विभाषी)
मा० तारासिंह का, (देखिए : पंजाब, द्विभाषी)
अनुच्छेद—
263 के अंतर्गत परिषद 203
370 की समाप्ति 50, 59, 67, 77, 141
(सदरे रियासत का चुनाव 49)
अब्दुल्ला—
की—
भारत-विरोधी कार्यवाहियां 46
रिहाई 69
पर—
आंदोलन का दायित्व, 25
(परिषद आंदोलन का उद्देश्य 26)
सार्वजनिक अभियोग 31
सरकार के—
नृशंस अत्याचार 22
विरुद्ध आरोप-पत्र 28
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 116
(पाकिस्तान की जन्म-स्थली 116)
—का—
भारतीयकरण 116
सांप्रदायिक रूप 115, 117
असम—
1962 में, 85
का पुनर्गठन 83
के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आयोग 86
को बचाओ 71
(समन्वित प्रशासनिक ढांचा 72)

असम—(जारी)
में—
उपद्रव 111
(सप्ताहों तक सरकार गायब 111)
पीकिंग-पिंडी रुची 83
क्षेत्र में पाक घुसपैठ, सामरिक महत्व के 71
आत्मदाह की धमकी (देखिए : चंडीगढ़)
आर्थिक असंतोष 131
आधार—
न्यूनतम कार्यक्रम का, 184
संयुक्त नीति व सहकार्य का, 208
आपत्कालीन अधिकार (ों) 170
—का दुरुपयोग 145
आम चुनाव—
चतुर्थ, 182
तृतीय, 169
द्वितीय, 155
आयोग, रेड्डी व मुरारका 200

इस्लाम, आधुनिक 77
ईसाई चर्च, संयुक्त स्वतंत्र भारतीय 43

उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि (देखिए : केन्द्रीय कर्मचारियों में असंतोष)
उपाध्याय हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग 206
उर्दू आंदोलन 97

एक देश एक जन व एक संस्कृति 122
एकात्मक—
रूप, संविधान के लिए 102
शासन 99, 102
एकीकरण—
अधूरा, 144
स्थानीय समस्या नहीं (देखिए : काश्मीर एकीकरण आंदोलन)

कम्युनिस्ट—
कुचक्र, विघटनकारी 193
कुशासन 163
गोली वर्षा 164
चाल 90, 113, 162, 209
—केरल में, 177
चुनौती 158
प्रशाखा, अन्तर्राष्ट्रीय 164

व संप्रदायवादी, केरल में 192
समर्थन का मूल्य 212
कांग्रेस—
कम्युनिस्ट-लीग तिगड्डा 213
की—
अकर्मण्यता 40
असहिष्णुता 161, 166
फूट 211
कांग्रेसी—
गठजोड़, अपवित्र 169
गुंडागर्दी 173, 173
फूट के परिणाम 211
कानून व व्यवस्था की बिगड़ती दशा 139
कार्यपालिका को अधिक अधिकार 139
काश्मीर—
एकीकरण आंदोलन 22, 25
(एकीकरण स्थानीय समस्या नहीं 23)
का—
एकीकरण 33, 36, 47, 50, 61
प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसंघ में 59
की मुक्ति, गुलाम 36
के प्रश्न की वापिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघ से 19
घाटी में आतंक 81
दिवस 22
में—
अनिश्चितता 41, 63, 69, 82
छलपूर्ण चुनाव 160
पीकिंग पिंडी व मास्को की हवाएं 80
व्यापक पाकिस्तानी घुसपैठ 73
सरकार, बदनाम 37
केन्द्र—
राज्य संबंध 87, 185, 201
(वित्तीय प्रावधानों का पुनर्निर्धारण 186)
व गैरकांग्रेसी सरकारें 184
केन्द्रीय—
कर्मचारियों—
की हड़ताल 142, 143, 145, 148
(निरर्थक संयुक्त सलाहाकार मशीनरी 148)
(सरकार का प्रतिशोध 142, 145)
में असंतोष 147
(उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि 148)

केन्द्रीय—(जारी)
कर्मचारी व सरकार के संबंध 149
केरल में—
कार्यकर्ता पर पुलिस-गोली 176
जनता का संघर्ष 163
कैबीनेट मिशन योजना 21

गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशें (देखिए : जम्मू व लद्दाख के विरुद्ध भेदभाव)
गठजोड़, अपवित्र (देखिए : सांप्रदायिक खतरा)
गुप्तचर विभाग की विफलता 179
गृहयुद्ध की धमकी 158
गोवा—
और पश्चिमी राष्ट्र 40
की मुक्ति 35, 42
के प्रति ब्रिटिश रवैया 35
मुक्ति—
आंदोलन 38
समिति 38
सत्याग्रहियों—
का महान बलिदान 39
की भर्ती 39

चिकित्सा संबंधी अपराधपूर्ण लापरवाही (देखिए : मुखर्जी को श्रद्धांजलि)
चीन—
की क्रिया—भारत की केवल प्रतिक्रिया 65
युद्ध के बाद 170
चीनियों का भारी जमाव 65
चीनी आक्रमण और कम्युनिस्ट पार्टी 164
चंडीगढ़ 132
(आत्मदाह की धमकी 132)

जनमत संग्रह—
की चर्चा रोकें 34
मोर्चे में पुनर्जीवन 69
जम्मू—
काश्मीर—
का—
विभाजन 41, 81
स्वायत्तशासी गणराज्य 20
(वंशानुगत राजतंत्र 21)
की स्थिति 46
में चुनाव नियम 144

संविधान सभा 20
के साथ भेदभाव 141, 144
में नृशंस दमन चक्र 19
(दलीय व राष्ट्रीय ध्वज 19)
व लद्दाख—
की मांग 21
के साथ भेदभाव 149
(गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशें 149)
जांच आयोग का विस्तार (देखिए : बस्तर का कलंक)
जौहर की ज्वालाएं 75

ढाका समझौता 58

तेलंगाना—
आंदोलन 125
के लिए संरक्षण 125
में असंतोष 128

द्वि-राष्ट्रवाद 44
—और त्रि-राष्ट्रवाद 90
दक्षिण व वाम—भारतीय पृष्ठभूमि में निरर्थक 210
दिल्ली—
के साथ भेदभाव 200
वक्फ़ बोर्ड 200
देशभक्ति व देशद्रोह 175
दोगले 179

ध्रुवीकरण—
की प्रवृत्ति 156
राजनीत का, 168

न्यायाधिकरण, स्थायी (देखिए : भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर)
नक्सलबाड़ी—
खतरा 186
में 'जन-अदालतें' 187
नहाल बस्तियां, युद्ध-विराम रेखा के साथ 80
नागरिकता, दूसरी श्रेणी की 176
नागा—
नीति 176
लैंड, अलग 52
विद्रोहियों से वार्ता नहीं 78

नागा—(जारी)
समस्या 42, 68, 69
—की सूक्ष्म जांच 42
नीति, अपवहन व समर्पण की (देखिए : क्षेत्रवाद का उन्माद)
नेफा पराजय की जांच 66
नेहरू—
अब्दुल्ला (1953) पत्र-व्यवहार 46
के आलोचक—देशद्रोही 171
नून समझौते की पृष्ठभूमि 54
(बुरा समझौता 55)
युग की देन 174

पंजाब—
का पुनर्गठन 118
की—
एकता 160
स्थिति 106
द्विभाषी, 115
(जबरदस्ती का अनशन 115)
(मा० तारासिंह का अनशन 115)
में—
नागरिक आजादी 106
पाशविक अत्याचार 118
पुलिस की ज्यादतियां 106
सीमा निर्धारण 119
पंजाबी सूबे की मांग 98, 109, 110, 118
पंच—
निर्णय, विवादों के लिए 189
फैसला, कानूनी 148
परिषद् आंदोलन का उद्देश्य (देखिए : अब्दुल्ला पर आंदोलन का दायित्व)
पाक—
घुसपैठ व राष्ट्रीय सुरक्षा 64
चीन सांठ-गांठ 60
पाकिस्तान की जन्म-स्थली (देखिए : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय)
पाकिस्तानी—
घुसपैठ, पूर्व दिशा में 61, 62, 64
(दोहरा षडयंत्र 62)
घुसपैठियों का निष्कासन 62
पाठ्यक्रम—केन्द्रीय विषय 124
पुर्तगाली—
जेलों में भारतीय 42
दमनचक्र 38

पुनर्गठन—
आयोग—
का—
प्रतिवेदन 99
युक्तिपूर्ण आधार 100
के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं 101
(सरकार का संभ्रम 101)
विधेयक संबंधी कुछ सुझाव 103
(चौखंडी व्यवस्था 103)
विधेयक 104
पूर्वांचल का, 79
पुलिस—
कमीशन की नियुक्ति, अखिल भारतीय 139, 140
का व्यवहार 140
की ज्यादतियां 174
पुस्तक आंदोलन, शरारतपूर्ण 104
प्रतिरक्षा पंक्ति, प्रथम 74
प्रशासन, विकेन्द्रित 156
प्रशासनिक ढांचा, समन्वित (देखिए : असम को बचाओ)
प्रैस, आपत्काल में 172

ब्रिटिश स्मारक 45
बस्तर—
का कलंक 180
(कायरतापूर्ण हत्या 180)
(जांच आयोग का विस्तार 180)
गोलीकांड 168
बेरूबाड़ी—
का हस्तांतरण 48, 53, 58, 66, 67
(पश्चिमी बंगाल का सर्वसम्मत विरोध 53)
के हस्तांतरण का विधेयक 53
प्रतिरक्षा समिति 58
सर्वोच्च न्यायालय में, 51
बंगाल—
का सर्वसम्मत विरोध, पश्चिमी (देखिए : बेरूबाड़ी का हस्तांतरण)
की—
आर्थिक स्थिति व विस्थापित 221
स्थिति, पश्चिमी 219
बिहार विलय 103
बंद, सरकारी 193
बंबई के उपद्रव 203

बंबई राज्य का पुनर्गठन 107, 108
बंसीलाल व केन्द्रीय नेता 150

भ्रष्टाचार—
उच्च पदों पर, 141
(स्थायी न्यायाधिकरण 141)
की समस्या 176
के बारे में दोहरे मापदंड 150
भारत—
के धुरी-तत्व 122
में 'राज्यविहीन' भारतीय 49
भाषा, जनता की 185
भारतीयकरण 131
—एकता व राष्ट्रीयता के लिए, 24, 44
—चाय बागानों का, 87
—दृष्टिकोण का, 76
—द्वारा सांप्रदायिकता का अंत 44
भूमि-छीनो की चाल 220

मजदूर विरोधी अधिनियम 148
मध्यावधि चुनाव, सन् 1969 के 204
मंत्रियों के विरुद्ध जांच, उड़ीसा के 146
मलापुरम जिला, प्रस्तावित 126
(सांप्रदायिक व सुरक्षा को खतरनाक 128)
मान्यताएं, आधारभूत 113
मुखर्जी—
का महान बलिदान 29
की—
रहस्यमय हत्या 30, 33
हत्या की निष्पक्ष जांच 31
को श्रद्धांजलि 29
(चिकित्सा संबंधी अपराधपूर्ण लापरवाही 30)
ने दूसरा विभाजन रोका 33
मुस्लिम समस्या 76
मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद 79, 108
मोपलास्तान, जिन्ना का 126
मोहन रानाडे की रिहाई 77

राज्य पुनर्गठन आयोग 98
राज्यपाल—
कम्युनिस्ट प्रवृत्ति का, 219

Smt. Dr. G. V. Saxena "Hiran
Vidushi, Sahitya Ratna & Sahityalankar
M. D. H., M. A. LL. B. ADVOCATE

राज्यपाल—(जारी)
का पक्षपातपूर्ण रवैया 183
के स्वविवेक की मर्यादा 218
राज्यपालों के द्वारा केन्द्र के दांवपेच 201
राज्यों का पुनर्गठन 98
राजतंत्र, वंशानुगत (देखिए : जम्मू-काश्मीर का स्वायत्तशासी गणराज्य)
राजनीतिक प्रगति के आधार 165
राष्ट्र-निर्माण में सहभागी 165
राष्ट्रपति चुनाव, पांचवां 208
राष्ट्रवाद व लोकतंत्र—मूलभूत निष्ठाएं 211
राष्ट्रीय ध्वज, दलीय व (देखिए : जम्मू में नृशंस दमन चक्र)
रूसी प्रभाव 171

लद्दाख को सीधी सड़कें 51
लोकतंत्र—
अविभाज्य है 178
एकता स्वतंत्रता व, 168
का बुर्ज, एशिया में 161
की हत्या, राजस्थान में 183
भारत में, 161
लोकतंत्रीय प्रवृत्तियां व संस्थान 177
लोकतांत्रिक—
क्रांति 189
मोर्चा—
राष्ट्रवादी, 215
संसद में, 216

व्यवस्था, चौखंडी (देखिए : पुनर्गठन आयोग विधेयक संबंधी कुछ सुझाव)
विकल्प, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक 181
विघटन—
को निमंत्रण 69
बढ़ता, 56
विघटनकारी—
प्रवृत्तियां 178
शक्तियां 174
विघटनवादियों का अपवित्र गठजोड़ 90
वित्तीय प्रावधानों का पुनर्निर्धारण (देखिए : केन्द्र-राज्य संबंध)
विदेशी—
प्रभाव 191
मिशनरियों—
का नियमन 34
की कार्यवाहियां 33

विदेशी—(जारी)
हस्तक्षेप 131
हाथ, दंगों के पीछे 121
शक्तियों के दांवघात 32
विरोध, संयुक्त 214
(प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग 214)
विरोधी दलों—
की एकता 172, 207
से सहयोग, विधान-मंडलों में 155
वेतन—
आयोग—
की सिफारिशें, द्वितीय 145
व रेलवे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति, तृतीय 147
समान कार्य के लिए एक-सा, 147

श्रमनीति का पुनर्निर्धारण 143
शहीद सुमेर्रासिह 107
शांतिमिशन, अशुभ 70

षडयंत्र, दोहरा (देखिए : पाकिस्तानी घुसपैठ, पूर्व दिशा में)

स्थानीय निकायों के—
बीच समन्वय 156
लिए संवैधानिक प्रावधान 156
साधन-स्रोत व चुनाव 157
स्थिति—
आंतरिक, 129, 177, 216
सन् 1967 के बाद की, 196
सदरे रियासत का चुनाव (देखिए : अनुच्छेद 370 की समाप्ति)
सम्मिलित मोर्चा 183
समझौता, बुरा (देखिए : नेहरू-नून समझौते की पृष्ठभूमि)
सरकार—
आचारसंहिता, संयुक्त 218
का—
प्रतिशोध (देखिए : केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल)
संभ्रम (देखिए : पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएं)
गायब, सप्ताहों तक (देखिए : असम में उपद्रव)
पलटने की कांग्रेसी लीला 191
सरकारें—
कम्युनिस्ट, 198
गैरकांग्रेसी, 190
पंजाब व हरियाणा की संविद, 188

सरकारें—(जारी)
संयुक्त व अल्पसंख्यक, 197
सहयोग, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर (देखिए : विरोध, संयुक्त)
सीमा आयोग, अनिवार्य पंचाट के लिए 79
सीमा नीति 175
संयुक्त सलाहकार मशीनरी, निरर्थक (देखिए : केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल)
संविद—
प्रयोग पर दृष्टि 218
में जनसंघ 183
मंत्रिमंडल 184, 189, 194
संविधान नहीं, अलग 71
संस्कृतिजन्य एकता-सूत्र 44
संसद की प्रतिज्ञा 170
सांप्रदायिक—
खतरा 112, 120
(अपवित्र गठजोड़ 112)
व सुरक्षा को खतरनाक (देखिए : मलापुरम् जिला, प्रस्तावित)
सांप्रदायिकता—
अवसरवादिता व, 167
के विष बीज 120
बढ़ती, 129
सांस्कृतिक—
एकात्मता 75
पुनरुत्थान 24

हत्या, कायरतापूर्ण (देखिए : बस्तर का कलंक)
हत्याएं, राजनीतिक 157
हैदराबाद का विलय 97
होशियारपुर की घटनाएं 140
हाड़ूं कांड, कुमारी 82

क्षेत्रवाद—
का उन्माद 88
(अपवहन व समर्पण की नीति 89)
तथा उपक्षेत्रवाद 131
क्षेत्रीय असंतुलन 88, 149
क्षेत्रीयतावाद, शिवसेना का 203

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्या...
क........
दि........

"हम अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं परन्तु उसको भारत के राष्ट्र-जीवन का सर्वोच्च बिन्दु नहीं मानते : हम वर्तमान के प्रति यथार्थ-वादी हैं, किन्तु उससे बंधे नहीं : हमारी आंखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किन्तु हम निद्रालु नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले जागरूक कर्मयोगी हैं। अनादि अतीत, अस्थिर वर्तमान तथा चिरन्तन भविष्य की कालजयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं।"

पं० दीनदयाल उपाध्याय

[अध्यक्षीय भाषण
21 दिसम्बर 1967; कालीकट]

भारतीय जनसंघ घोषणाएं व प्रस्ताव 1951-72

भारतीय जनसंघ
घोषणाएं व प्रस्ताव
1951-72

भाग 4

आंतरिक प्रश्नों पर प्रस्ताव

120/2069